नवम माला, खंड 5, अंक 40

सोमवार, 14 मई, 1990
24 वैशाख, 1912 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## का

# हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लाक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

# लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 14 मई, 1990/24 वैशाख, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | शुद्धि |
|---|---|---|
| 6 | 12 | "श्री निर्मल कांत चटर्जी" के स्थान पर "श्री निर्मल कांति चटर्जी" पढ़िये। |
| 8 | 15 | "विवरज" के स्थान पर "विवरण" पढ़िये। |
| 10 | 20 | "श्री विश्वनाथ प्रताव सिंह" के स्थान पर "श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह" पढ़िये। |
| 38 | 19 | "ऊतज" के स्थान पर "ऊतक" पढ़िये। |
| 57 | 6 | "84 4" के स्थान पर "8474" पढ़िये। |
| 59 | 1 | "भारतीत" के स्थान पर "भारतीय" पढ़िये। |
| 63 | 19 | "8 86" के स्थान पर "8486" पढ़िये। |
| 66 | नीचे से 3 | "श्री एन0डेविस" के स्थान पर "श्री एन0डेनिस" पढ़िये। |
| 78 | नीचे से 4 | "(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये। |
| 85 | 4 | "श्रीमती सुखवंश कौर" के स्थान पर "श्रीमती सुखबंस कौर" पढ़िये। |
| 101 | 11 | "(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये। |
| 115 | नीचे से 6 | "859" के स्थान पर "8596" पढ़िये। तथा "कुमारी ऊमा भारती" के स्थान पर "कुमारी उमा भारती" पढ़िये। |
| 271 | नीचे से 3 | "राव बीरेन्द्र शर्मा" के स्थान पर "राव बीरेन्द्र सिंह" पढ़िये। |

# विषय-सूची

नवम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 40, सोमवार, 14 मई, 1990/24 वैशाख, 1912 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | 1 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | 1—18 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 802 से 804 और 806 | |
| प्र... के ... खित उत्तर : | 18—197 |
| तारां..त प्रश्न संख्या : 800, 801, 805, 807 से 815, 817 और 819 | 18—33 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 8452 से 848[illegible], 8482 से 8490, 8492 से 8514, 85[illegible]6 से 8548, 8550 से 8555, 8557 से 8579, 8581 से 8617 और 8620 से 8633 | 38—197 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | 197 |
| नियम 377 के अधीन मामले | 197—201 |
| (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को असम के तिनसुखिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के साथ जोड़े जाने के लिए शीघ्र धनराशि दिए जाने की मांग | 197 |
| श्री लेइता अम्बरी | |
| (दो) कृष्णा नदी पर हिप्पा रागी बांध का निर्माण किए जाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की मांग | 198 |
| श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा | |
| (तीन) महाराष्ट्र में शिरडी में एक हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग | 198 |
| श्री बाला साहिब विखे पाटिल | |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (चार) राजस्थान में वनों के लिए निर्धारित भूमि भूमिहीन लोगों में आवंटित किए जाने की मांग | 199 |
| श्री बेगा राम | |
| (पांच) केरल के कासरगोड और कन्नानोर जिलों के बीड़ी कर्मकारों की कठिनाइयां दूर करने के लिए कदम उठाए जाने की मांग | 199 |
| श्री एम० रमन्ना राय | |
| (छ:) बड़ौदा जिले में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत कुओं की बजाय नलकूपों का निर्माण किए जाने की मांग | 200 |
| श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट | |
| (सात) गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों के गांवों और कस्बों में पेय जल उपलब्ध कराए जाने की मांग | 200 |
| श्री रतिलाल कालीदास वर्मा | |
| (आठ) उत्तर तटीय आन्ध्र प्रदेश में एक एल्युमिना संयंत्र स्थापित किए जाने की मांग | 201 |
| श्री के० राम मोहन राव | |
| अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 | 201—284 |
| जल संसाधन मंत्रालय | |
| और | |
| कृषि मंत्रालय | |
| श्री संतोष मोहन देव | 204 |
| श्री युवराज | 209 |
| श्री सैयद अन्सारी | 211 |
| श्री रामजीलाल यादव | 212 |
| श्री ए० के० राय | 216 |
| श्री बाला साहिब विखे पाटिल | 220 |
| डा० खुशाल परशराम बोपचे | 223 |
| श्री कृपाल सिंह | 226 |
| श्री दसई चौधरी | 230 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री नीतीश कुमार | 233 |
| श्री एन० सुन्दर राज | 237 |
| श्री कपिल देव शास्त्री | 241 |
| श्री लोकेन्द्र सिंह | 243 |
| श्री धर्मपाल शर्मा | 244 |
| श्री भोगेन्द्र झा | 246 |
| श्री बालगोपाल मिश्र | 248 |
| श्री प्यारे लाल हान्डू | 249 |
| श्री छेदी पासवान | 251 |
| श्री जगन्नाथ सिंह | 253 |
| श्रीमती बिमल कौर खालसा | 254 |
| श्री मनुभाई कोटाड़िया | 255 |
| श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा | 273 |
| आधे घंटे की चर्चा | 285—296 |
| बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखा प्रवण जिले | |
| कुमारी उमा भारती | 285 |
| श्री पी० आर० कुमारमंगलम | 291 |
| श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा | 293 |

# लोक सभा

सोमवार, 14 मई, 1990/24 वैशाख 1912 (शक)

लोक सभा 11.04 म०पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सदन को श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य के दुखद निधन की सूचना देनी है जो 1984-89 के दौरान पश्चिम बंगाल के हुगली निर्वाचन क्षेत्र से आठवीं लोकसभा की सदस्य थीं ।

श्रीमती भट्टाचार्य एक शिक्षिका थीं और 1978-79 में उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक के सम्मान से अलंकृत किया गया था । वह एक जानी-मानी समाज सेविका थीं और वह भारत सेवक समाज के कार्य-कलापों में गहरी रुचि लेती थीं । वह महिलाओं के उत्थान में लगी अनेक संस्थाओं में सक्रिय रूप में जुड़ी हुई थी ।

वह एक योग्य संसद-विद्व थीं और सदन की कार्यवाही में गहरी रुचि लेती थीं तथा उन्होंने उनमें बहुमूल्य योगदान दिया था ।

श्रीमती भट्टाचार्य का निधन 71 वर्ष की आयु में 20, अप्रैल, 1990 को पश्चिम बंगाल में चन्द्रनगर में हुआ ।

हम अपनी इस मित्र के अपने बीच से चले जाने पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे यकीन है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरा साथ देगी ।

सभा के सदस्य अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहेंगे ।

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

11.05 म० प०

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**अध्यक्ष महोदय :** श्री हुकुमदेव नारायण यादव—उपस्थित नहीं

श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील—उपस्थित नहीं

श्री बी० एन० रेड्डी—उपस्थित नहीं

## आठवीं योजना का दृष्टिकोण-पत्र

**[अनुवाद]**

*४02 **श्री उत्तम राठौड़†**
**श्री बी० एन० रेड्डी** } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र का अध्ययन करने के लिए हाल ही में मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्यों की बैठक आयोजित की गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या दृष्टिकोण पत्र का अनुमोदन किया गया था; और

(ग) इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद को कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा ?

**योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन)** : (क) और (ख) जी, हां। दृष्टिकोण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ और इन विचार-विमर्शों के प्रकाश में कुछ संशोधन सुझाया गया था।

(ग) दृष्टिकोण पत्र, राष्ट्रीय विकास परिषद को उसकी 15-6-1990 को होने वाली आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

**श्री उत्तम राठौड़** : क्या यह सच है कि जब निर्यात आयात नीति की घोषणा की गई थी तो योजना आयोग से परामर्श नहीं किया गया था।

**श्री भागेय गोवर्धन** : महोदय, मेरे विचार में यह एक ऐसा प्रश्न है जोकि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः मैं अभी इसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं उसके बारे में उन्हें बाद में बताऊंगा।

**श्री उत्तम राठौड़** : अभी तक योजना भवन में ऐसा महसूस किया जाता रहा है कि उनके सुझावों को माना नहीं जाता उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता और इसी आशय से मैं मंत्री जी से उत्तर जानना चाहता था। वो भी यही कहते हैं कि योजना आयोग द्वारा जिस दृष्टिकोण अथवा नीति को अपनाया गया था वह प्रधान मंत्री की भी पसन्द की नहीं है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैंने ऐसा कहा है। कृपया इसका उत्तर दीजिए।

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : महोदय, माननीय सदस्य की आशंका सही नहीं है। योजना आयोग के साथ लगातार पारस्परिक संपर्क रहा है। केवल इतना ही नहीं। मैं स्वयं योजना आयोग में गया और मैंने कहा : "हम योजना आयोग के साथ एक बार थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि नियमित रूप से बैठकें करेंगे" और इसके अलावा, मेरे विचार में माननीय सदस्य का सम्बन्ध उस बात से है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। मेरे विचार में आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके कार्यकरण में पूर्ण समन्वय और सामन्जस्य है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में प्रधान मन्त्री ने उन्हें पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं किया है।

**(व्यवधान)**

**श्री उत्तम राठौड़ :** ऐसा कहा गया है कि सरकार योजना आयोग को सांविधिक दर्जा देना चाहती है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें कितना समय लगेगा ?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** महोदय, यह प्रस्तावित विचारों में से एक था। लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

**श्रीमती उमा गजपति राजू :** महोदय, अर्थशास्त्री कहते हैं, सातवीं योजना की तुलना में जोकि विकासोन्मुख योजना है, आठवीं योजना में, विकास की दर में कमी आएगी। मैं माननीय प्रधान मंत्री अथवा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह हमें आश्वासन दें कि ऐसा नहीं होगा और हम आर्थिक दृष्टि से अवनति नहीं करेंगे क्योंकि, इस समय, आठवीं योजना में केवल कृषि पर आधारित उद्योगों पर बल दिया गया है। यदि औद्योगिक क्षेत्र पर बल नहीं दिया जाता, तो हम सभी जानते हैं कि विकास की दर कम हो जाएगी। क्या मंत्री जी इसका उत्तर देंगे ?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि योजना आयोग के मूल्यांकन में, जिस विकास दर की उन्हें आशा है, वह सातवीं योजना में कम नहीं होगी। अतः उन्हें वह भय दूर कर देना चाहिए। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रधान मंत्री खड़े हुए हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** समाचार पत्र ऐसा कह सकते हैं। लेकिन, मैं यह कह रहा हूं। निश्चित रूप से हमने रोजगार को उच्च प्राथमिकता दी है. फिर भी, कृषि सबके बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में निवेश पर बल दिया गया है।

फिर भी, हम औद्योगिक क्षेत्र को नहीं भूले हैं। यदि हमें अपना निर्यात बढ़ाना है अथवा अपने उद्योगों को आधुनिक बनाना है, तो इसे प्रोत्साहन देना होगा। लेकिन, इसमें हम कृषि पर आधारित उद्योगों को अपने सामाजिक-आर्थिक प्रणाली में सामंजस्य स्थापित करके तथा उत्पादन में विकेन्द्रीकरण के माध्यम से प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकें, इस प्रकार, भूमि को उस पर पड़ने वाले दबाव से मुक्त किया जा सकेगा। यही हमारा उद्देश्य है।

**श्री हन्नान मोल्लाह :** हमें बताया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। नए दृष्टिकोण में जिन बड़े मुद्दों पर बल देना होगा वह यह है कि जिनके बारे में प्रधान मंत्री बार-बार देश के युवकों के बारे बात करते रहे हैं। यहां तक कि परसों उन्होंने कहा था कि अधिकतर जनसंख्या, अकेले सबसे बड़े महाद्वीप की जनसंख्या, युवकों की है और वे विभिन्न समस्याओं से पीड़ित हैं।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस दृष्टिकोण पत्र में युवाओं की समस्याओं स

निपटने के लिए अलग से एक अध्याय होगा और तदनुसार कार्यक्रम तैयार किए जायेंगे ताकि आठवी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वियन से हमारे देश के युवा लोगों की काफी अधिक समस्याएं हल हो जाएगी।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : माननीय सदस्य ने युवाओं की ओर सही ध्यान केन्द्रित किया है और हमारा भी ध्यान उस पर केन्द्रित है। युवा जनसंख्या का 73 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है। अतः यदि हमें युवाओं की समस्याओं को हल करना है तो हमें इसके लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने होगें। सरकार, संविधान में काम के अधिकार को शामिल करने का प्रस्ताव ला रही है।

निश्चित रूप से साधनों के दबाव के अन्दर, हमें उसे वास्तविक रूप से तैयार करना होगा। लेकिन, इस व्यवस्था से हम जो करना चाहते हैं वह यह कि विकास प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से अलग अलग तरीके से इस प्रकार तैयार करना होगा जिससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकें और जिसमें बढ़ते हुए बेरोजगार श्रमिक बल और अर्ध-रोजगारों एवं पिछले बकाया बेरोजगारों को खपाया जा सके। यही रोजगार के अधिकार के लक्ष्य को, सतत आधार पर स्वीकार करना है। केवल यही व्यवहार्य तरीका है। मेरे विचार में यह आने वाले वर्षों में युवकों अथवा आने वाली सरकारों के लिए एक बड़ी देन होगी।

**प्रो० राम गणेश कापसे** : जहां तक आठवीं योजना और शिक्षा नीति का सम्बन्ध है, हम नए दृष्टिकोण के बारे में सोच रहे हैं। शिक्षा के बारे में वास्तविक समस्या व्यवसायिक शिक्षा की है।

अतः रोजगार की समस्या को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए, जहां तक व्यावसायिक शिक्षा का सम्बन्ध है, हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में अवसर पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : जी, हां।

**श्री बाल गोपाल मिश्र** : सातवीं योजना पूरी हो गई है और हम 8वीं योजना अवधि में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक देश में विगत में जो भी हुआ वह बहुत ही अनूठा है—यह है, भारत का अर्थ दिल्ली, उड़ीसा का अर्थ भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का अर्थ कलकत्ता, आंध्र प्रदेश का अर्थ हैदराबाद आदि आदि। अतः मैं प्रधान मंत्री से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेष रूप से उड़ीसा जैसे क्षेत्रों की ओर जोकि अविकसित हैं, कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां देश के कुछ अन्य पिछड़े क्षेत्र भी हैं जहां बहुत समय से सूखा पड़ता है और बाढ़ आती है। विशेषकर ग्रामीण भारत, शहरी भारत से पूर्णतया शताब्दियों पीछे हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार ग्रामीण भारत को शहरी भारत के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठा रही है।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : महोदय, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवेश पर बल दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिशत निवेश के लिए वचन दिया गया है और यह ठीक ही कहा गया है। यदि हमें गरीबी की समस्या से निपटना है, तो हम उन क्षेत्रों की

ओर ध्यान देना होगा जहां अधिकतर निर्धन लोग रहते हैं। अन्यथा, यह काल्पनिक रूप से गरीबी को हटाना होगा। हमें इसकी पहचान करनी होगी। यही वजह है कि पूर्वी क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में काफी संख्या में निर्धन लोग रहते हैं। (व्यवधान)

**प्रो० एन० जी० रंगा** : महोदय, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अधिकतर ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने में विशेष योगदान रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार इसकी गतिविधियों को कोई विशेष महत्व देने तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से तथा अन्य ऐसे संगठनों के माध्यम से, जो पहले ही मौजूद हैं अथवा जिन्हें सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, उसी के अनुरूप और गतिविधियों को विकसित करने का है।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : जब नयी सरकार सत्ता में आयी तो ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक विकास के बारे में चिंता व्यक्ति की गयी थी। सरकार में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए अलग से कोई स्थान नहीं था। हमने इस पर ध्यान देने के लिए एक अलग विभाग बनाया है जिसका एक सचिव है। हमारी यह चिंता है जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसके बारे में विचार करते समय हम यह देखते हैं कि यह केवल सरकार का ही प्रयास नहीं है, बल्कि इससे सम्बन्धित अन्य लोगों को भी अपने कार्यों को जारी रखना चाहिए।

**श्री सन्तोष मोहन देव** : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों सात राज्यों—में संसाधन जुटाने की समस्या है। वे हमेशा भारत सरकार तथा योजना आवंटन पर निर्भर रहते हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने असम का दौरा किया और यह आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछली सरकार में भी इस धनराशि का आवंटन किया जाता था लेकिन फिर भी अधिक धनराशि की मांग विशेषतः असम के लिए की जाती थी क्योंकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण दिया जाता है जबकि असम उस श्रेणी में नहीं है। इस दृष्टि से पूर्वोतर राज्यों में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण युवकों में असंतोष व्याप्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में किस बात पर बल दिया गया है तथा समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए यह असंतोष समाप्त किया जाए तथा और अधिक धनराशि प्रदान की जाए।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : महोदय, योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ है। जब मैं वित्त मंत्री था, तो मुझे याद है कि योजना सम्बन्धी चर्चाओं के पश्चात मुख्य मंत्रियों को अतिरिक्त आवंटन के लिए पंक्ति में लगना पड़ता था। कम से कम इस बात तो योजना आयोग ने राज्यों के मांग सम्बन्धी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगें पूरी करने का प्रयास किया है तथा अधिकांश राज्य संतुष्ट हैं। परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में धन जुटाने की समस्या है क्योंकि धन जुटाने के लिए उनके अपने संसाधन नहीं हैं। जहां तक असम का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को याद होगा कि ज्यों ही नयी सरकार सत्ता में आयी, तेल की रायल्टी में, जो असम का धन जुटाने का मुख्य स्रोत है, 100 रुपये की वृद्धि कर दी गयी। परन्तु अब हम यह चाहते हैं कि

मुख्य मंत्री को दिल्ली आने के बजाए हम एक ऐसे फार्मूले का निर्माण करें जिसके द्वारा राज्य को धन जुटाने का साधन निश्चित रूप से स्वतः प्राप्त हो जाए तथा असम के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं बनायी जायें। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि ऐसा करना आवश्यक है।

**श्री निर्मल कांति चटर्जी :** जहां तक विभिन्न योजना अवधियों की आयोजना प्रक्रिया में विकृति का सम्बन्ध है, योजना निवेश में केन्द्र की तुलना में राज्यों के हिस्से में कमी आयी है। दूसरे, वास्तव में सरकार क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई है। अब मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सादा है। क्या इस प्रक्रिया को बदला जाएगा यदि हां, तो इसमें कितना परिवर्तन किया जाएगा?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** महोदय, जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, मैं नहीं सोचता कि राज्यों ने इसके बारे में शिकायत की है। हम सभी बातों पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं।

**श्री निर्मल कांत चटर्जी :** कुल मिलाकर योजना निवेश में 55:45 का प्रतिशत हिस्सा था।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आंकड़े भी बताऊं?··· (व्यवधान)···जहां तक निजी और सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, जब किसी क्षेत्र का विकास शुरू होता है तो इसके प्रतिशत अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। आप सांख्यिकी में विद्वान हैं इसलिए आप इनमें लाभ उठा रहे हैं। आप अपनी कुशलता तथा अन्य बातों का प्रयोग इसे बताने के लिए कर रहे हैं। आप ऐसा समझते हैं। देश की अर्थव्यस्था में सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच संतुलन निश्चित रूप से बनाए रखा जाएगा।

**श्री एस० कृष्ण कुमार :** महोदय, मुझे दो अथवा तीन भागों में अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। प्रश्न का पहला भाग यह है कि 1977 में जनता सरकार ने देश की आयोजना प्रक्रिया में रुकावट डाली और कोई योजना नहीं बनाई तथा एक रोलिंग योजना शुरू की जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लगा। मुख्य प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि जून के मध्य में राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा। योजना आयोग ने अभी तक मंत्रालयों को प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं किए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या हमें यह समझना चाहिए कि 1990-91 की वार्षिक योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना से अलग रखा जाएगा? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है। दूसरे, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिए अनेक 'पैरामीटर' निश्चित किये गये। पहला पैरामीटर यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मुद्रास्फीति की दर को 5 प्रतिशत वार्षिक पर सीमित रखना होगा। सभी अर्थशास्त्रियों के मतानुसार इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत प्रथम बजट से मुद्रास्फीति दो अंको में हो जायेगी। इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के बुनियादी 'पैरामीटर' का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। तीसरे, कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय को दो गुना किया था, उदाहरणार्थ सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1.6 लाख करोड़ रुपये व्यय किये गये जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना

में बढ़ाकर 3.2 लाख करोड़ कर दिया। मैं यह जानता चाहता हूं कि क्या पांच वर्षों में योजना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर होने वाले परिव्यय को दो गुना करने करने के लिए वार्षिक विकास दर 20 प्रतिशत बनाई जाएगी अथवा यह सरकार परिव्यय की समूची विकास दर में कटौती करने पर विचार करेगी। मैं समझता हूं कि जैसा कि वे इस समय विचार कर रहे हैं, उससे विकास दर 20 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत हो सकती है। अन्त में, क्या प्रधान मंत्री ने योजना आयोग द्वारा जिसके सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री का होता है, अनुमोदित दृष्टिकोण पत्र सचिवों की समिति को जांच के लिये भेजकर योजना आयोग को उच्च दर्जा प्रदान करने की अपनी घोषित इच्छा का उल्लंघन नहीं किया है।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : माननीय सदस्य ने एक बहुउद्देशीय मिसाइल छोड़ने की तरह प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले क्या मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार योजना आयोग सम्बन्धी प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध है। इसलिए, योजना आयोग सम्बन्धी प्रक्रिया के महत्व को कम करने का प्रश्न ही नहीं है और इसके बारे में यदि कोई सन्देह है, तो उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसे पहले से अधिक सम्मान ऊंचा दर्जा प्रदान किया जायेगा। मैं इसके पहले दर्जे के बारे में जानता हूं··· (व्यवधान)···कि इसे तब किस प्रकार माना जाता था और अब इसको किस प्रकार माना जाता है।

जब नयी सरकार आती है तो योजना प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। हम कोई समय खोये बिना बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। पहले वर्ष की योजना मात्रात्मक दृष्टि से उचित नहीं है परन्तु मुख्य बल उसी बात पर है क्योंकि राजनैतिक इच्छा और दिशा स्पष्ट है। इस योजना में हमने जो कुछ किया है उसमें और आम विचार धारा में कोई अन्तर नहीं है।

जहां तक मुद्रास्फीति का सम्बन्ध है, यह एक वास्तविक समस्या है। परन्तु इस बात को समझा जाना चाहिए कि जब यह सरकार सत्ता में आयी, तो 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा पहले ही था हम इसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार धन आपूर्ति का दबाव बना हुआ है। हम इसे यथासम्भव कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे दबाव आते हैं जिन पर हमें प्रतिक्रिया करनी पड़ती है जैसे रक्षा सम्बन्धी दबाव। हमें इन सभी पैरामीटरों पर ध्यान देना है परन्तु उनके अन्तर्गत हम इन दबावों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के सम्बन्ध में पूछा है। आज योजना का प्रारूप हमारे सामने है जिसे अनुमोदित किया जाना है। जब अंतिम रूप से योजना तैयार हो जायेगी तथा सभी क्षेत्रों सम्बन्धी विवरण तथा आंकड़े तैयार हो जायेंगे, उस समय इसके बारे में ध्यान रखा जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी क्षेत्र का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए।

योजना आयोग के दर्जे के बारे में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसका सर्वाधिक सम्मान करता हूं। मैं योजना आयोग के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए वहां गया तथा वहां विचार-विमर्श किया। तत्पश्चात् आयोग के सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की। कुछ तकनीकी बातों का

हमेशा उल्लेख किया गया है, जो नयी बात नहीं है इससे योजना आयोग की प्रतिष्ठा कम नहीं होती है तथा यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतिम निणय नौकरशाही के बजाए राजनैतिक रूप से लिया जाता है।

## गरीबी के स्तर का माप

*803. श्री कल्पनाथ राय†
श्री एडुआर्डो फैलीरो } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी व्यक्ति अथवा परिवार के गरीबी के स्तर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है अथवा किस प्रकार मापा जाता है,

(ख) मूल्य सूचकांकों में परिवर्तन के साथ-साथ किसी व्यक्ति अथवा परिवार के गरीबी के स्तर की किस प्रकार तथा कितने-कितने अन्तराल पर पुनरीक्षा की जाती है, और

(ग) विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव पर निगरानी रखने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए क्या संस्थागत व्यवस्था की गई है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन)** : (क) से (ग) एक विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है।

### विवरण

(क) जिस किसी व्यक्ति अथवा परिवार के व्यय का स्तर गरीबी की रेखा से नीचे है उस व्यक्ति अथवा परिवार को गरीब के रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी उपभोक्ता मांग से सम्बन्धित कृतिक बल (1979 में) द्वारा दी गई "गरीबी की रेखा" को 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय व्यय और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये के रूप में परिभाषित किया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन की आवश्यकता के अनुरूप है।

(ख) व्यक्ति (अथवा परिवार) के लिए गरीबी की रेखा की मूल्य सूचकांकों में परिवर्तनों के संदर्भ में समीक्षा की जाती है, जो सामान्यतः पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष अथवा उन वर्षों से सम्बन्धित होते हैं जिनके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध होते हैं। सर्वेक्षण के पूरे आंकड़े लगभग 5 वर्षों के अन्तरालों पर उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अनुमानित निजी उपभोक्ता व्यय में उपलक्षित समग्र मूल्य सूचकांक इस उद्देश्य के लिए मूल्य परिवर्तनों के एक सूचक के रूप से प्रयुक्त होते हैं। इस सम्बन्ध में प्राक्कलन हेतु अपनायी जा रही पद्धति की समीक्षा भी की जा रही है।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवारों का एक नमूना लेकर इस कार्यक्रम का प्रतिमास एक समवर्ती मूल्यांकन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रबोधन के अतिरिक्त कल्याण मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में नोडीय विभागों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लाभ

के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का भी प्रबोधन किया जाता है। राज्यों में ऐसे मूल्यांकन के सम्बन्ध में जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों का उपयोग किया है। कल्याण मंत्रालय ने कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करने में भी विशिष्ट व्यावसायिक संस्थानों की सेवाओं का उपयोग किया है।

**श्री कल्पनाथ राय** : अध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करवाने पर कुल कितना खर्च आया है ?

**श्री भागेय गोवर्धन** : महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य ने मुझे काफी कठिन स्थिति में डाल दिया है। मैं यह जानकारी इनको बाद में दूंगा क्योंकि मैंने यह आशा नहीं की थी कि वे यह प्रश्न पूछेंगे।

**श्री कल्पनाथ राय** : माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : वह कह रहे हैं और वह मान भी रहे हैं। फिलहाल उनके पास आंकड़े नहीं हैं, वे आपको बाद में देंगे।

[अनुवाद]

**श्री कल्पनाथ राय** : मैं आपसे अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपके अधिकारों की संरक्षण किया है और कर रहा हूं।

[हिन्दी]

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ने कहा कि वे सर्वे में कितना खर्च हुआ और आंकड़े चाहे हैं तो मेरा कहना है कि इसका सर्वे करके जो आंकड़े होंगे, तब हमारे राज्यमंत्री बता सकेंगे क्योंकि अभी इनके पास नहीं हैं।

[अनुवाद]

**श्री कल्पनाथ राय** : महोदय, क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि गरीबी के स्तर को कैसे नापा जाता है और इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं।

**श्री भागेय गोवर्धन** : महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पहचान करने करने के लिये न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी उपभोक्ता मांग सम्बन्धी कृतिक बल के सुझावों को आधार बनाया गया है जो कि वर्ष 1979 में प्रस्तुत किये गए उसकी रिपोर्ट में की गई थीं। इस रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी की रेखा को 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपए माना गया था। अब इन आंकड़ों को अद्यतन बनाया गया है। अब इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता निर्धारित की गई है। इस प्रकार परिभाषित गरीबी की रेखा में खाद्य पदार्थों पर तथा गैर-खाद्य पदार्थों जैसेकि ईन्धन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाओं पर खर्चों ने सम्मिलित किया

गया है और उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। जहां तक मानव जाति का सम्बन्ध है, यह उनके द्वारा की गई खपत पर आधारित है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की अनुमानित संख्या का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से पारिवारिक उपभोक्ता खपत सम्बन्धी आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। व्यय में अन्तर सम्बन्धी सूचना के अभाव में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के निजी खपत सम्बन्धी आंकड़ों को आनुपातिक रूप समायोजित करके राष्ट्रीय स्तर पर कुल निजी खपत के के समतुल्य लाया जाता है। गरीबी के सम्बन्ध में नवीनतम अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के परिणामों पर आधारित हैं।

**श्री मुरली देवरा** : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आई० आर० डी० पी० आर० एल० ई० जी० पी० जैसे कई गरीबी निवारण कार्यक्रम हैं। वर्ष 1985 के बजट में, जिसे श्री सिंह ने स्वयं प्रस्तुत किया था, पहली बार शहरी गरीबी का जिक्र किया गया था और एस० ई० पी० यू० पी० अर्थात् शहरी गरीब लोगों के लिए स्वयं रोजगार योजना का सूत्रपात किया गया था। फिर भी मुम्बई जैसे शहरों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें भी प्राप्त नहीं किया जा सका है, तथा इसलिए एस० ई० पी० यू० पी० कार्यक्रम को और अधिक व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस तथ्य के सामने रखते हुए कि वर्तमान में कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा अब शहरों में रहा है और इस शताब्दी के अन्त तक यह एक तिहाई हो जाएगा, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए और कार्यक्रम बनाए हैं और क्या सरकार वर्तमान में चल रहे एस० ई० पी० यू० पी० जैसे कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करेगी ?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : हम इस बात की जांच करेंगे कि इन्हें लागू क्यों नहीं किया जा सका। मेरे विचार में श्री देवरा जी को इस सम्बन्ध में और जानकारी होगी कि इन्हें लागू क्यों नहीं किया जा सका...

[हिन्दी]

**श्री मुरली देवरा** : लेकिन वर्तमान बजट में सैपप के लिए, सैपफ एम्पलायमैंट फार अर्बन पूअर स्कीम के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, अर्बन पूअर के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : लेकिन निश्चित रूप में वह ऐसे मुद्दों को बड़े जोरदार ढंग से उठाया करते थे।

शहरी गरीबों की समस्या काफी महत्वपूर्ण है। अब जबकि ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर आ रही है तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का अन्तर कम होता जा रहा है। अगर आप झुग्गियों को देखें तो उनकी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों से भी कहीं अधिक खराब है। हम ने झुग्गी सुधार कार्यक्रम आरम्भ किया है और कुछ ऐसे दूसरे कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। माननीय सदस्य ने एक विशेष कार्यक्रम की चर्चा की है। निश्चय ही हम वर्तमान कार्यक्रमों को चालू रखेंगे और

उन्हें समाप्त नहीं करेंगे, परन्तु जब कि अन्तिम योजना को स्वीकृति दी जा रही है, तो इसने सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष बहुत सा धन खर्च किया जाता है। क्या माननीय प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रतिशत परिवारों को वास्तव में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सका। उदाहरणार्थ, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, तीस लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रति वर्ष सहायता दी जाती है। प्रत्येक खण्ड से 600 परिवारों के हिसाब से, एक वर्ष में तीस लाख परिवार होते हैं। इसलिए, क्या माननीय प्रधान मंत्री सहायता राशि बढ़ाने पर विचार करेंगे क्योंकि पहले किस गए अध्ययनों से पता चलता है कि इन परिवारों को दी जाने वाली 9000 से 10,000 रु० तक प्रति परिवार की राशि पर्याप्त नहीं है। इस सहायता के द्वारा वास्तव में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।

**श्री भार्गव गोवर्धन** : महोदय, गरीबी की रेखा को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों का इन आंकड़ों से पता चलता है। यह आंकड़े सारे देश के हैं वर्ष 1983-84 में 27.10 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे और कुल आबादी के हिसाब से इनका प्रतिशत 37.4 था। परन्तु वर्ष 1987-88 में इनकी संख्या कम होकर 23.24 करोड़ रह गई और इनका प्रतिशत कुल आबादी के हिसाब से 29 2 था। माननीय सदस्य ने विशेष रूप से आई०आर०डी०पी० के सम्बन्ध में पूछा है। इस सम्बन्ध में आंकड़े योजना आयोग के पास उपलब्ध हैं। इस समय मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं वर्ना मैं पअभी दे देता फिर भी मैं बाद में उनको भेज दूंगा।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री को स्मरण होगा कि जब वे वित्त मंत्री थे तो मैंने उनसे ऐसा ही प्रश्न पूछा था। वर्ष 1960 की तुलना में आज रुपए की कीमत केवल 11 पैसे है। इसका अर्थ यह है कि रुपए का अवमूल्यन हुआ है और यह आंकड़े हमें कुछ ही दिन पहले बढ़ती हुई कीमतों पर हुई चर्चा के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। अब इस वस्तु स्थिति को सामने रखते हुए, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सचमुच यह महसूस करती है कि 1970 के मुकाबले में गरीबी के स्तर में कमी आई है अथवा स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस मापदण्ड तथा धन के वास्तविक मूल्य के अनुसार, वास्तविक बढ़ोतरी कितनी हुई है जबकि तथा कथित कैलोरी उपभोग तथा उपभोग मूल्य के आधार पर यह राशि 3000 रु० से बढ़कर 500 रु० हो गई है। क्या सरकार यह समझती है कि यह स्तर ठीक है अथवा यह यह समकिस्तर में गिरावट आई है और यह कथन झूठा है कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ गया है?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : मुद्रा स्फीति के पहलुओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 1973-74 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा 49 रु० प्रति माह आय तक थी। वर्ष 1987-88 में यह राशि बढ़कर 131.80 रु० हो गई। अब जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्या यह बढ़ोतरी ठीक है अथवा इसमें कोई हेराफेरी की गई है, तो मुझे विश्वास है कि पिछली सरकार ने यह बड़ी ईमानदारी से की होगी···(व्यवधान)···आपने पूछा है कि पिछले पांच सालों में क्या हुआ···(व्यवधान)·· उन्होंने पूछा कि 1973 के बाद जो गरीबी की रेखा में

परिवर्तन हुए हैं, वे ठीक हैं या नहीं। मुझे आशा है कि उन्हें विश्वास है कि यह ठीक हैं, बहरहाल, अगर आप इन पर विश्वास नहीं करते, तो ठीक है। (व्यवधान)

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : महोदय, अगर आपको याद हो तो मैंने उस अवधि की जानकारी मांगी है अब आप वित्त मंत्री थे ! (व्यवधान)

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : श्री पांजा काफी गुस्से में हैं। जब वे योजना मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए थे, उसे अच्छी तरह याद नहीं, शायद 1987-88 में तब यह आंकड़े वर्ष 1973-74 में 49.09 रु० से बढ़कर वर्ष 1987-88 में 131.80 रु० हो गए थे। मुझे आशा कि श्री पांजा ने इसे ठीक तरह से ही किया होगा। मैं भी यही कह रहा हूं···(व्यवधान)···अब जो कुछ मैं कह रहा हूं आप उसका विरोध करना चाहते हैं आप इससे इन्कार कर सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है कि यह ठीक से नहीं किया गया। वह कह रहे हैं कि यह ठीक से नहीं किया जा रहा है। हम इसमें की गई कमियों या की गई ऐसी किसी चूक, को देखेंगे। (व्यवधान)

**श्री राजमंगल पांडे** : क्या सरकार को मालूम है कि बहुधा ऐसे लोगों को जिनकी प्रतिव्यक्ति आय बढ़ गई थी और वे गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए थे, लेकिन बाद में उनकी प्रति व्यक्ति आय कम हो गई और वे फिर से गरीबी रेखा से नीचे आ गए दूसरी बार सहायता देने का कोई प्रस्ताव है, अगर हां, तो सरकार इन लोगों के बारे में क्या करने का प्रयास कर रही है, जो पुनः गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं ?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : महोदय, यद्यपि माननीय सदस्य की चिन्ता उचित है लेकिन हमें उन लोगों को भी सहायता देनी है जिन्हें एक बार भी सहायता नहीं मिली है।

**श्री भोगेन्द्र झा** : अध्यक्ष महोदय, पूर्व योजना काल के दौरान गरीबी रेखा निर्धारण मापदण्ड प्रति वर्ष 6400/- रुपए था। क्या मैं जान सकता हूं कि इस मापदण्ड को बढ़ाया गया है या इसे बढ़ाया जा रहा है ? अगर हां, तो नये आंकड़े क्या हैं ?

**श्री भागेय गोवर्धन** : महोदय, इस पर विचार किया जा रहा है।

**श्री अजीत पांजा** : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में 1973-74 के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा की परिभाषा के बारे में बताया है।

महोदय मुद्दा यह है—आपने देखा होगा—इस परिभाषा में व्यय को ध्यान में रखा गया है आय को नहीं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विकासशील देशों में कैलोरी की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।

मेरा प्रश्न यह है कि यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है जिसे बहुत पहले प्रो० प्रशान्त महालानोबिस द्वारा प्रतिज्ञापित किया गया था। आठवीं योजना तैयार हो रही है। गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना इतना महंगा पड़ता है कि कभी-कभी ऐसा करना असम्भव भी हो जाता है। लेकिन अब इस सरकार को यह अवसर प्राप्त है; जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे कि जनगणना के समय व्यय की इन मदों को लेते समय कैलोरी की खपत को भी उस प्रपत्र में शामिल किया जाये ?

महोदय, इससे काफी धन बचेगा। हम जानते हैं कि योजना भली प्रकार बनाई जाएगी जैसा पूर्व सरकार द्वारा किया गया था। नमूने के रूप में, उन्होंने लक्षद्वीप ग्रुप द्वीपों को लिया था। अतः इससे एक छोटी सी यूनिट बनती है वह रिपोर्ट योजना आयोग के पास है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनगणना का समन्वित दृष्टिकोण या बहुविध दृष्टिकोण या बहु-उद्देशीय दृष्टिकोण अपनाने जा रही है जिससे हम भारत में वास्तविक गरीबी की सही रिपोर्ट देने में समर्थ हो सकें (व्यवधान) सौभाग्य से आज माननीय प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं और इसलिए उन्हें इस मौके का फायदा उठना चाहिए जो पूर्व सरकार को प्राप्त नहीं हो पाया था।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : हम निश्चय ही इन सुझावों पर विचार करेंगे।

**श्री डी० अमात** : वे लोग जो 1947 में कंगाल थे, आज करोड़पति बन गए हैं। वे मिलें और फैक्टरियों चला रहे हैं। उनकी कई कारें चल रही हैं। उनके पास दर्जनों टेलिफोन हैं। उनके पास में सब चीजें गरीब लोगों के कारण हैं जो जंगल में जड़ों, फलों और पत्ते खाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा धन की मंजूरी दी गई थी तथा जिन लोगों द्वारा इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, वे ही इस धन को हड़प कर रहे हैं। क्या सरकार इस धन को इन लोगों से जब्त करने का प्रयास करेगी और इसे गरीब लोगों के हित तथा उत्थान के लिए इस्तेमाल करेगी ? मैं जानता हूं यह वी० पी० सिंह की सरकार है, यह जादूगर सम्राट पी०सी० सरकार नहीं है जो सम्मोहन विधि से रातोंरात सब कुछ कर देंगे।

**श्री भागेय गोबर्धन** : माननीय सदस्य ने एक बहुत कठिन प्रश्न पूछा है जिसे आजकल प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पूछा जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा इस धन को जब्त करने की कोई कार्यवाही करने से पहले, हमें उन व्यक्तियों का पता लगाना चाहिए जो अपराधी हैं। अपराधियों का पता लगाने के बाद ही इस बात की जांच की जा सकती है।

[हिन्दी]

**प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा सर्वेक्षण किया गया है, जिससे यह पता चल सके कि सचमुच में पावर्टी लाइन के कितने लोग नीचे हैं और कितने ऊपर आ गए हैं ? कोई सर्वे किया गया है या केवल आंकड़ों की जगलरी से यह चीज की जाएगी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 47 प्रतिशत से 32 प्रतिशत पर ले आए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें भयंकर करप्शन है। आज ही अखबार में आया है कि राजस्थान में डेढ़ करोड़ रुपया पकड़ा गया है जो इसी स्कीम में अन्तर्गत खाया गया था। एक ही क्लर्क के यहां से 35 लाख रुपए रिकवर हो गए हैं। इस स्कीम से बोगस आदमी रखकर इसमें पैसा खाया जाता रहा है। इस बारे में पिछले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि 15 प्रतिशत पैसा पहुंचता है और 85 प्रतिशत नहीं पहुंचता है। इससे लोगों ने यह समझ लिया था कि 85 प्रतिशत तो खाना ही है। इसको रोकने के लिए और वास्तव में यह रुपया इन स्कीमों के द्वारा उन लोगों तक पहुंचे और सचमुच में वे लोग पावर्टी लाइन से ऊपर आएं—इसके लिए क्या किया जा रहा है ?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : अध्यक्ष जी, इसके लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर विचार हो रहा है। उसके अन्दर जब जनता का अंकुश नीचे से रहेगा तो कुछ इन मामलों में काबू आ सकेगा।

## रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात

[अनुवाद]

*804. श्री अन्बारासु इरा
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रंगीन टेलीविजन सेटों के लिए रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात विदेशों से करती है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से; और

(ग) इस आयात का भारतीय रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) से (ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलॉजी डेवलमेंट कारपोरेशन लि० (ई०टी० एण्ड टी०) नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए समय-समय पर रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात करता रहा है।

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात दिनांक 21.3.1989 तक करने की अनुमति दी गई थी बाद में, रंगीन पिक्चर ट्यूबों के स्वदेशी विनिर्माताओं द्वारा तैयार की जा रही उत्पादन-क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इस मद को आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 2 ख में डाल दिया गया। किन्तु, रंगीन पिक्चर ट्यूबों के स्वदेशी उत्पादन और वर्ष 1989-90 के दौरान इनकी मांग का आकलन किए जाने पर यह पता चला कि रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात की जरूरत है। तदनुसार, मांग और पूर्ति के बीच अनुमानित अन्तराल को दूर करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माताओं तथा ई०टी० एण्ड टी० को रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात करने की अनुमति दी गई। ई० टी० एण्ड टी० ने दक्षिण कोरिया से रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात किया। वर्ष 1987-88 में ई०टी० एण्ड टी० ने जापान से भी रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात किया था।

ई०टी० एण्ड टी० को भारतीय पार्टियों को सप्लाई करने के लिए ऐसे कुछ गैर-परम्परागत आकार रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात करने की भी अनुमति दी गई थी, जिनका विनिर्माण स्वदेश में नहीं होता है, जिसका उद्देश्य भारतीय पार्टियों की उनकी निर्यात की वचनबद्धता पूरी करने में उन्हें सहायता देना था। इस प्रकार, उपर्युक्त दोनों मामलों में किए गए रंगीन पिक्चर ट्यूबों के उक्त आयात का रंगीन पिक्चर ट्यूबों के स्वदेशी विनिर्माताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

**श्री अन्बारासु इरा** : स्वदेशी रंगीन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के लिए सरकार

ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं ? वर्ष 1989-90 के दौरान दक्षिण कोरिया और जापान से रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी ? कितनी निजी कम्पनियों को रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ?

**प्रो० एम० जी० के० मेनन** : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि देश में इस समय रंगीन पिक्चर ट्यूबों के तीन निर्माता हैं तथा इसका उत्पादन इस समय देश में बनाये जा रहे रंगीन टी० वी० सेटों की आवश्यकताओं को लगभग पूरा करता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि यह बताना कठिन होगा रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात के लिए वस्तुतः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी है। निःसन्देह माननीय सदस्य को मालूम है कि जब आयात लाइसेंस दिया जाता है तो यह लाइसेंस जारी करने की तारीख से 18 महीने तक के लिए वैध होता है। लाइसेंस का प्रचलन जून 1989 में शुरू किया था। अतः इसका अर्थ है कि बहुत से लाइसेंस अभी भी वैध हैं। इसलिए वास्तव में यह जानना कठिन है कि कितनी रंगीन पिक्चर ट्यूबें आयात की गईं और अवधि की वैधता खत्म होने तक कितनी और आयात किये जाने की सम्भावना है।

तीसरे मुद्दे के बारे में उत्तर यह है कि 39 रंगीन टी० वी० निर्माताओं को कुल चार लाख रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए आयात लाइसेंस जारी किए गये थे। इसके अतिरिक्त, दो लाख पिक्चर ट्यूबों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ई० टी०टी० को आयात लाइसेंस दिए गए थे जो इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के अन्तर्गत आता है।

**श्री अन्नारासु इरा** : मुझे उत्तर से पता चला है कि इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी कारपोरेशन को गैर-परम्परागत आकार की रंगीन पिक्चर ट्यूबें आयात करने की भी अनुमति दी गई थी जो देश में नहीं बनती हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या इसे सरकार के पास तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के बजाय और जापान या दक्षिण कोरिया से गैर-परम्परागत आकार की रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात करने के बजाय भारत में ही इन देशों के सहयोग से इनके निर्माण का कोई प्रस्ताव है।

**प्रो० एम० जी० के० मेनन** : मुख्य मुद्दा यह है कि तीन निर्माता जो फिलहाल 'स्टैंडर्ड साइज' की रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कर रहे हैं जिनका मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए वे उत्पादन की दृष्टि से आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया है, उसके उत्तर में एक तो अपेक्षाकृत कम मात्रा की बात है और इसका उत्तर हैं —कुछ रंगीन पिक्चर ट्यूब्स के कुछ गैर-पारम्परिक प्रकार। यह विशेष रूप से निर्यात मांगों को ध्यान में रखते हुए है, जिसके लिए कुछ विशेष प्रकार की टेलीविजन पिक्चर ट्यूब चाहिए। इतनी कम मात्रा के लिए इनका निर्माण करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। यह केवल तकनीक की जानकारी का ही प्रश्न नहीं है बल्कि मूल प्रश्न यह है कि क्या इनका निर्माण आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त है।

जहां तक रंगीन पिक्चर ट्यूब के निर्माण का सम्बन्ध है, नई तकनीक उपलब्ध है, इसका आयात किया गया है और जे० सी० टी, सेमटेल और अपट्रान ये तीन निर्माता रंगीन पिक्चर ट्यूब विदेशी सहयोग से बना रहे हैं। रंगीन पिक्चर टयूब के निर्माण में ग्लास सेल मुख्य होता है, जिसका वर्तमान में आयात किया जा रहा है। ये लाइसेन्स इसलिए जारी किए गए हैं, क्योंकि यह

मुख्य आयातित वस्तु होगी अन्यथा हमें इस स्थिति से बचना है। वर्ष। 1989-90 के दौरान 'इलेक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टैक्नोलोजी डेवलेपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड' द्वारा रंगीन पिक्चर ट्यूब्स के लिए कुल 16 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय किए गए, जिसमें 44 लाख रुपय का खर्च गैर परम्परागत रंगीन पिक्चर ट्यूब के लिए भी शामिल था।

**श्री भवानी शंकर** होटा : माननीय मन्त्री महोदय द्वारा अभी दिए गए उत्तर के अनुसार रंगीन टेलीविजन का आयात करने में लगभग 60 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च किए जा रहे हैं। हम सब जानते है कि यह देश और इसके गरीब लोग कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रंगीन टेलीविजनों के आयात पर इतनी कीमती विदेशी मुद्रा व्यय करना वांछनीय है और क्या सरकार देश में रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगाने का विचार कर रही है ?

**प्रो० एम० जी० के० मेनन** : रंगीन टेलीविजन 1982 में प्रचलित हुआ। तत्पश्चात् रंगीन टेलीविजन की मांग बढ़ती रही है। रंगीन पिक्चर ट्यूब रंगीन टेलीविजन का मुख्य संघटक होती हैं। इनके निर्माण के लिए लाइसेन्स जारी किए गए थे और इसके उत्पादन में क्रमिक वृद्धि होती रही है। वर्ष 1989-90 तक देश में रंगीन टेलीविजनों की मांग तेजी से बढ़ रही थी और इनका वास्तविक निर्माण अपेक्षाकृत कम था। रंगीन पिक्चर ट्यूब्स का आयात बड़े पैमाने पर करना पड़ा। वर्ष 1989-90 में भी आयात बड़े पैमाने पर किया गया। यद्यपि अब स्थिति यह है कि भारत में रंगीन टेलीविजन के उत्पादन के लिए रंगीन पिक्चर ट्यूब्स की मांग देश में ही इनके उत्पादन से पूरी की जा सकती है। अतः मैं यह अपेक्षा नहीं करता कि भविष्य में रंगीन पिक्चर ट्यूब्स के आयात की कोई आवश्यकता पड़ेगी। महोदय, संयोग से मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने जो रकम बताई है, वह 16 करोड़ रुपये है न कि 60 करोड़ रुपये—मैं इसे अवश्य स्पष्ट करूंगा।

**श्री पी० सी० थामस** : महोदय उत्तर के अनुसार तीन कम्पनियां रंगीन पिक्चर ट्यूब्स का उत्पादन कर रही हैं। यह भी बताया गया कि हम अपनी आवश्यकतानुसार इनका उत्पादन कर रहे हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार, मैं समझता कि हम इनका निर्यात सोवियत संघ, बंगला देश और अन्य छोटे देशों को कर रहे हैं। यद्यपि हम यह सकते हैं कि हमारे देश में इन पिक्चर ट्यूब्स का उत्पादन अधिकता में है परन्तु यह खेद का विषय है कि इनका उत्पादन वास्तव में स्वदेशी नहीं है। वास्तव में इसके अनेक पुर्जे आयात किए जा रहे हैं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि ये पुर्जे भी भारत में बनाएं जाएं ताकि सारी चीज स्वदेशी हो सके ?

**प्रो० एम० जी० के० मेनन** : महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में पूर्णतः सही है, क्योंकि यह रंगीन टेलीविजन बड़े पैमाने पर उत्पादन की वस्तु है। अतः हमें देश में इसके लिए अपेक्षित मूल पुर्जों के उत्पादन पर स्वयं को केन्द्रित रखना चाहिए। इस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा, जो मैंने पहले कहा है कि रंगीन पिक्चर ट्यूब रंगीन टेलीविजन का मुख्य संघटक है। 1987 और 1988 में इनका उत्पादन क्रमशः .14 मिलियन और .38 मिलियन था। परन्तु 1989 में 102 मिलियन रंगीन टेलीविजनों के उत्पादन की तुलना में इन रंगीन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन 1.13 मिलियन तक पहुंच गया। इस प्रकार रंगीन पिक्चर ट्यूबों की मांग और पूर्ति का अन्दर शीघ्रता से समाप्त हुआ है। अब यहां

वर्तमान इकाईयों और तत्पश्चात् विस्तार द्वारा उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है, जिन्हें देश में रंगीन टेलीविजन के उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई है। परन्तु रंगीन टेलीविजनों की दीर्घकालीन मांग को पूरा करने के लिए अधिक क्षमता के सृजन की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्य ने रंगीन पिक्चर ट्यूब के निर्माण में आयात किए जाने वाले संघटक के बारे में एक और प्रश्न पूछा है। जैसा कि मैंने पहले बताया है। इसके लिए मुख्यतः 'ग्लास सेल' का आयात किया जाता है। रंगीन पिक्चर ट्यूब का निर्माण करने के लिए उपयुक्त 'ग्लास सेल' की आवश्यकता होती है। दो फर्मों को इस 'ग्लास सेल' के निर्माण की अनुमति दी गई है, इनमें से एक फर्म उत्पादन के लिए तैयार है। इसमें भी विदेशी सहयोग है। वर्तमान में एक 'ग्लास सेल' की आयात लागत लगभग 25 अमेरिकी डालर है और यदि रंगीन टेली-विजन को देश में बढ़ावा देना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इनका निर्माण देश में ही किया जाए।

### पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए ताप विद्युत केन्द्र बन्द करना

[हिन्दी]

* 806. श्री भोगेन्द्र झा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए धीरे-धीरे ताप विद्युत केन्द्रों को बन्द करने तथा जल-विद्युत और सौर ऊर्जा आदि को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, पर्यावरण मन्त्रालय की ओर से प्रदूषण रोकने और पर्यावरण के नाम पर बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं को रोकने के निश्चित तथा योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले सन् 1974 में भारत सरकार ने मुझे बताया था कि कोसी नदी पर बहुउद्देशीय ऊंचा बांध नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हमारे पास इतनी अधिक विद्युत की खपत नहीं है और एकत्रित जल को सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल एक ही बांध 3300 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन कर सकता है और कोसी नदी पर बांध 7000 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन कर सकता है। वर्तमान में हम इस परियोजना को नहीं लेते। परन्तु ताप विद्युत परियोजनाएं निश्चय ही वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इसीलिए हम यह जानना चाहते हैं कि क्या पर्यावरण मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दे रहा है कि वह जल और सौर ऊर्जा तथा इस प्रकार के ऊर्जा उत्पन्न करने वाले अन्य स्त्रोतों के द्वारा विद्युत का उत्पादन करें। पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम कोयले का प्रयोग यूरिया तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कर सकते हैं, जैसा कि तालचेर में आरम्भ किया गया है।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, हम पन बिजली परियोजनाओं को हतोत्साहित नहीं

कर रहे हैं। इसके विपरीत इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि हम देश में पन-बिजली परियोजनाओं के निर्माण में अड़चन डाल रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इनकी अनुमति प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां अवश्य आई होंगी। परन्तु इस बारे में अनुमति सामान्यतः काफी सोच विचार के बाद दी जाती है। जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम देश में पन बिजली परियोजनाओं के विरुद्ध नहीं हैं।

**श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए यह मंत्रालय या सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि सभी नहरों, रेल पटरियों, और सड़कों के दोनों ओर विशेष रूप से फलदार वृक्ष लगाएं जाएं ताकि सारा देश एक उपवन की तरह दिखाई दे और पर्यावरण की समुचित रक्षा हो सके। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है?

**श्री नीलमणि राउतराय :** जी हां, यह पर्यावरण मंत्रालय की नीति है। हम सड़कों, रेल पटरियों और इस प्रकार के अन्य स्थानों के किनारे वृक्ष लगाने को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि देश में पर्यावरण को बनाए रखने में सहायता मिल सके।

———

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### रक्षा वाहन डिपुओं से पुराने वाहनों की बिक्री

[हिन्दी]

*800. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या प्रधान मंत्री रक्षा वाहन डिपुओं से पुराने वाहनों की बिक्री के बारे में 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4894 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्ष के दौरान किन-किन डिपुओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई और इनके सम्बन्ध में जांच कब कराई गई,

(ख) इसके निष्कर्ष क्या थे, और दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या दिल्ली डिपो में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच कब कराई गई और उसके निष्कर्ष क्या हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वाहनों की सुपुर्दगी अथवा वाहनों के निपटान में अनियमितता और हेराफेरी किए जाने के बारे में पिछले दो वर्षों में कुल पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इनमें से तीन शिकायतें संसद सदस्यों से प्राप्त हुई हैं और दो विधायकों से । शिकायत करने वाले संसद सदस्य/विधायक का नाम, शिकायत, जांच करने वाले प्राधिकारी का नाम और की गई जांच के परिणाम नीचे दिए गए हैं :—

| क्रम सं० | शिकायत की तारीख | शिकायतकर्ता का नाम और शिकायत | की गई जांच के परिणाम |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 5.4.1989 | श्री ए० जी० कुलकर्णी, संसद सदस्य । उनकी शिकायत थी कि उन्हें नवम्बर, 1988 में दो जीपें आबंटित की गई थी परन्तु वे इन जीपों को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि केवल 5 या 6 जीपें ही निरीक्षण के लिए रखी गई थीं और जब भी वे उन्हें आबंटित किए वाहन को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वाहन डिपो दिल्ली छावनी पहुंचे तो उन्हें वहां काफी भीड़ देखने को मिली । | मई, 1989 में सेना मुख्यालय ने शिकायत की जांच की थी । वाहनों का चयन करने/उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को 26 अप्रैल, 1989 को स्पष्ट कर दी गई थी । उन्हें 2 मई, 1989 को दुबारा डिपो आने की सलाह दी गई थी, जब चयन किए जाने के लिए नई खेप रखी जानी थी । माननीय संसद सदस्य ने 15 मई, 1989 को दो जीपें प्राप्त कर ली हैं । |
| 2. | 13.4.1989 | श्रीमती सुधा देवी, विधायिका (राजस्थान) उनकी शिकायत थी कि उन्हें 20.2.1989 को जो जीप आबंटित की गई थी वह केन्द्रीय वाहन डिपो, दिल्ली छावनी द्वारा उनके प्रतिनिधि को नहीं सौंपी गई । | शिकायत के बारे में डिपो के कमांडेंट के माध्यम से सेना मुख्यालय से पूछताछ की गई थी । शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि डिपो में पहले कभी नहीं पहुंचे । माननीय विधायिका पहली बार 2 मई, 1989 को डिपो में आई थीं और उन्होंने एक जीप का चयन किया । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | 5.5.1989 | श्री सखावत हुसैन, विधायक, मुरादनगर (उत्तर प्रदेश)। उनकी शिकायत थी कि उन्हें 3.3.1989 को जो एक जोंगा आबंटित की गई थी वह एक अन्य विधायक (मुरादाबाद) श्री सखावत हुसैन ने प्राप्त कर ली है। उन्होंने केन्द्रीय वाहन डिपो दिल्ली छावनी से एक जोंगा आबंटित किए जाने का अनुरोध किया। | शिकायत के संबंध में जून, 1989 में जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि आबंटन-पत्र उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा गलती से उसी नाम के एक अन्य विधायक को भेज दियागया था। श्री सखावत हुसैन, विधायक (मुरादाबाद) ने 4.3.1989 को एक जोंगा प्राप्त की थी। श्री सखावत हुसैन, विधायक (मुरादनगर) ने 15.5 89 को एक जीप और एक मोटर-साइकिल प्राप्त कर ली है। |
| 4. | 15.5.1989 | श्री तुलसी राम, संसद सदस्य। उन्होंने यह शिकायत की थी कि सांसदों/विधायकों को आबंटित किए जाने वाले वाहनों के निपटान में केन्द्रीय वाहन डिपो दिल्ली छावनी में अनियमितता और हेराफेरी की जा रही है तथा उन्होने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उनकी विशिष्ट शिकायत यह थी कि उन्हें 17.4.89 के आबंटन पत्र के अन्तर्गत 3 जीपों का आबंटन नहीं किया गया और प्राथमिकता अनधिकृत व्यक्तियों को दी गई। | मंत्रालय के आग्रह पर शिकायत की जांच मई, 1989 में सेना मुख्यालय के दो वरिष्ठ अफसरों द्वारा की गई थी।माननीय संसद सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं किया जा सका। यह भी पता चला था कि पहलेआओ पहले पाओ वाली प्रणाली को अपनाया जा रहा था तथा इस प्रणाली से हटकर किसी को भी वाहन आबंटित नहीं किया जा रहा था। उन्हें 17.4.1989 को 3 वाहन आबंटित किए गए थे। परन्तु वे उन्हें ले नहीं गए। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | 27.7.1989 | श्री हरेन भुमिज, संसद सदस्य। उनकी यह शिकायत थी कि केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली ने उन्हें एक अम्बेसडर कार की सुपुर्दगी से पूर्व उसके कुछ हिस्से (बैटरी अतिरिक्त पहिया, जैक, खिड़कियों के शीशे) निकाल लिए थे। | शिकायत की जांच सितम्बर, 1989 में डिपो के कमांडेंट के माध्यम से सेनामुख्यालय द्वारा की गई थी। जांच से पता चला कि वाहनों को तभी बिक्री के लिए रखा जाता है जब वे सेना के उपयोग के योग्य नहीं रहते। बैटरियां, औजार तथा अन्य चल सहायक उपकरण वाहन के साथ नहीं दिए जाते। इनके स्थान पर सेना के उपयोग में न आ सकने वाले सहायक उपकरण लगा दिए जाते हैं। माननीय संसद सदस्य को दी गई वाहन कीलॉग बुक तथा उसकी अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट की जांच से पता चला है कि मामले में न तो कोई विसंगति हुई है और न ही कोई हेराफेरी। |

## दक्षिणी वायु सेना कमान यूनिट

[अनुवाद]

*801. श्री सुरेन्द्र कोडीकुन्नील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में दक्षिणी वायुसेना कमान यूनिट की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) से (ग) दक्षिण वायु कमान 1984 से त्रिवेन्द्रम में कार्य कर रही है। कमान के लिए अपेक्षित भूमि का कुछ हिस्सा अधिग्रहीत कर लिया गया है तथा बाकी हिस्से के अधिग्रहण के लिए कारंवाई चल रही है। निर्माण-कार्यों से सम्बन्धित योजना लगभग तैयार है और इस वर्ष के अन्त तक निर्माण-कार्यों के शुरू किए जाने और 1995 तक उनके पूरे किए जाने का कार्यक्रम है। सीमित वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए, इस स्थापना के लिए नियत बजट व्यवस्था को अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधि तक फैलाना पड़ा है।

## गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश

*805. श्री आर० जीवरत्नम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और अन्य राज्यों में गैर-सरकारी प्रबंध के अन्तर्गत राज्यवार कितने इंजीनियरिंग कालेज चलाए जा रहे हैं,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसे मार्ग निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है कि गैर-सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत चलाए जा रहे इंजीनियरिंग कालेजों में कम से कम 50 प्रतिशत सीटें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर भरी जाएं, जैसा कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश के मामले में किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) निजी प्रबन्ध के अन्तर्गत 179 इन्जीनियरी कालेज हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में निजी इन्जीनियरी कालेजों की संख्या दर्शाने वाला (राज्यवार) विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग) सरकार का दृष्टिकोण यह है कि तकनीकी संस्थाओं में दाखिला कुछ उद्देश्यात्मक मानदंड के आधार पर किया जाना चाहिए जिसका आधार अन्य बातों के साथ-साथ योग्यता और आरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं होनी चाहिए।

विवरण

निजी प्रबन्ध के अन्तर्गत गठित इन्जीनियरी कालेज

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | निजी इन्जीनियरी कालेजों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18 |
| 2. | बिहार | 1 |
| 3. | हरियाणा | 3 |
| 4. | कर्नाटक | 45 |
| 5. | केरल | 3 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 4 |
| 7. | महाराष्ट्र | 61 |
| 8. | उड़ीसा | 2 |
| 9. | पंजाब | 2 |
| 10. | राजस्थान | 3 |
| 11. | तमिलनाडु | 31 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 5 |
| 13. | पांडिचेरी | 1 |
| | कुल : | 179 |

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ की मांगें

*807. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल
श्री मान्धाता सिंह } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ की विभिन्न मांगों का ब्योरा क्या है,

(ख) ये मांगें किस तारीख को की गई थीं और प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या हाल में कोई द्विपक्षीय बातचीत हुई है/निश्चित की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने 11 मांगों का एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 22 मई, 1987 को प्राप्त किया गया था। मांगों के ब्यौरे और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का तत्सम्बंधी दृष्टिकोण विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का मांग पत्र और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का दृष्टिकोण**

| क्र० सं० | अ० भा० के० वि० शि० सं० की मांगें | केन्द्रीय विद्यालय संगठन का दृष्टिकोण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत शिक्षकों से अलग करने से सम्बन्धित मांगें** | | |
| 1. | दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत शिक्षकों के अतिरिक्त उच्चतर वेतन-मान | केन्द्रीय विद्यालय संगठन पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अतः भारत सरकार के नियम ही लागू होंगे। वर्तमान समयबद्ध वेतनमान चौथे वेतन आयोग द्वारा के० पी० एस० के शिक्षकों |
| 2. | 8 वर्ष के बाद सभी शिक्षकों को प्रवरण ग्रेड प्रदान करना, सुपर प्रवरण ग्रेड को लागू करना | तथा दिल्ली प्रशासन और अन्य संघ शासित प्रदेशों के शिक्षकों के लिए सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए हैं। अतः के० पी० एस० अध्यापकों के लिए कोई भिन्न वेतनमान का मामला नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रबन्ध से सम्बन्धित मांगें** | | |
| 3. | शिक्षक निकायों का संगठन और शासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व | —संगठन के नियमों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है। |
| 4. | सभी स्तरों पर संयुक्त परामर्शी तन्त्र | —समस्याओं के आधार पर विभिन्न शिक्षक संगठनों में कोई एकरूपता नहीं है। उनमें यहां तक कि संयुक्त परामर्शी तन्त्र में भागीदारी के मामले में भी मुकदमेंबाजी है।<br>—किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सभी नीति निर्णय मुख्यालय स्तर पर किये जाते हैं। |
| **विशिष्ट मुद्दे** | | |
| 5. | सामान्यतौर पर आन्तरिक पदोन्नति कोटे पर 75% तक की वृद्धि करना | —वर्तमान 33-1/3% पदोन्नति कोटा पर्याप्त समझा जाता है। इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती कोटे को समाप्त करने से शिक्षण की कोटि पर प्रतिकूल, प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी परिस्थिति में सेवारत उम्मीदवार सीधी भर्ती के लिए पात्र है और उन्हें चुना भी जाता है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | संगीत शिक्षक, ड्राइंग शिक्षक आदि वर्गों के लिए विशेष पदोन्नति अवसर। | —स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिए पदोन्नति अवसर इन वर्गों को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते क्योंकि इन विषयों को जमा दो स्तर पर वैकल्पिक विषयों के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। तथापि, निम्न वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा के बाद समयबद्ध पदोन्नति योजना के अन्तर्गत सीनियर वेतनमान और प्रवरण वेतनमान उपलब्ध है। |
| 7. | प्रयोगशाला सहायकों के संवर्ग को पुनः चालू करना | —विज्ञान प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1974 में यह निर्णय लिया गया था कि केवल प्रयोगशाला परिचरों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इस स्थिति में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं आया है इसलिए प्रयोगशाला सहायकों के संवर्ग को पुनः आरम्भ करना जरूरी नहीं समझा जाता। |
| 8. | 9 वर्ष की स्थानांतरण नीति को वापिस लेना | —विगत में स्नातकोत्तर शिक्षकों को एक स्टेशन में 9 वर्ष की सेवा के बाद ही स्थानांतरित किया जा सकता था। इस नीति में पहले से ही संशोधन कर दिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | योगा शिक्षकों की सेवाओं का विनियमन | —सितम्बर, 1986 से योगा और शारीरिक शिक्षा के अध्यापन को एकीकृत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप योगा अध्यापकों के विनियमन सम्बन्धी प्रबन्ध निम्नलिखित रूप से किए गए हैं :—<br>—शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद के लिए अर्हताधारी 24 योगा शिक्षकों को इस प्रकार से नियुक्त कर दिया गया है।<br>—95 योगा शिक्षकों ने ग्वालियर स्थित राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज में विशेष ग्रीष्म पाठ्यक्रमों से भाग लेकर शारीरिक शिक्षक की अर्हता प्राप्त कर ली है और उनके विनियमन पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।<br>—अन्य सभी योगा शिक्षकों को अपेक्षित स्नातक/योगा अर्हताएं प्राप्त करने का समय दिया जाएगा। इसके मिलंबित होने तक वे तदर्थ योगा शिक्षकों के रूप में काम करते रहेंगे। |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10. | संगीत शिक्षकों के लिए विशेष ग्रेड | संगीत कक्षा VII तक ही एक पाठ्येत्तर क्रियाकलाप के रूप में पढ़ाया जाता है। अतः संगीत शिक्षकों को विशेष ग्रेड देना सम्भव नहीं है। |
| 11. | प्रत्येक शिक्षक के लिए एक मकान | प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय की इकाई के लिए निधियों की उपलब्धता के शर्त पर 21 गृह इकाइयों के निर्माण का प्रावधान है। |
| 12. | युक्ति युक्त कार्य भार | वर्तमान कार्य भार के मानदण्ड प्रधानाचार्य के लिए प्रति सप्ताह 11 पीरियड की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षकों के लिए 36 पीरियड तक है। |
| 13. | चिकित्सा सुविधाओं में व्यापक विस्तार तथा उनको उदार बनाना | केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी अपने चिकित्सा उपचार नियमों से अभिशासित होते हैं उन्हें भारत सरकार की पद्धति के अन्तर्गत चिकित्सा पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति है दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता में के० वि० सं० के कर्मचारी स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन से सी० जी० एच० एस० की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | | केन्द्रीय विद्यालय संगठन की आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों को अनुमत्य विशेषाधिकार देना | अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.1/2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। कक्षा 1 में नए दाखिले के लिए भी कुछ आरक्षण प्रदान किया जाता है। |
| 15. | | अंशदायी भ० नि० सहित उपदान का प्रावधान | चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अंशदायी भविष्य निधि उन कर्मचारियों के लिए भी ग्राह्य है जिन्होंने इसे अपनाया है वे 1.9.8ɔ को जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपदान के भी पात्र हैं। |
| 16. | | भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को युक्तियुक्त बनाना | भर्ती तथा पदोन्नति नियम संतोषजनक ढंग से काम करते प्रतीत होते हैं। |
| 17. | | मानविकी, कार्मिक नीति को आरम्भ करना और जनहित में अनुरोध पर स्थानांतरण प्रदान करना। | विद्यमान नियमों में इसका प्रावधान है। |
| 18. | | केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए रोजगार का प्रावधान | समता के आधार पर यह सम्भव नहीं समझा जाता। |
| 19. | | अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के प्रति सताने की प्रवृत्ति को समाप्त करना। | केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों/कर्मचारियों के किसी वर्ग को नहीं सताया जाता। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. | मार्च-मई, 1982 का वेतन: 19.4.1983 के आकस्मिक अवकाश को पुन: बहाल करना। | मार्च-मई, 1982 में कुछ शिक्षक भूख-हड़ताल, और अपने अभियान के अनुसरण में अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे और उन्होंने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया। 19 अप्रैल, 1983 को वे धरने पर बैठे। मार्च, 1982 को भूखहड़ताल के दिनो के लिए उनके वेतन में से एक से दो दिन के वेतन की सांकेतिक कटौती की गयी थी। 1 मई, 1982 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होने से उन्हें उस दिन के वेतन की अनुमति नहीं दी गयी थी। 19 अप्रैल, 1983 को धरने पर होने के कारण अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होने के कारण उन्हें उस दिन के देय अवकाश के रूप में छुट्टी पर समझा गया। इस सम्बन्ध में पहले से ही बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहले के निर्णयों की पुनरावृत्ति का कोई मामला नहीं है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | सभी जिला मुख्यालयों में केन्द्रीय विद्यालय खोलना, स्थानीय बच्चों के लिए इसी प्रतिशतता तक दाखिले का प्रावधान | —केन्द्रीय विद्यालय भौगोलिक विचार-धारा पर नहीं खोले जाते। उन्हें केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, परियोजना कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में खोला जाता है। अतः सभी जिला मुख्यालयों में विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है।<br>—स्थानीय बच्चों के लिए दाखिलों की कोई प्रतिशतता अलग से नहीं निर्धारित की जा सकती, क्योंकि इसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान करना है। |

### आयुध कारखानों के प्रबन्ध में कामगारों को भागीदारी

***808 श्री यशवन्त राव पाटिल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के प्रबन्ध में कामगारों को भागीदार बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) जी, हां।

(ख) आयुध निर्माणियों के कर्मचारी निम्नलिखित माध्यमों से निर्माणियों की प्रबन्ध-व्यवस्था में भागीदार होते हैं :—

(1) निर्माण-कार्य समिति।

(2) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे० सी० एम०)

(3) उत्पादकता परिषद।

(4) कल्याण समिति।

### थलसेना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

[हिन्दी]

***809 श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थलसेना में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा, और

(ग) इस समय थलसेना में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों से संबद्ध लोगों का प्रतिशत क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत के सभी योग्य नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति, वंश, समुदाय या धर्म के हों, सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में भर्ती हो सकते हैं। अतः इसमें किसी जाति, जनजाति या समुदाय के लिए कोई आरक्षण कोटा नहीं रखा गया है।

### कश्मीर में केन्द्रीय विद्यालय

[अनुवाद]

***810. डा० सुधीर राय**
**श्री सूर्य नारायण सिंह** } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में स्थित अधिकांश केन्द्रीय विद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद

कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) काश्मीर घाटी स्थित केन्द्रीय विद्यालय में 24 दिसम्बर, 1989 से 11 फरवरी, 1990 तक शीतकालीन अवकाश था । तत्पश्चात् इन छुट्टियों को 14.5.1990 तक बढ़ाया गया था ।

**पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने के लिए कैक्टस और सक्यूलेंन्ट पौधे लगाना**

*811. श्री शिव शरण वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने के लिए कैक्टस और सक्यूबैंट पौधों की उपयोगिता पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इन पौधों को विशेष रूप से मरुभूमि तथा बंजर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**मेरठ में सुपर कम्प्यूटर केन्द्र**

[हिन्दी]

*812. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ में एक सुपर कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) मेरठ में सुपर कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बाल भवन सोसाइटी के कार्यकरण में कथित अनियमितताएं**

[अनुवाद]

*813. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
श्री एम० एस० पाल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बाल भवन सोसाइटी के कार्यकरण में कथित अनियमितताओं और कदाचारों के समाचारों की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या इस मामले म कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) से (ग) सरकार को बाल भवन सोसायटी, भारत, नई दिल्ली से सम्बन्धित कुछ मामलों में तथाकथित रूप में की गयी अनिमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की सभी शिकायतों की नियमानुसार और प्रक्रियाओं के अनुसार जांच करने अथवा उनकी समीक्षा करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए आमतौर पर सोसायटी को, जो एक स्वायत्त निकाय है, भेज दी जाती है।

निदेशक, बाल भवन सोसायटी, भारत, के विरुद्ध दो प्रकार के आरोप लगाए गए थे और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 1981-82 और 982-83 के दौरान उनकी जांच की गई थी।

पहले प्रकार का आरोप एक शिष्ट मंडल द्वारा बुल्गारिया के दौरे और तत्संबंधी अप्राधिकृत खर्च और की गई कुछ अनियमितताओं से सम्बन्धित था। इन आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 1982 में जांच की गई थी और इस मामले को 10 जून, 1982 को समाप्त प्रायः समझा गया।

दूसरे प्रकार के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बाल भवन सोसायटी, भारत में व्याप्त कुछ कदाचार इस मंत्रालय के सूचनार्थ और अपेक्षित कारवाई के लिए ध्यान में लाए। इन अनियमितताओं का संक्षिप्त सारांश निम्नलिखित है :

(i) स्टाफ कार का कुप्रयोग।

(ii) सरकारी स्थान की अनौचित्यता।

(iii) फर्नीचर की खरीद में अनियमितताएं।

(iv) उपयुक्त औपचारिकताओं की पालना किए बिना निर्माण ठेका देना।

सोसायटी के निदेशक द्वारा की गई अनियमितताओं पर इस मंत्रालय को सूचित करते हुए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष के ध्यान में लायी गयीं। तत्कालीन अध्यक्ष ने इस आशय का विचार व्यक्त किया कि निदेशक तथा अन्य स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं है। अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श करने के बाद मंत्रालय ने इस मामले को वर्ष 1983 को बन्द कर दिया।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस मामले पर फिर दबाव डाला गया जिसकी निदेशक, बाल भवन सोसायटी द्वारा की गई तथाकथित अनियमितताओं की एक सूची टिप्पणी के लिए 5.6.1989 को बाल भवन सोसाइटी के उपाध्यक्ष को भेजी गई थी। बाल भवन सोसायटी ने इस

आशय की धारणा व्यक्त की कि यह शिकायत उसी प्रकार की है जो उन्होंने वर्ष 1982 में प्राप्त की थी और जिसकी उन्होंने जांच की थी तथा इस मामले को बंद करने के लिए उनसे अनुरोध किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की गई कि पहले से निपटाये गए चार आरोपों के साथ-साथ एक पांचवा आरोप भी था। यह राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के लिए रा० शै० अ० तथा प्र० परिषद द्वारा जारी किए गए एक चैक से सम्बन्धित है जिसे बाल भवन सोसायटी के खाते में डालने की बजाय वैयक्तिक खाते में डाल दिया गया था। तथापि, बाल भवन सोसायटी के उपाध्यक्ष से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हाल ही में कुछ अन्य आरोप और शिकायते भी की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप एक चौकीदार और एक सहायक निदेशक को सेवामुक्त कर दिया गया और उससे जबरदस्ती आवास खाली करवा लिया गया तथा कर्मचारियों के एक ग्रुप तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावेदन दिए गए।

बाल भवन के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व बाल भवन सोसायटी के बोर्ड में निहित है। इसका प्रतिदिन का प्रशासन बोर्ड, अध्यक्ष अथवा निदेशक द्वारा चलाया जाता है। मंत्रालय, बाल भवन सोसायटी के बोर्ड के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों के माध्यम से अर्थात बाल भवन सोसायटी के नियमों के कार्य ढांचे के अन्दर कार्य करता है। अध्यक्ष का पद जो निदेशक की नियुक्ति के लिए प्राधिकारी भी है, मार्च, 1988 से खाली पड़ा हुआ है। भारत सरकार द्वारा 11 मई, 1990 को नियुक्त किए गए नए अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें अब तक प्राप्त सभी शिकायतों और की गई अनियमितताओं पर कार्रवाई आरम्भ करने का भी काम सौंप दिया गया है।

### पर्वतीय क्षेत्रों में खेल कूद सुविधायें

[हिन्दी]

*814. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं,

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कालेज तथा आउटडोर और इनडोर स्टेडियमों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) से (ग) हालांकि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में (मैदानी क्षेत्रों की भांति ही) राज्य/केन्द्रीय/अन्य सहायता के जरिए खेल सुविधाएं सृजित की जा रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। केन्द्रीय सरकार स्वयं खेल कालेज/स्टेडियम जैसी सुविधाएं स्थापित नहीं करती परन्तु राज्य सरकारों/अन्यों को आउटडोर/इनडोर स्टेडियमों, तरण-तालों आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वास्तव में, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता की मात्रा मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। इस सम्बन्ध में सातवीं योजना के अन्त तक पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता की धनराशि 1.14 करोड़ रुपये है।

खेल कालेजों की स्थापना के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है।

कर्नाटक में नदियों की सफाई

[अनुवाद]

*815. श्री जी० एस० बासवराज
श्रीमती बासव राजेश्वरी } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में नदियों की सफाई की कोई कार्य योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक को इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा कृष्णा नदी की सफाई के लिए 1986 में संयुक्त रूप से तैयार की गई कार्य योजना केन्द्र सरकार को प्राप्त हो गई है ।

(ख) कार्य योजना में केन्द्रीय कृष्णा प्राधिकरण और कृष्णा परियोजना निदेशालय की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है । इन योजना में कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे बड़े शहरों और कस्बों के लिए मलजल कार्यों और शोधन संयंत्रों के निर्माण/विस्तार, सीवर बिछाने, उनमें अवरोध लगाने और उनकी दिशा परिवर्तित करने, पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने आदि जैसी बड़ी स्कीमों का संचालन करना शामिल है । कार्य योजना को तैयार करते समय इसकी कुल लागत 588 करोड़ रुपए आंकी गई थी । इस नदी के कर्नाटक में बहने वाले हिस्से की सफाई पर 114 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) इस कार्य योजना पर संसाधन उपलब्ध होने पर आठवीं योजना में विचार किया जाएगा ।

साक्षरता योजना से सम्बन्धित पुस्तकों के मुद्रण के लिए केरल को अखबारी कागज का आबंटन

*817. प्रो० के० वी० थामस
श्री वी० कृष्ण राव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार और जन प्रतिनिधियों ने केरल में शत प्रतिशत साक्षरता योजना से सम्बन्धित पुस्तकों के मुद्रण हेतु अखबारी कागज के आबंटन के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने हेतु केरल को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना को अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित किया जाएगा ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) केरल के मुख्यमंत्री ने पूरी साक्षरता परियोजना के कार्यान्वियन हेतु कागज के आबंटन के लिए प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया है। इसी प्रकार का अनुरोध संसद के कुछ सदस्यों ने केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री से भी किया है।

(ख) अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से मामला विचाराधीन है।

(ग) 1989-90 के दौरान केरल में निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं।

| योजना | राशि (रु० लाखों में) |
|---|---|
| ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (केरल सरकार को) | 152.76 |
| कुल साक्षारता परियोजना के लिए अतिरिक्त (केरल सरकार को) | 100.00 |
| राज्य/जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ करना। | 2.00 |
| स्वैच्छिक एजेंसियां | 5.81 |

यह भी निर्णय लिया गया है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए केरल राज्य में दी जा रही निधियां एकत्रित की जायेंगी तथा केरल साक्षरता समिति को दी जायेंगी, जिसकी स्थापना कुल साक्षरता परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केरल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई है। तदनुसार 1990-91 के दौरान एकत्रित निधियां केरल साक्षरता समिति को दी जायेंगी, 1990-91 के लिए 200.00 लाख रु० की और अधिक अतिरिक्त राशि भी अनुमोदित की गई है।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने केरल योजना पद्धति पर गोवा, पांडिचेरी तथा कर्नाटक के दो जिलों में "सम्पूर्ण साक्षरता" के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों व एजेंसियों से इसी प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होते ही, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण इन पर विचार करेगा।

### महाराष्ट्र में बायो-प्रौद्योगिक केन्द्र

*819 **श्री वसंत साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बायोप्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में बायो-प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन के लिए स्वीकृत/विचाराधीन

प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और इसके लिए अब तक क्या सहायता दी गई है तथा वर्ष 1990-91 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सहायता देने का विचार है; और

(ग) बायो-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में संस्थाओं तथा शोधकर्ताओं को क्या सहायता दी गई है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री** (प्रो०एम०जी०के० मेनन) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए पशु रेवड़ सुधार पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा प्रायोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी (मिशन मोड) परियोजना के अधीन एक राज्य भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कोल्हापुर में प्रस्तावित केन्द्र राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के नियंत्रणाधीन कोल्हापुर दुग्ध संघ जो उपर्युक्त एस० एण्ड टी० परियोजना के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है, के माध्यम से कार्य करेगा। इस केन्द्र के लिए 1990-91 में 10 लाख रुपये की कुल सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना में पहले ही निम्नलिखित जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा उन्हें पर्याप्त अनुदान दिए जा चुके हैं।

**राष्ट्रीय पशु ऊतक संवर्धन सुविधा (पुणे)** : यह सुविधा मानव और पशु मूल की नई कोशिका रेखाओं का विकास करने तथा उनके संग्रह का अनुरक्षण करने के लिए स्थापित की गई है। सातवीं योजना के दौरान अब तक 335.41 लाख रुपए प्रदान किए जा चुके हैं तथा 1990-91 के दौरान 359.00 लाख रुपये की और सहायता प्रदान की जाएगी।

**ऊतज संवर्धन तकनीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर पादपों के उत्पादन के लिए पायलट प्लांट यूनिट (पुणे)** : ऊतक संवर्धन का उपयोग करके राष्ट्रीय महत्व की अनेक वृक्ष प्रजातियों के व्यापक प्रवर्धन के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे में एक पायलट प्लांट यूनिट की स्थापना की गई है। ये उत्पादन यूनिटें प्रतिवर्ष 5 से 10 मिलियन पादपकों का उत्पादन करेंगी। सातवीं योजना में अब तक 260.00 लाख रुपये प्रदान किए जा चुके हैं। इन यूनिटों को आगे भी समर्थन मिलता रहेगा।

विदर्भ क्षेत्र में स्थित संस्थानों को उनके नाम के सामने दी गई अनुसंधान परियोजनाओं को चलाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

**राष्ट्रीय पर्यावरणिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एन० ई० ई० आर० आई०) नागपुर** :

(1) जल हायासिन्थ से 2, 3 बूटानेडियाल का सूक्ष्मजैविक उत्पादन।

(2) अपशिष्टों से रसायनों और हाइड्रोजन का जैव प्रौद्योगिकीय उत्पादन·

(3) जीवाश्म ईंधन का सूक्ष्मजीवीय विगंधकन।

(4) मैथेन का मैथानोल में जैव प्रौद्योगिकी रूपान्तरण।

**सेवाग्राम, वर्धा** : मानव फाइलेरियासिस का रोगप्रतिरक्षानिदान।

उपर्युक्त परियोजनाओं को 53.24 लाख रुपये की कुल सहायता प्रदान की जा चुकी है। तथा इन परियोजनाओं में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 21 अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

**पंजाब में निजी प्रबन्धन के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाएं**

8452. **बाबा सुच्चा सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विभिन्न धार्मिक संगठनों के निजी प्रबन्धनों द्वारा कितने शैक्षिक संस्थाएं चलाई जा रही हैं,

(ख) सरकार ने इनमें से प्रत्येक को कितना वार्षिक अनुदान दिया है; और

(ग) क्या ये संस्थाएं सरकारी संस्थाओं से भी अधिक ट्यूशन फीस ले रही हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा उपाय**

8453. **श्री आनन्द सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियेशन के रिसाव के सम्भावित खतरे को टालने के लिए "माइक्रो-सिसमिक डाटा" पर लगातार अवलोकन रखने के लिए इस संयंत्र में दिन-रात निगरानी रखने की कोई व्यवस्था की गई है,

(ख) यदि हां, इसकी लागत कितनी आई: और

(ग) क्या इस व्यवस्था द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर एक निश्चित अवधि के पश्चात् इस संयंत्र के सुरक्षा उपायों की बार-बार पुनः जांच की जाएगी, यदि हां, तो कब से ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) :** (क) और (ख) जी, हां। नरोरा परमाणु बिजलीघर में दिन-रात निगरानी रखने की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत छः मानीटरिंग स्टेशनों द्वारा हल्के से हल्के भूकंपों सम्बन्धी आंकड़ों पर भी लगातार ध्यान दिया जाता है। इस कार्य पर अब तक 9.75 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

(ग) जी, हां। यह विचार है कि इस स्टेशन के सुरक्षित रूप से काम करने सम्बन्धी सभी पहलुओं का मूल्यांकन, जिसमें हल्के से हल्के भूकंप को रिकार्ड करने वाली प्रणाली द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण भी शामिल है, उसके काम शुरू करने की तारीख से पांच वर्ष के बाद फिर से किया जाए।

**कम्प्यूटर नेटवर्क**

8454. **श्री एम० एम० पल्लम राजू :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से बाहर विद्यमान कम्प्यूटर नेटवर्कों के नाम क्या हैं और प्रत्येक नेटवर्क का उद्देश्य क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक नेटवर्क के अन्तर्गत कितने केन्द्र आते हैं; और

(ग) हाल के वर्षों में कम्प्यूटर में खराबी होने से कौन-कौन से नेटवर्क प्रभावित हुए हैं और प्रत्येक मामले में कितना नुकसान पहुंचा है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन)** : (क) योजना आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी विभागों को सूचना-विज्ञान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निकनेट नामक सैटेलाइट आधारित नेटवर्क स्थापित किया है। इस नेटवर्क में बहुत ही सूक्ष्म एपर्चर टर्मिनल (वी० एस० ए० टी०) प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। यह 1987 से परिचालन में है। देश में व्यापारिक संगठनों को कम्प्यूटर संचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए इलैक्ट्रानिक विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सी० एम० सी० लि० द्वारा स्थापित इण्डोनेट एक व्यावसायिक नेटवर्क है। अन्य किसी भी इच्छुक प्रयोगकर्ता को भी यह सेवाएं प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग के पास 4 नोड्स वाला एक प्रयोगात्मक पैकेट स्विच नोड है। यह एक वर्ष से भी अधिक अवधि से परिचालन में है। दूरसंचार विभाग के पास अब एक सार्वजनिक पैकेट स्विच्च नेटवर्क का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इसने एक रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क (आर० ए० बी० एम० एन०) स्थापित किया है जिसमें निकनेट द्वारा प्रयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी जैसी प्रौद्योगिकी ही प्रयोग मे लाई जाती है। यह कार्यान्वयन के अन्तिम चरण चरण में है। तथापि, सेल (एस० ए० आई० एल०) तथा एन० टी० पी० सी० जैसे प्रयोगकर्त्ता, परियोजना प्रबन्धक तथा सूचना प्रसंस्करण के लिए निकनेट का प्रयोग कर रहे हैं।

इलैक्ट्रानिक विभाग के पास, देश की कुछ सर्वोत्कृष्ट संस्थाओं के सहयोग से शिक्षा तथा अनुसन्धान नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक यू० एन० डी० पी० कार्यक्रम है। ये हैं, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय साफ्ट वेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा इलैक्ट्रॉनिक विभाग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालयों के सभी पुस्तकालयों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इस नेटवर्क को इनाफ्लिबनेट (आई० एन० एफ० एल० आई० बी० एन० ई० टी०) कहा जाता है। यह अभी आयोजना तथा अभिकल्पन चरण में है।

(ख) इस समय निकनेट में 416 नोड्स हैं जिसमें अधिकांश जिला मुख्यालय, राज्यों की राजधानियां तथा केन्द्र सरकार शामिल है। इण्डोनेट इस समय 11 शहरों को सेवायें प्रदान कर रहा है। आर० ए० बी० एम० एन०, जिसके अन्तर्गत सभी दूरस्थ क्षेत्रों को लाया जाना है, अभी चालू किए जाने की प्रक्रिया में है।

(ग) जहां तक सूचना उपलब्ध है, कोई भी कम्प्यूटर नेटवर्क वायरस से प्रभावित नहीं हुआ है।

**उत्तरप्रदेश में एन० सी० सी० में तैनात राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी**

8455. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि एन० सी० सी० में तैनात राज्य सरकार के सिविल कर्मचारियों को बिना प्रभारी मन्त्री की स्वीकृति के प्रति वर्ष जुलाई से मार्च के मध्यावधि सत्र में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में एन० सी० सी० में तैनात राज्य सिविल कर्मचारियों को

जुलाई, 1989 से फरवरी, 1990 के दौरान स्थानान्तरित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० राजा रमन्ना)** : (क) जी, हां सिवाय ऐसे मामलों के जहां कर्मचारियों के व्यक्तिगत अनुरोध पर अनुकम्पा के आधार पर ऐसे स्थानान्तरण किए जाते हैं।

(ख) ये स्थानान्तरण कर्मचारियों के व्यक्तिगत अनुरोध पर अनुकम्पा के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रशासनिक आधार पर लोकहित में किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**बोकारो नदी का प्रदूषण**

8456. **श्री ए० के० राय** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाटा आयर एण्ड स्टील कम्पनी की हजारीबाग स्थित वेस्ट बोकारो कोलरी के पानी से बोकारो नदी जल प्रदूषित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इस स्थान से आगे बह रही नदी के जल का उपयोग करने वाले आदि-वासियों के लिए पेय जल की समस्या उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) हजारी बाग में पश्चिम बोकारो कोलियरी से छोड़े गए बहिस्रावों में अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक निलम्बित ठोस एवं कार्बन धूल पाई गई।

इस प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :

(1) बिहार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने इकाई के द्वारा अपने बहिस्रावों को निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित करने के लिए उपयुक्त उपाए न किए जाने के कारण उसके खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के तहत एक मामला दर्ज किया है।

(2) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों के आधार पर यूनिट अपने बहिस्राव शोधन संयंत्र में दो और सैटलिंग टैंक लगा रही है। यूनिट को जुलाई, 1990 तक इस कार्य को पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए हैं।

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजस्थान में जांच सम्बन्धी मामले**

8457. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजस्थान में अपने मूल क्षेत्राधिकार में और राजस्थान सरकार द्वारा सौंपे गए कितने मामलों की जांच की जा रही है; और

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है और चालान जारी किए जाने शेष है ?

**प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :** (क) 60 मामले।

(ख) 6 मामले।

**महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्शी योजना**

8458. **श्रीमती जे० जमुना :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-2000 के लिए महिलाओं हेतु – कोई राष्ट्रीय सन्दर्शी योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ), राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की कुछ सिफारिशों पर निर्णय ले लिए गए हैं। इनका कार्यान्वयन कई मन्त्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं और इसके लिए समय-समय पर कार्यवाही की जाती है। अतः फिलहाल इनके प्रभाव को आंकना सम्भव नहीं है।

**पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक एकक**

8459. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई इलेक्ट्रानिक नीति लागू होने के पश्चात स्थापित इलेक्ट्रॉनिक एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या नई इलेक्ट्रॉनिक नीति से देश के पिछड़े क्षेत्रों में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो नई इलेक्ट्रॉनिक नीति को लागू करने के बाद से राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये गए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एककों का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** (क) से (ग) कोई नई नीति नहीं लागू की गई है। समय-समय पर की जा रही नई पहल के साथ इलेक्ट्रॉनिकी नीति का विकास होता है जिसका उद्देश्य बदलती हुई परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। किन्तु केवल इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए स्थापना स्थल से संबंधित कोई अलग नीति नहीं है। किन्तु, उन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं जहां ऊर्जा की उपलब्धता अथवा प्राकृतिक स्रोत के आधार की दृष्टि से अन्य उद्योगों की स्थापना करना सम्भव न हों।

**परती भूमि के विकास के लिए ऋण**

8460. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परती भूमि के विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया था,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गयी, और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में परती भूमि के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में हुई कुल प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान, राज्य सरकारों ने परती भूमि विकास के लिए देश की वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान, परती भूमि विकास में प्रमुख बल 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण पर दिया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण किए गए राज्यवार क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

## विवरण

### सातवीं योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण किए गए राज्यवार क्षेत्र

क्षेत्र हैक्टेयर में*

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 (लक्ष्य)† | 1/90 तक की उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 157800.00 | 143707.50 | 152567.00 | 141747.50 | 160000.00 | 128151.78 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 5150.00 | 6254.00 | 6352.00 | 7077.50 | 7000.00 | 801.00 |
| 3. | असम | 19800.00 | 31275.00 | 24893.00 | 22952.00 | 15000.00 | 14182.10 |
| 4. | बिहार | 76150.00 | 135550.00 | 157600.00 | 180177.00 | 140000.00 | 109538.50 |
| 5. | गोवा | 2250.00** | 3396.50** | 3761.50** | 3686.50 | 3750.00 | 371.45 |
| 6. | गुजरात | 124850.00 | 113550.00 | 107075.00 | 200996.50 | 110000.00 | 194450.00 |
| 7. | हरियाणा | 46850.00 | 37079.00 | 19000.00 | 31637.00 | 27500.00 | 21596.50 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 37600.00 | 33564.00 | 30754.50 | 34186.50 | 35000.00 | 30335.00 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 23350.00 | 28526.00 | 20000.03 | 25237.00 | 17500.00 | 3576.50 |
| 10. | कर्नाटक | 127300.00 | 115837.00 | 157610.50 | 154596.00 | 115000.00 | 110466.50 |
| 11. | केरल | 58300.00 | 75962.00 | 77772.00 | 76051.00 | 25000.00 | 16070.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 175050.00 | 196000.00 | 204523.00 | 220800.00 | 195000.00 | 186488.93 |

* 2000 पौद प्रति है, की दर से काल्पनिक रूप से परिकलित क्षेत्र ।

** दमन और द्वीव संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं ।

† लक्ष्यों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी शामिल नहीं हैं ।

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 (लक्ष्य) | 1/90 तक की उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | महाराष्ट्र | 108250.00 | 119085.00 | 153998.00 | 285000.00 | 207500.00 | 190534.50 |
| 14. | मणिपुर | 6250.00 | 7440.00 | 9012 50 | 9948.00 | 10000.00 | 11552.00 |
| 15. | मेघालय | 6550.00 | 7900.00 | 11878.50 | 16488.50 | 13750.00 | 14255.50 |
| 16. | मिजोरम | 35000.00 | 23902.50 | 13875.00 | 5000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 17. | नागालैण्ड | 13450.00 | 27175.00 | 10000.00 | 11500.00 | 17500.00 | 0.00 |
| 18. | उड़ीसा | 96500.00 | 116336..0 | 117002.00 | 138108.50 | 1:0000.00 | 79780.15 |
| 19. | पंजाब | 29500.00 | 28379.50 | 24776.00 | 28730.00 | 20000.00 | 17099.00 |
| 20. | राजस्थान | 47900.00 | 67051.50 | 58693.50 | 65500.00 | 45000.00 | 41225.50 |
| 21. | सिक्किम | 4100.00 | 5751.50 | 6693.50 | 6307.50 | 7000.00 | 7193.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 60750.00 | 99064.00 | 95587.00 | 90278.00 | 70000 00 | 69011.20 |
| 23. | त्रिपुरा | 10000.00 | 13150.00 | 13356.50 | 13350.00 | 13000.00 | 13500.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 177400.00 | 243250.00 | 221035.50 | 272991.00 | 275000.00 | 261864.50 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 55750.00 | 70800.00 | 69554.00 | 55600.00 | 50000.00 | 47500.00 |
| 26. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 4750.00 | 6116.00 | 5021.50 | 5379.50 | 5000.00 | 5212.50 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 76.00 | 191.50 | 179..50 | 177..00 | 125.00 | 121.82 |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 1550.00 | 1700.00 | 1561.00 | 1916.00 | 1500.00 | 1562.50 |
| 29. | दमन और द्वीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 100.00 | 112.50 |
| 30. | दिल्ली | 1250.00 | 3151.50 | 903.00 | 3295.00 | 2500.00 | 1557.00 |
| 31. | लक्षद्वीप | 12.50 | 14.50 | 12.00 | 112.50 | 125.00 | 145.79 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 550.00 | 649.50 | 516.00 | 523.00 | 400.00 | 496.25 |
| | : योग | 1510038.50 | 1761809.00 | 1775563.53 | 2119412.00 | 1714250.00 | 1593752.15 |

खेलगांव में मकानों का आवन्टन

[हिन्दी]

8461. श्री थान सिंह जाटव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण को खेलगांव में "एशियाड" 1982 के दौरान निर्मित मकान आवंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उसे किस-किस टाइप के मकान आवंटित किए गए थे और प्रत्येक मकान का मूल्य कितना था;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुछ मकानों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया है;

(घ) क्या खेलगांव में भारतीय खेल प्राधिकरण के कुछ मकान खाली पड़े हैं; यदि हां, तो इन मकानों को कब तक आवंटित कर दिया जायेगा;

(ङ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण को मकानों के खाली पड़े रहने के कारण राजस्व की हानि हो रही है तथा इन मकानों को आवंटित न किये जाने से कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) 16 फ्लैट; प्रत्येक का मूल्य संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए आवंटन किया गया था।

(घ) उपर्युक्त 16 फ्लैटों में से 5 के खाली होने की सूचना है। एक फ्लैट सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए है, जिन्हें अभी कार्यभार ग्रहण करना है। शेष 4 के कब्जे अभी तक भारतीय खेल प्राधिकरण ने डी० डी० ए० से नहीं लिए हैं।

(ङ) और (च) भारतीय खेल प्राधिकरण से विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है।

विवरण

एशियाई खेल गांव परिसर में प्रत्येक मकान का मूल्य

| क्रम सं० | फ्लैट सं० | मूल्य |
|---|---|---|
| 1. | एस०-I 499 | 9,90,800 रुपये |
| 2. | एस०-II 506 | 11,21,500 रुपये |
| 3. | एस०-II 507 | 11,21,500 रुपये |
| 4. | एस०-I 510 | 9,90,800 रुपये |
| 5. | एस०-I 511 | 9,90,800 रुपये |

| क्र०सं० | फ्लैट सं० | मूल्य |
|---|---|---|
| 6. | एस०-II 512 | 11,21,500 रुपये |
| 7. | एस०-II 513 | 11,21,500 रुपये |
| 8. | पी०-4 595 | 9,53,900 रुपये |
| 9. | पी०-7 644 | 12,96,900 रुपये |
| 10. | पी०-7 645 | 12,96,900 रुपये |
| 11. | पी०-4 671 | 9,53,900 रुपये |
| 12. | पी०-6 673 | 11,89,400 रुपये |
| 13. | पी०-4 676 | 9,53,900 रुपये |
| 14. | पी०-4 719 | 9,53,900 रुपये |
| 15. | पी०-6 721 | 11,89,400 रुपये |
| 16. | पी०-4 725 | 9,53,900 रुपये |

## ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

[अनुवाद]

8462. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश में विशेषकर दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने स्मारकों के संरक्षण और उनके आस-पास पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रभावी रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने हेतु इसे पर्याप्त अधिकार देने के लिए कोई विधेयक लाने की विचार है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) से (ङ) दिल्ली सहित देश के स्मारकों के संरक्षण सम्बन्धी कठिनाईयों और समस्याओं की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा० पु० सं०) तथा केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के परामर्श से, आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए स्मारकों के परिरक्षण और उनके परिवेश की सुरक्षा हेतु उपाय किए जाते हैं।

विद्यमान कानूनों में संशोधन करने हेतु कुछ प्रस्ताव राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से विचाराधीन हैं।

## आन्ध्र प्रदेश में वन विकास कार्यक्रम

8463. श्री एम० जी० रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण ईन्धन वृक्ष रोपण योजना, परती भूमि विकास कार्यक्रम तथा वनरोपण को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है,

(ख) क्या ऐसी योजनाएं आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही हैं,

(ग) यदि हां, तो कब से और तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन योजनाओं में आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की कुल कितने हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) केन्द्र और राज्य प्लान परियोजनाओं, जिनमें 14 राज्यों में चलाई जा रही विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना भी शामिल है, के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

## नेहरू युवा केन्द्र के कर्मचारियों की मांगें

8464. श्री माणिक साग्याल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय नेहरू युवा केन्द्र कर्मचारी कल्याण संघ से 19 फरवरी, 1990 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय परियोजना अधिकारी तथा सहायक परियोजना अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र कर्मचारी कल्याण संघ (ए० ई०) जो न तो मान्यता प्राप्त है और न ही पंजीकृत, की मांगें हैं : सेवा जारी रखना, निर्धारित वेतन के बजाय नियमानुसार वेतनमान, टी० ए०/डी० ए०/एच० आर० ए०/सी० सी० ए० की सुविधा, रिहायशी आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बोनस, फील्ड कार्य के लिए जीप का प्रावधान, दिल्ली प्रशासन में प्रौढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति में प्राथमिकता और प्रत्येक व्यक्ति को काम का मौलिक अधिकार देने के लिए सरकारी घोषणा के अनुसार नियमित आधार पर इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आदेश जारी करना।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक शिक्षा देने का कार्य नेहरू

युवा केन्द्र संगठन को सौंपा गया था और इस प्रयोजनार्थ 10000 प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र मंजूर किए गए थे। क्रियान्वयन एजेंसी होने के नाते नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये परियोजना अधिकारियों, सहायक परियोजना अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया था। इन प्रौढ़ शिक्षण केन्द्रों ने वर्ष 1989-90 के दौरान अपना चक्र पूरा किया। तत्पश्चात्, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई। इसलिए उनकी मांगों पर कोई कारंवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

### महाराष्ट्र में नदियों की सफाई

[हिन्दी]

8465. **श्री हरिशंकर महाले :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किन-किन नदियों की सफाई के लिए कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) महाराष्ट्र में इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना कार्य किया गया है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इसके लिये कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) से (ग) महाराष्ट्र में किसी नदी को साफ करने के लिए कोई कार्य योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा कृष्णा नदी को साफ करने की एक कार्य योजना तैयार की गई है और वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार को भेजी गई है। इस योजना पर गंगा कार्य योजना से प्राप्त अनुभव और निधियों की उपलब्धता के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार किया जा सकता है।

### कच्छ में धोलावीरा में खुदाई कार्य

[अनुवाद]

8466. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ में धोलावीरा के पौराणिक स्थल से हाल में खुदाई में प्राप्त नयी दुर्लभ वस्तुओं तथा इनके सिन्धु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति पर नए आलोक डालने के सम्बन्ध में कोई विशेष अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन से जनता को अवगत कराने तथा खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) और (ख) जी, हां। खुदाई कार्यों के परिणाम स्वरूप, धोलावीरा में किलाबन्दी और चतुर्भुजीय योजना

वाला एक नगर प्रकाश में आया है जिससे सिन्धु घाटी संस्कृति पर नया प्रकाश पड़ा है। इसके तीन प्रमुख भाग हैं अर्थात प्रवेश द्वारों सहित एक किला, एक पानी का हौज और ऊंचाई पर तथा सिचाई पर एक नगर इमारतों के जो अवशेष मिले हैं उनमें कक्ष, चूल्हे, सञ्चयन मरतबान, नालियां और कूड़ा-करकट डालने के पात्र इत्यादि है। कुछ कक्ष दस्तकारी कार्यों के साक्ष्य दर्शाते हैं। खुदाई कार्यों में मिली उल्लेखनीय पुरा वस्तुओं में विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त मोहरें, मुद्राकण, एक पशु की तांबे की एक लघु-मूर्ति, विविध सामग्रियों जैसे अल्प कीमती पत्थरों, ताम्बे और सोने के मणके, विभिन्न प्रकार में पदार्थों की चूड़ियां, ताम्बे और पत्थर के उपकरण और पत्थर के स्तम्भ के टुकड़े भारतीय उप-महाद्वीप में अपनी किस्म के मिले शायद प्राचीनतम नमूने हैं।

(ग) रेडियो और समाचार-पत्रों के माध्यम से इस खोज के प्रचार के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। इससे संरक्षण के लिए उपाय किए गए हैं।

**आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास नीति**

8467. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपनायी जाने वाली नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) :** (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुपालित जिस विकास कार्यनीति का अनुसरण किया जाना है, उसे आठवीं योजना दस्तावेज के लिए दृष्टिकोण में परिलक्षित किया जायेगा। योजना के लिए दृष्टिकोण में प्रमुख बल तो रोजगार पर होगा, तथापि प्रतिबल के वृहद क्षेत्रों में संघीय ढांचे का सुदृढ़ीकरण, प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण, लोगों की सहभागीदारी, ग्रामीण सेक्टर के विकास पर अपेक्षाकृत अधिक बल तथा आर्थिक क्रिया-कलाप में महिलाओं की भूमिका पर विशेष संकेन्द्रण शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**भारत की पर्यावरणिक समस्याएं**

8468. **श्री दिलीप सिंह जू देव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भी 22 अप्रैल को "प्रथम पृथ्वी दिवस" की बीसवीं वर्षगांठ के रूप में मनाया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने और जनसंख्या में वृद्धि, असंतुलन विकास और भारी पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सामान्य रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, हां। भारत में मनाए गए पृथ्वी दिवस की मुख्य बातें हैं :—प्रधान मंत्री जी द्वारा लोगों के नाम संदेश, देश भर में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं द्वारा मुख्य अंश और पूरक सामग्री का प्रकाशन किया गया, देश भर में अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने पर्यावरणीय सुरक्षा के विषय पर वृक्षारोपण, पैनल विचार-विमर्श, गोष्ठियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनियों, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली और स्थाई विकास को प्राथमिकता दी गई है। इनमें राष्ट्रीय परती भूमि मिशन के जरिए अवक्रमित क्षेत्रों का पुनरूद्धार, पारि-विकास शिविरों का आयोजन, पारि-कृत्यक बलों द्वारा पारि-पुनर्जनन, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके जागरूकता कार्यक्रम चलाना, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और सुविधाओं को मुहैया कराकर जनसंख्या नियंत्रण तथा वननशान के विरूद्ध कानून आते हैं।

**अमरीका स्थित कम्प्यूटर निर्माता कम्पनियों द्वारा भारत में कम्प्यूटर निर्माता एककों की स्थापना**

8469. **श्री रामदास सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक अमरीका स्थित कम्प्यूटर निर्माता कम्पनियां भारत में कम्प्यूटर हार्डवेयर का उत्पादन करने वाले एकक स्थापित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वे भारतीय कम्पनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहे हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कम्प्यूटर की निम्नलिखित निनिर्माता कम्पनियों ने भारत में कम्प्यूटर हार्डवेयर की उत्पादन सुविधाओं की स्थापना कर ली है/कर रही है :—

1. अट्टारी कारपोरेशन।

2. डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन।

3. हेवलेट पैकर्ड कम्पनी।

4. आयरॉनिक्स इन्कारपोरेटिड।

5. एन० सी० आर० कारपोरेशन।

6. यूनिसिस कारपोरेशन।

संयुक्त राज्य अमेरिका की ये कम्प्यूटर विनिर्माता कम्पनियां क्रमशः निम्नलिखित भारतीय कम्पनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम चला रही हैं :

1. मेसर्स एस० टी० पी०, लिमिटेड, कलकत्ता ।

2. मेसर्स हिन्दीट्रॉन कम्प्यूटर प्रा० लि० ।

3. मेसर्स ब्लू स्टार, बम्बई ।

4. मेसर्स आयरॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर्स प्रा०, लि० ।

5. मेसर्स वैलमैन (हिन्दुस्तान) प्रा० लि० बम्बई ।

6. मेसर्स टाटा सन्स ।

### कन्नानोर में केन्द्रीय विद्यालय के लिए स्थान का चयन

8470. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्नानोर में केन्द्रीय विद्यालय के लिए स्थायी भवन के निर्माण हेतु स्थान का इस बीच चयन कर लिया गया है;

(ख) क्या कन्नानोर स्थित फोर्ट मैदान में स्कूल भवन के निर्माण के बारे में सरकार को कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या इस भवन के लिए सम्भावित वैकल्पिक स्थानों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) कन्नानोर स्थित केन्द्रीय विद्यालय के स्थान में परिवर्तन करने के पक्ष और विपक्ष में अनेक प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे । इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद, वर्तमान स्थान को विद्यालय के लिए अत्यन्त उपयुक्त समझा गया था ।

### आन्ध्र प्रदेश में नवोदय विद्यालयों के लिए भवन

8471: **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने नवोदय विद्यालय किन-किन स्थानों पर चल रहे हैं;

(ख) ऐसे कितने विद्यालय बिना भवनों के कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन विद्यालयों को उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान उनके भवनों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता)** : (क) आन्ध्र प्रदेश में चल रहे नवोदय विद्यालयों की संख्या तथा स्थान से सम्बन्धित विवरण संलग्न है ।

(ख) सभी विद्यालय या तो राज्य सरकार द्वारा अस्थाई तौर पर दिये गए भवनों में चल रहे हैं अथवा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्मित/प्राप्त किए गए भवनों में चल रहे हैं ।

(ग) ब्यौरे उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में सन्दर्भित विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान भवनों के निर्माण पर खर्च होने वाली अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपये है।

**विवरण**

| क्र० सं० | जिला | स्थान | आरम्भ करने का वर्ष | निर्माण के चरण | संस्वीकृत प्राक्कलन की राशि (रुपये लाखों में) | निर्माण एजेंसी का नाम | 31.3.90तक खर्च की गयी राशि (रुपये लाखों में) | निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावी तारीख | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | नालगोंडा | चालाकुर्ती कैम्प | 1986-87 | चरण-1 | 157.42 | एच० एस० सी० एल० | 81.69 | 3/91 | |
| 2. | निजाम सागर | निजाम सागर | —वही— | —वही— | 157.51 | सी० पी० डब्ल्यू० डी० | 84.78 | 9/90 | |
| 3. | कर्म नगर | चोप्पाडन्डी | —वही— | —वही— | 155.41 | एन० बी० सी० सी० | 119 97 | 9/90 | |
| 4. | इस्ट गोदावरी | पेड्डापुरम | 1987-88 | —वही— | 157.42 | एम० आई० डी० सी० | 69.14 | 3/91 | |
| 5. | अनन्तपुर | लेपाक्षी | —वही— | —वही— | 159.34 | ए०पी०आई०आई०सी० | 98.58 | 9/90 | |
| 6. | मेडक | वर्गल | —वही— | —वही— | 159.34 | एन० बी० सी० सी० | 107.17 | 9/90 | |
| 7. | विशाखापत्तनम | कोमांडी | —वही— | —वही— | 157.35 | सी० पी० डब्ल्यू० डी० | 25.00 | 12/90 | |
| 8. | कुर्नूल | बनवासी | —वही— | —वही— | 155.50 | ए० पी०आई०आई०सी० | 84.55 | 12/90 | |
| 9. | गुन्टूर | मदिराला | —वही— | —वही— | 159.34 | ए०पी०आई०आई०सी० | 87.11 | 3/91 | |
| 10. | नेल्लोर | कृष्णपुरम | —वही— | —वही— | 159.05 | ए०पी०आई०आई०सी० | 92.98 | 12/90 | |
| 11. | कुडापाह | चेय्येरु | —वही— | —वही— | 157.42 | सी० पी० डब्ल्यू० डी० | 25.00 | 12/90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | श्रीकाकुलम | वेन्नालवसासा | 1988-89 | —वही— | 157.42 | एन० बी० सी० सी० | 45.00 | 3/91 | |
| 13. | चित्तूर | होसंले हिल्स | 1986-87 | शून्य चरण | 34·09 | एन० आई० डी० सी० | 29.74 | 8/90 | |
| 14. | अदीलाबाद | कागजनगर | 1987-88 | —वही— | — | एन० बी० सी० सी० | — | — | |
| 15. | पुजसम | ओंगोली | —वही— | —वही— | 34.09 | एच० एस० सी० एल० | 10.00 | 12/90 | |
| 16. | खम्मम | पलेरू | 1987-88 | —वही— | 34.09 | एन० आई० डी० सी० | 10.00 | 12/90 | |
| 17. | रंगारेड्डी | गाचीबौली | —वही— | —वही— | 34.09 | एन० आई० डी० सी० | 30.23 | 8/90 | |
| 18. | पश्चिम गोदावरी | पेडावेगी | 1988-89 | —वही— | — | एन० बी० सी० सी० | — | | |
| 19. | विजयानगरम | वेनुगोपालपुरम | —वही— | —वही— | — | एन० बी० सी० सी० | 10.00 | — | |
| 20. | कृष्णा | वेलूरू | 1989-90 | —वही— | — | | | — | |

* शून्य चरण : विद्यालय की कक्षा VI से IX तक की जरूरतों की आंशिक रूप से पूर्ति के लिए प्रति विद्यालय 35 लाख रु० की लागत का कार्य लिया जाना।

* प्रथम चरण : विद्यालय की कक्षा VI से IX तक की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रति विद्यालय औसतन 160 लाख रु० की लागत का कार्य लिया जाना।

** एच० एस० सी० एल० — हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स निर्माण लिमिटेड

एन० आई० डी० सी० — राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

सी० पी० डब्ल्यू डी० — केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

एन० बी० सी० सी० — राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

ए० पी० आई० आई० सी० — आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक अव संरचना निगम लिमिटेड

## भौतिक और जीव विज्ञान सम्बन्धी संस्थान

8472. **श्री बासवपून्नयया सिंगम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भौतिक विज्ञान और जीव (लाइफ) विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओं की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं,

(ख) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कुछ संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ऐसे अन्तरविषयक क्षेत्र हैं, जिसके सम्बन्ध में कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालय में इन क्षेत्रों के एक या अधिक पहलुओं में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, सरकार ने सैन्ट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेट्री, जमशेदपुर, रिजनल रिसर्च लेबोरेट्री, भुवनेश्वर, रिजनल रिसर्च लेबोरेट्री, भोपाल, आई० आई० टी० (कानपुर और दिल्ली) स्थित मैटीरियल साइंस सैन्टर जैसे मुख्य संस्थान स्थापित किये हैं।

भौतिक विज्ञान अनुसंधान कार्य टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई, भाभा एटोमिक रिसर्च सैन्टर, ट्राम्बे, रिजनल रिसर्च लेबोरेट्री, त्रिवेन्द्रम, नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री, नई दिल्ली, विक्रम साराभाई स्पेस सैन्टर, त्रिवेन्द्रम डिफेन्स मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेट्री, हैदराबाद, नेवल कैमिकल एण्ड मेटालर्जिकल लेबोरेट्री, बम्बई, डिफेन्स मैटिरियल्स एण्ड स्टोर्स रिसर्च एंड डिवेल्पमेंट इस्टैबलिशमेंट, कानपुर, सालिडस्टेट फिजिक्स लेबोरेट्री एण्ड डिफेन्स साइन्स लेबोरेट्रीं, दिल्ली तथा अन्य आई० आई० टी० और विश्वविद्यालयों में भी किये जाते हैं।

जीव विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के सम्बन्ध में कृषि विश्वविद्यालयों में किए जा रहे कार्य के अतिरिक्त, देश में बड़े विश्वविद्यालयों में स्थित कई जीव विज्ञान विभाग भी जीव विज्ञान में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बोस इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, पुणे, बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट आफ पेलियोबोटनी, लखनऊ, नेशनल इन्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की प्रयोगशालाएं, जैसे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ, सैन्ट्रल इन्टीट्यूट आफ मैडिसिनल एण्ड एरोमैटिक प्लान्ट्स लखनऊ, सैन्ट्रल ड्रग, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ सैन्टर फार सेलुलर एंड मालेकुलर बायोलाजी, हैदराबाद, आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट-ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मैडिकल साइन्सेज, लखनऊ, पोस्ट– ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ जैसे सस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, आणविक ऊर्जा विभाग एवं पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय (बोटेनिकल सर्वे आफ इण्डिया, हावड़ा, जूलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, कलकत्ता, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा आई० सी० एफ० आर० ई० के अन्तर्गत अन्य संस्थाएं) के अधीन मुख्य संस्थान भी जीव विज्ञान में अनुसन्धान कार्यक्रमों को करते हैं एवं सहायता प्रधान करते हैं। ऊपर बताए गये नाम केवल भौतिक और जीवन विज्ञान में कार्य-

रत संस्थानों की सीमा और विविधता के बारे में उल्लेख करते हैं और ये व्यापक नहीं समझे जाएं।

(ख) इस समय सरकार के पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**नेशनल कौंसिल (जे० सी० एम०) की बैठक**

8473. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1990 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में नेशनल कौंसिल (जे सी० एम०) की बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) राष्ट्रीय परिषद् (जे० सी० एम०) की 34वीं सामान्य बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 1990 को दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) राष्ट्रीय परिषद् की इस बैठक में जिन मदों पर निर्णय लिया गया उनकी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के लिए आवश्यक आदेश सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् जारी किए जाएंगे।

**विवरण**

**28.4.90 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद् (जे० सी० एम०) की 34वीं सामान्य बैठक में कर्मचारी पक्ष की मांगों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में लिए गए मुख्य निर्णयों की सूची**

1. चिकित्सा सम्बन्धी दूसरी सलाह के सम्बन्ध में यात्रा के लिए दैनिक भत्ते की स्वीकृति।

2. नोएडा में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली की दरों पर मकान किराए भत्ते का दिया जाना।

3. उन कर्मचारियों को जिनका वेतन 35,00/-रुपए प्रति मास तक है मकान किराए भत्ते पर आयकर की छूट दिए जाने के लिए मकान किराए की रसीद दिखाना आवश्यक नहीं है सिवाय उन मामलों के जहां आयकर अधिकारी किसी मामले विशेष को जांच के लिए उठाता हो।

4. स्थायी नियुक्ति पर वेतन-निर्धारण के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण अवधि का गिना जाना।

5. अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाना जो 120 दिनों से बढ़ाकर एक समय में 180 दिनों तक स्वीकृत की जा सकती है।

6. पदोन्नति पर वेतन निर्धारण को छोड़कर यतिरोध वेतनवृद्धि को सभी प्रयोजनों के लिए मूल वेतन के रूप में समझना ।

7. ग्रीष्म-कालीन महीनों के दौरान पानी की अत्यधिक कमी वाले स्थानों पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल भत्ते की मंजूरी ।

**एक ही बार में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करना**

84 4. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालय, कोई पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही, एक ही बार में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने/परीक्षा देने की अनुमति/स्वीकृति दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में पढ़े-लिखे प्रौढ़ों की संख्या में वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की डिग्रियों की व्यापक चाहत को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर इस प्रणाली को लागू करने का निदेश दिया जाएगा,

(ग) क्या सरकार का विचार इस चालू शिक्षा वर्ष के दौरान एक सा पैटर्न तैयार करने के लिए राज्यों/विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रस्ताव आमन्त्रित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) से (घ) मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति इसलिए शुरू की गई है ताकि उच्च शिक्षा के लिए अवसरों में वृद्धि की जा सके और अनेक वर्गों को अवसर प्रदान किए जा सकें। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में अन्य बातों के साथ-साथ इस दृष्टि से की गई थी कि लोगों के एक बड़े वर्ग के लिए, विशेष रूप से लाभवंचित वर्गों में उच्च शिक्षा सुलभ कराई जा सके और विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा की एक नवीन पद्धति शुरू की जा सके, जो अध्ययन के तरीकों तथा गति, पात्रता तथा नामांकन प्रवेश लेने की आयु, आदि के सम्बन्ध में लचीली और मुक्त हो।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश नियम अपनाए हैं जिनके अन्तर्गत वे उम्मीदवार, जिन्होंने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, अवर स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे विशेष रूप से तैयार की गई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लें।

कुछ राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कुछेक पत्राचार अध्ययन संस्थाओं ने भी चुनिन्दा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश अर्हताओं में छूट दे दी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने आठवीं योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों को हाल ही में दिशा-निर्देश भेजे हैं और अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि वे अवर-स्नातक स्तर पर

औपचारिक पद्धति में नामांकन के प्रसार में कमी लाएं और छात्रों को मुक्त विश्वविद्यालयों/पत्राचार पाठ्यक्रमों, आदि के माध्यम से गैर-औपचारिक पद्धति की ओर उन्मुख करें।

**दुर्गम्य स्थल (हार्ड स्टेशन्स) की परिभाषा**

8475. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री राघव जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ स्थानों पर स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हेतु उनके स्थानान्तरण के सन्दर्भ में, इन स्थानों को किन मानदण्डों के आधार पर "कठिन अथवा दुर्गम्य स्थल (हार्ड स्टेशन)" घोषित किया गया है,

(ख) क्या चार वर्ष पहले इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार इन मानदण्डों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि इनमें कोई संशोधन किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) 'कठिन' स्टेशन के रूप में स्थान का पता लगाने के लिए चिकित्सा सुविधाओं, आवासीय सुविधाओं, विपणन सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं, संचार समस्याओं आदि को ध्यान में रखा गया था।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1984 में हुई शासी बोर्ड की बैठक के निर्णयानुसार गठित समिति ने कार्य अवधियों/कठिन केन्द्रों का पता लगाया और असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेशों सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित सभी केन्द्रीय विद्यालयों तथा 35 अन्य स्थानों का भी पता लगाया। इसी बीच, कठिन स्थानों की सूची में नए स्थानों को शामिल करने के लिए संगठन को क्षेत्रों के प्रधानाचार्यों/सहायक आयुक्तों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

तदनुसार, पूरे मामले की समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 25 स्थानों का कठिन स्थानों के रूप में पता लगाया। तथापि शासी बोर्ड ने दिनांक 13.7.89 को हुई अपनी बैठक में 24 कठिन स्थानों का अनुमोदन किया और इस सूची में असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में कठिन क्षेत्र शामिल नहीं हैं जहां इन क्षेत्रों में सेवारत सिविल कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतों द्वारा तैनाती का कार्यकाल अभिशासित होता है।

**भारतीय प्रबन्धन संस्थान में प्रवेश हेतु ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता**

8476. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बंगलौर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कितने उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया,

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवार कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के हैं; और

(ग) क्या कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को कोई प्राथमिकता दी गई थी ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर ने प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 160 छात्रों को दाखिल किया।

(ख) और (ग) यद्यपि वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को विशेष महत्व देने की कोई नीति नहीं थी, फिर भी संस्थान से यह सूचित किया है कि कर्नाटक से दाखिल 21 छात्रों में दो छात्र उस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से आए।

**राजस्थान में चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन**

[हिन्दी]

8477. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना)** : (क) और (ख) जी, हां। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के ऐसे कर्मचारी जो शिक्षण का कार्य नहीं करते अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसम्बर, 1989 से 9 जनवरी, 1990 तक हड़ताल पर थे। इनकी मांगों में स्टाफ के काम के घंटों का निर्धारण करने और वर्दी में "बाटा के जूते" देने की मांगें शामिल थीं। ये मांगें मुख्यतः प्रशासन से सम्बन्धित थीं और इन्हें यथासम्भव पूरा कर दिया गया।

**बिहार में चीनी मिलों और शराब के कारखानों द्वारा प्रदूषण**

8478. **श्री राजमंगल मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चीनी मिलों और शराब के कारखानों द्वारा नदियों में अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री मौलाना राजलरान) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बहिस्राव मानकों का अनुपालन करवाने के लिए सगठित कार्यवाही करने के वास्ते चीनी और मद्य निर्माण उद्योगों को प्राथमिकता वाले उद्योगों के रूप में अभिनिर्धारित किया है और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। बिहार में 28 चीनी मिलें हैं। इनमें से 20 मिलों में आंशिक बहिस्राव शोधन सयंत्रों की व्यवस्था है और एक यूनिट में बहिस्राव शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है, शेष सात यूनिटों में बहिस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। बिहार में 11 मद्यनिर्माण यूनिटें हैं। इनमें एक यूनिट में बहिस्राव शोधन संयंत्र है, तीन यूनिटों में आंशिक बहिस्राव शोधन संयंत्र हैं, चार यूनिटों में बहिस्राव शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है और शेष तीन यूनिटों में बहिस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उद्योगों को 15 जुलाई, 1990 तक प्रारम्भिक शोधन सुविधाएं अमल में लाने की सलाह दी गई है।

### माध्यस्थम बोर्ड के पंचाटों का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

8479. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यस्थम बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों में दिए गए अनेक पंचाटों को संबद्ध विभागों द्वारा अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है,

(ख) क्या पंचाट अन्य मामलों सहित अर्जित अवकाश का नकदीकरण, सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने तथा मकान किराया और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने की तारीख से सम्बन्धित मामलों के बारे में है; और

(ग) यदि हां, तो इन पंचाटों और अन्य पंचाटों के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब किए जाने के क्या कारण है और उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) विवाचन बोर्ड द्वारा दिए गए 4 निर्णयों जिनमें अर्जित छुट्टी का नकदीकरण और वाहन भत्ते की मंजूरी शामिल है, सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति/कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेना लम्बित है। मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने के लिए प्रभावी तारीख से सम्बन्धित निर्णय स्वीकार कर लिया गया है और निर्णयों कार्यान्वयन के आदेश 4.5.1990 को जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने चार लम्बित निर्णयों में से कार्यान्वयन के लिए दो निर्णयों को स्वीकार करने का फैसला किया है। दो अन्य निर्णयों जिन पर भारी वित्तीय खर्च होता है, की जांच की जा रही है।

इसके अतिरिक्त 1982 से 1986 के वर्षों से सम्बन्धित विवाचन बोर्ड के चार निर्णयों जिन पर पहले लिया गया निर्णय उनको स्वीकार नहीं है, की इस समय पुनः जांच की जा रही है। ऐसा एक निर्णय डाकियों को पैसा लाने ले जाने के लिए रोकड़ भत्ता देने से सम्बन्धित एक निर्णय की पुनरीक्षा करने पर इसे कार्यान्वयन के लिए स्वीकार करने का निर्णय किया गया है।

### अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षित किया जाना

8480. डा० भगवान दास राठौर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित न किए जाने के सम्बन्ध में एक नीति बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) समूह "क", "ख", "ग" और "घ" में सीधी भर्ती के लिए '.4.89 से पदों को अनारक्षित करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। असाधारण और विशिष्ट मामलों में जहां समूह "क" के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के बाद जनहित में पदों को खाली रखने की अनुमति नहीं दी जाती वहां निर्दिष्ट प्रक्रिया को अपनाने के बाद पदों को अनारक्षित किया जा सकता है। पदोन्नति में अनारक्षण पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### महिला कृषि श्रमिकों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

8482. कुमारी उमा भारती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिला कृषि श्रमिकों के लिए पोषाहार कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अवर सचिवों की भर्ती

8483. श्री चांद राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अवर सचिवों के कितने पद हैं;

(ख) 1 जनवरी, 990 को अवर सचिव के कितने पद रिक्त थे,

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की क्रमश: कितने पदों पर नियुक्ति की गई; और

(घ) अवर सचिवों के रिक्त आरक्षित पदों को भरने के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हित की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) से (घ) केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिवों के पद केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन भरे जाते हैं। जब वे पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं, इस स्थिति को छोड़कर ये पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते है, जिनके लिए अनुसूचित जातियों/जनजाति जनजातियों का कोई आरक्षण नहीं होता है। इस समय, केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड I के 470 अधिकारी हैं जो कि केन्द्रीय सचिवालय में नियमित आधार पर अवर सचिवों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 73 अनुसूचित जातियों और 7 अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं। 1.1.1990 को अवर सचिवों के 41 पद रिक्त थे या नियमित आधार पर भरे जाने थे। उच्चतम न्यायालय में लम्बित एक मामले की वजह से संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में भरी जाने वाली इन रिक्तियों की संख्या के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। ऐसी रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरी जाने वाली केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I की रिक्तियों को जिनके लिए पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाता है।

## आटोवाहनों की प्रदूषण जांच

8484. **श्री सूबेदार** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी करने का विचार है कि सभी आटोवाहन सर्विस स्टेशन आदि टू-व्हीलरों सहित सभी आटोवाहनों की सर्विस करते समय ऐसा बना दें कि प्रदूषण न करें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) मोटर गाड़ियों के लिए उत्सर्जन मानक संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1983 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। यह सुनिश्चित करना कि वाहन उत्सर्जन मानकों को पूरा करता है, इसकी जिम्मेदारी वाहन के मालिक की है।

## उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक यूनिट

[हिन्दी]

8485. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत**
**श्री आर० एन० राकेश** } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक युनिट स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तथा महाराष्ट्र में धुलिया में इलेक्ट्रानिक

यूनिट की नई यूनिटें स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन)** : (क) भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी के सभी संगत क्षेत्रों में सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है। सम्बद्ध राज्य सरकार अथवा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (एस० ई० डी० सी०) जैसे अभिकरण राज्य में विशिष्ट स्वरूप की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुछ सुविधाएं तथा सम्वर्धनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग भी आवश्यक मार्ग-दर्शन तथा अनुमोदन/लाइसेंस आदि प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जनशक्ति विकास तथा शिक्षण गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण तथा मानकीकरण, इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए भी कुछ सहायता प्रदान करता है। ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना के मामले में भी लागू होंगी।

(ख) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तथा महाराष्ट्र में धुलिया नामक स्थानों पर नई इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां स्थापित करने के सम्बन्ध में इस समय इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### संस्कृत कालेजों को मान्यता

8 86. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत कालेजों को मान्यता बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय द्वारा कितने कालेजों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन राज्यों में संस्कृत कॉलेज खोले जायें, उन्हीं राज्यों के किसी अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें मान्यता दे दी जाए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न विश्वविद्यालयों से कालेजों का सम्बन्धन, उनके अधिनियमों/सांविधियों के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होता है। देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने संस्कृत कालेजों को सम्बद्धता प्रदान की है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 की धारा 15 (1) (ख) में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के मुख्य भवन से 15 मील के घेरे के भीतर संस्थाओं और कालेजों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में दाखिले करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वाराणसी

में स्थित चार कालेजों को अब तक विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में शामिल किया गया है। तथापि इनमें से कोई भी कालेज मात्र संस्कृत शिक्षा प्रदान नहीं करता है।

**वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मामलों का निपटान**

8487. **श्री काशीराम राणा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वन मंत्रियों के मई, 1989 में हुए सम्मेलन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के एक हैक्टेयर क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को प्राधिकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 31 मार्च, 1990 तक ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए और इनमें से कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन मामलों के निपटान में विलम्ब को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को अपने स्तर पर ऐसे मामलों का निपटान करने के लिए प्राधिकृत करने का है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) मई, 1989 में हुए राज्यों के वन मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि जिन मामलों में एक हेक्टेयर से कम वन भूमि को उपयोग में लाया जाना हो उनको मंजूरी देने के अधिकार अधिनियम के तहत मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को दे दिए जाएं। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और अधिनियम के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकार दे दिए गए हैं।

(ख) भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 31 मार्च, 1990 तक 25 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 21 मामले निपटा दिए गए हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी**

[अनुवाद]

8488. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय-विद्यालय-संगठन राष्ट्रीय अध्यापक प्रतिष्ठान में अंशदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उन अध्यापकों का ब्योरा क्या है जिन्हें/जिनके आश्रितों को पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे लाभ पहुंचा है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को जनता से चन्दा एकत्र करने के लिए राज्य के रूप में माना जाता है। वार्षिक संगृहीत चन्दों के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान को 25 हजार रु० वार्षिक चन्दे के रूप में अदा

किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान को कुल संचित चन्दों की 10% की भी अदायगी की गई। केन्द्रीय विद्यालय संगठन वर्ष 1988-89 के दौरान इस प्रतिष्ठान का सदस्य बना।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा शिक्षकों/उनके आश्रितों से 3 आवेदन पत्र विचारार्थ प्राप्त हुए थे। और इनमें से कोई भी वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। और इसलिए वर्ष 1988-89 के दौरान कोई राहत नहीं दी गई। तथापि 1989-90 के दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विधिवत गठित समिति द्वारा इन पर विचार किया जायेगा।

**वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिकारों का प्रत्यायोजन**

8489. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कुछ और अधिकार देने का है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित वन क्षेत्र से "बड़े/छोटे वृक्षों का वन" के रूप में दर्ज वृक्ष हीन राजस्व क्षेत्रों को निकालने की सिफारिश की है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं।

**अध्यापकों के रिक्त पद**

8490. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय विद्यालय द्वारा रिक्त पदों के लिए विज्ञापन के बारे में 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4863 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक सत्र, 1989-90 के लिए सामान्य तथा आरक्षित दोनों कोटों में सीधी भर्ती के लिए अध्यापकों की प्रत्येक श्रेणी में कितने रिक्त पद निर्धारित किये गये हैं;

(ख) अध्यापकों के उन पदों की संख्या का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1989-90 में भरा जाना था;

(ग) अध्यापकों की प्रत्येक श्रेणी में अब तक भरे गए रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अध्यापकों की प्रत्येक श्रेणी में चुने गए ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी नियुक्त किया जाना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) रिक्तियों से सम्बन्धित स्थिति नीचे प्रस्तुत की गयी है :—

| पद का वर्ग | 1988 के अनुमान के आधार पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | सामान्य | आरक्षित | कुल |
| पी० जी० टी० | 394 | 120 | 514 |
| टी० जी० टी० | 413 | 228 | 641 |
| पी० आर० टी० | 616 | 339 | 955 |
| एस० यू० पी० डब्ल्यू० शिक्षक | 89 | 50 | 139 |
| पुस्तकालयाध्यक्ष | 40 | 21 | 61 |
| संगीत शिक्षक | 35 | 19 | 54 |

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## छावनी निर्वाचन नियमों में संशोधन

8492. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता, श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छावनी निर्वाचन सम्बन्धी नियम, 1945 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत बनाए गए चुनाव आचार नियम, 1961 के अनुरूप संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है।

## महेन्द्रगिरी में "लिक्विड प्रोपलजन सेन्टर" में विस्तार सम्बन्धी गतिविधियां

8493. श्री एन० डेविस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में महेन्द्रगिरी स्थित "लिक्विड प्रोपलजन सेन्टर" का विस्तार करने सम्बन्धी किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी० के० मेनन) : (क) और (ख)** महेन्द्रगिरी स्थित द्रव नोदन जांच सुविधाएं (एल० पी० टी० एफ०) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का भाग हैं और फिलहाल ये इसरो/अन्तरिक्ष विभाग (डी० ओ० एस०) के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र (एल० पी० एस० सी०) से अन्तर्गत आती हैं। इस समय एल० पी० टी० एफ० में किया जा रहा कार्य, चालू परियोजनाओं/कार्यक्रमों की ओर निर्देशित है। विभाग की भावी योजनाओं में भू-स्थायी प्रमोचन क्षमता सहित प्रमोचक रोकेटों का विकास करना शामिल है। जिन साधनों से इन प्रमोचन क्षमताओं को प्राप्त किया जा सकता है, उसमें क्रायोजेनिक इंजिन और खण्ड का विकास करना एक साधन है। महेन्द्रगिरी में क्रायोजेनिक इंजिन और खण्ड की जांच के लिए आवश्यकतानुसार सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

### गंगा सफाई योजना में लोगों की भागीदारी

8494. **श्री चित्त बसु :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी द्वारा तैयार की गई "ए रिव्यू आफ दि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन दि गंगा एक्शन प्लान" शीर्षक से प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) जी, हां। यह रिपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी के एक अधिकारी द्वारा तैयार की गई थी।

(ख) सरकार, की गई विभिन्न सिफारिशों के आधार पर, जिनमें रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें भी शामिल हैं, गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। रिपोर्ट में अभिनिर्धारित स्वैच्छिक एजेंसियों से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पहले ही मंगाए जा चुके हैं।

### समेकित बाल विकास सेवा योजना के लिए धन का आबंटन

8495. **श्री विद्याधर गोखले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में समेकित बाल विकास सेवा योजना के लिए कितनी वित्तीय परिव्यय निर्धारित करने का विचार किया गया है; और

(ख) इस योजना के क्षेत्रों में यदि कोई सुधार अपेक्षित है, तो उसके बारे में क्या विचार किया गया है ?

**कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विकास में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) :** (क) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) योजना की समय-समय पर

समीक्षा की गई है और इन समीक्षाओं के आधार पर ही योजना को अधिक प्रभावी बनाए जाने के कदम उठाए जाते हैं। परन्तु, मौजूदा योजना में फिलहाल कोई फेर-बदल किए जाने का विचार नहीं है।

### छावनी बोर्डों के मतदाताओं को पहचान-पत्र

8496. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोगस मतदाताओं की स्थिति से बचने के लिए भारत में छावनी बोर्डों में मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना)** : (क) जी नहीं।

(ख) इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

### पंजाब के कालेजों के प्रधानाचार्यों से वेतनमानों में विसंगतियां

8497. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब गवर्नमेंट कालेज प्रिंसिपल एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह कालेज के प्रधानाचार्यों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को मार्गनिर्देश जारी करे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) केन्द्रीय सरकार को पंजाब राजकीय कालेज प्रिंसिपल संघ से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### आक्सीजन की मात्रा में कमी

8498. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ही समय पूर्व किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि वातावरणीय प्रदूषण के परिणामस्वरूप दिल्ली में वायु में आक्सीजन की मात्रा घट रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में वायु प्रदूषण के परिवेशी स्तर कुल मिलाकर निर्धारित मानकों के भीतर हैं। सल्फर डाइआक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइड बिल्कुल मानकों के भीतर हैं जबकि धूलकण उनसे अधिक हैं। इसका कारण प्राकृतिक धूल भरी स्थिति और ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन हैं। उद्योगों के उत्सर्जनों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं और यूनिटों से मानकों के अनुपालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अमल में लाने के निदेश दिए गए हैं। दोषी यूनिटों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। वाहनों के उत्सर्जनों के लिए मानक 1 मार्च, 1990 से लागू हो गए हैं। ताप विद्युत संयंत्रों ने पर्याप्त क्षमता वाले इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर स्थापित कर दिए हैं और वे उत्सर्जन मानकों को पूरा कर रहे हैं। बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र में दो यूनिटों में रिट्रोफिटिंग का काम चल रहा है।

## केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

8499. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या-क्या हैं,

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जायेंगे,

(ग) क्या सरकार उत्तर बिहार में, विशेष रूप से पश्चिम और पूर्व चम्पारन जिलों में महात्मा गांधी के नाम पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

(i) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

(ii) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

(iii) दिल्ली विश्वविद्यालय

(iv) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

(v) उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

(vi) हैदराबाद विश्वविद्यालय

(vii) विश्वभारती

(viii) पांडिचेरी विश्वविद्यालय

(ix) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

(x) जामिया मिलिया इस्लामिया

(ख) से (ङ) असम और नागालैंड में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधान लागू किया गया है आठवीं योजना के दौरान कोई अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कम्प्यूटर का विनिर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां

8500. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी कम्पनियां कम्प्यूटरों का निर्माण कर रही हैं,

(ख) क्या कर्नाटक राज्य में सरकारी क्षेत्र की कोई ऐसी कम्पनी स्थापित की गई है,

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान कर्नाटक तथा देश के अन्य भागों में स्थापित कम्प्यूटरों का निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्य निष्पादन का ब्योरा क्या है,

(घ) सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों ने सातवीं योजना में कम्प्यूटरों के निर्माण पर कितनी पूंजी लगाई है; और

(ङ) आठवीं योजना के दौरान कितनी पूंजी लगाने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री(प्रो० एम० जी०के० मेनन) : (क) केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित कम्पनियां देश में कम्प्यटरों तथा कम्प्यटर पर आधारित प्रणालियों का विनिर्माण कर रही हैं :—

1. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इन्डिया, हैदराबाद

2. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पंजाब लि०, मोहाली

3. केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम, त्रिवेन्द्रम

4. मेल्ट्रॉन इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, सिंधुदुर्ग

5. अप्ट्रॉन इण्डिया लि० (अंकीय प्रभाग), लखनऊ।

(ख) इस कर्नाटक राज्य में कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी कम्प्यूटरों का विनिर्माण नहीं कर रही है।

(ग) सातवीं योजना के दौरान देश में केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण से सम्बन्धित किए गए कार्य-निष्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखा दी जाएगी।

विवरण

देश में 1985-1989 के दौरान कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों के कुल उत्पादन में निम्नलिखित कम्पनियों के उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा

| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, हैदराबाद | 10.86 | 8.30 | 7.47 | 4.35 | 3.70 |
| 2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स पंजाब लि०, मोहाली | 2.90 | 5.10 | 4.20 | 10.27 | 9.50 |
| 3. केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, त्रिवेन्द्रम | 0.80 | 0.50 | 0.47 | 0.80 | 0.40 |
| 4. मेल्ट्रॉन इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, सिंधुदुर्ग | — | — | 0.36 | 0.22 | — |
| 5. अप्ट्रॉन इण्डिया लि० (अंकीय प्रणाली प्रभाग) लखनऊ | 3.10 | 2.80 | 0.66 | 1.55 | 1.90 |
| सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में कम्प्यूरों तथा कम्प्यूटरों पर आधारित प्रणालियों के कुल उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयों में) | 145 | 256 | 325 | 422 | 570 |

भद्रा नदी का जल प्रदूषित होना

8501. श्री बी० एम० मुट्टे गौड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना में निरंतर खनन कार्य से भद्रा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है,

(ख) क्या भद्रा नदी के किनारे बना भद्रा बांध गाद से भरता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना को दिए गए स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तों में यह कहा गया है कि खनन कार्य के बचे हुए अपशिष्टों को लाक्या बांध में अवरुद्ध कर दिया जाए। केवल स्वच्छ पानी को ही भद्रा नदी में छोड़ने की अनुमति दी जाए।

### रक्षा कार्मिकों के लिए दिल्ली छावनी क्षेत्र में खाली आवास

8502. **श्री सरजू प्रसाद सरोज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में रक्षा कार्मिकों के लिए निर्मित आवास खाली पड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने आवास खाली पड़े हैं; और

(ग) उन्हें आबंटित न करने के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

### समेकित बाल विकास सेवा योजना

8503. **डा० वेंकटेश काबड़े :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, देश की समूची अति-संवेदनशील जनसंख्या को समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में यह योजना लागू करने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समूचे देश में समेकित बाल विकास योजना लागू करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

**कल्याण मन्त्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) :** (क) जी, हां। समूचे देश में, चरणबद्ध तरीके से समेकित बाल विकास सेवा योजना चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस समय इसका ब्यौरा तैयार करना संभव नहीं है क्योंकि योजना का विस्तार संसाधनों की उपलब्धता और क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

(ग) आठवीं योजना के अन्त तक समूचे देश में समेकित बाल विकास सेवा योजना शुरू किए जाने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

### वृक्ष काटने के बदले में नए वृक्ष लगाना

8504. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जल-ग्रहण क्षेत्र प्रतिपादन और वृक्ष काटने के बदले में नए वृक्ष लगाने सहित सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाओं से

सम्बन्धित सभी पर्यावरणीय संरक्षण पहलुओं पर कार्य इसी मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुसार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं को 1987 में इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई थी कि इंजीनियरी कार्यों के साथ-साथ विस्तृत पर्यावणीय कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जाएगीं। ये योजनाएं नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण और उसके दो उप दलों अर्थात् पर्यावरणीय कार्य योजनायों के काम को देखने लिए पर्यावरण उप दल तथा विस्थापितों के संतोषजनक पुनर्वास के काम को देखने वाले पुनर्वास उप दल के संपूर्ण मार्ग-दर्शन के अन्तर्गत परियोजना प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही हैं।

### महिला समानता परियोजना

8505. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन जिलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित महिला समानता शिक्षा परियोजना तथा इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है,

(ख) क्या इस परियोजना को कुछ और अधिक जिलों में पहुंचाने/कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में इसके अन्तर्गत कितने तथा किन-किन जिलों को शामिल किया जाएगा ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा परियोजना (महिला सामख्या) गुजरात राज्य में बड़ौदा, राजकोट और साबरकंठा जिलों में, कर्नाटक राज्य के बीदर, बीजापुर, मैसूर जिलों और उत्तर प्रदेश के बान्दा, टिहरी गढ़वाल, सहारनपुर तथा वाराणसी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 में गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में कोई भी अतिरिक्त जिला नहीं लिया गया। अनुवर्ती वर्षों में सम्बन्धित राज्यों में महिला सामख्या सोसाइटी उनके पूर्ववर्ती वर्षों में अनुभव के आधार पर और अधिक विस्तार की सिफारिश करेगी। बिहार में शैक्षणिक शुरूआत करने के लिए एक प्रस्ताव बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। महिला सामख्या प्रस्ताव को वर्ष 1990-91 में चुने जाने वाले तीन जिलों के लिए बिहार शिक्षा परियोजना में इस प्रयास के एक अनिवार्य भाग के रूप में परिकल्पित किया गया है।

### दिल्ली छावनी बोर्ड में खराब पड़ी आयातित धूमक मशीन

8506. **श्री तरंग साय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड ने लगभग दो वर्ष पहले मच्छरों आदि को मारने के लिए एक आयातित धुआं छोड़ने वाली मशीन खरीदी थी,

(ख) क्या यह मशीन तभी से ही सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में कौन से उपयुक्त कदम उठाए गए हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री** (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मशीन बार-बार खराब हो रही है। मशीन के असली हिस्से-पुर्जे तत्काल उपलब्ध न होने के कारण संतोषजनक रूप से मरम्मत करने में कठिनाइयां आ रही हैं।

**दिल्ली में बिना भवन वाले विद्यालय**

8507. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार टैन्टों में चलाए जा रहे राजकीय माध्यमिक और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है,

(ख) टैन्टों में चलाए जा रहे उन विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार निर्मित किए गए भवनों में पहुंचाया गया,

(ग) उन विद्यालयों का ब्यौरा क्या है जो अभी टैन्टों में चलाए जा रहे हैं और उन्हें टैन्टों में कब से चलाया जा रहा है; और

(घ) टैन्टों में चलाए जा रहे इन विद्यालयों के लिए कब तक भवनों निर्माण किया जाएगा ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ शासित प्रदेश दिल्ली में तम्बूओं में चल रहे राजकीय माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए निर्धारित वर्षवार आवंटित राशि निम्नलिखित हैं :—

| वर्ष | राशि लाख रुपयों में |
|---|---|
| 1987-88 | 800 रुपए |
| 1988-89 | 400 रुपए |
| 1989-90 | 425 रुपए |

तम्बूओं में चलने वाले स्कूलों की संख्या जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित भवनों में स्थानान्तरित किया गया उनकी संख्या निम्नलिखित हैं :—

| वर्ष | |
|---|---|
| 1987-88 | 24 स्कूल |
| 1988-89 | 26 स्कूल |
| 1989-90 | 22 स्कूल |

दिल्ली प्रशासन के अनुसार, पिछले लगभग 1-3 वर्षों के दौरान तम्बूओं में अभी तक चलने वाले स्कूलों की संख्या 6! है।

दिल्ली प्रशासन समय-समय पर नए स्थानों पर नए स्कूल खोलता रहता है। भवन निर्माण तक समय खपाने वाली प्रक्रिया है और स्कूलों को पक्के भवन मुहैया कराने में समय लगता है। स्कूलों को यथा संभव शीघ्र पक्के भवन उपलब्ध कराने के हमेशा सतत प्रयास किए जाते हैं।

**केरल में नवोदय विद्यालयों के लिए भवन**

8508. **श्री टी० बशीर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सभी नवोदय विद्यालयों के पास अपेक्षित भवन हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त भवनों की कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्यालयों के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) जी, नहीं।। तथापि, सभी विद्यालय उन भवनों में चल रहे हैं जो या तो राज्य सरकार द्वारा अस्थाई आधार पर दिए गए हैं अथवा नवोदय विद्यालय द्वारा बनाए गए/प्राप्त किए गए भवनों पर चल रहे हैं।

(ख) और (ग) मुख्य रूप से कमी कक्षाओं, हालों और स्टाफ क्वार्टरों की है। 7 विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और तीन विद्यालयों का निर्माण कार्य भूमि की समस्या की वजह से शुरू नहीं किया जा सका। विद्यालयों तथा संस्वीकृत कार्य के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

| क्र०सं० | जिला | विद्यालय का स्थान | प्रारम्भ करने का वर्ष | निर्माण करने वाली संस्था का नाम | आवंटित की गई अनुमानित लागत (लाख रु० में) | कार्य का चरण | 31.3.90 तक खर्च की गयी धनराशि | कार्य के पूरा होने की सम्भावित तिथि | आवास की कमी के ब्यौरे | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | इडुक्की | पैनाडू | 1986-87 | के०एस०सी०सी० | — | शून्य चरण | — | शुरू नहीं किया गया | हाल कक्षा और स्टाफ क्वार्टर | भूमि की समस्या की वजह से कार्य संस्वीकृत नहीं किया गया। |
| 2. | पंथाम्पिट्टा | वेचूचिरा | —वही— | —वही— | 162.80 | प्रथम चरण | 62.74 | 12/90 | —वही— | |
| 3. | कसारगोद | पेरिया | —वही— | सी०पी०डब्ल्यू०डी० | 157.35 | —वही— | 50.22 | 12/90 | —वही— | |
| 4. | अर्नाकुलम | नेरियामेंगलम | —वही— | —वही— | 162.48 | —वही— | 35.17 | 12/90 | —वही— | |
| 5. | कन्नागेरा | भागवद पादपुरी पालयाद | 1987-88 | —वही— | 34.78 | शून्य चरण | 21.00 | 8/90 | —वही— | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | कोट्टायम | पूवनयक्क | —वही— | के०एस०सी०सी० | — | —वही— | — | शुरू नहीं किया गया | —वही— | —वही— |
| 7. | कालीकट | पालायाव भावगारा | —वही— | के०पी०डब्ल्यू०डी० | 34.42 | —वही— | 10.00 | 9/90 | —वही— | |
| 8. | त्रिचूर | मायापूर | 1988-89 | एन०आई०डी०सी० | 34.09 | —वही— | 10.00 | 8/90 | —वही— | |
| 9. | पालघाट | ममलपूझा | 1988-89 | के०एस०सी०सी० | — | —वही— | — | शुरू नहीं किया गया | —वही— | —वही— |
| 10. | मालपुरम | ओराकम | —वही— | —वही— | 162.48 | प्रथम चरण | 56.13 | 3/91 | —वही— | |

* शून्य चरण : विद्यालय के कक्षा VI से IX तक की जरूरतों को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए प्रति विद्यालय 35 लाख रु० की लागत के लिए गए कार्य।

प्रथम चरण : विद्यालय के कक्षा VI से IX तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति विद्यालय लगभग 160 लाख रु० की लागत के लिए गए कार्य।

** के० एस० सी० सी० — केरल राज्य निर्माण निगम लिमिटेड

सी० पी० डब्ल्यू० डी० — केन्द्रीय जन कार्य विभाग

एन० आई० डी० सी० — राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

के० पी० डब्ल्यू० डी० — केरल जन कार्य विभाग

## मन्त्रालयों/विभागों में लोक शिकायत कक्ष

8509. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग में लोक शिकायत कक्ष खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कक्षों की आवधिक समीक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इससे क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का इन कक्षों के कार्यकरण में कुछ सुधार करने का विचार है ताकि इनके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधानमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जबकि इन कक्षों से सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा विभाग, जैसा भी मामला हो, के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, फिर भी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सम्बन्धी अधिकारियों के परामर्श से उनकी सामान्य कार्य-प्रणाली की आवधिक समीक्षा करता है।

(घ) और (ङ) इन कक्षों के कार्यकरण की कार्यकुशलता में सुधार लाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, मन्त्रालयों और विभागों को समय-समय पर इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता है और परामर्श भी देता है।

## क्षेत्रीय भाषाओं के विकास हेतु धनराशि का आवंटन

8510. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के विकास हेतु भाषा-वार आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उड़िया भाषा के विकास के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता)** (क) और (ख) भाषा विकास कार्यक्रमों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 21.23 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। भाषावार आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार और प्रसार करना मोटे तौर पर राज्य सरकार का सम्बन्ध है। तथापि, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा गठित संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उड़िया सहित क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार और प्रसार के विभिन्न कार्यक्रमों को निष्पादित किया जाता रहा है। इनमें अन्यों के साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(i) भारतीय भाषाओं में प्रकाशन निकालने वाले स्वैच्छिक संगठनों और वैयक्तिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रोत्साहनवर्धक क्रियाकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

(iii) पुस्तकालयों और शैक्षिक संस्थाओं को भारतीय भाषाओं में (निशुल्क) पुस्तकों का संवितरण।

(iv) भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन और तैयार करने के लिए राज्य तथा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता।

(v) भुवनेश्वर स्थित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान में उड़िया भाषा के अध्यापकों का प्रशिक्षण।

(vi) शिक्षा विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय निदेशालय द्वारा हिन्दी उड़िया और उड़िया हिन्दी में शब्दकोष का प्रकाशन।

(vii) साहित्य अकादमी द्वारा उड़िया सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचनात्मक लेखकों को पुरस्कार।

**महाराष्ट्र स्थित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान**

8511. **श्री एस० बी० थोरट**
**श्री ए० आर० अन्तुले** } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के किन-किन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि प्राप्त होती है और यह कितनी है;

(ख) विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों को कितनी अनुदान राशि रिलीज की जाएगी;

(ग) महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों के किन-किन कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है अथवा दिया जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) और (ख) आठवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवंटित और जारी किए गए अनुदान के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

| | | रुपये लाखों में | |
|---|---|---|---|
| क्रमांक संख्या | विश्वविद्यालय | सातवीं योजना के लिए कुल आवंटन | जारी किये गये अनुदान (28.2.90 तक) |
| 1. | एस० एन० डी० टी० महिला बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई | 107.19 | 86.04 |
| 2. | शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर | 176.81 | 110.82 |
| 3. | पूना विश्वविद्यालय, पुणे | 204.75 | 112.32 |
| 4. | नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर | 190.95 | 128.76 |
| 5. | मराठवाड़ा विश्वविद्यालय; औरंगाबाद | 125.00 | 80.87 |
| 6. | बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई | 251.97 | 152.03 |

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, महाराष्ट्र में 8 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार इन जिलों के 48 कॉलेजों को सातवीं योजना अवधि के दौरान आयोग द्वारा सहायता प्रदान की गई है, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के कालेजों को दी गयी विकास अनुदान राशि**

| जिला | जारी की गयी अनुदान की राशि |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **जिला बीड** | |
| 1. कला एवं वाणिज्य कॉलेज किल्ले, धारुर जिला—बीड | रु० 4,03,470/- |
| 2. बाल भीम कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज बीड | रु० 12,62,000/- |
| 3. योगेश्वर महाविद्यालय, अम्बजोगाय, जिला० बीड | रु० 3,05,400/- |
| 4. श्रीमती के० एस० के० कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज, बीड | रु० 6,65,962/- |
| 5. एम० एस० पी० मण्डल आर० बी० अट्टल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज जिला, बीड | रु० 4,74,760/- |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 6. एम० एस० पी० मण्डल मनीले गांव कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज, जिला बीड | रु० 2,74,100/- |
| 7. एस० बी० महाविद्यालय, जिला बीड | रु० 3,09,550/- |
| 8. एस० आर० टी० महाविद्यालय, अम्बजोगाय जिला बीड | रु० 4,53,154/- |
| 9. वैद्यनाथ कॉलेज जिला बीड | रु० 5,22,500/- |
| 10. योगेश्वरी महाविद्यालय, जिला बीड | रु० 4,43,270/- |
| जिला भाण्डरा | |
| 11. भवभूति महाविद्यालय, जिला भाण्डरा | रु० 2,80,150/- |
| 12. पंजाभाई पटेल शिक्षा कालेज, गोण्डिया, जिला भाण्डरा | रु० 1,20,000/- |
| 13. नटवर लाल मानिकलाल दलाल कला और वाणिज्य कालेज, गोन्डिया जिला भाण्डरा | रु० 5,47,150/- |
| 14. सेठ नरसिंह दास मोर कला एवं वाणिज्य कालेज, तुमसेर, जिला भण्डारा | रु० 4,80,000/- |
| 15. मनोहर भाई पटेल कला एवं विज्ञान कालेज, जिला भाण्डरा | रु० 3,80,000/- |
| 16. सी० जे० अटल कला एवं वाणिज्य कालेज, तिरोरा | रु० 3,71,750/- |
| 17. धोते बन्धु विज्ञान कालेज, जिला भाण्डरा | रु० 4,45,300/- |
| 18. सोमनाथ महाविद्यालय, जिला भाण्डरा | रु० 2,94,700/- |
| जिला बुल्दाना | |
| 19. जी० एम० बी० कला एवं वाणिज्य कालेज, जिला बुल्दाना | रु० 3,92,400/- |
| 20. एम० ई० एस० कला एवं वाणिज्य कालेज, जिला बुल्दाना | रु० 5,03,360/- |
| 21. श्री शिवाजी कला एवं विज्ञान कालेज, जिला बुल्दाना | रु० 3,86,960/- |
| 22. श्रीपद कृष्णा कोल्हटकर महाविद्यालय, जिला बुल्दाना | रु० 4,43,700/- |
| 23. एस० पी० एम० कला एवं वाणिज्य कालेज, जिला बुल्दाना | रु० 6,24,200/- |

| 1 | 2 |
|---|---|
| **जिला चन्द्रपुर** | |
| 24. आनन्द निकेतन कला विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज, आनन्दवन, जिला चन्द्रपुर | रु० 2,77,500/- |
| 25. राष्ट्रसन्त तुल्दोजी कालेज, जिला चन्द्रपुर | रु० 1,60,000/- |
| 26. श्री दयानेश महाविद्यालय, जिला चन्द्रपुरा | रु० 1,60,000/- |
| 27. डा० अम्बेडकर कला एवं वाणिज्य कालेज, चन्द्रपुर | रु० 3,75,000/- |
| 28. गुरु नानक विज्ञान कालेज, बल्लापुरा जिला चन्द्रपुर | रु० 4,40,320/- |
| 29. कर्मश्री महाविद्यालय, जिला चन्द्रपुर | रु० 6,77,800/- |
| 30. सरदार पटेल महाविद्यालय, जिला चन्द्रपुर | रु० 7,30,000/- |
| **जिला परबनी** | |
| 31. कला एवं वाणिज्य कालेज गंगखाद जिला परबनी | रु० 4,22,570/- |
| 32. के० कला, आर० के० विज्ञान एवं बी० आर० एम० वाणिज्य कालेज, मन्वथ | रु० 4,23,806/- |
| 33. कला एवं वाणिज्य कालेज, हिंगोली, जिला परबनी | रु० 6,69,440/- |
| 34. नूतन महाविद्यालय, सैलू, जिला परबनी | रु० 4,30,480/- |
| **जिला रत्नागिरी** | |
| 35. डा० बाबा साहब अम्बेडकर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज, जिला रत्नागिरी | रु० 1,33,350/- |
| 36. आर० पी० गोगटें कला एवं विज्ञान कालेज, जिला रत्नागिरी | रु० 78,000/- |
| 37. नया तात्यासाहब अलहाल्य कला कालेज, जिला रत्नागिरी | रु० 69,750/- |
| 38. शिक्षा राजकीय कालेज, जिला रत्नागिरी | रु० 75,000/- |
| 39. डा० वतार विज्ञान, डा० बेहेरा कला एवं श्री पीलूकाका जोशी वाणिज्य कालेज, चिपलू, जिला रत्नागिरी | रु० 40,250/- |
| **जिला यवतमाल** | |
| 40. कला एवं वाणिज्य कालेज, उमरखेड, जिला यवतमाल | रु०, 4,29,600/- |
| 41. बी० डी० पी० महाविद्यालय, पंधारकावाडा जिला यवतमाल | रु० 3,96,560/- |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 42. बी० बी० कला एवं एन० बी० वाणिज्य कालेज, जिला यवतमाल | रु०, 5,82,040/- |
| 43. लोकमान्य तिलक महाविद्यालय, वाणी, जिला यवतमाल | रु० 7,23,900/- |
| 44. एम० एम० महाविद्यालय, जिला यवतमाल | रु० 5,10,560/- |
| 45. नेहरू कला एवं वाणिज्य कालेज, जिला यवतमाल | रु० 63,500/- |
| 46. फूलसिंह नायक महाविद्यालय, यवतमाल | रु० 8,90,000/- |
| 47. एस० पी० एम० कला एवं गिलानी वाणिज्य कालेज, जिला यवतमाल | रु० 3,80,000/- |
| 48. वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाल | रु० 64,300/- |

**कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को पहुंचाई गई क्षति**

8512. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर हाल ही में नक्सलियों ने कब्जा कर लिया था और आग लगाकर इसे क्षति पहुंचाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस उद्यान को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नक्सलवादियों के कब्जे में नहीं है परन्तु कुछ नक्सलवादियों के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में घुस आने की सूचना है। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को डराने-धमकाने के अलावा एक वनपाल और एक वनरक्षक की पिटाई भी की है। राज्य सरकार के अनुसार वन क्षेत्र के लगभग 45 प्रतिशत भाग पर आग का असर पड़ा है जिससे घास, छोटे पौधे और नीचे गिरी हुई सूखी वस्तुएं जल गई। आग से बड़े स्तनपाइयों के मरने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, पोटासियम साइनाइड विष दिये जाने के कारण एक गौर मारा गया है। आग से छोटे स्तनपाइयों, सरीसृपों, भूमि पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों और रीढ़दार प्राणियों को क्षति पहुंची है जिससे जैव-विविधता और पारि-प्रणाली संरक्षण को अस्थाई बाधा पहुंची है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित किए गए हैं :—

(1) वन कर्मचारियों और सशस्त्र पुलिस के कुछ गश्ती दल उद्यान की व्यापक रूप में गश्त लगायेंगे।

(2) पुलिस अधिकारियों को सभी नक्सलवादियों को बाहर खदेड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

(3) उच्च अधिकारियों की एक समिति ग्रामीणों और वन अधिकारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सीमावर्ती गांवों का दौरा करेगी।

**दो सीटों वाले पराध्वनिकीय सेना प्रशिक्षण विमान के निर्माण हेतु अमरीकी सहायता**

8513. **श्री कमल नाथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को दो सीटों वाले पराध्वनिकीय सेना प्रशिक्षण विमान, टी० एफ०-5 के निर्माण हेतु सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) अमरीका के वाणिज्य विभाग के उप-सहायक सेक्रेटरी की हाल ही में देखभाल के दौरान उनके साथ अन्तरिक्ष विषय पर हुई वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान अमरीका की अन्तरिक्ष फर्म का भारत को कुल निर्यात का मूल्य क्या था ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना)** : (क) जी, हां।

(ख) और अधिक ब्यौरे बताना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

(ग) यह वार्ता मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बीच विशेषकर वैमानिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर केन्द्रित थी।

(घ) जहां तक भारतीय वायु सेना का सम्बन्ध है, पिछले दो वर्षों के दौरान अमेरीकी वैमानिकी फर्मों के साथ लगभग 75.0 लाख अमेरिकी डालर की संविदाएं हुई हैं।

**पंजाब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**

8514. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी कार्मिकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पंजाब में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को छोड़कर, जो "असम समझौते" के

अनुसार स्थापित किया जा रहा है, देश में कहीं भी कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## भारत की प्राचीन कलाकृतियों का निर्यात

8516. **श्रीमती सुखवंश कौर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धरोहर प्राचीन कलाकृतियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस-किस श्रेणी की प्राचीन कलाकृतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुरावस्तुओं और बहुमूल्य कलाकृतियों का निर्यात पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होता है।

## सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में पशुओं की चरबी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

8517. **श्री बाल गोपाल मिश्र** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में पशुओं की चरबी का प्रयोग करने वाली कितनी सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण कम्पनियां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण उचित ठहराने के लिए पूरे देश में सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में पशुओं की चरबी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) "पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण" बैनर के अन्तर्गत देश में कितनी एसोसिएशन/सोसाइटीज काम कर रही हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची से पता चलता है कि कोई भी इकाई सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण में पशुओं की चर्बी का प्रयोग नहीं कर रही है।

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए कार्य कर रहे संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने से सम्बन्धित संगठनों की सूची

| क्र० सं० | संगठन का नाम | पंजीकृत पता |
|---|---|---|
| 1. | श्री जीवारक्षा ज्ञान प्रचार मंडली | अवैतनिक सचिव, 5-4-383, मुकर्रम जाही रोड, हैदराबाद-500001 |
| 2. | एस०पी०सी०ए०हैदराबाद | अवैतनिक सचिव, किमटी हाउस, हसमतगंज सुलतान बाजार, हैदराबाद-500001 |
| 3. | आंध्र प्रदेश जीवारक्षा संगम | अवैतिक सचिव गुन्टूर-522003 |
| 4. | पशु कल्याण सोसायटी | अवैतनिक सचिव 27-4-37, मैन रोड, विशाखापत्तनम-530002 |
| 5. | एस०पी०सी०ए० काकीनाड़ा | अवैतनिक सचिव 34-एस०-26, राजाई स्ट्रीट काकीनाड़ा-533001 |
| 6. | श्री विसबाप्रेमा समाजाम | अवैतनिक सचिव टेपस्वरम पो०-(पश्चिमी गोदावरी) जिला-533304 (आ०प्र०) |
| 7. | जिला पशु कल्याण समिति, नैल्लोर | उपसचिव और सचिव (पशुपालन) रंगानाया कुलापेटा, नैल्लोर-524001 (आ०प्र०) |
| 8. | गुन्टूर एस०पी०सी०ए० | उप निदेशक (पशुपालन) गुन्टूर-522001 |
| 9. | असम राज्य एस०पी०सी०ए० | अवैतनिक सचिव, छावड़ा भवन, एम०एस० रोड, गुवाहाटी-781001 |
| 10. | राज्य एस०पी०सी०ए०, बिहार | अध्यक्ष अनुग्रह भवन पो०-सदाकत आश्रम, पटना-80010 |
| 11. | एस०पी०सी०ए० अहमदाबाद | अवैतनिक सचिव गैरेट वैटेरीनरी हास्पीटल मादलपुर, एलिसब्रिज; अहमदाबाद-380006 |

| क्रम सं० | संगठन का नाम | पंजीकृत पता |
|---|---|---|
| 12. | मेहसाना जिला पशु कल्याण सोसायटी | अवैतनिक सचिव कापड बाजार, वदनागर-384355 उत्तरी गुजरात |
| 13. | सौराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडल | अवैतनिक सचिव राष्ट्रीय शाला, राजकोट-360002 गुजरात |
| 14. | बड़ोदरा पशु कल्याण केन्द्र | अवैतनिक सचिव 27, समपथ राव कालोनी आरसीदत्ता रोड, बड़ौदा 390005 |
| 15. | श्री पशु पक्षी प्राणी कल्याण मंडल | अवैतनिक सचिव पो०-पाटापुर : 362015 जूनागढ़ (गुजरात) |
| 16. | श्री गोकुल गौसदन | अवैतनिक सचिव एम०-51, हाउसिंग बिल्डिंग कालोनी, कालाबड़ामौन रोड, राजकोट-360001 |
| 17. | श्रीमती शेनी मेमोरियल चौरीटेबल ट्रस्ट | अवैतनिक सचिव किल्लोल, 1/10, श्रमजीवी सोसायटी बिल्डिंग गुरुकुलराजकोट 360002 |
| 18. | पशु कल्याण ब्ल्यू क्रास सोसायटी | महासचिव वैटेरीनरी कालिज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार-125004 (हरियाणा) |
| 19. | एम०पी०सी०ए० शिमला | अवैतनिक सचिव और मुख्य पशु-चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अस्पताल, शिमला-171001 (हि०प्र०) |
| 20. | मैसूर एस०पी०सी०ए० | अवैतनिक सचिव वाणी विलास रोड, मैसूर-570004 |
| 21. | बंगलौर एस०पी०सी०ए० | अवैतनिक सचिव कस्तूरबा रोड, नीयर क्वीनस्टेट्स बंगलौर-560001 |
| 22. | श्री राहवेन्द्र गोआश्रम ट्रस्ट (रजि०) | मैनेजिंग ट्रस्टी स०-3, 3 क्रास, नेहरूनगर, बंगलौर-560020 |
| 23. | एस०पी०सी०ए० तुमकुर | अवैतनिक सचिव रेडक्रास सोसायटी बिल्डिंग, तुमकुर-572101 (कर्नाटक) |

| क्रम सं० | संगठन का नाम और पता | क्रम सं० | संगठन का नाम और पता |
|---|---|---|---|
| 24. | अवैतनिक सचिव<br>एमिनल रेस्क्यू और रिहेबीलि-<br>टेशन ट्रस्ट, 588, 23 क्रास रोड,<br>बनाशंकरी-2 स्टेज,<br>बंगलौर-560070 | 25. | अवैतनिक सचिव<br>हुबली पिंजरापोल, संस्था करबर रोड<br>हुबली-580024 (कर्नाटक) |
| 26. | अवैतनिक सचिव<br>कन्नानोर, एस०पी०सी०ए०<br>कन्नौर-670002 | 27. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० पालघाट, किनासेरी (पो०आ०)<br>पालघाट (केरल) |
| 28. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, त्रिवेन्द्रम<br>केरल ट्रैवल्स बिल्डिंग<br>एस०सी० रोड,<br>त्रिवेन्द्रम-695001 | 29. | अवैतनिक सचिव,<br>एस०पी०सी०ए०-तोल्लिचेरी, तोल्लिचेरी<br>670101 |
| 30. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, एर्नाकुलम<br>चित्तरवटी, 244-ए, 36<br>चित्तररोड, एर्नाकुलम<br>कोचीन-18 (केरल) | 31. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० कोझीकाड<br>के०टी०सी० बिल्डिंग<br>वाई०एम०सी०ए०, रोड, कालीकट-673001 |
| 32. | अध्यक्ष<br>मध्यप्रदेश प्राणी दया मंडल<br>93/72, तुलसीनगर,<br>भोपाल-463005 | 33. | अवैतनिक सचिव<br>देवलाली एस०पी०सी०ए०<br>केन्टोमेन्ट बोर्ड आफिस,<br>देव लाली (महाराष्ट्र) |
| 34. | अवैतनिक सचिव<br>एस ०पी०सी०ए०, बम्बई<br>डा० एस०एस० राव रोड, पारेल<br>बम्बई-400012 | 35. | संयुक्त अवैतनिक सचिव<br>अखिल भारतीय पशु कल्याण एसोसिएशन द्वारा<br>बोम्बे ह्युमेनीटेरियन लीग, 125-127,<br>मुम्बादेवी रोड बम्बई-400003 |
| 36. | अवैतनिक सचिव<br>बम्बई ह्युमेनीटेरियन लीग<br>"दया मंदिर"<br>125-127, मुम्बादेवी रोड<br>बम्बई-400003 (महाराष्ट्र) | 37. | अवैतनिक सचिव<br>श्री पातन पंजरपोल<br>16, प्रिन्सेज स्ट्रीट<br>बम्बई-400002 (महाराष्ट्र) |

| क्रम सं० | संगठन का नाम | क्रम सं० | संगठन का नाम |
|---|---|---|---|
| 38. | प्रबन्ध<br>पूना पंजरपोल ट्रस्ट<br>461/3, सदाशिव पेठ<br>पंत गोट, तिलक रोड, अल्का<br>टाकिज के नजदीक,<br>पूना-411030 | 39. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, पूना<br>सर एम०एन० मेहता वेटरनिटी अस्पताल<br>2390, न्यू ट्रांसपोर्ट लाइन्स<br>भवानीपेठ, पूना-411002 |
| 40. | अध्यक्ष<br>ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी<br>4, प्रिन्स आफ वेल्स ड्राइव<br>बनोवरी, पूना-411040 | 41. | अवैतनिक सचिव<br>नागपुर एस०पी०सी०ए०<br>आर्यसमाज हंसापुरी<br>डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, सेंट्रल एवेन्यू नागपुर |
| 42. | अवैतनिक सचिव<br>कृषि गोसेवा संघ, 99,<br>तिलक रोड, मालेगांव-423203<br>(जिला-नासिक) | 43. | अवैतनिक सचिव<br>उड़ीसा प्रोविनिसयल एस०पी०सी०ए०<br>डायरेक्टोरिट आफ एनिमल हजबेन्ड्री एण्ड<br>वेटरनिटी सर्विसेज<br>उड़ीसा-मंगलाबाग, कटक-753001 (उड़ीसा) |
| 44. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, पांडिचेरी<br>डायरेक्टोरेट आफ एनिमल<br>हजबैन्ड्री पांडिचेरी-605001 | 45. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, जालंधर<br>उपायुक्त कार्यालय, जालंधर-144001 (पंजाब) |
| 46. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० अमृतसर,<br>धावबस्ती राम<br>अमृतसर-142001 (पंजाब) | 47. | महासचिव<br>राष्ट्रीय अहिंसा प्रतिष्ठान<br>446, महावीर स्ट्रीट, सरदार पटेल मार्ग<br>सरदारपुर, जोधपुर-342003 (राजस्थान) |
| 48. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, जयपुर<br>सं० : 2, बे०-ए०-10,<br>जवाहर नगर, जयपुर | 49. | अवैतनिक सचिव,<br>एस०पी०सी०ए० मइलादुपुरी, 26 विगकन्नाड़ा<br>स्ट्रीट, मइलादुपुरी-609001 |
| 50. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, कुड्डालोर<br>प्लाट नं० : 16, वरियारंगम,<br>पिल्लई नगर (स्टेट बैंक कम्पनी<br>के निकट) सीमाडेलम<br>कुड्डालोर-607001 | 51. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, तिरूची<br>स्टानली बिल्डिंग्स, पुवर<br>तिरूचिरापल्ली-620017 |

| क्रम सं० | संगठन का नाम | क्रम सं० | संगठन का नाम |
|---|---|---|---|
| 52. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० नार्थ आरकोट<br>ब्रांच सी० डोराईस्वामी बिल्डिंग<br>टाउन हाल रोड,<br>वैल्लोर-632001<br>(नार्थ आरकोट जिला) | 53. | अवैतनिक सचिव<br>कोयमबटूर जिला एस०पी०सी०ए०<br>कोयम्बटूर-641018<br>(तालुक कार्यालय अहाता) |
| 54. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० तंजावुर<br>बिग टेम्पल रोड,<br>तंजावुर-613001 | 55. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० पदमाबाया निलायम<br>कन्नन कुरीची रोड<br>हस्थमपट्टी, सलेम-636001 |
| 56. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० पाट्टुकोट्टाई<br>चिप्पियन स्ट्रीट, पाट्टुकोट्टाई<br>614601 | 57. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० मदुराई<br>105, नार्थ अवानी मूलास्ट्रीट<br>मदुराई-625001 |
| 58. | अवैतनिक सचिव<br>नीलगिरी पशु कल्याण<br>सोसायटी, मावननल्ला<br>मसीनीगुड़ी, पो०-नीलगिरी | 59. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० कुट्टालम<br>24, नार्थ कार स्ट्रीट<br>कुटटालम-609801<br>(तंजावुर जिला) |
| 60. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० कोडाइकनाल<br>कोडाईकनाल क्लब<br>कोडाईकनाल जी०पी०ओ०<br>तमिलनाडु-62[illegible]101 | 61. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, सिरकली<br>सेंथानगुदी. सिरकली-609111<br>तंजावुर |
| 62. | अध्यक्ष<br>पशु सुरक्षा सोसायटी और<br>पशु चिकित्सा क्लिनिक,<br>33, एन०जी०ओ० कालोनी<br>अदामबाकाम, मद्रास-600088 | 63. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, तिरुथुराईपूण्डी<br>सेमियाप्पानगर, तिरुथराईपूण्डी-614713<br>तंजावुर जिला |
| 64. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० नागापट्टिनम<br>1915, बाजार स्टीट<br>नागापट्टिनम-611001 | 65. | अवैतनिक सचिव<br>भगवान महावीर अहिंसा प्रचार संघ<br>21, पेरियानियाकरण स्ट्रीट<br>मद्रास-600079 |

| क्रम सं० | संगठन का नाम | क्रम सं० | संगठन का नाम |
|---|---|---|---|
| 66. | अवैतनिक सचिव<br>परियार जिला एम०पी०सी०ए०<br>तालुक कार्यालय कंपाउन्ड<br>इरोड | 67. | अवैतनिक सचिव<br>जीव करुणा सेवा आश्रम<br>22, अलगोशन नगर प्यूडयूरी<br>चेंगलपट्ट-2 |
| 68. | महासचिव<br>जू आउटरीच आरगेनाइजेशन<br>पाइनियर हाउस<br>पीलामेडू, कोयम्बटूर-641004 | 69. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए०, मद्रास<br>34, बीपेरी हाई रोड<br>बीपेरी, मद्रास-600007 |
| 70. | अवैतनिक सचिव<br>ब्ल्यू क्रास आफ इंडिया<br>नं०-1-ए०, एल्डामस रोड<br>मद्रास-600018 | 71. | कलैक्टर और अध्यक्ष<br>नीलगिरी एस०पी०सी०ए०<br>ओटाकामुन्डी |
| 72. | महासचिव<br>पेटस वेल्फेयर क्लब आफ<br>इंडिया 5/39, ओल्ड<br>राजिन्दर नगर<br>नई दिल्ली-110060 | 73. | अवैतनिक सचिव<br>दिल्ली एस०पी०सी०ए०<br>कुदसिया रोड<br>दिल्ली-110054 |
| 74. | सचिव<br>दि एनीमल्स फंड,<br>भामा शाह रोड पो०-अजूडिया<br>मिल्स, दिल्ली-110009 | 75. | अवैतनिक सचिव<br>दि फ्रेंडिकोप एस०ई०सी०ए०<br>(पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए<br>सोसायटी) 271 व 272, डिफेंस कालोनी<br>फ्लाई ओवर के नीचे (जंगपुरा साइड)<br>नई दिल्ली-110024 |
| 76. | अवैतनिक सचिव<br>मसूरी एस०पी०सी०ए०<br>मसूरी "दि ग्लेन" कुलरी<br>मसूरी-248179 | 77. | अवैतनिक सचिव<br>कानपुर एस०पी०सी०ए०<br>मार्फत इन्द्रा मोटर कारपोरेशन प्रा०लि०<br>128, दि मेल, कानपुर-(उ०प्र०)। |
| 78. | अवैतनिक सचिव<br>श्री दिगम्बर जैन बालाबोधिनी<br>सभा सहारनपुर-247001,<br>उ०प्र०। | 79. | सचिव,<br>एस०पी०सी०ए०, आगरा, 4/6, करीम बाज<br>वर्मा नर्सिंग होम, सिविल लाइन्स,<br>आगरा-282002 (उ०प्र०) |
| 80. | अवैतनिक सचिव<br>मथुरा एस०पी०सी०ए०<br>डैम्पियर नगर,<br>मथुरा-281001 (उ०प्र०) | 81. | अवैतनिक सचिव<br>एस०पी०सी०ए० मन्नारगुडी<br>मन्नारगुडी |

| क्रम सं० | संगठन का नाम | क्रम सं० | संगठन का नाम |
|---|---|---|---|
| 82. | अवैतनिक सचिव<br>फरूखाबाद, एस०पी०सी०ए०<br>जिला एस०पी०सी०ए०<br>फरूखाबाद-209625<br>फतेहगढ़ जिला-उत्तर प्रदेश | 83. | अवैतनिक सचिव<br>देहरादून एस०पी०सी०ए०<br>मार्फत हिमालय आर्म्स नं०-2<br>गांधी रोड, देहरादून उ० प्र० |
| 84. | अवैतनिक सचिव,<br>एस०पी०सी०ए०, मेरठ<br>रेनबसेरा पी०एल० शर्मा रोड,<br>मेरठ-250001<br>उ०प्र० । | 85. | अध्यक्ष<br>जीव दया मंडल, पांचपुरी, हरिद्वार<br>रामेश्वरकुन्ज, आर्यनगर, हरिद्वार<br>रोड, ज्वालापुर-249407<br>सहारनपुर जिला, उ०प्र० |
| 86. | अवैतनिक सचिव<br>बरेली एस०पी०सी०ए०<br>766, बजारिया इनायरथांग<br>ओल्ड सिटी, बरेली-243001<br>उ०प्र० । | 87. | अवैतनिक सचिव<br>कलकत्ता एस०पी०सी०ए०<br>276, विपिन बिहारी गांगुली<br>स्ट्रीट, कलकत्ता-700016<br>(पश्चिमी बंगाल) |
| 88. | अवैतनिक सचिव<br>दि फ्रेंडस ऑफ डाग्स,<br>597, ब्लाक "ओ"<br>न्यू अलीपुर, कलकत्ता | 89. | अवैतनिक सचिव<br>दि आल लवर्स आफ एनीमल्स<br>सोसायटी, 30 चौरंगी मेशन<br>क्याड स्ट्रीट, कलकत्ता-700016<br>(पश्चिम बंगाल) |

### बिहार में विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यक्रम शुरू करना

[हिन्दी]

8518. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भोजपुर, सीतामढ़ी, रोहतास और झंझारपुर जिले आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में उक्त विकास कार्यक्रम कब से शुरू कर दिए जाएंगे और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) :** (क) जी, हां । इन जिलों के कुछ ब्लाकों में समेकित बाल विकास सेवा योजना चालू है ।

(ख) चूंकि समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध तरीके से

हो रहा है, अत: इन जिलों के शेष ब्लाकों में इस कार्य को चालू किए जाने के बारे में देश के अन्य पात्र ब्लाकों के दावों तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के अन्य ब्लाकों के साथ विचार किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### संयुक्त सलाहकार तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद के पास विचाराधीन विषय

[अनुवाद]

8519. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त सलाहकार तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् के पास केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित कौन-कौन से मुद्दे विचाराधीन पड़े हैं तथा ये कब से विचाराधीन हैं; और

(ख) इन पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद तथा अनिवार्य विवाचन के पास केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित लम्बित मुद्दों की एक सूची जिसमें जब से ये मुद्दे लम्बित पड़े हैं वे तारीखें दर्शाई गई हैं, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद एक ऐसा मंच है जहां सरकार के विचारार्थ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि सेवा-शर्तों में सुधार लाने, कर्मचारी कल्याण इत्यादि से सम्बद्ध विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यहां इन क्षेत्रों से सम्बन्धित नीति परिवर्तन सम्बन्धी सामान्य किस्म के प्रस्ताव भी किए जाते हैं। सरकारी पक्ष, कर्मचारी पक्ष के साथ, विशेषकर सामान्य प्रकार के प्रस्तावों के सम्बन्ध में तब तक बातचीत करना जारी रखता है जब तक कि उन मामलों पर कोई सहमति अथवा असहमति नहीं हो जाती, हालांकि विशेष प्रस्तावों पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाते हैं, परन्तु सामान्य प्रकार के प्रस्तावों से सम्बन्धित निर्णयों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

### विवरण

राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में उत्पन्न मुद्दों की सूची जो राष्ट्रीय परिषद के पास लम्बित पड़ी है।

| क्रम सं० | संक्षिप्त में मुद्दे | कब से लम्बित पड़े हैं |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | एक स्थायी वेतन पुनरीक्षा निकाय की स्थापना | अगस्त, 1987 |
| 2. | यदि कोई लघु शास्ति ही अधिरोपित की गई हो तो उस स्थिति में निलम्बन की अवधि को ड्यूटी के रूप में लिए जाने के लिए दिनांक 3.12.85 के सरकारी आदेशों को रद्द करने का प्रस्ताव। | जून, 1987 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | डाक विभाग में नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध | 28.10.88 |
| 4. | केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना जिनकी पत्नी/पति को आवासीय मकान आबंटित किया गया हो । | 19.8.88 |
| 5. | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने व.ली डिस्पेंसरियों की स्कीम में सुधार । | जुलाई, 1989 |
| 6. | मकान किराए भत्ते की वापिस की गई किस्त पर आयकर अधिनियम के एस०-80(सी) के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को भी आयकर छूट की मंजूरी जिन्होंने 31.3.87 से पहले भी मकान खरीदा/बनाया हो । | 19.8.88 |
| 7. | समूह "घ" में चयन ग्रेड को पुनः लागू करना । | फरवरी, 1987 |
| 8. | कर्मचारियों के लिए पास बुकें जारी करने के सम्बन्ध में चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें | 19.8.87 |
| 9. | चतुर्थ वेतन आयोग के आधार पर केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में पुनः नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों के वेतन का निर्धारण तथा 1.1.86 से पेंशन में संशोधन । | 28.10.88 |
| 10. | परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति पर महंगाई राहत की मंजूरी । | 28.10.88 |
| 11. | केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1980 अंशदान तथा कुल बीमा राशि की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव । | 28.10.88 |
| 12. | लेखा संवर्ग में क्रियाशील (फंक्शनल) वेतनमानों को लागू करना । | 19.8.87 |
| 13. | सिक्किम में तैनात किए गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सिक्किम प्रतिपूर्ति भत्ते में वृद्धि तथा उन्हें संयुक्त (कम्पोजिट) पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता देना । | 19.8.87 |
| 14. | रेलवे के नवनिर्मित अस्पतालों के लिए डाक्टर उपलब्ध न होना । | 19.8.87 |
| 15. | जनजातीय क्षेत्र भत्ते की मंजूरी । | 19.8.87 |
| 16. | हिमाचल प्रदेश के लिए संयुक्त प्रतिपूर्ति भत्ता । | 19.8.87 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | कोम्बेटूर के समीप की प्रेस कलोनी को कोम्बटूर के शहरी क्षेत्र में शामिल करना जिससे कि प्रेस कलोनी में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कोम्बेटूर की दरों पर मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मिल सके। | 19.8.87 |
| 18. | मध्यावधि जन संख्या के अनुमान के आधार पर नगरो का स्तरोन्नत किया जाना। | 19.8.87 |
| 19. | अनुच्छेद 311 में संशोधन। | 19.8.87 |
| 20. | नैमित्तिक श्रमिकों के लिए मजदूरी में संशोधन | 17.8.87 |
| 21. | वेतन वृद्धि (स्टेप्पिंग अप) योजना का उदारीकरण | 17.8.88 |
| 22. | प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी, असम के शहरों का पुनः वर्गीकरण इत्यादि। | अगस्त, 1987 |
| 23. | दूर-दराज के क्षेत्रों के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता | जनवरी, 1986 |
| 24. | इलेक्ट्रीक/पावर/पानी के मीटरों के लिए नगद सिक्योंरीटी का भुगतान। | 6.7.89 |
| 25. | भवन निर्माण अग्रिम राशि पर ब्याज | 6.7.89 |
| 26. | प्रशिक्षण के दौरान दैनिक भत्ते का भुगतान | 6.7.89 |
| 27. | लीव रिजर्व की प्रतिशतता में वृद्धि | 6.7.89 |
| 28. | गांधी नगर के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता | 6.7.89 |
| 29. | उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते के लागू होने की तारीख। | 6.7.89 |
| 30. | उत्पादन से जुड़ा हुआ बोनस | 28.10.1988 |
| 31. | नैमित्तिक श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना | 28.10.1988 |
| 32. | निजीकरण | 28.10.1988 |
| 33. | समयोपरि भत्ते के स्थान पर अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता | जुलाई, 1989 |
| 34. | गतिरोध वेतन वृद्धियों को मूल वेतन के रूप में लिया जाना | 28.4.1990 |
| 35. | 1.1.1986 को अथवा उसके बाद संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धियां प्राप्त किया जाना | 28.4.1990 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 36. | तारापुर में तैनात कर्मचारियों को क-श्रेणी के नगर के दरों पर मकान किराया भत्ते की मंजूरी | 28.4.1990 |
| 37. | केरल के वेयनाड जिले के लिए पहाड़ी भत्ता | 28.4.1990 |
| 38. | नाबालिग बच्चों को परिवार पेंशन आदि के भुगतान के लिए नियमों को उदार बनाना | 28.4.1990 |
| 39. | दिनांक 15.3.1988 के भारत बन्द के अवसर पर अनुपस्थिति मानना | 28.4.1990 |
| 40. | वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियमावली के अन्तर्गत दण्ड लगाना | 28.4.1990 |
| 41. | यूनियन के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक मामले | 28.4.1990 |
| 42. | सप्ताह में 5 दिन कार्य करने वाले प्रशानिक कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए सवेतन सप्ताहिक छुट्टियां | 28.4.1990 |
| 43. | विशेष अवसरों पर अतिरिक्त छुट्टियों की घोषणा—आपरेटिव कार्यालयों पर लागू करना। | 28.4.1990 |
| 44. | ओद्योगिक कामगारों को छुट्टी के लिए भुगतान। | 28.4.1990 |
| 45. | एक्सक्लूडिड/कामन कैटीगरियों के लिए कार्य घंटे, समायोपरि भत्ता सप्ताहिक अवकाश छुट्टी। | मार्च, 1986 |
| 46. | मान्यता नियम | अगस्त, 1979 |
| 47. | संयुक्त परामर्श तंत्र योजना की पुनरीक्षा। | अप्रैल, 1988 |
| 48. | केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राप्त अन्तिम वेतन के स्तर तक पेंशन में वृद्धि करने के लिए स्व वित्त पोषित योजना। | मई, 1977 |
| 49. | मूल नियम (एफ० आर०) 22(ग) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण। | 28.4.1990 |
| 50. | मस्टररोल/कन्टीन्जेन्सिस से वेतन लेने वाले नैमित्तिक मजदूर के रूप में की गई सेवा को सेवानिवृत्ति लाभ के लिए गिना जाना। | फरवरी, 1987 |

## बिहार की विकास योजनाएं

[हिन्दी]

8520. **श्री बसई चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य के लिए कम योजनाएं मंजूर की गई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार के लिए कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं अथवा मंजूर की जाएंगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन)** : (क) योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए स्कीम-वार स्वीकृति नहीं देता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## सी० एस० आई० आर० बनाम के० जी० एस० भट्ट मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

[अनुवाद]

8521. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29.8.89 को सी० एस० आई० आर० बनाम के० जी० एस० भट्ट मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में पदोन्नति के लिए अधिकार वैध ठहराया है,

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी० ए० टी०), बंगलूर द्वारा श्री के० जी० एस० भट्ट को मंजूर की गई राहत कि श्री भट्ट के सम्बन्ध में उप-विधि 71 (बी) (II) के अन्तर्गत समस्त अनुवर्ती लाभों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया जाए, को उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया था । तथापि, उच्चतम न्यायालय इस उप-विधि के क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी० ए० टी०) के विचारों से सहमत नहीं हुआ था ।

(ख) सी० एस० आई० आर० ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी० एफ० टी० आर० आई०) जिसके अधीन श्री भट्ट कार्यरत हैं, को सी० ए० टी० द्वारा दी गई राहत को श्री भट्ट को प्रदान करने का निदेश दिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### नागालैंड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

8522. श्री समरेन्द्र कुन्डू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पहले नागालैंड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी,

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ग) इसके लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है,

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ङ) नागालैंड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में एक घोषणा 1987 में की गई थी। इस विभाग के अनुरोध पर, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भारत सरकार के एक उपक्रम, एजूकेशनल कंसलटैंट इन्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी। नागालैंड विश्वविद्यालय स्थापित करने का कानून भी बना दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने 1990 को अपनी योजना में नागालैंड विश्वविद्यालय सहित नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक प्रावधान किया है। नागालैंड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमानित आवश्यकता 61.34 करोड़ रुपये है। संसाधनों की समस्त कठिनाइयों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक उपाय शुरू करना संभव नहीं हो पाया है।

### परमाणु अपशिष्ट निपटान

8523. श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा परमाणु अपशिष्ट के निपटान के लिए इस समय अपनाई जा रही विधियों/उपायों का ब्यौरा क्या है,

(ख) उन अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के क्या-क्या नाम हैं जो परमाणु अपशिष्ट के उचित निपटान को सुनिश्चित करती हैं तथा इस सम्बन्ध में मार्गनिर्देश निर्धारित करती हैं,

(ग) क्या विद्यमान परमाणु संयंत्रों द्वारा किन्हीं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) न्यूक्लियर अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए आजकल जो तरीके/उपाय अपनाए जाते हैं उनका

लक्ष्य यह रहता है कि रेडियोधर्मिता को यथा सम्भव सांद्रित तथा नियंत्रित रखा जाए और पर्यावरण में उन्मुक्त होने वाली उसकी मात्रा को उस मात्रा से बहुत कम रहने दिया जाए जिसका निर्धारण इस अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर किया गया है कि रेडियोधर्मिता की मात्रा उतनी कम रहनी चाहिए जितनी कि व्यावहारिक रूप से संभव है। सांद्रित न्यूक्लियर अपशिष्ट पदार्थों को नियंत्रित रखने के लिए नियन्त्रण के विभिन्न उपाय किए जाते हैं जिनके अन्तर्गत उसे ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है कि वह यथेष्ट ठोस अवस्था प्राप्त कर ले, उसे उपयुक्त संरोधकों में बन्द किया जाता है तथा नाभिकीय सुविधाओं के अन्तर्गत स्थित नियंत्रित क्षेत्र में पूर्व बलित कंक्रीट से बनी खाइयों, टाइलों से बनाए गए कुण्डों और तहखानों आदि जैसी तैयार की गई संरचनाओं में रख दिया जाता है।

(ख) भारत में न्यूक्लियर अपशिष्ट पदार्थों का निपटान परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित उन विनिर्देशों, नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसका भारत एक सदस्य है, की सामान्य सिफारिशों के अनुरूप है।

(ग) जी, नहीं। मौजूदा बिजली घरों ने न्यूक्लियर अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। इन नियमों की समीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की सुरक्षा समिति द्वारा की जा रही है।

(घ) ऊपर दिए गए प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## महाराष्ट्र में नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या

8524. श्री वसंत साठे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने नेहरू युवा केन्द्र हैं,

(ख) इन केन्द्रों द्वारा अब तक किए गये कार्य की समीक्षा का ब्यौरा क्या है,

(ग) महाराष्ट्र के इन केन्द्रों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और इनके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1990-91 के लिये इन केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) 22.

(ख) महाराष्ट्र में नेहरू युवा केन्द्रों के कार्य की पुनरीक्षा नहीं की गई है। यद्यपि, योजना आयोग द्वारा स्वयं योजना का और नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों का सामान्य मूल्यांकन तेजी से करवाने का निर्णय लिया गया है।

| (ग) वर्ष | दी गई राशि | उपयोग की गई |
|---|---|---|
| 1987-88 | 3 67 लाख | 2.50 लाख |
| 1988-89 | 50.70 लाख | 39.52 लाख |
| 1989-90 | 27.79 लाख | चूंकि 1989-90 वर्ष अभी समाप्त हुआ है, इसलिए उस वर्ष की सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। |

(घ) 55 लाख रुपये।

## नेशनल बुक ट्रस्ट की परियोजनाएं

8525. **श्री वसंत साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट के पास पिछले अनेक वर्षों से न बिक्री हुई पुस्तकों का भारी स्टॉक जमा है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष से अधिक समय ने न बिकी पुस्तकों का ब्योरा और उनका मूल्य क्या है,

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) नेशनल बुक ट्रस्ट की वर्ष 1990-91 की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) जी, नहीं। अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के आकार वाली प्रकाशन संस्था के लिए बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता जिसकी कुल बिक्री 1989-90 में 2 करोड़ से भी अधिक थी।

(ख) तीन वर्ष से अधिक पुरानी पुस्तकों का भाषावार मूल्य (1986 में और इससे पहले प्रकाशित) निम्न प्रकार है :—

| | (रुपये लाखों में) |
|---|---|
| असमी | 2.04 |
| बंगाली | 4.29 |
| अंग्रेजी | 5.60 |
| गुजराती | 1.80 |
| हिन्दी | 1.91 |
| कन्नड़ | 0.47 |
| मलयालम | 0.18 |

| | |
|---|---|
| मराठी | 4.57 |
| उड़िया | 0.08 |
| पंजाबी | 1.33 |
| तमिल | 2.57 |
| तेलुगु | 1.41 |
| उर्दू | 1.68 |
| कुल : | 28.01 |

(ग) संठगन और विपणन में सुधार करके न्यास 1988-89 में अपने प्रकाशनों की बिक्री में लगभग 17.50 लाख रुपये की वार्षिक औसत से केवल 120.31 लाख रुपये की वृद्धि कर पाया। वर्ष 1989-90 के दौराम बिक्री में 200 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

(ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए न्यास की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1) न्यास की विभिन्न क्रममालाओं और विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन।

2) पुस्तक मेलों/उत्सवों का आयोजन।

3) नवम्बर, 1990 में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन।

4) स्कूलों और कालेजों में पाठक क्लब अभियान को प्रोन्नत करने के लिए न्यूज-लैटर निकालना।

5) सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन।

6) बच्चों और नव-साक्षरों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन के लिए निजी प्रकाशकों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वियन।

7) हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में बच्चों के लिए प्रकाशित चुनिन्दा पुस्तकों की एक विवरणिका का प्रकाशन।

**हौज खास, दिल्ली के निकट वन क्षेत्र का कम होना**

8526. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में शहरी वन, विशेष रूप से हौज खास शहर के वन धीरे-धीरे कम और नष्ट हो रहे हैं अथवा शहर के ऐसे वनों में आने वाले व्यक्ति सम्बन्धित अधिकारियों की उदासीनता और कुप्रबंध के कारण उनके रखरखाव के सम्बन्ध में नियमों का पालन नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उचित कदम उठाए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली, विशेषकर होजखास में वनों के निरन्तर अवक्रमण की उनको कोई जानकारी नहीं है। तथापि, प्रशासन ने वृक्षों की सुरक्षा और होजखास क्षेत्र की हरियाली को बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. वर्तमान क्षतिग्रस्त कंटीले तारों की बाड़ को हटाकर चारदीवारी/ग्रिल की बाड़ लगाना।
2. जल आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए छः नल कूपों की व्यवस्था करना।
3. वनों की बेहतर रखवाली के लिए कर्मचारियों को अधिक सतर्क बनाना।

**कर्नाटक में डीजल पर आधारित विद्युत संयंत्र को मंजूरी**

8527. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कर्नाटक में यलहंका के निकट डीजल पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त परियोजना मंजूरी के लिए कब से लम्बित पड़ी है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन)** : (क) जी, हां। यलहंका में 120 मे० वा० डीजल इंजन विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु परियोजना को दिसम्बर, 1988 में 122.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए अनुमोदित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र**

**[हिन्दी]**

8528. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में इन केन्द्रों को वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) 56.

(ख) 1988-89 —141.74 लाख रुपये
1989-90 —124.44 लाख रुपये

**सूखा प्रवण क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम**

**[अनुवाद]**

8529. **श्री एम० जी० रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के सूखा प्रवण जिले में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए कोई लक्ष्य निश्चित किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत रायलसीमा जिले के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के कुड्डपाह, कुरनूल, चित्तूर और अनंतपुर के सूखा पड़ने वाले जिलों के सम्बन्ध में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है :—

| | वास्तविक | | वित्तीय |
|---|---|---|---|
| | क्षेत्र है॰ में | पौद लाखों में | करोड़ रु॰ में |
| लक्ष्य | 15650 | 740 | 20.40 |
| उपलब्धियां | 14040 | 685 | 16.30 |

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

### राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबन्धन परिषद

8530. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबन्धन परिषद ने अपशिष्टों के प्रभावी उपयोग के तरीकों का पता लगाने हेतु उप-दलों का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अपशिष्टों से हो रहे प्रदूषण को न्यूनतम करने सम्बन्धी कार्य-प्रणाली के लिए क्या सुझाव दिए गये हैं ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबन्ध परिषद ने अपशिष्टों के प्रभावी उपयोग के लिये तीन उप दल अर्थात् (क) शहरी और नगरीय अपशिष्ट प्रबन्ध (ख) औद्योगिक अपशिष्ट प्रबन्ध, और (ग) ग्रामीण अपशिष्ट प्रबन्ध गठित किये हैं। ये उपदल (1) अपशिष्टों का पता लगायेंगे (2) अपशिष्टों को कम करने, उनके पुनश्चक्रण, पुनः उपयोग, अनुसंधान के लिये प्रौद्योगिकी विकल्पों का सुझाव देंगे(3) उन क्षेत्रों की श्रेणियां निश्चित करेंगे जहां विशेष उपायों की जरूरत होगी; और (4) कानून कर और प्रोत्साहनों सहित सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले शासकीय आदेशों के लिए आधार के रूप में कार्य के मुद्दे तैयार करेंगे।

### पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र और उसकी प्रगति

8531. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उदयपुर स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा कार्य में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस केन्द्र से सम्बद्ध कलाकारों और अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उक्त दोनों वर्गों के वेतन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इस केन्द्र ने भवन निर्माण, उपकरणों की खरीद आदि, पर भारी पूंजी खर्च की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस केन्द्र के कार्यकलापों का संचालन किस प्रकार किया जाता है और इस सम्बन्ध में निर्णय किस प्रकार लिया जाता है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के समक्ष यथाशीघ्र रख दी जाएगी।

**वैमानिक/अन्तरिक्ष उपकरणों का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्योग**

8532. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वैमानिक/अन्तरिक्ष उपकरणों का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों के नाम क्या हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० राजा रमन्ना):** रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत, वायुयानों/वायुयान सम्बन्धी उपकरणों का मुख्य रूप से निर्माण करने वाले मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे अन्य उपक्रम, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैं।

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे**

[हिन्दी]

8533. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितने सरकारी कर्मचारियों और कितने-गैर सरकारी लोगों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गये हैं;

(ख) इनमें से कितने सरकारी कर्मचारियों और कितने गैर-सरकारी लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) कितने सरकारी कर्मचारियों और कितने गैर-सरकारी लोगों के विरुद्ध किन-किन कारणों से मामले दर्ज नहीं किए गए हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो में लम्बित मामले**

8534. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो में निपटाने के लिए अनेक मामले विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी अधिकारियों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध ऐसे कितने मामले जांच हेतु लम्बित हैं; और

(ग) सरकार का इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :** (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच**

8535. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चालू वर्ष 1990 के पहले तीन महीनों के दौरान कितने मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच प्रारम्भ की गई; और

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने मामलों में पूछताछ और जांच पूरी की गई और कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :** (क) 210 मामले ।

(ख) उपर्युक्त बताई गई अवधि के दौरान पिछले वर्ष के लम्बित मामलों सहित केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 1496 मामलों में जांच कर ली गई है । 165 मामलों में जांच को अन्तिम रूप दे दिया गया । वर्ष 1990 के पहले तीन महीनों के दौरान कुल 130 सरकारी कर्मचारियों को दण्डित किया गया ।

**धनी और निर्धन व्यक्तियों के बीच अंतर समाप्त करने की योजना**

8536. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धनी और निर्धन व्यक्तियों के बीच अन्तर दूर करने की कोई योजना विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) :** (क) और (ख) अमीर और गरीब लोगों के बीच अन्तराल को पाटना आठवीं योजना का, जिसके लिए दृष्टिकोण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा । रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देना निवेश योग्य संसाधनों के आबटन का ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के पक्ष में अन्तरण करना आठवीं योजना के प्रमुख बल रहेंगे । इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में जो अन्य उपाय किये जाने है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ कालेधन की वृद्धि के विरुद्ध एक सतत् और बहुमुखी अभियान, बेनामी लेन-देन सम्बन्धी अधिनियम में संशोधन तथा प्रभावी कर-प्रशासन शामिल किये जाने की आशा है ।

## दिल्ली विश्वविद्यालय में समान कार्य के लिए समान वेतन योजना

[अनुवाद]

8537. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा की गई मांग के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय में दोहरी वेतन योजना को समाप्त करके समान कार्य के लिए समान वेतन नियम लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) वेतनमानों के संशोधन की योजना में योग्यता पदोन्नति योजना, 1983 के अन्तर्गत रहने के लिए मौजूदा शिक्षकों को एक विकल्प देने की व्यवस्था है, परन्तु उनको निम्न वेतनमान दिया जाएगा। इस विकल्प के अनुसार, यदि कोई शिक्षक पुरानी योजना के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ प्राप्त करना चाहता है तब उसे संशोधित योजना के अन्तर्गत बढ़े हुए वेतनमानों के फायदों को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि वह संशोधित वेतनमान और पदोन्नति की नई योजना को पसन्द करता है, तब उसे पुरानी पदोन्नति योजना के अन्तर्गत फायदा छोड़ना पड़ेगा। शिक्षक को ही स्वैच्छिक विकल्प का प्रयोग करना होगा। क्योंकि वेतनमानों के संशोधन की योजना देश भर के विश्वविद्यालयों/कालेजों में लागू है, अतः दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को योग्यता पदोन्नति योजना, 1983 के अन्तर्गत पदोन्नति के लाभ तथा नई योजना के अन्तर्गत बढ़े हुए वेतनमान देने की अनुमति देने के वास्ते उनके लिए कोई अलग प्रावधान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

## मिदनापुर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना

8538. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में 9 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस आधार पर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की पिछड़ क्षेत्र के रूप म पहचान की गई हैं;

(ख) क्या ऐसे पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता के प्रस्तावित आवन्टन सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति आय के मापदण्ड के आधार पर मिदनापुर जिले का वर्गीकरण, आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के रूप में किया था

जहां औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य न्यूनतम आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) किसी भी राज्य में किसी जिले के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**घटिया सामान सप्लाई करने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही**

[हिन्दी]

8539. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या प्रधान मंत्री सामान सप्लाईकर्ताओं के बारे में 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4961 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घटिया सामान सप्लाई करने की दोषी पाई गई फर्मों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज न करने के क्या कारण है जबकि ऐसी कार्यवाही सामान्य व्यापारिक मामलों में की जाती है; और

(ख) इन फर्मों को कितने मूल्य का सामान सप्लाई करने के ठेके दिए गए और इनके द्वारा घटिया सामान सप्लाई करने के कारण कितनी हानि हुई ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) विशिष्टयों के अनुरूप सामान की सप्लाई न करना स्वतः कोई दण्डनीय अपराध नहीं माना जाता। इस मामले के तथ्यों तथा मामलों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पांच फर्मों में से एक फर्म के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता को धारा 420/468/471 के तहत, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

**घटिया माल की सप्लाई**

8540. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या प्रधान मंत्री घटिया माल की सप्लाई के बारे में 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन फर्मों को कितने रुपये मूल्य के सामान की सप्लाई का क्रयादेश दिया गया और इसकी सप्लाई के लिए कितना समय निर्धारिय किया गया है;

(ख) घटिया माल की सप्लाई, धोखाधड़ी और करार तोड़ने वाली इन फर्मों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन फर्मों के साथ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का पता लगाने के लिए कोई उच्चस्तरीय जांच कराने का प्रस्ताव है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना)** : (क) 86 फर्मों को दिए गए आर्डरों का कुल मूल्य लगभग 18.56 करोड़ रुपए है। इनके अन्तर्गत सामान की सप्लाई की अवधि जनवरी, 1986 से दिसम्बर, 1989 के बीच रखी गई है।

(ख) विनिर्देशों के अनुरूप न पाए गए सामान की सप्लाई को सम्विदा की शर्तों के अनुसार रद्द किया जा सकता है। इससे यह अपने आप में कोई आपराधिक मामला नहीं बन जाता।

(ग) 22 मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं। शेष मामलों में, प्रारम्भिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

**पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपणास्त्र प्राप्त करना**

]अनुवाद]

8541. **श्री बी० एन० रेड्डी**
**श्री हरीश रावत**
**श्री सरजू प्रसाद सरोज** } क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा पाकिस्तान को अपने प्रक्षेपणास्त्र बेचने की तथाकथित योजना की जानकारी है;

(ख) क्या लगभग 800 किलोमीटर तक मार करने वाली मध्यम दूरी के इन नए प्रक्षेपणास्त्रों से भारत पर आक्रमण किया जा सकता है और इसे युद्ध में पराजित किया जा सकता है, जैसाकि संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा उद्योग के स्रोतों से मालूम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो युद्ध की सम्भाव्यता से निपटने के लिए सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना)** : (क) और (ख) सरकार ने इस मामले में समाचार माध्यमों की रिपोर्ट देखी हैं। इस सम्बन्ध में कोई पक्की सूचना नहीं है कि चीन पाकिस्तान को ऐसे प्रक्षेपास्त्र बेचने का प्रस्ताव कर रहा है।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए अपनी रक्षा योजनाओं को अद्यतन बनाती रहती है।

**रक्षा अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के लिए सरकारी आवास**

8542. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रक्षा विभाग के विवाहित अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के लिए सरकारी-आवासों की कमी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) विवाहित अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के लिए किराए पर लिए गए गैर-सरकारी आवासों की संख्या क्या है; और

(घ) इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

1) अफसरों के लिए 2254 मकानों की कमी है

2) जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंकों के लिए 5647 मकानों की कमी है ।

(ग) किराए पर लिए गए मकानों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1) अफसर | —1725 मकान |
| 2) जूनियर कमीशन अफसर/ अन्य रैंक | — 856 मकान |

(घ) निजी मकानों को किराए पर लिए जाने का प्रयास किया जाता है । सेवा अफसरों को किराए की प्रतिपूर्ति के आधार पर निजी मकानों में रहने की अनुमति है । जूनियर कमीशन अफसरों/अन्य रैंक के कार्मिकों को क्वार्टर न मिलने पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है । धन उपलब्ध होने पर नए निर्माण कार्य की योजना तैयार की जाती है ।

### केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

[हिन्दी]

8543 श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है;

(ग) क्या एक क्षेत्रीय कार्यालय बरेली (उत्तर प्रदेश) में खोलने के सम्बन्ध में स्थानीय प्रतिनिधियों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वहां ऐसा कार्यालय कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां । उत्तर प्रदेश बरेली में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

### मेरठ में इंजीनियरिंग कालेज खोलना

8544. श्री हरीश पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ में एक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कालेज खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार से इस प्रस्तावित कालेज के लिये निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। यह समझा जाता है कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार से पुष्टि प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा और आगे इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

### दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

[अनुवाद]

8545. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में अनेक ऐतिहासिक स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों का ब्यौरा क्या है और उनके ऐसी क्षतिग्रस्त हालत में होने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे स्मारकों के संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन स्मारकों को हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये इन स्मारकों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) इनके संरक्षण के लिए लागू की जा रही कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (च) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के संरक्षणाधीन प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उसी स्थिति में किया जा रहा है जिस स्थिति में ये केन्द्रीय संरक्षण के लिए अपने नियंत्रण में लेने के समय थे। संरक्षण और परिरक्षण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं तथा नियमित रूप से आवश्यक मरम्मत सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं। वर्ष 1990-91 के संरक्षण कार्यक्रम में निर्धारित तथा शामिल संरक्षित स्मारकों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

### विवरण

1. सुलतान घरी का मकबरा
2. अलाई दरवाजा

3. तुगलक का किला
4. जफर महल
5. माधी मस्जिद
6. वजीरपुर-का गुम्बद
7. विजय-महल
8, कोटला मुबारिक शाह का मकबरा
9. बेगमपुरी मस्जिद
10. दादी-पोती
11. बारा खम्बा
12. पुराना किला में बुर्ज
13. हुमायुं का मकबरा
14. नीला गुम्बद
15. लखरवाला-बुर्ज
16. सुन्दरवाला महल
17. लाल किले में मोती मस्जिद
18. लाल किले का हमाम
19. लाल किले में मुमताज महल
20. कोटला फिरोज शाह
21. बादली सराय
22. त्रिपोलिया द्वार
23. चोबुर्जी-मस्जिद
24. शीश महल
25. लाल किला
26. कुतब मीनार

**वायुसेना कैंटीन के कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं**

[हिन्दी]

8546. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 1987 में दायर की गई विशेष सिविल याचिका संख्या 1544 पर अपना विनिर्णय दिया था कि वायुसेना की कैंटीनों के कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिकों के रूप में माना जाए और वे श्रम कानूनों के अन्तर्गत वेतन, भत्ते, लाभांश, चिकित्सा और अवकाश यात्रा रियायत पाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नासिक, ओझार और आवडी (मद्रास) में स्थित वायुसेना कैंटीनों के कर्मचारियों को गुजरात उच्च न्यायालय के अनुदेशों के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० राजा रमन्ना)** : (क) जी नहीं। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को केवल यह निदेश दिया था कि दोनों पक्षों के विवाद को, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समाधान के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को भेजा जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### आरक्षित क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक संयोजन एकक

8547. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों को इलेक्ट्रॉनिक संयोजन एककों की स्थापना के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है जहां बड़े और मझौले उद्योग नहीं स्थापित किये जा सकते;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो ऐसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने के लिए इस वर्ष क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) से (ग) सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार, एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाली कंपनियों के मामले में उद्योगों के कुछ क्षेत्रों को, जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग भी शामिल हैं, पूंजीनिवेश तथा आयात की मात्रा से सम्बन्धित कुछ सीमाओं के अन्तर्गत लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट प्राप्त है बशर्ते ऐसे उद्योगों की स्थापना विनिर्दिष्ट नगरों के मानक शहरी इलाकों की सीमा से कुछ दूर की जाती है। किन्तु, कोई ऐसी सामान्य नीति नहीं है, जिसके तहत किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में बड़े तथा मध्यम आकार के उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में करने का सुनिश्चय करने के लिए संवर्धनात्मक प्रयास किए जाते हैं, जहां ऊर्जा की उपलब्धता और प्राकृतिक साधन-स्रोतों का आधार ही ऐसा है कि अधिकांश अन्य उद्योग उसके उपयुक्त नहीं होते।

### कृषि ऋण योजना

[अनुवाद]

8548. **श्री बी० एस० बासवराज**
**श्रीमती बासवराजेश्वरी** } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वार्षिक योजना में कृषि ऋण योजना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक को कितनी धनराशि आवंटित की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस ऋणि के वितरण की प्रक्रिया क्या है; और

(घ) इससे कृषि क्षेत्र को किस सीमा तक लाभ प्राप्त हो सकेगा ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन)** : (क) भारत सरकार की एकल कृषिय ऋण स्कीम जैसी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, देश में सहकारिता ऋण संरचना को सहायता देने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तौर पर कई योजना स्कीमें चलाई जाती हैं। प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसल खराब हो जाने के मामले में किसानों को सहायता देने के लिए एक व्यापक फसल-बीमा योजना भी चल रही है।

(ख) कर्नाटक की राज्य-योजना 1990-91 के अन्तर्गत संगत स्कीमों के लिए सहमत परिव्यय इस प्रकार हैं :—

(i) कृषीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश—रु० 516 लाख।

(ii) सहयोग—रु० 940 लाख, जिसमें से रु० 250.3 लाख ऋण सहकारिताओं को सहायता के लिए है।

(ग) जहां तक राज्यों को केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य के लिए अग्रिम तौर पर कोई निश्चित आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, प्रत्येक राज्य की उचित मांगों का मूल्यांकन करने के बाद धनराशि दी जाती है। योजना स्कीमों के सम्बन्ध में राशियों का वितरण, सामान्यत: सबंधित राज्य-सरकारों के माध्यम से ही किया जाता है। तथापि व्यापक फसल बीमा-योजना के लिए राशि वितरण किसानों के क्षतिपूर्ति के दावों का निपटान करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के माध्यम से किया जाता है तथा भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्रों का अंशदान उन्हें सीधे दिया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय योजना में सम्मिलित की गई ये सभी स्कीमें सहकारिता संस्थाओं द्वारा किसानों को पर्याप्त तथा समय पर ऋण वितरित करने को सुविधाजनक बनाने के लिये है।

**विशेष किस्म के पेड़ लगाना**

8550. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि भूमि में विशेष किस्म के पेड़ लगाने का है ताकि भारी मात्रा में उर्वरक और कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से भूमि में उत्पन्न हानिकारक तत्वों को सोखा जा सके; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश की नदियों के किनारों पर व्यवस्थित ढंग से और बड़े पैमाने पर ऐसे पेड़ लगाने का है ताकि पानी को स्वाभाविक रूप से स्वच्छ किया जा सकें, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी; नहीं । खेती वाली भूमि पर वृक्षारोपण मुख्यत: किसानों की इच्छा पर निर्भर करता है ।

(ख) नदियों के किनारों पर लगे वृक्ष भू-क्षरण नियन्त्रण, पर्यावरण तथा जल के सुधार में सहायक होते है । तथापि, स्थलाकृति, उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, बाढ़ की घटनाओं इत्यादि कारणों को ध्यान में रखते हुए स्थान की अवस्थाओं के आधार पर नदियों के किनारे-वृक्ष लगाए जाते हैं पूरे देश में नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं चलाया गया है ।

### केरल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

8551. प्रो के० वी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का दर्जा देने की सिफारिश की है;

(ख) इनमें से कितने अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा का दर्जा प्रदान किया;

(ग) केरल संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी कार्यरत हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी उनके अनुरोध पर अथवा अन्यथा केरल से अन्य राज्यों में और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में स्थानान्तरित किए गए ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 12

(ख) 12

(ग) 166 (3.5.1990 की स्थिति के अनुसार वास्तविक पद संख्या) ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग के किसी भी अधिकारी को अन्य राज्यों में स्थानान्तरित नहीं किया गया । 1.1.1987 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग के 25 अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए ।

### वित्तीय संकट का सामना कर रहे विश्वविद्यालय

8552. श्री एन० जे० राथवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक विश्वविद्यालय वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने विश्वविद्यालय वित्तीय समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) से (घ) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अपने-अपने राज्य सरकारों से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/कालेजों को अनुरक्षण अनुदान तथा विश्वविद्यालयों/कालेजों को भवनों, पुस्तकों और पत्रिकाओं, उपस्कर जैसी बुनियादी सुविधाओं तथा शिक्षण और अनुसन्धान की कोटि और स्तर को प्रोन्नत करने के लिए निर्मित अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान प्रदान करता है। वि० अ० आ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने 7वीं योजनावधि के दौरान अब तक राज्यों के विश्वविद्यालयों को 9709.50 रु० का विकास अनुदान जारी किया है। केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय संसाधन की कमियों के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

### केरल में शांत घाटी (साइलेंट वैली) सम्बन्धी अध्ययन

8553. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में शान्त घाटी (साइलेंट वैली) के बारे में कोई अध्ययन कराया है जोकि भारत के दुर्लभ उष्णप्रदेशीय वनों में से एक है;

(ख) क्या केरल सरकार ने शांत घाटी (साइलेंट वैली) को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से अलग रखने का अनुरोध किया है ताकि वहां पर एक पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) क्या सरकार की शांत घाटी (साइलेंट वैली) के संरक्षण के लिए कोई योजना/कार्यक्रम है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, हां

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केरल राज्य सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 35 के तरह साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान बनाने के अपने इरादे को 1984 में अधिसूचित कर दिया है। इसको नीलगिरि जीवमण्डल रिजर्व में भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार साइलेंट वैली के संरक्षण के लिए स्कीमें प्रस्तुत करती रही है और इसके लिए सालाना आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

### केरल वन अनुसंधान संस्थान

8554. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सगठन ने केरल में पीची स्थित वन अनुसन्धान संस्थान को राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान बनाने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची में संशोधन करना**

8555. **श्री वसंत साठे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग, आयकर विभाग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग आदि, द्वारा आयोजित परीक्षाओं के केन्द्रों की सूची एक जैसी नहीं है और परीक्षा केन्द्रों की सूची में एक दशक से भी अधिक अवधि से संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परीक्षा केन्द्रों की सूची में संशोधन करने का है ताकि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में कम आय वर्ग के और अधिक उम्मीदवारों को भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु राज्यों के सभी महत्वपूर्ण नगरों को इसमें शामिल किया जा सके ?

**प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य भर्ती निकायों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों की स्थापना परीक्षाएं देने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर की जाती है । संगत पहलुओं, जिसमें सम्भावित उम्मीदवारों की संख्या तथा वे स्थान जहां से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं को तथा आधार भूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए भर्ती निकायों द्वारा समय-समय पर ऐसे केन्द्रों की सूचियां संशोधित की जाती हैं । उदाहरण के लिए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्थापित परीक्षा केन्द्रों की संख्या जो कि 1979-80 में 24 थी बढ़कर 1989-90 में 38 हो गई तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थापित परीक्षा केन्द्रों की सख्या जो कि 1976 में 19 थी बढ़कर 1989-90 में 132 हो गई । सभी भर्ती निकायों के लिए यह सम्भव नहीं है कि उनके परीक्षा केन्द्रों की एक समान सूची हो चूंकि उनकी आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती हैं ।

**बैंक कर्मचारियों के बच्चों का केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला**

8557. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के बच्चों को बंगलौर नगर में केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों से केन्द्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को दाखिल कराने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन वर्ष 1963 से केन्द्रीय विद्यालय खोल रहा है, जो मुख्यतः सीविल/रक्षा कार्मिकों

सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सिविल और रक्षा क्षेत्र के स्कूलों में केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे दाखिला के समय अन्य श्रेणियों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता प्राप्त करते हैं। केन्द्रीय सरकार के गैर स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त निकायों, राज्य सरकारों और यायावर जनसंख्या यदि वे केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला के इच्छुक हैं तो उन्हें, उच्च प्राथमिकता प्राप्त वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद रिक्तियों की उपलब्धता पर दाखिला दिया जा सकता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में 1989-90 में प्रवेश के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शासी बोर्ड के अनुमोदन से दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं :—**

1. **रक्षा तथा नागरिक क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय :**

(I) रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के सी० आर० पी० एफ०/बी० एस०एफ०/एस० पी० जी०/सी० आई० एस० एफ० एन० एस० जी० तथा भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों के बच्चों, संसद सदस्यों के आश्रित तथा पोती-पोते, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चे और ऐसे रक्षा कार्मिकों, जिनका कार्य करते हुए निधन हो जाता हो, सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(II) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(III) केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(IV) ऐसी अन्य यायावर जनसंख्या, जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों में अपनाए गए पढ़ाई के ढांचे को अपनाने की इच्छुक जनसंख्या शामिल हैं, के बच्चे।

**2. और 3. उच्च अध्ययन की संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय विद्यालय :**

(i) उच्चतर अध्ययन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संस्थाओ के कर्मचारियों के बच्चों जो सम्बन्धित केन्द्रीय विद्यालय के विद्यालय भवन तथा उपस्कर और स्टाफ तथा कर्मचारियों के बच्चों पर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन कर रहे हैं।

(ii) रक्षा/सी० आर० पी० एफ०/बी० एस० एफ०/बी० आर० टी० एफ०/एस० पी०

जी०/सी० आई० एस० एफ०/एन० एस० जी० कार्मिक सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों के बच्चे।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित अन्य स्वायत्तशासी निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iv) रक्षा/सी० आर० पी० एफ०/बी० एस० एफ०/कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(v) अन्य यायावर जनसंख्या, जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों में अपनाये गये पढ़ाई के ढांचे को अपनाने की इच्छुक सिविल जनसंख्या शामिल है, के बच्चे।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षण :**

प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में नये दाखिले के 15% और $7\frac{1}{2}$% स्थान क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगे।

**राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग**

8558. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सातवीं योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न इलेक्ट्रानिक एककों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न प्रकार के कौन-कौन से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए गए;

(घ) क्या आठवीं योजना के दौरान इस राज्य में कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो नए इलेक्ट्रॉनिक एकक कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) से (ग) भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी के सभी संगत क्षेत्रों में सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है। सम्बद्ध राज्य सरकार अथवा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (एम० ई० डी० सी०) जैसे अभिकरण राज्य में विशिष्ट स्वरूप की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुछ सुविधाएं तथा सम्वर्धनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग भी आवश्यक मार्गदर्शन तथा अनुमोदन/लाइसेंस आदि प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जनशक्ति विकास तथा शिक्षण गुणवत्ता नियन्त्रण, परीक्षण तथा मानकीकरण, इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए भी कुछ सहायता प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के विभिन्न सम्वर्धनात्मक कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भी शामिल है। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण विकास

केन्द्र की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों के लिए, दूरदर्शन संयोजन और सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों की मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य के लिए ग्रामीण रोजगार के अवसरों के निर्माण की योजनाएं और साथ ही राजस्थान इलेक्ट्रॉनिकी एवं इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आर० ई० आई० एल०) में एक ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य में सातवीं योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए 18 औद्योगिक लाइसेंस, 35 आशय पत्र तथा 59 पंजीकरण जारी किए गए हैं। राज्य में सातवीं योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में लगभग 0 करोड़ रु० का कुल अनुमानित पूंजीनिवेश था।

(घ) और (ङ) स्वयं इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की राजस्थान राज्य में आठवीं योजना के दौरान (जिसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है) कोई नए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित करने की इस समय कोई योजना नहीं है। किन्तु, यह सम्वर्धनात्मक उपाय उपलब्ध कराने का कार्य जारी रहेगा जिसमें राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करना तथा ऊपर बताये गए अन्य उपाय करना शामिल है।

**राजस्थान में वनरोपण कार्यक्रम**

8559. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने सातवीं योजना के दौरान उन्हें वनरोपण हेतु आवंटित की गई धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने सातवीं योजना के दौरान वनरोपण कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि व्यय की;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान वनरोपण कार्यक्रम पर किए गए पूंजी निवेश के लागत-लाभ अनुपात की निगरानी करने वाला कोई तन्त्र है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण के लिए धनराशि के आवंटन एवं उसके उपयोग का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसमें राजस्थान के ब्योरे भी शामिल है।

(ग) और (घ) वनीकरण कार्यक्रम के लाभों को ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता सातवीं योजना के अन्तर्गत वनीकरण पर किए गए पूंजीनिवेश का लागत लाभ अनुपात अभी आंका नहीं गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण हेतु धनराशि का राज्यवार आवंटन और उपयोग

[लाख रु० में]

| क्रम सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 [आ] | 1985-86 [उ] | 1986-87 [आ] | 1986-87 [उ] | 1987-88 [आ] | 1987-88 [उ] | 1988-89 [आ] | 1988-89 [उ] | 1989-90 [आ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 2630.00 | 2004.59 | 3312.60 | 3436.01 | 3582.55 | 3172.03 | 3538.00 | 3538.00 | 1580.70 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 409.60 | 329.48 | 431.00 | 386.56 | 428.50 | 396.77 | 451.75 | 451.75 | 699.00 |
| 3. असम | 1595.00 | 1303.07 | 1725.75 | 1616.51 | 1892.75 | 1628.54 | 2188.00 | 2188.00 | 1655.00 |
| 4. बिहार | 3254.20 | 7633.56 | 4066.37 | 2363.12 | 4178.75 | 3841.96 | 5298.00 | 5258.00 | 1997.00 |
| 5. गोआ | 119.20 | 100.68 | 119.50 | 110.35 | 131.65 | 112.20 | 118.00 | 118.00 | 129.00 |
| 6. गुजरात | 2411.40 | 2445.56 | 2837.97 | 2997.31 | 3469.50 | 2989.86 | 3168.00 | 3168.00 | 3355.00 |
| 7. हरियाणा | 1247.40 | 1337.58 | 1288.27 | 1395.27 | 1459.75 | 1343.43 | 1921.50 | 1921.50 | 1735.00 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 1352.20 | 1561.97 | 1762.30 | 1675.47 | 1935.72 | 1952.48 | 2257.50 | 2257.50 | 2396.00 |
| 9. जम्मू और कश्मीर | 708.00 | 706.33 | 892.00 | 851.68 | 1007.50 | 960.76 | 1124.63 | 1124.63 | 1060.00 |
| 10. कर्नाटक | 1965.80 | 2536.31 | 2372.24 | 2259.54 | 2353.25 | 1713.95 | 2710.50 | 2710.50 | 1667.30 |
| 11. केरल | 1618.40 | 928.82 | 1757.50 | 1789.26 | 2003.00 | 1703.55 | 2374.00 | 2374.00 | 1290.00 |
| 12. मध्य प्रदेश | 3144.60 | 2714.65 | 4269.99 | 4650.82 | 4687.75 | 4059.17 | 4672.00 | 4672.00 | 3457.00 |
| 13. महाराष्ट्र | 2935.00 | 2539.31 | 3955.37 | 2158.63 | 4062.50 | 3401.37 | 4194.25 | 4194.25 | 3135.50 |
| 14. मणिपुर | 231.60 | 99.38 | 246.25 | 226.07 | 303.50 | 307.41 | 703.50 | 403.50 | 464.00 |
| 15. मेघालय | 507.60 | 518.32 | 557.00 | 423.88 | 670.50 | 623.59 | 756.00 | 756.00 | 947.00 |
| 16. मिजोरम | 363.60 | 363.74 | 497.00 | 531.49 | 512.50 | 535.48 | 658.00 | 658.00 | 570.00 |
| 17. नागालैंड | 290.60 | 337.64 | 352.50 | 387.13 | 506.75 | 492.86 | 518.00 | 518.00 | 482.50 |
| 18. उड़ीसा | 1659.00 | 1340.46 | 1964.59 | 2051.12 | 2637.70 | 2538.51 | 2667.25 | 2667.25 | 1939.50 |
| 19. पंजाब | 717.40 | 813.97 | 696.00 | 863.85 | 873.75 | 859.20 | 1035.25 | 1035.25 | 725.00 |
| 20. राजस्थान | 1444.60 | 1536.80 | 2723.17 | 3376.13 | 2939.25 | 2847.84 | 3202.00 | 3202.00 | 1616.50 |

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 [आ] | 1985-86 [उ] | 1986-87 [आ] | 1986-87 [उ] | 1987-88 [आ] | 1987-88 [उ] | 1988-89 [आ] | 1988-89 [उ] | 1989-90 [आ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | सिक्किम | 215.60 | 182.26 | 199.75 | 171.06 | 233.25 | 199.20 | 235.00 | 235.00 | 276.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 2890.40 | 2557.92 | 3299.40 | 2703.21 | 3606.00 | 3167.10 | 3479.50 | 3479.50 | 1991.00 |
| 23. | त्रिपुरा | 411.00 | 355.36 | 435.50 | 369.73 | 395.50 | 424.34 | 462.75 | 462.75 | 476.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 3974.80 | 3817.86 | 6617.14 | 5582.39 | 7217.25 | 6023.12 | 7589.75 | 7589.75 | 4254.30 |
| 25. | पं० बंगाल | 2065.00 | 1464.12 | 2559.79 | 2796.26 | 2609.20 | 2025.56 | 3292.89 | 3292.88 | 1612.50 |
| 26. | अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह | 136.20 | 104.20 | 122.00 | 127.54 | 143.50 | 153.36 | 259.50 | 259.50 | 245.00 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 26.60 | 26.85 | 23.25 | 21.25 | 24.35 | 23.55 | 23.50 | 23.50 | 26.25 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 62.80 | 54.06 | 46.50 | 52.09 | 68.75 | 97.97 | 111.25 | 111.25 | 108.50 |
| 29. | दिल्ली | 80.40 | 43.78 | 82.75 | 100.35 | 108.80 | 88.10 | 85.50 | 45.00 | 14.17 |
| 30. | दमन और द्वीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 45.00 | 85.50 | 97.50 |
| 31. | लक्षद्वीप | 3.60 | 3.28 | 4.25 | 7.98 | 4.75 | 6.56 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 22.60 | 22.18 | 31.00 | 36.82 | 38.50 | 43.63 | 48.00 | 48.00 | 14.17 |
| | योग | 38494.20 | 39884.09 | 49248.70 | 45508.88 | 54083.50 | 47746.03 | 59196.01 | 58836.01* | 40011.39** |

* राज्यवार आवंटन न की गई धनराशि को मिलाने के बाद कुल आवंटन 620.48 करोड़ रुपये है।

** जवाहर रोजगार योजना के 83 करोड़ रुपए शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के 21 करोड़ रुपये की धनराशि भी जो राज्यवार आवंटित नहीं की जाती है, इसमें शामिल नहीं है। इन सभी धनराशियों को मिलाने के बाद कुल आवंटन 504 करोड़ रुपए है।

टिप्पणी : वर्ष 1989-90 के उपयोग आकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

आ० = आवंटन          उ० = उपयोग

सातवीं योजना में वनरोपण

8560. श्री ए० के० राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कितने क्षेत्र में वन लगाए गए और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई,

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कितने वन क्षेत्र की कटाई की गई और इसके कारण कितनी धनराशि का नुकसान हुआ,

(ग) क्या कोई ऐसा अनुमान लगाया गया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक वनों को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितने पूंजीनिवेश की आवश्यकता होगी,

(घ) क्या वनों के पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के बारे में कोई समयबद्ध संदर्शी योजना तैयार की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय ) :** (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार वनीकृत क्षेत्र और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 तथा 2 में दिया गया है।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वन क्षेत्रों में हुए परिवर्तन को संलग्न विवरण-3 में राज्यवार दिया गया है। धनराशि के नुकान के बारे में ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति के मूल उद्देश्य देश में वनों के व्यापक विनाश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और यथा अपेक्षित उसके परिरक्षण के माध्यम से पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखना है। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसके लिए एक समयबद्ध योजना तैयार नहीं की गई है :

विवरण I

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण हेतु राज्यवार क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

| क्र०सं० | राज्य/संघ शा० क्षेत्र | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 (लक्ष्य) † | 1/90 तक उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 157800.00 | 143707.50 | 152567.00 | 141747.50 | 160000.00 | 128151.78 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 5150.00 | 6254.00 | 6352.00 | 7077.50 | 7000.00 | 801.00 |
| 3. | असम | 19800.00 | 31275.00 | 24893.00 | 22952.00 | 15000.00 | 14182.10 |
| 4. | बिहार | 76150.00 | 135550.00 | 157600.00 | 180177.00 | 140000.00 | 10953.50 |
| 5. | गोआ | 2250.00** | 3396.50** | 3761.50** | 3686.50 | 3750.00 | 371.45 |
| 6. | गुजरात | 124850.00 | 113550.00 | 107075.00 | 200996.50 | 110000.00 | 19[illegible]40.00 |
| 7. | हरियाणा | 46850.00 | 37079.00 | 19000.00 | 31637.00 | 27500.00 | 21596.50 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 33600.00 | 33564.00 | 30754.50 | 34186.50 | 35000.00 | 30335.00 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 23350.00 | 28526.00 | 20000.03 | 25237.00 | 17500.00 | 3576.50 |
| 10. | कर्नाटक | 127300.00 | 115837.00 | 157610.50 | 154596.00 | 115000.00 | 110466.50 |
| 11. | केरल | 58300.00 | 75962.00 | 77772.00 | 76051.00 | 25000.00 | 16070.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 175050.00 | 196000.00 | 204523.00 | 220800.00 | 195000.00 | 186488.93 |
| 13. | महाराष्ट्र | 108250.00 | 119085.00 | 153958.00 | 285000.00 | 207500.00 | 190534.50 |
| 14. | मणिपुर | 6250.00 | 7440.00 | 9012.50 | 9948.00 | 10000.00 | 11552.00 |
| 15. | मेघालय | 6550.00 | 7900.00 | 11878.50 | 16488.50 | 13750.00 | 14255.50 |
| 16. | मिजोरम | 35000.00 | 23902.50 | 13875.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 17. | नागालैंड | 13450.00 | 27175.00 | 10000.00 | 11500.00 | 17500.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | उड़ीसा | 96500.00 | 116336.00 | 117002.00 | 138108.50 | 110000.00 | 79780.15 |
| 19. | पंजाब | 29500.00 | 28379.50 | 24776.00 | 28730.00 | 20000.00 | 17099.00 |
| 20. | राजस्थान | 47900.00 | 67051.50 | 58693.50 | 65500.00 | 45000.00 | 41225.50 |
| 21. | सिक्किम | 4100.00 | 5751.50 | 6693.50 | 6307.50 | 7000.00 | 7193.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 60750.00 | 99064.00 | 95587.00 | 90278.00 | 70000.00 | 69011.20 |
| 23. | त्रिपुरा | 10000.00 | 13150.00 | 13356.50 | 13350.00 | 13000.00 | 13500.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 177400.00 | 243250.00 | 221035.00 | 272991.00 | 275000.00 | 261864.50 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 55750.00 | 70800.00 | 69554.00 | 55600.00 | 50000.00 | 47500.00 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 4750.00 | 6116.00 | 5021.50 | 5379.50 | 5000.00 | 5212.50 |
| 27. | चंडीगढ़ | 76.00 | 191.50 | 179.50 | 177.00 | 125.00 | 121.82 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 1550.00 | 1700.00 | 1561.00 | 1916.00 | 1500.00 | 1562.00 |
| 29. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 100.00 | 112.50 |
| 30. | दिल्ली | 1250.00 | 315[illegible].50 | 903.00 | 3295.50 | 2500.00 | 1557.00 |
| 31. | लक्षद्वीप | 12.50 | 14.50 | 12.00 | 112.50 | 125.00 | 145.97 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 550.00 | 649.50 | 516.00 | 523.00 | 400.00 | 496.25 |
| | योग | 1510038.50 | 1761809.00 | 1775563.53 | 2119412.00 | 1714250.00 | 1593752.15 |

* प्रति हैक्टेयर 2000 की दर से काल्पनिक रूप से परिकलित क्षेत्र ।

** संघ शासित क्षेत्र दमन और द्वीप शामिल है ।

† जवाहर रोजगार योजना निधि के अधीन सामाजिक वानिकी के लक्ष्य इसमें से शामिल नहीं हैं जिसके लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया है ।

विवरण 2

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण हेतु धनराशि का राज्यवार आवंटन और उपयोग

[लाख रु० में]

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 [आ] | 1985-86 [उ] | 1986-87 [आ] | 1986-87 [उ] | 1987-88 [आ] | 1987-88 [उ] | 1988-89 [आ] | 1988-89 [उ] | 1989-90 [आ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2630.00 | 2004.59 | 3312.60 | 3436.01 | 3582.55 | 3172.03 | 3538.00 | 3538.00 | 1580.70 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 409.60 | 329.48 | 431.00 | 386.56 | 428.50 | 396.77 | 451.75 | 451.75 | 699.00 |
| 3. | असम | 1595.00 | 1303.07 | 1725.75 | 1616.51 | 1892.75 | 1628.54 | 2188.00 | 2188.00 | 1655.00 |
| 4. | बिहार | 3254.20 | 7633.56 | 4066.37 | 2363.12 | 4178.75 | 3841.96 | 5298.00 | 5258.00 | 1997.00 |
| 5. | गोआ | 119.20 | 100.68 | 119.50 | 110.35 | 131.65 | 112.20 | 118.00 | 118.00 | 129.00 |
| 6. | गुजरात | 2411.40 | 2445.56 | 2837.97 | 2997.31 | 3469.50 | 2989.86 | 3168.00 | 3168.00 | 3355.00 |
| 7. | हरियाणा | 1247.40 | 1337.58 | 1288.27 | 1395.27 | 1459.75 | 1343.43 | 1921.50 | 1921.50 | 1735.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1352.20 | 1561.97 | 1762.30 | 1675.47 | 1935.72 | 1952.48 | 2257.50 | 2257.50 | 2396.00 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 708.00 | 706.33 | 892.00 | 851.68 | 1007.50 | 960.76 | 1124.63 | 1124.63 | 1060.00 |
| 10. | कर्नाटक | 1965.80 | 2536.31 | 2372.24 | 2259.54 | 2353.25 | 1713.95 | 2710.50 | 2710.50 | 1667.30 |
| 11. | केरल | 1618.40 | 928.82 | 1757.50 | 1789.26 | 2003.00 | 1703.55 | 2374.00 | 2374.00 | 1290.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3144.60 | 2714.65 | 4269.99 | 4650.82 | 4687.75 | 4059.17 | 4672.00 | 4672.00 | 3457.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 2935.00 | 2539.31 | 3955.37 | 2158.63 | 4062.50 | 3401.37 | 4194.25 | 4194.25 | 3135.50 |
| 14. | मणिपुर | 231.60 | 99.38 | 246.25 | 226.07 | 303.50 | 307.41 | 703.50 | 403.50 | 464.00 |
| 15. | मेघालय | 507.60 | 518.32 | 557.00 | 413.88 | 670.50 | 623.59 | 756.00 | 756.00 | 942.00 |
| 16. | मिजोरम | 363.60 | 363.74 | 497.00 | 531.49 | 512.50 | 535.48 | 658.00 | 658.00 | 570.00 |
| 17. | नागालैंड | 290.60 | 337.64 | 352.50 | 387.13 | 506.75 | 492.86 | 518.00 | 518.00 | 482.50 |
| 18. | उड़ीसा | 1659.00 | 1340.46 | 1964.59 | 2051.12 | 2637.70 | 2538.51 | 2667.25 | 2667.25 | 1939.50 |
| 19. | पंजाब | 717.40 | 813.97 | 696.00 | 863.85 | 873.75 | 859.20 | 1035.25 | 1035.25 | 725.00 |
| 20. | राजस्थान | 1444.60 | 1536.80 | 2723.17 | 3376.13 | 2939.25 | 2847.84 | 3202.00 | 3202.00 | 1616.50 |

| क्रम सं॰ | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 [आ] | 1985-86 [उ] | 1986-87 [आ] | 1986-87 [उ] | 1987-88 [आ] | 1987-88 [उ] | 1988-89 [आ] | 1988-89 [उ] | 1989-90 [आ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | सिक्किम | 215.60 | 182.26 | 199.75 | 171.06 | 233.25 | 199.20 | 235.00 | 235.00 | 276.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 2890.40 | 2557.92 | 3299.40 | 2703.21 | 3606.00 | 3167.20 | 3479.50 | 3479.50 | 1991.00 |
| 23. | त्रिपुरा | 411.00 | 355.36 | 435.50 | 369.73 | 395.50 | 424.34 | 462.75 | 462.75 | 476.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 3974.80 | 3817.86 | 6617.14 | 5582.39 | 7217.25 | 6023.12 | 7589.75 | 7589.75 | 4254.30 |
| 25. | पं॰ बंगाल | 2065.00 | 1464.12 | 2559.79 | 2796.26 | 2609.20 | 2025.56 | 3292.89 | 3292.88 | 1612.50 |
| 26. | अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह | 136.20 | 104.20 | 122.00 | 127.54 | 143.50 | 153.36 | 259.50 | 259.50 | 245.00 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 26.60 | 26.85 | 23.25 | 21.25 | 24.35 | 23.55 | 23.50 | 23.50 | 26.25 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 62.80 | 54.06 | 46.50 | 52.09 | 68.25 | 97.97 | 111.25 | 111.25 | 108.50 |
| 29. | दिल्ली | 80.40 | 43.78 | 82.75 | 100.35 | 108.80 | 88.10 | 85.50 | 45.00 | 14.17 |
| 30. | दमन और द्वीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 45.00 | 85.50 | 97.50 |
| 31. | लक्षद्वीप | 3.60 | 3.28 | 4.25 | 7.98 | 4.75 | 6.56 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 22.60 | 22.18 | 31.00 | 36.82 | 38.50 | 43.63 | 48.00 | 48.00 | 14.17 |
| | योग | 38494.20 | 39884.09 | 49248.70 | 45508.88 | 54083.50 | 47746.03 | 59196.01 | 58836.01* | 40011.39** |

* राज्यवार आवंटन न की गई धनराशि को मिलाने के बाद कुल आवंटन 620.48 करोड़ रुपये है।

** जवाहर रोजगार योजना के 83 करोड़ रुपए शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के 21 करोड़ रुपये की धनराशि भी जो राज्यवार आवंटित नहीं की जाती है, इसमें शामिल नहीं है। इन सभी धनराशियों को मिलाने के बाद कुल आवंटन 504 करोड़ रुपए है।

टिप्पणी : वर्ष 1989-90 के उपयोग आकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

आ॰=आवंटन उ॰=उपयोग

विवरण—3

वनाच्छादित क्षेत्र तुलनात्मक स्थिति (1987 व 1989)

(क्षेत्र : वर्ग कि० मी० में)

| | | वनों से ढके क्षेत्र का मूल्यांकन | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र० संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1981-83 के मानचित्र पर आधारित 1987 का मूल्यांकन | 1985-87 के मानचित्र पर आधारित 1989 का मूल्यांकन | अन्तर वर्ग कि०मी० में | प्रतिशत परिवर्तन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 50194 | 47911 | — 2283 | — 4.5 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 60500 | 68763 | + 8263 | + 13.6 |
| 3. | असम | 26386 | 26058 | — 328 | — 1.2 |
| 4. | बिहार | 28748 | 26934 | — 1814 | — 6.3 |
| 5. | गोवा (दमन, दीव सहित) | 1285 | 1300 | + 15 | + 1.2 |
| 6. | गुजरात | 13570 | 11670 | — 1900 | — 14.0 |
| 7. | हरियाणा | 644 | 563 | — 81 | — 12.5 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 12882 | 13377 | + 495 | + 3.8 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 20880 | 20424 | — 456 | — 2.1 |
| 10. | कर्नाटक | 32264 | 32100 | — 164 | — 0.5 |
| 11. | केरल | 10402 | 10149 | — 253 | — 2.43 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 127749 | 133191 | + 5442 | + 4.25 |
| 13. | महाराष्ट्र | 47416 | 44058 | — 3358 | — 7.02 |
| 14. | मणिपुर | 17679 | 17885 | + 206 | + 1.16 |
| 15. | मेघालय | 16511 | 15690 | — 821 | + 4.97 |
| 16. | मिजोरम | 19092 | 18178 | — 914 | — 4.78 |
| 17. | नागालैंड | 14351 | 14356 | + 5 | + 0.03 |
| 18. | उड़ीसा | 53163 | 47137 | — 6026 | — 11.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | पंजाब | 766 | 1151 | + 395 | + 51.5 |
| 20. | राजस्थान | 12478 | 12966 | + 488 | + 3.9 |
| 21. | सिक्किम | 2839 | 3124 | + 285 | + 10.0 |
| 22. | तमिलनाडु | 18380 | 17715 | — 665 | — 3.6 |
| 23. | त्रिपुरा | 5743 | 5325 | — 418 | — 7.2 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 31443 | 33844 | + 2401 | + 7.63 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 8811 | 8394 | — 417 | — 4.7 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 7603 | 7624 | + 21 | + 0.27 |
| 27. | चंडीगढ़ | 2 | 8 | + 6 | + 30.0 |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 237 | 205 | — 32 | — 13.5 |
| 29. | दमन और दीव | — | 2 | — | — |
| 30. | दिल्ली | 15 | 22 | + 7 | + 46.6 |
| 31. | लक्षदीप | — | — | — | — |
| 32. | पाण्डिचेरी | 8 | — | — | — |
| | योग | 642041 | 640134 | — 1907 | 0.29 |

### गैर सरकारी पार्टियों द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा

8561. श्री एन० डेनिस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी लोगों और संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह कहा गया है कि वन भूमि पर अवैध कब्जों की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए और इसको आगे न रहने देने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी कहा गया है कि मौजूदा अवैध कब्जों को नियमित नहीं किया जाना चाहिए। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और 1988 के इसके संशोधन में गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

**नौकरी के अवसर बढ़ाने सम्बन्धी आर्थिक सलाहकार समिति के सुझाव**

8562. **श्री चित्त बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सलाहकार समिति ने सरकार को इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें देश में उपलब्ध रोजगार सम्बन्धी काम-काज के अवसरों का पूरा लाभ उठाने के कुछ विशिष्ट उपाय सुझाए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) समिति द्वारा दिए गए अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोबर्धन)** : (क) से (ग) आर्थिक सलाहकार परिषद् ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में एक कार्यनीति की सिफारिश की है; जिसमें श्रमप्रधान विनिर्मित निर्यातों को संवृद्धि द्वारा समर्पित उत्पादक रोजगार के सृजन में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है; बड़े औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका दक्ष रूप से उत्पादित कम लागत के औजारों तथा मध्यस्थों की व्यवस्था करना है जिस पर आधारित एक उच्च स्तरीय श्रमिक उत्पादकता, भुगतान संतुलन अथवा कीमतों पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना समग्र अर्थव्यवस्था में हासिल हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान दशक में नीतियों के प्रमुख उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योगों में उत्पादन का विस्तार, समग्र अर्थव्यवस्था में कृषि तथा ऊर्जा के क्षेत्र में उवर्रक व पानी उपयोग के कौशल में सुधार, लघु उद्योगों के व्यापक रूप से दूर-दूर स्थापित करने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार की कार्यनीति पूंजीगत माल, मध्यवर्ती माल, आधारभूत संरचना तथा उपभोक्ता माल के संदर्भ में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में प्राथमिकताओं का निर्धारण, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा कम लागतों के साथ-साथ आधारभूत तथा बुनियादी उद्योगों के प्रावधान में सुधार, निर्यातों में संवृद्धि की दर को बनाए रखना, गार्मेन्टस (सिलेसिलाए वस्त्र), चमड़ा विनिर्माताओं तथा कृषि आधारित मदों जैसे कार्यक्षम निर्यात अर्जन सेक्टरों के पक्ष में औद्योगिक निवेश की पुनर्संरचना तथा भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में और अधिक संवर्धन ताकि निर्यातों की आयात प्रबलता को कम करने तथा अतिरिक्त औद्योगिक रोजगार संवर्धन में सहायता मिल सके।

दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार करते समय आर्थिक सलाहकार परिषद् की रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया है और आगे भी आठवीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार नीति तैयार करते समय उसे ध्यान में रखा जाएगा।

**केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षक**

8563. **श्री राम मंगल मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में गत दस वर्षों से कार्यरत योग शिक्षकों की सेवाएं नियमित कर दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 1981-82 से प्रयोगात्मक आधार पर योग पढ़ाया जाना आरम्भ किया गया था। योग शिक्षा की योजना अस्थायी थी तथा वर्षानुवर्ष आधार पर जारी की गई है, सभी योग शिक्षक तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए थे और उनकी सेवाएं भी वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ायी गई थी। योग शिक्षा की योजना की समीक्षा के आधार पर संगठन के शासी बोर्ड ने सितम्बर, 1986 में निर्णय लिया की शारीरिक शिक्षा और योग का अध्यापन समेकित होना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये तथा योग शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा के अध्ययन के लिए पर्याप्त योग्यता अर्जित करनी चाहिए।

चौबीस योग शिक्षकों को, जिनके पास शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद के लिए निर्धारित योग्यताएं पहले से थी, इस प्रकार से नियुक्त किया गया था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, (ल० रा० शा० शि० का०) ग्वालियर में 3 सत्रों में एक विशेष बी० पी० एड० (ग्रीष्म पाठ्यक्रम) करने के लिए योग शिक्षकों को नामांकित किया। तब से 95 (पिचानवे) योग शिक्षकों ने अब तक बी० पी० एड्० की योग्यता प्राप्त की है। इन कर्मचारियों का शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रूप में औपचारिक नियमन का प्रश्न निर्णय हेतु शासी बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

शासी बोर्ड ने दिसम्बर, 1988 में हुई अपनी बैठक में योजना की आगे समीक्षा की और निर्णय लिया कि केन्द्रीय विद्यालयों में योग एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इस संदर्भ में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने पाया कि वे योग शिक्षक जो बी० पी० एड्० योग्यता प्राप्त करने के लिए नहीं चुने गये थे, निम्नलिखित श्रेणियों में आएंगे :

(i) न्यूनतम नौ महीने के योग प्रशिक्षण के बिना स्नातक ।

(ii) अवर स्नातक जिनके पास योग की अपेक्षिक योग्यता थी।

(iii) अवर स्नातक जिनके पास योग की अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

संगठन ने निर्णय लिया कि उक्त श्रेणियों के शिक्षकों के पास योग शिक्षकों के रूप में नियमित होने के लिए स्नातक और/अथवा योग प्रशिक्षण की योग्यताएं होनी चाहिए। जब तक वे योग्ययाएं प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे तदर्थ योग शिक्षकों के रूप में कार्य करते रहेंगे।

**योग शिक्षण केन्द्रीय विद्यालय**

8564. **श्री राज मंगल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षण के लिए आवश्यक "इन-डोर" सुविधाएं अब तक प्रदान नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में योगा शिक्षण के लिए कोई विशिष्ट अन्तरंग सुविधाएं प्रदान करने की

आवश्यकता नहीं है। तथापि, जहां कहीं भी ढ़का हुआ तथा संलग्न स्थान उपलब्ध होता है, उसका योगा शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है।

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

8565. श्री राम सिंह जाटव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में संवर्ग-वार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कितने व्यक्ति हैं,

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया गया है; और

(ग) क्या आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए कोई विशेष प्रयास किये जाएंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) :** (क) :

| समूह | कर्मचारियों की कुल संख्या | अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सं० | अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| (क) | 158 | 11 | — |
| (ख) | 166 | 17 | 3 |
| (ग) | 153 | 27 | 16 |
| (घ) | 116 | 40 | 3 |

(ख) और (ग) अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटा इन श्रेणियों से सम्बन्धित योग्य कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण पूरा नहीं किया जा सका। समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कारंवाई की जा रही है ताकि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सके।

### दिल्ली छावनी क्षेत्र में बिजली के मीटरों के लिए प्रतिभूति जमा

[अनुवाद]

8566. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली छावनी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली के मीटर की लागत और प्रतिभूति की राशि एम० ई० एस०, दिल्ली छावनी के पास जमा करानी होती है,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा इन मीटरों की फिर से प्रतिभूति की राशि मांगने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली छावनी के उपभोक्ताओं से बिजली के मीटर की दोहरी प्रतिभूति की राशि लेने की प्रथा समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) दिल्ली छावनी क्षेत्र में प्राइवेट उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई सैन्य इंजीनियर सेवा उपलब्ध कराता है। इसलिए उन्हें बिजली के मीटर की लागत और प्रतिभूति सैन्य इंजीनियर सेवा के पास जमा करानी होती है।

(ख) तथापि, 1984 के दौरान, कतिपय उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने का मामला दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सौंपा गया था और उसके साथ ही बिजली के मीटर तथा सारे कागजात उन्हें ही हस्तान्तरित कर दिए थे। चूंकि उनके मामले में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान बिजली की सप्लाई करने वाली एजेंसी बन गई, इसलिए उन्हें अलग से प्रतिभूति की राशि जमा कराना आवश्यक हो गया है। जिन उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई के मामले सैन्य इंजीनियर सेवा द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हस्तान्तरित किए गए थे वे सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सैन्य इंजीनियर सेवा से अपनी पिछली प्रतिभूति की राशि को वापिस ले सकते हैं।

(ग) प्रतिभूति राशि वापिस लेने के लिए उपयुक्त दस्तावेजों सहित आवेदन करने की जिम्मेवारी उपभोक्ताओं की है।

**दिल्ली छावनी बोर्ड के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र**

**8567. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणा क्षेत्र में दिल्ली छावनी क्षेत्र की सीमा परिधि में आने वाली सभी सड़कों को सार्वजनिक सड़कें घोषित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**आयात नीति के अन्तर्गत कम्प्यूटरों का आयात**

**8568. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आयात नीति (1990-93) के प्रावधानों का दुरुपयोग के फलस्वरूप

विभिन्न वस्तुओं के छद्म नाम से कम्प्यूटरों का आयात किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इन्फार्मेशन टेकनालॉजी (मेट) ने यह भी बताया है कि कम्प्यूटरों के आयात के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की सुविधा का बड़ी संख्या में दुरुपयोग किया गया है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है, यदि हां तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** :(क) से (घ) यह प्रश्न वर्तमान आयात नीति (1990-93) के प्रावधानों के तहत कई तरीकों से कम्प्यूटरों के आयात से सम्बन्धित है। उक्त आयात-नीति । अप्रैल, 1990 से लागू हुई थी । अब तक इलैक्ट्रॉनिकी विभाग को कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। यदि इस नीति के विरुद्ध किए जाने वाले आयात और इस नीति के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में कोई ब्यौरे प्राप्त होते हैं तो उनकी जांच की जाएगी ।

**बड़ौदा और अहमदाबाद में इलेक्ट्रॉनिकी एकक**

8569. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और बड़ौदा में कुछ इलेक्ट्रॉनिकी एकक स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना में कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और ये परियोजनाएं कब तक पूरी होंगी ;

(ग) इन परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) इन एककों में उत्पादन कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) से (घ) भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी के सभी संगत क्षेत्रों में सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है। सम्बद्ध राज्य सरकार अथवा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (एस०ई०डी०सी०) जैसे अभिकरण राज्य में विशिष्ट स्वरूप की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुछ सुविधाएं तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग भी आवश्यक मार्गदर्शन तथा अनुमोदन/लाइसेंस आदि प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जनशक्ति विकास तथा शिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण तथा मानकीकरण, इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए भी कुछ सहायता प्रदान करता है।

बड़ौदा तथा अहमदाबाद क्षेत्रों के लिए, 45 औद्योगिक लाइसेंस (आई०एल०), 12

आशय-पत्र तथा 2 पंजीकरण जारी किए गए हैं। इन इकाइयों में से 46 इकाइयों ने उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है।

स्वयं सरकार की इस समय इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

## गरीबी के स्तर में गिरावट

8570. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 से संबंधित 43वें राउंड के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार गरीबों के स्तर में आहिस्ता-आहिस्ता और लगातार कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो गरीबी के स्तर में कितनी गिरावट आई है ;

(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े किस हद तक विश्व बैंक की रिपोर्ट से मेल खाते हैं ;

(घ) गरीब से गरीब व्यक्ति की वास्तविक मजूरी और वास्तविक खर्च में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ;

(ङ) गरीबी के स्तर को कम करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ; और

(च) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें तथा 43वें दौर में एकत्र किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में अन्तिम तौर पर संकलित किए गए आंकड़ों से लगाए गए अनुमान के अनुसार गरीबी का स्तर वर्ष 1983-84 में 37.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1987-88 में 29.2 प्रतिशत हो गया है।

(ग) "भारत गरीबी रोजगार तथा सामाजिक सेवाएं", पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में गरीबी के सरकारी अनुमान दिए गए हैं तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ही, परन्तु गरीबी के आंकलन की एक भिन्न पद्धति का प्रयोग करके एक वैकल्पिक अनुमान भी दिया गया है।

(घ) गरीबों के वास्तविक वेतन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। गरीबों का वास्तविक व्यय 1983-84 में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय रु० 50.79 (1980-81 के मूल्यों पर) से बढ़कर 1987-88 में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय रु० 52.87 (1980-81 के मूल्यों पर) हो गया।

(ङ) स्व-रोजगार (आई०आर०डी०पी०) तथा सवेतन-रोजगार (जे०आर०वाई०) कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। आठवीं योजना के दौरान स्थानीय समस्याओं तथा परिस्थितियों पर आधारित एकीकृत क्षेत्र विकास संबंधी दृष्टिकोण पर और बल दिया जाएगा। इसके परिणामतः रोजगार के उच्च अवसर पैदा होने की आशा है।

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय यह आशा की गई थी कि वर्ष 1989-90 तक गरीबी का स्तर घट कर 25.8 प्रतिशत तक आ जाएगा।

**काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में नौसेना प्रशिक्षण स्कूल**

8571. **श्री एम० एम० पल्लम राजू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काकीनाडा (आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले) में प्रस्तावित नौसेना प्रशिक्षण स्कूल का निर्माण कार्य किस समय से शुरू हो जाने की संभावना है ;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी जमीन अधिगृहीत की गई है; और

(ग) इस स्कूल का निर्माण-कार्य कितनी अवधि में पूरा हो जाएगा ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) :** (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा के निकट एक जल-स्थल-युद्ध प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस स्कूल की स्थापना के लिए इस समय भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि स्कूल स्थापित किए जाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा क्योंकि भूमि अधिग्रहण के पश्चात् ही परियोजना का विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा।

**वन अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन देना**

8572. **श्री एम० एम० पल्लम राजू :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वन अधिकारी औसतन कितने वन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है;

(ख) एक वन अधिकारी के पास औसतन कितने कर्मचारी होते हैं और उसे औसतन कितना बजट उपलब्ध होता है ;

(ग) क्या एक वन अधिकारी के पास उपलब्ध संसाधन पर्याप्त होते हैं ; और

(घ) वन अधिकारियों को और अधिक शक्तियां आदि देने के लिए क्या कदम उठाए/उपाय किए जा रहे हैं ताकि वे वनों से की जाने वाली चोरी को रोक सकें ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) और (ख) राज्य सरकारों को वानिकी क्षेत्र में जिन मुख्य क्षेत्र स्तरीय कार्यों के मापदंडों की सिफारिश की गई, उन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अलग-अलग वन अधिकारियों के प्रभार क्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्र, कर्मचारियों की औसत संख्या और उनके पास उपलब्ध औसत बजट के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। वन आवरण और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर ये पैरामीटर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

(ग) वन क्षेत्रों में चोरी-छिपे शिकार, तस्करी और वन कटाई की समस्याओं से निपटने के लिए वन कर्मचारियों के पास उपलब्ध हथियार तथा उपकरण जैसे संसाधन अपर्याप्त हैं।

(घ) वन कर्मचारियों की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों में

वन्य जीवों के चोरी-छिपे शिकार और उनके अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने तथा जैवीय हस्त-क्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने की दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करना शामिल है। इन स्कीमों के तहत जिन दो मुख्य मदों को सहायता दी जा रही है, वे हैं—वाहनों, हथियारों, गोला-बारूद, बेतार सेटों (स्थिर और चलते-फिरते), नौकाओं, अग्निशमन उपकरणों की खरीद, पशुओं के लिए अलध्य खाइयां खोदना, कंटीले तारों की व्यवस्था, बफर जोन के लिए बाड़ लगाना और वृक्ष के ऊपर निगरानी टावर आदि की व्यवस्था करना।

**विवरण**

**वानिकी क्षेत्र में क्षेत्र स्तरीय कार्यों के लिए मुख्य मापदंड**

(1) **वन सुरक्षा (क्षेत्रीय प्रभार)**

मैदानी क्षेत्रों में 1000-1500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 500-1000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के लिए एक वन प्रभाग।

(2) **वन भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि पर सामाजिक वानिकी सहित वनरोपण/वन क्षेत्रों तथा अन्य सरकारी भूमि में मृदा संरक्षण :**

प्रति वर्ष लगभग 3000 हेक्टेयर पर वनरोपण के कार्य के लिए एक प्रभाग, बशर्ते कि क्षेत्र मैदानी व सघन हों; तथा पहाड़ियों और बिखरे खडों में प्रति वर्ष 1500 से 1000 हेक्टेयर पर वनरोपण के लिए एक प्रभाग।

यदि मशीनी कार्य किए जाएं तो मैदानों में इस क्षेत्र को 5000 हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है (अन्य आंकड़ों में भी उसी अनुपात में ये परिवर्तन हो जाएगा)।

(3) **सामाजिक वानिकी (कार्य वानिकी)**

कम से कम प्रति जिला एक प्रभाग, बशर्ते कि जिले का कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक न हो तथा उसकी आबादी लगभग 20 लाख से अधिक न हो।

**मोन्टरियल प्रोटोकॉल**

8573. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने "क्लोरोफ्लूरोकार्बंस" के प्रयोग को कम करने के लिए "मोन्टरियल प्रोटोकॉल" के पालन का निर्णय किया है ;

(ख) क्या "सी०एफ०सी०एस०" के एवज में प्रयोग होने वाले पदार्थ के निर्माण संबंधी प्रौद्योगिकी भारत में विद्यमान है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विकसित देशों से अनुरोध किया गया है कि वे निःशुल्क ही इस प्रौद्योगिकी का अंतरण करें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) जी, नहीं। यह मामला विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत ने वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के निशुल्क हस्तांतरण के लिए विकसित देशों से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। लेकिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों की बैठकों में भारत और अन्य विकासशील देशों ने क्लोरोफ्लूरोकार्बनों और ओजोन को कम करने वाले अन्य रसायनिक पदार्थों के विकल्पों को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकियों में गैर वाणिज्यिक आधार पर अनियंत्रित-वृद्धि करने का सुझाव दिया है। इन प्रस्तावों पर विकसित देशों की प्रतिक्रिया को निश्चित रूप नहीं दिया गया है।

**ग्रीन हाऊस इफैक्ट**

8574. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्रीन हाऊस इफैक्ट" पैदा करने में अन्य देशों के साथ-साथ भारत का भी बहुत बड़ा योगदान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के प्रति गम्भीरता से विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, नहीं, ग्रीन हाउस गैस के अत्यधिक उत्सर्जन के लिए औद्योगिकृत देश उत्तरदायी हैं।

(ख) और (ग) ग्रीन हाउस प्रभाव और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि पर विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय में विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित की गई है। अन्य उपायों में अवक्रमित परती भूमियों में वनरोपण, ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों को प्रोत्साहन और उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देना शामिल है।

**बाढ़ की रेत से तबाही**

8575. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय पर्वत और गंगा क्षेत्रों के बीच पड़ने वाले भारत स्थित गंगा के मैदानों में बाढ़ की रेत और परिस्थितिक असन्तुलन से होने वाली तबाही के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## पारिस्थितिकी संतुलन का प्रत्यर्पण

8576. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव } : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन के प्रत्यर्पण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) इस प्रयोजन के लिए उक्त राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी, हां ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना मे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली के लिए उपाय किए गए :

(1) पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक पारि-प्रणाली का संरक्षण और प्राणिजात व वनस्पति जात के सम्बन्ध में जैविक विविधता का परिरक्षण;

(2) सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी और अन्य पौधरोपण कार्यक्रमों के जरिए व्यापक वनरोपण करके वनस्पति आवरण में काफी वृद्धि करना;

(3) वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना;

(4) कच्छ वनस्पति और नम भूमि का संरक्षण;

(5) जीव मंडल रिजर्वों की स्थापना;

(6) जल और वायु प्रदूषण का निवारण; तथा गंगा नदी के प्रदूषण का निवारण;

(7) विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन;

(8) पर्यावरण और वानिकी के लिए नीति बनाना तथा कानूनों को मजबूत बनाना;

(9) पर्यावरण और वानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना;

(10) पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना ।

(ग) सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को दी गई निधियों का ब्योरा निम्नलिखित हैं :—

आवटन (करोड़ रुपयों में)

| | उत्तर प्रदेश | बिहार | पश्चिम बंगाल |
|---|---|---|---|
| केन्द्रीय योजना | 254.06 | 173.53 | 163.10 |
| राज्य योजना | 195.27 | 61.65 | 59.54 |

## बिहार में "आपरेशन ब्लैक बोर्ड"

8577. **श्री धर्मेश वर्मा**
**श्री दसई चौधरी** } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" के अन्तर्गत बिहार के पूर्व और पश्चिम चम्पारण जिलों में कितने प्राथमिक स्कूल खोले गए;

(ख) बिहार में ऐसे कितने स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्कूलों में भवन उपलब्ध कराने और शिक्षक नियुक्त करने का है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य के कितने ब्लाकों को सम्मिलित किया जाएगा ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** (क) से (ग): आपरेशन ब्लैक बोर्ड में विद्यमान प्राइमरी विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की योजना है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :—(I) एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापक जो अधिमानता महिला शिक्षक होगी; (II) लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधा तथा सघन बरामदा सहित सभी मौसमों में काम आने वाले दो बड़े कमरे, और (III) श्यामपट्ट, चटाई, चार्ट, छोटा पुस्तकालय, खिलौने, खेल उपस्कर आदि सहित अध्ययन/अध्यापन सामग्री । उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, वर्ष 1986 मे बिहार में 9163 विद्यालय बिना भवन के थे ।

(घ) राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान योजना के अन्तर्गत 90 ब्लाकों को शामिल करने की परियोजना प्रस्ताव तैयार की है ।

## नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाया जाना

[हिन्दी]

8578. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश के सभी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में संस्कृत को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नवोदय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी संस्कृत शामिल किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं तथा उसके बाद ग्यारहवीं और बारहवीं स्तरों पर भी संस्कृत पढ़ाने के कोई प्रबन्ध किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) स्कूल शिक्षा की देखभाल और उसका प्रबन्ध मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्कूल स्तर पर भाषाओं सहित, सभी विषयों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और अभ्यास पुस्तिकों को निर्धारित

करने के लिए उत्तरदायी हैं। अतः सम्पूर्ण देश में सभी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण के लिए विशिष्ट ब्यौरों पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) नवोदय विद्यालय सामान्य त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण करते हैं। इसके अनुसार गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी नवोदय विद्यालयों में अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाती है। हिन्दी भाषी राज्यों में, वह तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है जो कक्षा IX स्तर तक, गैर-हिन्दी क्षेत्रों से विद्यालयों में स्थानान्तरित 20% छात्रों की भाषा होती है। तथापि नवोदय विद्यालयों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत, कक्षा V से IX तक एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। इसे कक्षा X में एक अतिरिक्त भाषा और कक्षा XI और XII में एक वैकल्पिक विषय के रूप भी प्रदान किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी

]अनुवाद]

8579. **कुमारी उमा भारती :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में छतरपुर और टीकमगढ़ में सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम लागू किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) और (ख) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप चलाए गए हैं :—

(i) विकेन्द्रित जल पौधशालाओं की स्थापना।

(ii) सामुदायिक भूमि पर प्रदर्शन स्थलों की स्थापना।

(iii) कृषि वानिकी और फार्म वानिकी।

(iv) निकृष्ट वनों का पुनरुद्धार।

(v) चरागाह विकास।

(vi) धुएं रहित चूल्हों का वितरण :

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की बिक्री

8581. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष व्यक्तिगत कम्प्यूटरों तथा अन्य प्रकार के कम्प्यूटरों की बिक्री में कोई कमी हुई है;

(ख) क्या व्यक्तिगत कम्प्यूटरों पर लगे उत्पाद-शुल्क के कारण इनकी बिक्री पर प्रतिकूल असर पड़ेगा; और

(ग) कम्प्यूटरों को कम आय वर्ग के लोगों की पहुंच तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ एम॰ जी॰ के॰ मेनन)** : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई॰टी॰ एण्ड टी॰) ने एक परियोजना आरम्भ की है जिसके तहत वाजिब कीमतों पर अधिकाधिक लोगों को वैयक्तिक कम्प्यूटर खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत देश में कम्प्यूटरों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से वैयक्तिक कम्प्यूटर 10950/- रुपये तथा इससे अधिक कीमत पर उपलब्ध हैं। ई॰टी॰एण्ड टी॰ ने इन कम्प्यूटरों पर प्रशिक्षण तथा उनके रख-रखाव के लिए वाजिब दाम पर राष्ट्र व्यापी प्रबंध किए हैं ।

## शोधवेत्ताओं की मांगें

8582. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शोधवेत्ताओं और युवा वैज्ञानिकों की मांगों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) उनकी मांगों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा वर्ष 1988 में शोधवेत्ताओं और वैज्ञानिकों की मांगो का मूल्यांकन किया गया था और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उनके वेतन में वृद्धि की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ एम॰ जी॰ के॰ मेनन)** : (क) और (ख) जी, हां। प्रो॰ यशपाल, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में युवा वैज्ञानिकों की समस्याओं और उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास, वित्त और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

(ग) युवा वैज्ञानिकों द्वारा उठाए गए मामले पारिश्रमिक में असमानता, अनुसंधान सेवा को एक संवर्ग प्रणाली (काडर मोड) में पुनर्गठित करना, नीति आयोजना निकायों में अन्तर्ग्रस्तता आदि से संबंधित हैं ।

**(घ) और (ङ)** अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति ने इन मामलों पर 1988 में विचार किया था। इस समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं।

1. शोधकर्त्ताओं, रिसर्च एसोसिएटस और अनुसंधान वैज्ञानिकों की सभी श्रेणियों के पारिश्रमिकों में पर्याप्त बढ़ोतरी होनी चाहिए।
2. सभी श्रेणियों के वैज्ञानिको को मकान किराया भत्ता एवं छुट्टी, चिकित्सा और अन्य सेवा लाभ,
3. आतिथेय संस्थानों को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए वर्धित ओवरहैड व्यय।

**कर्नाटक में अनिवासी भारतीयों द्वारा भूमि खरीदने के मामलों के संबंध में जांच आयोग**

8583. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कर्नाटक में अनिवासी भारतीयों के भूमि खरीदने संबंधी मामलों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जांच आयोग का गठन कब किया गया था;

(ख) आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रारम्भ में कितना समय दिया गया था;

(ग) उक्त आयोग पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(घ) क्या आयोग ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

**प्रधान मंत्री (श्री वी०पी० सिंह) :** (क) सरकार ने 28 जून, 1989 को इस आयोग का गठन किया था।

(ख) तीन माह।

(ग) 31 मार्च, 1990 तक 10,00,676/- रुपये।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) आयोग ने 30.3.1990 तक सुनवाइयां समाप्त कर ली थीं। रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है। आयोग को भी अपना कार्य समाप्त करने के लिए 30 जून, 1990 तक कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

**पश्चिमी घाटों पर वनों का समेकित विकास**

8584. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक में पश्चिमी घाटों पर वनों के समेकित विकास के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब भेजा गया है,

(ग) प्रस्तावित कार्यक्रम पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई सहायता मंजूर की है?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी घाटों में वनों के समेकित विकास के लिए 355 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला एक प्रस्ताव नवम्बर, 1989 में भेजा था।

(घ) राज्य सरकार से संशोधित परियोजना रिपोर्ट मांगी गई है।

**कर्नाटक में हाथी अभयारण्य**

8585. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में कोई हाथी अभयारण्य स्थापित किया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का इस राज्य में हाथी अभयारण्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) और (ख) कर्नाटक में ऐसा कोई अभयारण्य नहीं है जो विशिष्ट रूप से हाथियों के लिए बनाया गया हो। कर्नाटक में जिन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में हाथी पाए जाते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक में हाथी अभयारण्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**विवरण**

**कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य जहां हाथी पाए जाते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है।**

| क्र० सं० | राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य का नाम | जिले का नाम | क्षेत्र वर्ग कि० मी० में |
|---|---|---|---|
| 1. | बांदीपुर | मैसूर | 874.20 |
| 2. | बन्नारघाट | बंगलौर | 104.27 |
| 3. | नागरहोल | चिमंगलूर<br>मैसूर<br>कूर्ग | 643.39 |
| | | | 1,621.16 |
| 4. | भद्रा | शिमोगा, चिकमंगलूर | 492.46 |
| 5. | बिलिगिररंगास्वामी मंदिर | मैसूर | 539.52 |
| 6. | ब्रह्मगिरी | मादीभेरी | 181.29 |
| 7. | काबेरी | मैसूर | 510.51 |
| 8. | डांडेली | मैसूर | 843.16 |
| 9. | नुगु | उत्तर कन्नड़ | 30.32 |
| 10. | पुष्पगिरी | मांडीखेड़ी | 102.92 |
| 11. | तलकावेरी | मांडीखेडी | 105.00 |
| | | | 2,805.18 |

### इन्डियन रेअर अर्थ लिमिटेड के कार्यक्रम

8586. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड की अपने कार्यकलापों में वृद्धि की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन रेअर अर्थ लि० द्वारा कौन-कौन से नए कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है,

(ग) क्या इन्डियन रेअर अर्थ लि० का तमिलनाडु में खनिज विलगन संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की योजना यह है कि आधुनिकीकरण, उत्पादों के विविधीकरण, आदि की स्कीमों पर काम करने के अतिरिक्त उन खनिज निक्षेपों से भी खनिज निकाला जाए जिनका पता परमाणु खनिज प्रभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में लगाया है । कंपनी का विचार टाइटेनियम डाइऑक्साइड रंजक और सम्बंधित रूटाइल का उत्पादन करने वाले संयंत्र लगाने का भी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तमिलनाडु के वी० ओ० चिदांबरनार जिले में कुडीरायमोझी में भारी खनिज निक्षेपों का खनन खनिजों का संसाधन करने की परियोजना की स्थापना विभिन्न चरणों में करके करना चाहती है । खनन सम्बन्धी पट्टे, पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति आदि प्राप्त करने के लिए कम्पनी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अभिकरणों से सम्पर्क कर चुकी है । यह पता लगाने के लिए कार्रवाई की गई है कि उस क्षेत्र में भू-जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं ।

### केरल की सिंचाई तथा पनबिजली परियोजनाओं के लिए धन-राशि का आवंटन

8587. प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधान यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त धन-राशि न मिलने के कारण केरल की कुछ प्रमुख सिंचाई एव पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के निर्माण-कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

## बिहार में वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में सर्वेक्षण

8588. श्री रामदास सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु और ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए बिहार राज्य का कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं और इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां। धनबाद को वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र अभिनिर्धारित किया गया है। बिहार में शोर की समस्या का सर्वेक्षण करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों ने नवम्बर, 1986 के दौरान धनबाद क्षेत्र में एक विस्तृत वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण किया। खुली खदान और भूमिगत कोयला खनन, बी-हाइव हार्ड कोक प्लाण्टस, इष्टिका संयंत्र, साफ्ट कोक प्लाण्टस और रिफ्रैक्टरी निर्माण यूनिटें इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी इष्टिका संयंत्रों को संयंत्रों के डिजाइन में सुधार करने की सलाह दी है। खुले स्थानों पर साफ्ट कोक तैयार करने को भी निरुत्साहित किया गया है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ने कोयला भट्टी संयंत्रों के उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के लिए एक नया डिजाइन तैयार करने का कार्य हाथ में ले लिया है।

## स्कूलों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम

8589 श्री प्रतापराव बी॰ भोसले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुछ व्यवसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्कूल-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्कूलों में कुछ और व्यवसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने क है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत चलने वाले सरकारी तथा

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में + दो स्तर पर 21 व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।

(ग) और (घ) सत्र 1990-91 के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को आरम्भ किए जाने के प्रस्ताव हैं :—

1. रेल में नौकरी अवस्थापना के विषय पर एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम
2. आनुसंगिक नर्सरी तथा दाय विद्या
3. एक्सरे तकनीशियन
4. प्रयोगशाला तकनीशियन
5. डेयरिंग

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

| क्र० सं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| **उत्तर जिला** | | |
| 1. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नं० 1, रूप नगर नई दिल्ली | वस्त्र एवं डिजाइन स्वास्थ्य देखरेख एवं सौन्दर्य संस्कृति, संगणक प्रौद्योगिकी ड्रैस डिजाईन एवं निर्माण |
| 2. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल गुलाबी बाग, दिल्ली | इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी स्टेनोग्राफी सामान्य बीमा |
| 3. | बिरला बाल सी० स० स्कूल, कमला नगर दिल्ली | इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी, लेखा परीक्षण एवं लेखा शास्त्र, कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवालय प्रथा |
| 4. | डी० सी० एम० बाल सी० स० स्कूल, किशन गंज, दिल्ली | लेखा परीक्षक एवं लेखाशास्त्र, कार्यालय प्रबंध एवं सचिवालय प्रथा, विपणन एवं बिक्रीकारी |
| 5. | गुरु नानक कन्या सी० से० स्कूल, सिंह सभा रोड, सब्जी मंडी, दिल्ली | वस्त्र एवं डिजाईन |
| 6. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, एस० यू० ब्लाक, पीतमपुरा, दिल्ली | इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी संगणक प्रौद्योगिकी भ्रमण एवं यात्रा तकनीक |

| क्र० सं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 7. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल के० ब्लाक, 1 पाली नागलपुरी दिल्ली | वस्त्र एवं डिजाईन |
| 8. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल पुथ खुर्द, दिल्ली | प्रायोगिक बागबानी |
| 9. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, बवाना, दिल्ली | प्रायोगिक बागवानी |
| 10. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, नांगलोई, दिल्ली | स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी) |
| 11. | राजकीय मॉडल सह शिक्षा सी० स०, स्कूल, सरस्वती विहार, दिल्ली | संरचना एवं कढ़ाई प्रौद्योगिकी संगणक प्रौद्योगिकी |
| 12. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, नं० 2 नरेला, दिल्ली | स्टेनाग्राफी (हिन्दी) |
| 13. | राजकीय बाल माडल सी० स० स्कूल, नं० 2 लुडलो केसल, दिल्ली | विद्युत प्रौद्योगिकी |
| 14. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नं० 2, शारेस रोड, दिल्ली | स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी) |
| 15. | बिरला आर्य कन्या सी० से० स्कूल, बिरला लेन, कमला नगर, दिल्ली | ड्रैस डिजाईन एवं निर्माण |
| 16. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल भारत नगर, दिल्ली-52 | इलैक्ट्रोकल प्रौद्योगिकी स्टेनोग्राफी (हिन्दी) |
| 17. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल, मुनीरका, दिल्ली | ड्रैस डिजाईन एवं निर्माण |
| 18. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नांगलोई, दिल्ली | वस्त्र एवं डिजाईन |
| 19. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, बख्तावरपुर, दिल्ली | प्रायोगिक बागवानी |
| 20. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल, प्रताप नगर (अम्बामुगल) दिल्ली | स्टेनोग्राफी (हिन्दी) |

| क्रम सं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 21. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल गुलाबी बाग, दिल्ली | स्टेनोग्राफी (हिन्दी) |
| 22. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल, तिमारपुर, दिल्ली | जीवन बीमा |
| 23. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल जहांगीरपुरी, दिल्ली | स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी) |
| 24. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल शालीमार बाग, दिल्ली | वस्त्र एवं डिजाइन, स्टेनोग्राफी |
| **दक्षिण दिल्ली** | | |
| 25. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल, नं०1, लाजपत नगर, नई दिल्ली | इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी वस्त्र एव डिजाईन ड्रैस डिजाईन एवं निर्माण |
| 26. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, नं० 3, सरोजनी नगर, नई दिल्ली | आटोमोबाईल प्रौद्योगिकी वातानुकुल एवं प्रशीतन प्रौद्योगिकी संगणक प्रौद्योगिकी, स्टेनोग्राफी |
| 27. | राजकीय कन्या सी० सं० स्कूल नं०2 किदवई नगर, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबंध एवं सचिवालय प्रथा स्टेनोग्राफी, स्वास्थ्य देखरेख एवं सौन्दर्य संस्कृति सामान्य बीमा। |
| 28. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल, मालवीय नगर, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवालय प्रथा, स्टेनोग्राफी |
| 29. | राजकीय कन्या सी०स० स्कूल, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवालय प्रथा |
| 30. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, नं० 4 सरोजनी नगर, नई दिल्ली | नेत्र तकनीक, स्टेनोग्राफी, इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी, संगणक प्रौद्योगिकी |
| 31. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नं० 3, सरोजनी नगर, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवालय प्रथा स्वास्थ्य देखरेख एवं सौन्दर्य संस्कृति |
| 32. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल नं० सरोजनी नगर, नई दिल्ली | बैंकिंग |
| 33. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, हरीनगर, आश्रम, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबंध एवं सचिवालय प्रथा |

| क्रम सं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 34. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल नं० 1 किदवई नगर, नई दिल्ली | बैंकिंग |
| 35. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नं० 1 किदवई नगर, नई दिल्ली | वस्त्र एवं डिजाईन |
| 36. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल जंगपुरा, नई दिल्ली | बैंकिंग |
| 37. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नं० 1 लोधी रोड, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवालय प्रथा |
| 38. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल नं० 1 लाजपत नगर, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवालय प्रथा, इलंक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी |
| 39. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल छतरपुर दिल्ली | विद्युती प्रौद्योगिकी |
| 40. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नं० 1 मदनगीर, नई दिल्ली | स्वास्थ्य देखरेख एवं सौन्दर्य संस्कृति |
| 41. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल डी०डी०ए० फ्लट्स, फेस-II कालका जी, नई दिल्ली | ड्रैस डिजाईन एवं निर्माण स्वास्थ्य देखरेख एव सौन्दर्य संस्कृति स्टेनोग्राफी |
| 42. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली | स्टेनोग्राफी, ड्रैस डिजाईन एवं निर्माण, स्वास्थ्य देखरेख एवं सौन्दर्य संस्कृति |
| 43. | दिल्ली कन्नड़ सी० स० स्कूल लोधी एस्टेट, नई दिल्ली | संगणक प्रौद्योगिकी बैंकिंग |
| 44. | डी०टी०ई०ए०सी०स० स्कूल लोधी रोड, नई दिल्ली | संगणक प्रौद्योगिकी |
| 45. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल सेक्टर II आर० के० पुरम, नई दिल्ली | जीवन बीमा |
| 46. | राजकीय कन्या सी०स० स्कूल पंडारा रोड | पोषण तथा आहार आयोजन |
| 47. | राजकीय कन्या सी०स० स्कूल बदरपुर, नई दिल्ली | स्वास्थ्य देखरेख एवं सौन्दर्य संस्कृति |

| क्रमसं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 48. | राजकीय बाल सी०सी० स्कूल, नं० 2, कालकाजी, नई दिल्ली | लेखा शास्त्र एवं लेखा परीक्षण |
| 49. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल, रेलवे कालोनी तुगलकाबाद, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध एवं सचिवालय प्रथा |
| **पश्चिम जिला** | | |
| 50. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नं० 1, तिलक नगर, नई दिल्ली | स्वास्थ्य देखरेख एवं सौन्दर्य संस्कृति, वस्त्र एवं डिजाईन |
| 51. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल नं० 1, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली | स्टेनोग्राफी, पोषण तथा आहार आयोजन |
| 52. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली | ड्रेस डिजाईन एवं निर्माण |
| 53. | राजकीय बाल सी० स० स्कूल, राजौरी गार्डन, (मेन) नई दिल्ली | स्टेनोग्राफी बैंकिंग |
| 54. | एस०डी० कन्या सी० स० स्कूल ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। | स्टेनोग्राफी |
| 55. | राजकीय कन्या सी० स० स्कूल मादीपुर, नई दिल्ली | ड्रेस डिजाईन एव निर्माण |
| 56. | राजकीय कन्या सीनियर माध्यमिक विद्यालय, ए-ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली। | स्वास्थ्य देख-रेख और सौन्दर्य संस्कृति ड्रेस, डिजाइन तथा संगणक अध्ययन आशुलिपि |
| 57. | राजकीय कन्या सीनियर माध्यमिक विद्यालय नं० 1; बी ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली | साधारण बीमा |
| 58. | राजकीय कन्या सीनियर माध्यमिक विद्यालय, सी ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली | पोषण तथा आहार आयोजन |

| क्रम सं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 59. | राजकीय कन्या सीनियर माध्यमिक विद्यालय डी ब्लाक जनकपुरी, नई दिल्ली | आशुलिपि, स्वास्थ्य देख-रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति संगणक अध्ययन |
| 60. | राज० सह शिक्षा सीनियर माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध तथा सविद्यालय प्रथा |
| 61. | राज० बाल सी० मा० विद्यालय अशोक नगर, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध |
| 62. | राज० बालिका सी० मा० विद्यालय नं०1, मोती नगर, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय प्रथा |
| 63. | राज० बालिका सी० मा० वि० इन्द्रपुरी, नई दिल्ली | स्वास्थ्य देख-रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति |
| 64. | राज० कन्या सी०मा० विद्यालय रमेश नगर, नई दिल्ली | वस्त्र तथा डिजाइन ड्रेस डिजाइन तथा बनावट |
| 65. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय राजौरी गार्डन (विस्तार) | स्वास्थ्य देख-रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय प्रथा |
| 66. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय नं० 2, मोती नगर, नई दिल्ली | पुस्तकालय विज्ञान |
| 67. | राज० कन्या सी०मा० विद्यालय नं० 2, तिलक नगर, नई दिल्ली | पोषण तथा आहार आयोजन |
| 68. | राज० कन्या सीनियर मा० विद्यालय आई०ए०आर०आई० पूसा, नई दिल्ली | पोशाक डिजाइन तथा बनावट |
| 69. | राज० बाल० सी० मा० वि० विकासपुरी, नई दिल्ली | जीवन बीमा संगणक तकनीकी |
| 70. | राज० बाल सी० मा० विद्यालय न० 2, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली | संगणक तकनीकी |
| 71. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय दिल्ली कैंट, नई दिल्ली | स्वास्थ्य देख-रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति वस्त्र और डिजाइन, बैंकिंग |
| 72. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय नं० 3, तिलक नगर, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबंध तथा सचिवालय प्रथा बैंकिंग |

| क्रम सं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 73. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय नरायणा, नई दिल्ली | पोशाक डिजाइन तथा बनावट |
| 74. | राज० कन्या० सी० मा० विद्यालय नं० 1, उत्तम नगर, नई दिल्ली | पोशाक डिजाइन तथा बनावट वस्त्र तथा डिजाइन |
| 75. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय पश्चिम विहार, नई दिल्ली | स्वास्थ्य देख-रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति |
| 76. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय चन्द नगर, नई दिल्ली | वस्त्र तथा डिजाइन |
| 77. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय क्याला, नई दिल्ली | पोशाक डिजाइन तथा बनावट |
| 78. | राज० बाल सी० मा० विद्यालय कैर, दिल्ली | अनुप्रयुक्त उद्यान विज्ञान |
| **जिला मध्य** | | |
| 79. | राज० बालक सी० मा० विद्यालय पहाड़गंज, नई दिल्ली | वातानुकूलन तथा प्रशीतन तकनीकी, पुस्तकालय विज्ञान कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय प्रथा, कढ़ाई संरचना |
| 80. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय बुलबुली खान, दिल्ली | स्वास्थ्य देख रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति वस्त्र तथा डिजाइन पोशाक डिजाइन तथा बनावट आशुलिपि |
| 81. | मूक बधिर कन्या सी० मा० वि०, 11, विष्णु दिगम्बर मार्ग नई दिल्ली । | कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय प्रथा |
| 82. | एस० जी० के० एच० कन्या सी० मा० विद्यालय, बंगला साहिब, नई दिल्ली | आशुलिपि तथा टंकण ड्रेस डिजाइन तथा बनावट |
| 83. | गडोडिया कन्या सी० मा० विद्यालय कूचा नटवा, चांदनी चौक, दिल्ली | स्वास्थ्य देख रेख तथा सौंदर्य संस्कृति |
| 84. | जैन सी० मा० विद्यालय दरिया गंज, नई दिल्ली । | आशुलिपि संगणक तकनीकी |
| 85. | राज० बाल सी० मा० विद्यालय प्लाट नं० 1, लिंक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली | जीवन बीमा |

| क्रम सं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 86. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय पनामा बिल्डिंग, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध सचिवालय प्रथा |
| 87. | राज० बाल सी० मा० विद्यालय, कुतुब रोड, नई दिल्ली | साधारण बीमा |
| 88. | आर्य कन्या सी० मा० विद्यालय, तेली वाड़ा, दिल्ली | आशुलिपि, पोषण तथा पाक कला |
| 89. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय पहाड़ गंज, नई दिल्ली | पुस्तकालय विज्ञान स्वास्थ्य देख रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति |
| 90. | राज० बाल सी०मा० विद्यालय जामा मस्जिद, दिल्ली | वातानुकूलन तथा प्रशीतन तकनीकी इलेक्ट्रानिकी तकनीकी |
| 91. | राज० बाल सी० मा० वि० माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय प्रथा |
| 92. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय पदम नगर, दिल्ली | वस्त्र तथा डिजाइन |
| 93. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय दयानन्द रोड, नई दिल्ली | स्वास्थ्य देख रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति |
| जिला पूर्व | | |
| 94. | राज० बालक सी० मा० विद्यालय लक्ष्मी नगर, दिल्ली | विद्युत तकनीकी, इलेक्ट्रानिकी, संगणक तकनीकी, आशुलिपि |
| 95. | राज० कन्या सी० मा० विद्यालय रानी गार्डन, दिल्ली | आशुलिपि, पुस्तकालय विज्ञान, पोशाक डिजाइन तथा बनावट, वस्त्र तथा डिजाइन (बुनाई ग्रुप) |
| 96. | राज० बालक सी० मा० विद्यालय चन्द्र नगर, दिल्ली | साधारण बीमा |
| 97. | राज० बालक सी० मा० विद्यालय मंडावली, दिल्ली | अनुप्रयुक्त उद्यान विज्ञान |
| 98. | राज० बालक सी० मा० वि० कल्याण पुरी, दिल्ली | कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय प्रथा, वस्त्र तथा डिजाइन |
| 99. | राज० बालक सी० मा० वि० भिन्न-भिन्न कालोनी, दिल्ली | इलेक्ट्रानिक तकनीकी |

| क्रम सं० | स्कूल का नाम | व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 100. | राज० सह शिक्षा सी० मा० वि० विश्वास नगर, दिल्ली | विद्युत तकनीकी, वातानुकूलन तथा प्रशीतन तकनीकी, लेखा शास्त्र तथा लेखा परीक्षण पुस्तकालय विज्ञान |
| 101. | राज० कन्या० सी० मा० वि० गीता कालोनी, दिल्ली | पोशाक डिजाइन तथा बनावट |
| 102. | राज० कन्या सी० मा० वि० घोन्डा, दिल्ली | पोषण तथा आहार आयोजन |
| 103. | राज० कन्या सी०मा० वि० कैलाश नगर, दिल्ली | आशुलिपि (अंग्रेजी) |
| 104. | राज० कन्या सी० मा० वि० विवेक विहार, दिल्ली | |
| 105. | राज० कन्या सी० मा० वि० नं० 3, गांधी नगर, दिल्ली | पोशाक डिजाइन तथा बनावट |
| 106. | राज० बालक सी० मा० वि० कृष्ण नगर, दिल्ली | संगणक तकनीकी |
| 107. | रा० कन्या सी० मा० वि० नं० 1, गांधी नगर, दिल्ली | स्वास्थ्य देख रेख तथा सौन्दर्य संस्कृति, वस्त्र तथा डिजाइन। |

### दिल्ली में पब्लिक स्कूल

8590. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली में कुछ मान्यता प्राप्त स्कूल पब्लिक स्कूलों की तरह नर्सरी कक्षाएं चला रहे हैं और तदनुसार शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहायता और मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं चलाने के बारे में कुछ अनुदेश विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में वर्ष 1989-90 के दौरान चलाये जा रहे प्राईवेट-गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, मिडिल, माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों की संख्या क्रमश: 169, 85 और 113 थी। इस प्रकार के अधिकांश गैर-सहायता प्राप्त मान्यता

प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं और वे अपनी शिक्षा शुल्क अनुसूची के अनुसार फीस वसूल कर रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों के भवनों में प्रबन्ध समिति द्वारा 15 पब्लिक स्कूल आरम्भ किये गये हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 50 के अनुसार स्कूलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं —

(i) स्कूल में अनुदेशों के अधीन कक्षाओं के पर्याप्त स्थान होना चाहिए;

(ii) स्कूल के परिसर के किसी भी भाग में कोई आम रास्ता नहीं होना चाहिए।

दिल्ली प्रसाशन ने सहायता प्राप्त स्कूलों के भवनों में इन पब्लिक स्कूलों को चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की है। जहां तक इन स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है दिल्ली प्रशासन अपने कानूनी विभाग से सलाह कर रहा है। इन स्कूलों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही हुई तो वह दिल्ली प्रशासन के कानूनी विभाग की सलाह पर निर्भर करेगी।

## विरूपा-गेनगुती द्वीपसमूह परियोजना

8591. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा की विरूपा-गेनगुती द्वीपसमूह परियोजना को मन्जूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यदि परियोजना का कार्यान्वियन कर दिया जाता है तो कुल कितने हैक्टेयर भूमि पर खेती की जा सकेगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी हां।

(ख) 463 लाख रु०

(ग) इस परियोजना से कुल 8086 हैक्टेयर काश्तगत क्षेत्र की सिंचाई करने का प्रस्ताव है।

## वन्य प्राणियों के चाम और खालों का अवैध व्यापार

8592. श्री प्रतापराव बी० भोसले
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बड़ी संख्या में चीता, बाघ, मगरमच्छ, सांप इत्यादि का चाम और खालें पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई वस्तुओं का ब्योरा क्या है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनका मूल्य कितना है;

(ग) वन्यप्राणी उत्पादों के इस अवैध व्यापार के तेजी से फैलने के क्या कारण हैं;

(घ) इस अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में इसे रोकने के लिए कौन से निवारक उपाए किए जा रहे हैं ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा 30-12-1989 से 2-3-1990 के बीच पकड़ी गई वन्य पशुओं की खालों और ट्राफियों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है। दिल्ली प्रशासन ने पकड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का अनुमान 21.50 लाख रु० लगाया है। तथापि, प्रतिबन्धित वस्तुओं के व्यापार के मूल्य का मूल्यांकन करना कठिन है।

(ग) इस प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं की मांग और उनके उपयोग से विश्व बाजार में असाधारण ऊंची कीमत इस प्रकार के व्यापार के पीछे मुख्य कारण प्रतीत होती है।

(घ) इस व्यापार में लगे व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्यवाही में निम्नलिखित शामिल है :—

— वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के उपबंधों के तहत अभियोजन चलाना।

— वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की अनुसूची—1 व 2 (भाग-2) की अतिरिक्त अनुसूचियों में सम्मिलित वन्यजीवों के आखेट से सम्बधित मामलो को कम्पाउण्ड किया जाता है।

(ङ) वन्यजीवों के उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किए जा रहे एहतियाती उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत संकटापन्न प्रजातियों के शिकार और ऐसी प्रजातियों से बनी वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(2) वन्य प्राणिजात व वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन के उपबन्धों के तहत पौधों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा इनसे बनी वस्तुओं के अन्यर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(3) निर्यात नीति के अन्तर्गत वन्य पशुओं की खालों से बनी वस्तुओं का निर्यात निषिद्ध है।

(4) चोरी-छिपे शिकार रोधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता मुहैय्या कराई जाती है।

(5) बाघों और गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(6) चोरी-छिपे शिकार-रोधी उपायों के बारे में राज्यस्तर पर पुलिस तथा भारत सरकार के स्तर पर सीमा शुल्क विभाग, राजस्व आसूचना विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, तटरक्षक दलों के साथ घनिष्ठ समन्वय रखा जाता है।

(7) चोरी छिपे शिकार करने वालों और अवैध व्यापारियों के बारे में आसूचना प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

### विवरण

### दिल्ली प्रशासन द्वारा 30-1[illegible]-1989 से 2-3-1990 के बीच पकड़ी गई पशुओं की सूची

| क्र० सं० | प्रजाति का नाम | खाल/ट्राफी पकड़ी गई |
|---|---|---|
| 1. | बाघ | 2 |
| 2. | चीता | 29 |
| 3. | ऊदबिलाव | 170 |
| 4. | पहाड़ी लोमड़ी | 22 |
| 5. | लकड़बग्गा | 1 |
| 6. | मगरमच्छ | 2 |
| 7. | काला हिरण | 1 |
| 8. | लोमड़ी | 24 |
| 9. | सियार | 141 |
| 10. | भारतीय बड़ा कस्तूरा | 7 |
| 11. | टोडी बिल्ली | 15 |
| 12. | जंगली बिल्ली | 123 |
| 13. | चीता बिल्ली | 1 |
| 14. | मरुस्थली बिल्ली | 3 |
| 15. | लाल लोमड़ी | 165 |
| 16. | सांप | 6014 |
| 17. | काला हिरण | 1 ट्राफी |
| 18. | बाघ की हड्डियां | 30 किलोग्राम |
| 19. | सांप की खाल की बनी वस्तुएं | 94 |

## पंजाब में आंगनवाड़ी केन्द्र

8593. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आंगवाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन केन्द्रों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

**कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) :** (क) 31.3.1990 को स्थिति के अनुसार पंजाब में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या 6717 है।

(ख) प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक हैल्पर की सहायता से चलाती है। दोनों ही स्वयंसेवी, अंशकालिक, अवैतनिक महिला कार्यकर्ता होती हैं।

## वनरोपण के लिए पंजाब को केन्द्रीय सहायता

8594. **श्री कमल चौधरी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य को होशियारपुर जिले तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में वन रोपण के लिए केन्द्रीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने क्षेत्रों में वनरोपण किया जा सकेगा; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में कौन कौन से किस्म के पौधे लगाए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) ग्रामीण ईन्धन लकड़ी वृक्षारोपण, सिल्वी चरागाह विकास, विकेन्द्रित पौदशाला परियोजनाओं और ग्रामीण विकास विभाग की ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजाब सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) वर्ष 1986-87 से लेकर 1989-90 की अवधि के दौरान होशियारपुर जिले सहित पंजाब में समस्त वनीकरण कार्यकलापों के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | क्षेत्र (हे० में) |
|---|---|
| 1986-87 | 28379.50 |
| 1987-88 | 24776.00 |
| 1988-89 | 28730.00 |
| 1989-90 | 20000.00 (लक्ष्य) |

(ग) ईन्धन लकड़ी, चारा, फल तथा दूसरे वन्य उत्पाद उगाने के लिए लगाई गई प्रमुख प्रजातियां खैर, सिरिस, आंवला, बहेड़ा, बकान, बांस, कीकर, नीम और सुबबूल इत्यादि हैं।

**दिल्ली के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाना**

[हिन्दी]

8595. **श्री एम० एस० पाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के कितने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 1990-91 सत्र से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाएगा और ये माध्यमिक किस कक्षा से आरम्भ किया जाएगा; और

(ख) अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में शुरू किए जाने के क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार शैक्षिक सत्र 1990-91 से निम्नलिखित विद्यालयों में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में शुरू किया गया है :—

| श्रेणी तथा विद्यालयों की संख्या | कक्षा | वर्गों की संख्या |
|---|---|---|
| प्राइमरी स्कूल | शून्य | शून्य |
| माध्यमिक स्कूल-9 | प्रथम | एक वर्ग |
| सीनियर माध्यमिक विद्यालय-20 | प्रथम | एक वर्ग |
| सीनियर माध्यमिक विद्यालय-3 | IX | एक वर्ग |
| सीनियर माध्यमिक विद्यालय-1 | VI तथा IX | एक वर्ग |

काफी संख्या में अभिभावकों की मांग के आधार पर ऐसा किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने अपने अधीन चलाए जा रहे किसी भी विद्यालय में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया है।

**टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में सागौन की लकड़ी की सम्भावनायें**

[अनुवाद]

859.. **कुमारी उमा भारती** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "सागौन की लकड़ी" किन-किन राज्यों में पाई जाती है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में इस दुर्लभ लकड़ी को प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) क्या टीकमगढ़ में इस लकड़ी के प्राप्त होने की काफी सम्भावनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) श्री आर० एस० ट्रॉप द्वारा लिखित "द सिल्विकल्चर आफ इंडियन ट्रीज" नामक पुस्तक में निहित सूचना के अनुसार सागौन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नैसर्गिक रूप से पैदा होता है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**पौध उगाने के लिए ऊतक संवर्धन पद्धति**

**8597. श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूर संवेदन प्रयोगशाला से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि वन क्षेत्र प्रतिवर्ष घटता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ये आंकड़े पहले प्राप्त नहीं कर सकी थी ताकि इस संबन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही कर ली जाती;

(ग) क्या पौध उगाने के लिए ऊतक सम्वर्धन पद्धति का इस्तेमाल करने हेतु कई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम और अन्य योजनाएं शुरू की गई थी और यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वन पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) ऊतक सम्वर्धन से कितनी पौध उगाई गई और इन पौधों की अनुमानित जीवन दर क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बकी की सहायता से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1981-83 की अवधि के दौरान देश में 64.20 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र था। 1985-87 की अवधि में यह घटकर 64.01 मिलियन हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार 1981-83 और 1985-87 को किए गए मूल्यांकनों के बीच देश के वन क्षेत्र में 0.19 मिलियन हैक्टेयर की कमी हुई है।

(ख) लगातार वनों की कटाई पर सरकार का ध्यान गया और सरकार ने एक सुधारात्मक उपाय के रूप में व्यापक वनरोपण के लिए 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की।

(ग) (1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऊतक सम्वर्धन के अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के बारे में उनके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

—उत्तक सम्वर्धन तकनीकों का प्रयोग करके विशिष्ट वन वृक्षों के बड़े पैमाने पर सूक्ष्म-प्रजनन और सामूहिक बहुगुणीकरण करने के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे और टाटा ऊर्जा अनुसंधान, नई दिल्ली में प्रायोगिक संयंत्र सुविधाए

स्थापित करने के लिए फरवरी, 1989 में दो परियोजनाएं मंजूर की गई।

—विशिष्ट राष्ट्रीय महत्व की वन वृक्ष प्रजातियों के जरिए पौधा पुनर्जनन के लिए उत्तक सम्वर्धन तकनीकों के विकास और मानकीकरण के लिए 8 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू की गई।

—उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.46 करोड़ रु० की राशि रिलीज की गई।

2. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला म वैज्ञानिक सागौन, बांस, सफेदा और साल्वे-डोरा प्रजातियों के उत्तक सम्वर्धन पर अनुसधान कर रहे हैं।

3. कोयम्बटूर में भारतीय वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान को 1986 में भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद के तहत 6 संस्थाओं में से एक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। कोयम्बटूर में उतक सम्वर्धन के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य करने के लिए एक प्रभाग खोला गया है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त परियोजनाओं में पैदा किए गए उत्तक संवर्धन पौधों की कुल सं० 23,000 है। उत्तरजीवितता की वर्तमान दर 85-90 प्रतिशत है।

### हासन (कर्नाटक) में यूथ होस्टलों का निर्माण

8598. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान कर्नाटक में हासन जिले में किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय सहायता से यूथ होस्टलों का निर्माण किया गया है;

(ख) इन यूथ होस्टलों के निर्माण के लिए कुल कितनी सहायता-राशि दी गई है; और

(ग) वर्ष 1990 के दौरान कर्नाटक में हासन जिले में किन-किन स्थानों पर यूथ होस्टलों का निर्माण करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) हासन नगर में ही एक युवा छात्रावास का निर्माण किया गया है।

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसके निर्माण के लिए 27,:7,573 00 रुपये की राशि दी गई है। इसकी साज-सज्जा के लिए राज्य सरकार को भी 1.60 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पुरातत्वीय अवशेष

8599. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अनेक पुरातत्वीय अवशेष जीर्णावस्था में पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अथवा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक और स्थल जीर्णावस्था में नहीं हैं। इस जिले में कुछ स्मारकों का संरक्षण राज्य सरकार भी करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## धान की भूसी से सिलिका तैयार करना

8600. **श्री ए० के० राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की भूसी से अच्छी किस्म की सिलिका तैयार करने की कोई प्रौद्योगिकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक रूप से देश में कहीं उपयोग में लाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) जी हां, धान की भूसी की राख से अच्छी किस्म का सिलिका उत्पादन करने के लिए देशी प्रौद्योगिकी है।

(ख) इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर द्वारा धान की भूसी की राख से सिलिका तैयार करने की तकनीकी जानकारी विकसित की गई थी और इच्छुक उद्यमियों को उक्त तकनीकी जानकारी का लाईसेन्स प्रदान करने के लिए उसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन०आर०डी०सी०) को सौंप दिया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) धान की भूसी राख से अवक्षेपित सिलिका के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी का लाईसेंस एन०आर०डी०सी० द्वारा 11 जून, 1986 को मेसर्स यूनिक सिलिका डेवलपमेंट प्रा० लिमिटेड, मेहताब रोड, उड़ीसा को दिया गया था जिसने कटक में एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया है। नवम्बर, 1989 में संयंत्र में जांच (परीक्षणात्मक)—उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

## भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर द्वारा नई सीमेंट प्रौद्योगिकी का विकास

8601. **श्री ए० के० राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने धान की भुसी से सीमेंट बनाने की प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सीमेंट उत्पादन के लिए इस प्रौद्योगिकी का कहीं इस्तेमाल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) और (ख) जी, हां। आई०आई०टी०, खड़गपुर ने विशेष सीमेंट के लिए तथा सिलिका उत्पादों के लिए चावल (भूसी) पर आधारित प्रक्रिया विकसित की है। इस सीमेंट प्रक्रिया को पेटेन्ट करा लिया गया है और इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए एन०आर०डी०सी० को दे दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी भी कम्पनी ने इस सीमेंट की जानकारी अभी तक नहीं ली है। तथापि, सिलिका उत्पादों का कटक में यूनिक सिलिका डवलपमैन्ट द्वारा व्यावसायीकरण किया जा चुका है।

## राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन

8602. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन करने सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसमें प्रबन्धन स्तर पर स्वयं सेवी सगठनों की क्या भूमिका होगी ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) और (ख) यह निश्चित किया गया है कि राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड परती भूमि विकास कार्यक्रमों का मार्गदर्शन और पर्यवलोकन करेगा और कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यान्वयन में जन सहयोग प्राप्त करने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने और अन्तर्विषय समन्वय स्थापित करने के लिए मिशन का दृष्टिकोण अपनाएगा।

(ग) बोर्ड के प्रबन्ध में स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

## सड़कों, रेलवे लाइनों इत्यादि के दोनों ओर वृक्ष लगाना

[हिन्दी]

8603. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाने के बारे में 9 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3970 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइनों, सड़को और नहरों की, राज्य-वार, कुल लम्बाई कितनी है तथा कितनी लम्बाई में रेलवे लाइनों, सड़कों और नहरों के दोनों ओर वृक्ष लगाये जा चुके हैं और इनमें फल वाले वृक्षों की संख्या कितनी है; और

(ख) सड़कों, रेलवे लाइनों और नहरों के दोनों ओर फल वाले वृक्ष लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

### रायगढ़ में बांध के निर्माण को मंजूरी

[अनुवाद]

8604. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रायगढ़ जिले में बोरली-पंचातन और श्रीवर्धन तहसील के आसपास क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई करने हेतु एक छोटे से बांध का निर्माण कार्य पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) से (ग) सभी जल विद्युत परियोजनाएं तथा केवल मुख्य सिचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाती हैं । किन्तु बोरली-पंचातन के लिए पेय जल आपूर्ति हेतु लघु बांध परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है ।

### विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय को अनुदान

8605. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लोनरा स्थित डा० बाबासाहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग को रायगढ़ जिले के लोनरा में डा० बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

### महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कालेज खोलना

8606. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग कालेज अथवा उससे सम्बद्ध कोई उच्च प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के पिछड़े इलाके में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने की लम्बे समय से चली आ रही मांग को कैसे पूरा करेगी ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण क्षेत्र में लोनारो में एक बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय का गठन किया है जिसने कोंकण क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए जून, 1989 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम जून, 1989 से आरम्भ कर दिया गया है। इसके अलावा और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

### इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का कारोबार

8607. **श्री रामदास सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का कारोबार प्रतिवर्ष कितना होता है;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पादन 9210 करोड़ रु० होने की सम्भावना है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का उत्पादन 11950 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

### विवरण

देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए अभी हाल ही में नीति विषयक निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं :—

(क) एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत कई श्रेणी की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात करने तथा विदेशी सहयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिन यूनिटों में विदेशी-साम्या-पूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत से कम है उन्हें सभी क्षेत्रों में अनुमति प्रदान की जाती है।

(घ) लघु उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय उद्योग निवे-

शालयों के स्तर पर अनेक वस्तुओं के अनुमोदनों को विकेन्द्रीकृत किया गया है। इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाकर 35 लाख रुपए तथा सहायक इकाइयों के लिए सीमा बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी गयी है।

(ङ) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम लागत पर अधिक उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की दृष्टि से जिन संघटक-पुर्जों को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था, उन्हें अनारक्षित कर दिया गया है।

(च) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिकी के लगभग सभी क्षेत्रों में, एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने से छूट दी गई है।

(छ) टेलीफोनों, इलेक्ट्रॉनिक शाखा स्वचालित एक्सचेंजों (ई०पी०ए०बी० एक्स०), दूर मुद्रकों, प्रतिदर्श उपस्करों, आंकड़ा संचार टर्मिनलों आदि के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों को अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 2000 लाइनों से कम क्षमता वाले कुछ स्विचन उपस्करों और 120 ध्वनि/आंकड़ा चैनलों से कम क्षमता वाले सम्प्रेषण उपस्करों के विनिर्माण की अनुमति भी निजी क्षेत्र में दी जाती है। निजी क्षेत्र केन्द्रीय/राज्य सरकार की सहभागिता से, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत साम्यापूंजी शेयर हो, अन्य दूरसंचार की वस्तुओं का निर्माण भी कर सकता है।

(ज) कम्प्यूटर उद्योग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य मूल्य पर अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटरों के विनिर्माण पर बल दिया जाता है तथा आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है।

(झ) उत्पादन तथा साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई साफ्टवेयर नीति की घोषणा की गई है।

(ञ) कच्ची सामग्रियों, संघटक पुर्जों तथा पूंजीगत उपस्कर पर लगने वाले आयात शुल्क को घटा दिया गया है। संघटक पुर्जा उद्योग के लिए कच्ची सामग्रियों, कल-पुर्जों तथा अर्ध-विनिर्मित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है।

(ट) उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से आयात नीति को तर्कसंगत बनाया गया है।

(ठ) सरकार इलेक्ट्रॉनिकी के समुचित अनुप्रयोगों को बढ़ावा दे रही है ताकि उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मरम्मत-सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(ड) नित-नूतन खोज, उत्पाद डिजाइन तथा विकास और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, राष्ट्रीय रेडार परिषद्, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिषद् तथा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विकास परिषद् (ई०एम०डी०सी०)

द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं क्योंकि एक स्वस्थ इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिए ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं।

(ढ) पहले से सुनिश्चित किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास-कार्य करने के लिए प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, (एम०सी०एस०टी०) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र, (सी-डाट), उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी-डैक) सामग्री-विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी-सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र और कई इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों आदि जैसे विभिन्न अनुसंधान केन्द्र और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, क्योंकि एक स्वावलम्बी औद्योगिक आधार विकसित करने का यह भी एक उपाय है

### आंध्र प्रदेश में प्रदूषण फैलने वाले औद्योगिक एकक

8608. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में औद्योगिक एककों द्वारा वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण फैलाए जाने के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली 120 बड़ी इकाइयों का पता लगाया है।

(ख) इस सभी 120 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 56 औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के निदेश दिए गए हैं।

### प्रदूषित भूजल

8609. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, दिल्ली द्वारा देश के ऐसे गांवों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; जहां के ग्रामवासियों पर प्रदूषित भूजल का प्रतिप्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) "बिछरी : एक संकटग्रस्त गांव : भूमिगत जल प्रदूषण का एक केस अध्ययन" विषय पर केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक प्रारम्भिक अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है।

(ख) अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) क्षेत्र के कुंओं में प्रदूषण की मात्रा और गम्भीरता का अध्ययन करना।

(2) प्रदूषण के फैलाव की सम्भावना का पूर्वानुमान लगाना, और

(3) इस प्रदूषण के सम्भावित प्रभावों और निहितार्थों का अध्ययन करना।

अब तक दो सर्वेक्षण किए गए हैं। प्रारम्भिक निष्कर्षों के अनुसार, बिछरी में स्थित कुछ उद्योगों से बहिस्रावों के विसर्जन के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के भूमि गत जल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

केरल की पनबिजली परियोजनाएं

8610. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को पूयमकुट्टी, कारापारा और कुरियारकुट्टी पन बिजली परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो संशोधित प्रस्ताव मगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इनमें से किसी परियोजना का मौके पर जाकर अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक परियोजना के पर्यावरण पर सम्भावित प्रभाव के सम्बंध में निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) 1979 में प्रस्तुत की गई कारापारा कुरियारकुट्टी पन बिजली परियोजना को उसके प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के कारण नामंजूर कर दिया गया था। तत्पश्चात् पालघाट क्षेत्र की जल और ऊर्जा आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए गठित एक विशेष दल के सुझावों को शामिल करके राज्य के प्राधिकारी इस प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए 1989 में सहमत हुए। पूयमकुट्टी परियोजना में संशोधन करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां।

कारापारा कुरियार कुट्टी परियोजना पर 1982 में तैयार की गई एक रिपोर्ट से पता चला कि इससे ऊष्ण कटिबंधी वर्षा वनों का विनाश होगा और पैराम्बी कुलम अभयारण्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पूयमकुट्टी परियोजना अध्ययन से पता चलता है कि इससे वनसम्पदा तथा क्षेत्र के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा

[हिन्दी]

8611. श्री रामजी लाल सुमन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत चल रहे स्कूलों में 10 वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विज्ञान के तीनों विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मौजूदा प्रणाली को बदलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) से (ग) विज्ञान में परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दोनों नई और पुरानी योजनाओं के अन्तर्गत, 10 वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए सभी तीनों विज्ञान विषयों को अलग-अलग पास करने की आवश्यकता नहीं है ।

10 वीं कक्षा के लिए अध्ययनों की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई योजनाओं में, विज्ञान एक समेकित विषय के रूप में पढ़ाया जाता है जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान शामिल हैं । छात्र को 10 वीं कक्षा की परीक्षा में केवल एक विज्ञान पेपर में बैठना होता है ।

परीक्षा की यह नई योजना मार्च, 1990 की परीक्षा से केन्द्रीय विद्यालयों में शुरू की गई थी और मार्च, 1991 परीक्षा से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध अन्य सभी स्कूलों में शुरू की जाएगी ।

### सचिवों और अतिरिक्त सचिवों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

[अनुवाद]

8612. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से भारत सरकार के कुछ वर्तमान सचिवों और अतिरिक्त सचिवों के विरुद्ध रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सम्बद्ध व्यक्तिगत अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु अलग-अलग रिपोर्टें भेजी हैं;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ङ) उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :** (क) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से 1989 में कुछ लेनदेनों के बारे के एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें इसी स्तर के एक अधिकारी के आचरण पर भी टिप्पणी की गई थी । यह मामला सरकार के जांचाधीन है ।

### राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

8613. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने साक्षरता मिशन को और अधिक आकर्षक तथा

प्रभावी बनाने की दृष्टि से विद्यमान कार्यक्रम में परिवर्तन करके कुछ नई प्रारम्भिक पुस्तकें लागू की हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य को प्रारम्भिक पुस्तकों का एक पृथक सेट निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों को जब भी समय मिले वे इसका लाभ उठा सकें;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश जैसे हिन्दी भाषी राज्य को अब तक ऐसी कितनी प्रारम्भिक पुस्तकें सप्लाई की गई हैं;

(घ) उक्त मिशन के अन्तर्गत इसके आरम्भ होने के समय से अब तक कितने लोगों के नाम पंजीकृत किए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने लोगों के पंजीकृत किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम की मुख्य रूप रेखा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के सम्पूर्ण मार्गदर्शन में अध्ययन की गति और विषयवस्तु में सुधार करने के लिए नए प्राइमर तैयार किए गए हैं।

(ख) कार्यात्मक साक्षरता के व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत, विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों के छात्रों को 1986 से साक्षरता किटें मुफ्त प्रदान की जा रही हैं।

(ग) राज्य संसाधन केन्द्रों के माध्यम से साक्षरता किटें तैयार की जाती हैं। साक्षरता किटों की संख्या, जो हिन्दी भाषी राज्यों के राज्य संसाधन केन्द्रों को कार्यात्मक साक्षरता के व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग के लिए 1990-91 के दौरान तैयार करने के लिए कहा गया है, निम्नलिखित हैं :—

| क्र० सं० | राज्य/संघशासित क्षेत्र | साक्षरता किटों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | बिहार | 1,50,000 |
| 2. | हरियाणा | 24,000 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 80,000 |
| 4. | राजस्थान | 2,00,000 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 2,50,000 |
| 6. | दिल्ली | 10,000 |

(घ) उन व्यक्तियों की कुल संख्या, जिन्हें बताया जाता है कि 1988-89 और 1988-90 (दिसम्बर, 1989 तक) के दौरान दाखिल किया गया है, क्रमशः 85.23 लाख और 84.56 लाख हैं। चालू वर्ष में नामांकित व्यक्तियों की संख्या पिछले वर्ष की संख्या से अधिक हो जाने की सम्भावना है।

(ङ) साक्षरता में केन्द्रीय मुद्दा, शिक्षार्थियों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। इस दिशा में उठाए गए विशिष्ट कदमों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(i) नई समेकित प्रवेशिका (प्राइमर) को अपना कर कार्यक्रम की कोटि और गति में सुधार करना, जिससे प्रेरणा को बनाए रखने के लिए स्वयं-निर्देशित शिक्षण और स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।

(ii) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण के संदेश और ऐसे अन्य मुद्दों, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के जीवन से सीधे हित में हों, का प्राइमरों में समाकलन करना।

(iii) कार्यकर्ताओं जैसे अनुदेशकों, प्रेरकों और परियोजना अधिकारी जो निष्ठावान और प्रशिक्षित हों, का चयन करना।

(iv) बेहतर रोशनी व्यवस्था, उन्नत शिक्षण/अध्ययन सामग्री इत्यादि प्रदान करके प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में सुविधाओं में सुधार करना।

(v) जत्थों अथवा सांस्कृतिक कारवाओं, जो साक्षरता को महत्व दें, के माध्यम से साक्षरता सहायक वातावरण का सृजन करना।

(vi) जन शिक्षा निलायम के माध्यम से उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के लिए एक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करना।

(vii) इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रेरणात्मक फिल्मों/स्पोट्स का उपयोग।

### दक्षता-रोध संबंधी मामले

8614. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा दक्षता-रोध पार करने के बारे में कार्मिक विभाग के दिनांक 30 मार्च, 1989 के ज्ञापन संख्या 29014/2/88-स्था० (क) में निहित अनुदेशों का सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुदेशों के अन्तर्गत इसका लाभ उन कर्मचारियों को न दिए जाने के क्या कारण हैं जिनके मामलों में, निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन संबंधित कर्मचारी ऐसा आदेश जारी करने के समय कोई दण्ड भुगत रहे थे ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) जी, हां। कोई भी विपरीत दृष्टान्त इस विभाग की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) मुहरबंद लिफाफे में रखी गई मूल सिफारिशों के बारे में दक्षता-रोध के मामलों की पुनरीक्षा के लिए उपबन्ध; जहां अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाहियां लघु शास्ति देकर समाप्त कर दी जाती है, दिनांक 30.3.1989 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू हो गया है और इसलिए भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होता है। ऐसा कोई मामला, जहां अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाहियां उक्त तारीख से पूर्व पहले ही समाप्त हो गई थी और सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी पर लघु शास्ति जारी है, इन अनुदेशों के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं आता।

### तंजावुर में दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

8615. **श्री एस० सिंगरावडी वेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजावुर में दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र अभी तक अपने निजी भवन के बिना चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सांस्कृतिक केन्द्र को विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, नहीं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार ने दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के लिए तंजावुर स्थित पैलेस कम्पलैक्स में संगीत महल निःशुल्क उपलब्ध करवाया है।

(ख) जैसी कि मूल रूप में परिकल्पना की गई थी, केन्द्रीय सरकार ने दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को अपने हिस्से की 5.00 करोड़ रुपए की धनराशि दे दी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने कोषंस फंड के लिए संघ-शासित क्षेत्रों के हिस्से का भुगतान भी कर दिया है।

### दादरा और नागर हवेली को वित्तीय आवंटन

8616. श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री आर० एन० राकेश } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए दादरा और नागर हवेली प्रशासन को शेयर पूंजी अंशदान आवंटित/जारी नहीं किया है;

(ख) यदि, हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुल कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है और यह कब तक जारी कर दी जाएगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) दादरा और नागर हवेली प्रशासन द्वारा शेयर पूंजीगत अंशदान सिल्वासा स्थित चीनी कारखाना परियोजना से सम्बन्धित है। वार्षिक योजना 1989-90 तथा 1990-91 में, परियोजना की व्यवहार्यता, पर्यावरण पर प्रभाव तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं के बारे में विस्तृत विचार किए जाने तक सांकेतिक प्रावधान किया गया था। परियोजना की स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय हाल ही में लिया गया है।

(ग) दी जाने वाली संभावित कुल धनराशि संघ राज्य क्षेत्र के लगभग 8.00 करोड़ रु० की राशि के इक्विटी शेयर के समतुल्य होगी। यह चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाएगी।

### आरक्षण नीति

8617. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति तथा इसे आगामी 10 वर्षों तक बढ़ाए जाने के विरुद्ध आम जनता में, विशेष रूप से विद्यार्थियों में असंतोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लोगों में हीन भावना को दूर करने तथा इस नीति में उचित संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) और (ख) भारत सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के विरोध में दिसम्बर 1989 में देश के कुछ भागों से आंदोलन की सूचना मिली थी।

भारत सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत है तथा इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। संविधान के 63वें संशोधन द्वारा लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। सरकार की नीति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## वानिकी शिक्षा

8620. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी और कृषि छात्रों ने मांग की है कि वानिकी शिक्षा राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू कराई जाए और वन विभागों में भर्ती के वर्तमान नियमों में संशोधन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भर्ती नियमों में कब तक संशोधन किया जाएगा ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भर्ती/परीक्षा नियमों में पहले ही उचित संशोधन कर दिए गए हैं ताकि वानिकी के स्नातक भारतीय वन सेवा की परीक्षाओं में बैठ सकें। मार्च, 1988 में सभी राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे राज्य वन सेवा और रेंजर संवर्गों में भर्ती के लिए वानिकी के स्नातकों को पात्र बनाने के लिए कार्रवाई करें। उनसे यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की भर्ती के लिए वानिकी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाए।

## राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड

8621. **श्री के० एस० राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वे उद्देश्य पूरे हो गए हैं जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड का गठन 1987 में किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन सुरक्षा में सुधार लाना था। अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड ने सम्बन्धित परिवहन मंत्रालयों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

इस बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि यह अधिक उपयुक्त होगा यदि क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाए बजाय इसके कि इसी उद्देश्य के लिए अलग से एक संगठन हो। इससे एक ऐसे पूर्ण संगठन पर होने वाले व्यय को भी बचाया जाएगा।

**पर्यावरण कोष**

**8622. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार द्वारा बनाए गए वनस्पति संरक्षण कोष के स्थान पर पर्यावरण कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित पर्यावरण कोष की मुख्य शर्तें क्या हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमरीका में हाल में हुए विश्व पारिस्थितिकीय सम्मेलन के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रखा था ?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) :** (क) पृथ्वी संरक्षण कोष के स्थान पर पर्यावरण कोष बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय मंच की बैठकों में क्लोरोफ्लूरोकार्बन्स (सी० एफ० सी०) के विकल्प का पता लगाने में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए एक उपयुक्त निधिकरण तंत्र की स्थापना पर चर्चा की जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**पंजाब सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति**

**8623. बाबा सुच्चा सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में एक सरकारी कर्मचारी को देय सभी प्रकार की छुट्टियों और सार्वजनिक अवकाशों को घटाकर तथा उसके द्वारा सामान्यतः ली जाने वाली अनधिकृत छुट्टी और अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर पंजाब सरकार का एक कर्मचारी औसतन कितने घंटे काम करता है;

(ख) कार्य दिवसों तथा अन्य दिवसों में औसतन कितने सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय पर नहीं रहते हैं;

(ग) सरकारी कर्मचारियों द्वारा नाम से अथवा बेनामी ढंग से किस हद तक निजी व्यापार या व्यवसाय किया जाता है;

(घ) कितने सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो श्रमिक संघों का काम करते हैं या सामाजिक कार्य करते हैं और जिन्हें कार्यालय के कार्य से मुक्त कर दिया गया है; और

(ङ) पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की कार्यालय से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :** (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है

और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में कारखानों द्वारा प्रदूषण

8624. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सिरोही जिले में लक्ष्मी सीमेंट, जे० के० पुरम और उदयपुर, राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा धुआं, धूल और गन्दा पानी छोड़े जाने के कारण भारी पर्यावरणीय प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उनके पास अपशिष्ट शोधन प्रणालियां हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन दोषी एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जे० के० पुरम में लक्ष्मी सीमेंट और उदयपुर में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के उत्सर्जन और बहिस्राव निर्धारित मानकों से अधिक रहे हैं।

(ख) और (ग) जे० के० पुरम में लक्ष्मी सीमेंट और उदयपुर में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अब प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगा लिए हैं। उत्सर्जन और बहिस्राव राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और फिलहाल इन दो यूनिटों से कोई गम्भीर पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं हो रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवा में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण

8625. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिविल सेवाओं और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में महिलाओं के लिए पद आरक्षित करने के मामले पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है; तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सरकार के अधीन कुछ उपयुक्त व्यावसायों/सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण किए जाने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।

योजना आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य

8626. श्री चांद राम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1951 में योजना आयोग के गठन को लेकर अब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य इसका सदस्य नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन जातियों अथवा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से किसी सदस्य को योजना आयोग में नियुक्त करने का है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन)** : (क) और (ख) योजना आयोग में इस प्रकार की कोई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कितने व्यक्तियों को योजना आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बिना किसी जाति-भेद के उनकी निजी ख्याति तथा सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु आयोजना के लिए सुसगत किसी न किसी क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है।

(ग) जी, हां।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी**

8627. **श्री चांद राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी हैं और कुल अधिकारियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी होने चाहिए;

(घ) भारत सरकार में कुल कितने सचिव हैं और उनमें से कितने सचिव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ङ) भारत सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी अतिरिक्त सचिव; संयुक्त सचिव और निदेशक पद पर कार्यरत हैं और इन पदों पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं; और

(च) अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों और निदेशकों के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) दिनांक 1.1.1990 की स्थिति के अनुसार देश भर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या 4991 है।

(ख) 1.1.90 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या 572 है जो कुल पद संख्या का 11.5 प्रतिशत बैठता है। 1.1.90 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या 280 है और कुल पद संख्या का 5.6 प्रतिशत बनता है।

(ग) सीधी भर्ती के कोटे में अनुसूचित जाति के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7. 1/2% आरक्षण है।

(घ) भारत सरकार के सचिवों की कुल संख्या 46 है तथा उनमें से कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का नहीं है।

(ङ) अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा निदेशकों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी जाती है :—

| पद का स्तर | 30.4.90 की स्थिति के अनुसार कुल संख्या | इनमें से निम्नलिखित से संबंधित | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अनु० जाति | अनु० जनजाति | अन्य |
| अपर सचिव | 38 | — | — | 38 |
| संयुक्त सचिव | 171 | 6 | 1 | 164 |
| निदेशक | 110 | 12 | 4 | 94 |

(च) केन्द्रीय स्टॉफिंग योजना के अन्तर्गत भारत सरकार में अपर सचिव, संयुक्त सचिव तथा निदेशक के पद अखिल भारतीय सेवा तथा केन्द्रीय सरकार के सहभागी संगठित सेवाओं के समूह "क" से अधिकारी लेकर भरे जाते हैं। समस्त अधिकारी निर्धारित अवधि के लिए अपनी मूल सेवा से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

## वनों की कटाई

8628. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की कटाई का एक कारण 4 करोड़ क्यूबिक मीटर ईंधन लकड़ी के उत्पादन की तुलना में इसकी मांग का 23.5 करोड़ क्यूबिक मीटर होना है; और

(ख) यदि हां, तो ईंधन लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा वनों को बचाने के लिए भी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ईंधन की लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने और वनों को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दिया जाता है।

(2) ग्रामीण लोगों को ईंधन, चारा और इमारती लकड़ी के वैकल्पिक स्रोत मुहैया कराने के लिए सामाजिक वानिकी और परती भूमि विकास पर बल देना।

(3) अवक्रमित भूमि में पुनर्वनरोपण और पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली द्वारा परती भूमि विकास कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए परती भूमि विकास बोर्ड

को एक नोडल एजेन्सी के रूप में गठित किया गया है जिसके उद्देश्य निम्न-लिखित हैं :—

—भू-अवक्रमण को रोकना

—परती भूमि को दीर्घकालीन उपयोग में लाना

—बायोमास, विशेषकर ईंधन की लकड़ी/चारा उपलब्धता में वृद्धि; और

—पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली।

**जीव-प्रौद्योगिकी-संबंधी विज्ञान में उद्योग सार्थ संघ**

8629. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीव-प्रौद्योगिकी-संबंधी विज्ञान उद्योग सार्थ संघ शीघ्र कार्य करने लगेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन)** : (क) और (ख) जी हां, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने देश में जैव प्रौद्योगिकी में एक विज्ञान उद्योग सार्थ संघ स्थापित करने की पहल की है। मौजूदा वैज्ञानिक अवसंरचना, शिक्षाविद, उद्योग और वित्तीय संस्थान इस क्रियाकलाप के साथ सहबद्ध होंगे। विस्तृत कार्य क्षेत्र, कार्यक्रम विषयवस्तु, संगठनात्मक संरचना, प्रबन्ध नीतियां और परिचालनात्मक ब्यौरे निर्धारित किए जा रहे हैं। जो उद्योग और वित्तीय संस्थान, इस कार्य में भाग लेंगे, उनकी सूची तैयार की जा रही है। इस परियोजना के अगस्त-सितम्बर, 1990 तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है। इसमें उत्पाद और प्रक्रिया विकास तथा सुधार, संगत अनुसंधान तथा विकास पहलुओं और लोगों को प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा।

**वायुसैनिकों और गैर-सैनिकों की नियुक्ति**

8630. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुसेना मुख्यालयों में वायुसेना यूनिटों में स्वीकृत संख्या से कितने अधिक वायु सैनिक और कितने गैर-सैनिक तैनात हैं;

(ख) यह नियमों और विनियमों के अन्तर्गत मान्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको उचित स्थानों पर तैनात न करने के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना)** : (क) वायुसेना मुख्यालय में स्वीकृत से अधिक संख्या में तैनात वायुसैनिकों और असैनिकों की संख्या क्रमशः 98 और 91 है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### नरेला, दिल्ली में पेड़ों का सफाया करना

8631. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरेला क्षेत्र में एक बड़े क्षेत्र का नरेला टाउनशिप के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहण किया गया है और वहां पेड़ों का सफाया किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पेड़ों को काटने के मामले की जांच करने के लिए इस क्षेत्र का स्थल सर्वेक्षण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह कारंवाई कब को जाएगी;

(घ) क्या इस भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी पर्यावरण और वन मंत्रालय से ले ली गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का ऐसे मामलों की समीक्षा करने का विचार है, जिनमें पहले मंजूरी दे दी गई थी; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नरेला नगर क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए 1134 एकड़ क्षेत्र अधिग्रहीत कर लिया गया है और इस क्षेत्र मे किसी भी बड़े वृक्ष को नहीं उखाड़ा गया है।

(घ) से (छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार उनके द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि वन भूमि नहीं है और इसलिए इस भूमि के अधिग्रहण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से कोई स्वीकृति नहीं ली गई।

### अनुसंधान और विकास व्यय

8632. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा किया जा रहा अनुसंधान और विकास व्यय उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर अधिक धनराशि व्यय करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस बीच कोई कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) :(क) से (ग) देश में अनुसंधान और विकास का लगभग 80 प्रतिशत व्यय प्रमुख अनुसंधान संगठनों के माध्यम से उनकी प्रयोगशाला श्रृंखला सहित सरकार द्वारा किया जाता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में

इनमें से कुछ अनुसंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियां औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। लगभग 20 प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास व्यय उद्योग द्वारा वहन किया जाता है। उद्योग द्वारा उद्योग में अनुसंधान और विकास भारत में हाल ही में शुरू हुआ है और धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है। विभिन्न क्रियाविधियों के माध्यम से अनुसंधान और विकास संस्थाओं, शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए नवीन पहल और प्रयास किए गए हैं। यह सुनिश्चित करना है कि अनुसंधान और विकास कार्य व्यवहारात्मक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उत्तरोत्तर प्रासंगिक बन और औद्योगिक कार्य कुशलता को उन्नत करने के लिए इसका प्रभावकारी उपयोग हो।

उद्योगों में इन-हाउस अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी० एस० आई० आर०) की एक योजना है। वर्तमान में, उद्योगों में 1200 से अधिक इन-हाउस अनुसंधान तथा विकास यूनिटें हैं। जिनको डी० एस० आई० आर० द्वारा वैध मान्यता प्रदान की हुई है। उद्योगों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं: औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास की उपलब्धियों की मान्यता के लिए पुरस्कार प्रदान करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित एम० आर० टी० पी० कम्पनियों सहित उद्योगों को लाईसेन्स प्रदान करने में प्राथमिकता देना, देशी प्रौद्योगिकी के उपयोग व वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किए गए व्यय के लिए राजस्व (फिस्कल) प्रोत्साहन प्रदान करना।

### अनुसंधान और विकास पर व्यय

8632. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास (आई० आर० एण्ड डी०) और अन्य सम्बद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों पर किया जाने वाला वर्तमान व्यय पर्याप्त नहीं है और उत्पादकता बढ़ाने के मामले में इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से अनुसंधान और विकास पर इस हो रहे व्यय का प्रतिशत कितना है; और

(ग) अनुसंधान और विकास व्यय प्रतिशत में वृद्धि द्वारा देश के प्रौद्योगिकी स्तर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) अनुसंधान तथा विकास पर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा वर्तमान व्यय राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास व्यय का लगभग 20 प्रतिशत है; वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से मान्यता प्राप्त 1200 से अधिक घरेलू अनुसंधान व विकास यूनिटों द्वारा विकास तथा अनुसंधान पर किया गया व्यय उनकी कुल बिक्री का लगभग 0.7 प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रगतिशील देशों में उद्योग पर किया गया अनुसंधान तथा विकास व्यय राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास व्यय का लगभग 70 प्रतिशत है; तथा औद्योगिक यूनिटों द्वारा किया गया अनुसंधान तथा विकास व्यय उनकी कुल बिक्री का लगभग 4 प्रतिशत है और उच्च तकनीकी

क्षेत्रों जैसे इलैक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर्स, फार्मास्यूटिकल्स तथा वायु अन्तरिक्ष में इससे भी अधिक है। इस प्रकार अनुसंधान व विकास पर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा वर्तमान व्यय तथा सम्बन्धित विज्ञान व प्रौद्योगिकी गतिविधियां अपर्याप्त मानी जानी चाहिए।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भारत में उद्योगों द्वारा किए गए अनेक अन्वेषणों तथा नवीकरणों का उपयोग सामग्री अथवा घटकों (पुर्जों) का आयात प्रतिस्थापन करने, विशेष आयातित प्रौद्योगिकियों का आमेलन करने तथा कुछ प्रौद्योगिकियों की उन्नति करने और उन्हें व्यावसायिक बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में किया गया है।

(ख) अनुसंधान तथा विकास पर होने वाला वर्तमान व्यय कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक है जिसमें से लगभग 0.2 प्रतिशत का योगदान गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

(ग) भारत में उद्योग में उदयोग द्वारा अनुसंधान तथा विकास एक नई शुरूआत है तथा हाल के वर्षों में समृद्ध हो रही है। सरकार ने इसकी आवश्यकता को मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ उपाय विकसित किए हैं जैसे उद्योगों में घरेलू अनुसंधान तथा विकास यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा मान्यता प्रदान करना, स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना; स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक बनाने के लिए उद्यम को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से परामर्शदात्री संस्थाओं तथा सिस्टम इंजीनियरी को समर्थन प्रदान करना; तथा उद्योगों में आयातित प्रौद्योगिकी को आमेलित करने के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करना। सरकार उद्योग द्वारा अनुसंधान व विकास पर व्यय के उच्च प्रतिशत व नई प्रौद्योगिकियों के विकास करने व उत्पादकता को उन्नत करने के लिए इसके अर्थपूर्ण अनुप्रयोग देखना पसन्द करेगी।

---

12.00 मध्याह्न

श्री वसंत साठे (वर्धा) : जैसाकि आप जानते हैं कि सरकार में उच्च पदों पर आसीन-प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सभी द्वारा बार-बार किये गए वायदों के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभी भी वृद्धि हो रही है। पूरे देश में आन्दोलन किया जा रहा है। आज देश के सभी जिलों में 20 लाख से भी अधिक लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। यहां भी ऐसा किया जा रहा है। दिल्ली से 50,000 से भी अधिक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महोदय, आपको एक ज्ञापन दिया जायेगा। मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को इस मुद्दे पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। यह प्रश्न सिर्फ एक पक्ष से नहीं बल्कि संसद और सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित है। हमारे कुछ मित्रों ने भी मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया है लेकिन जब वे यहां आते हैं तो एक भिन्न रवैया अपना लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि कम से कम जहां तक मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण संसद इस पर चिन्ता प्रकट करेगी। हम इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्हें हमें बताना चाहिए कि विदेशों से वे क्या लाए हैं। वाशिंगटन से आपने जो कुछ पाया है उससे क्या आपको भारत में मूल्य वृद्धि में कमी लाने में सहायता मिलेगी?

**प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा)** . ऐसी बात नहीं है कि इस मुद्दे पर सिर्फ आम लोगों द्वारा ही चिन्ता प्रकट की गयी हैं। आपको यह बात जाननी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि बाहर रहकर सरकार को समर्थन दे रही है, ने भी इस मुद्दे को लेकर आन्दोलन किया है। वामपंथी दलों ने भी ऐसा ही किया है। आज 20 मिलियन से भी अधिक लोग आंदोलन के मार्ग पर हैं। हम विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्हें इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए कि मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि नियम 193 के अन्तर्गत यहां एक चर्चा हुई थी। उस चर्चा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। इसलिए अब हम यह जानना चाहेंगे कि मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर माननीय वित्त मंत्री जी को क्या कहना है।

**श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व)** : आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य आम व्यक्ति के पहुंच से बाहर हैं। कलकत्ता में नमक का मूल्य 2 रुपये प्रतिकिलो हो गया है, मालदा में यह 2.80 रुपये है और कूच बिहार में यह 3 रुपये से 3.50 रुपये हो गया है···(व्यवधान) मैं जानता हूं आप इस बारे में चिन्तित नहीं है। आप गरीब लोगों के बारे में चिंतित नहीं है। महोदय, बंगाल में तुरन्त आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जानी चाहिए। आयोडीन युक्त नमक की पूर्ति तुरन्त की जानी है। प्रति दिन यहां मंत्री जो कहते हैं कि नमक कि आवश्यकता नहीं है लेकिन नमक का मूल्य इतना अधिक है कि आम व्यक्ति परेशान है। इसलिए तुरन्त ही सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए।

**श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे हमेशा से ऐसा विश्वास था और अभी भी मेरी यह धारणा है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री प्रो० मधु दण्डवते जी समाजवादी होने का दावा करते हैं···(व्यवधान)

**प्रो० पी०जे० कुरियन** : वे ऐसा दावा करते है।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : जी हां, वे दावा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा हो रही थी तो वे जानबूझ कर अनुपस्थित थे और बहुत—उनके अनुसार क्या हम इसे समाजवादी राष्ट्र कहेंगे?···(व्यवधान)

**वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते)** : जानबूझ कर अनुपस्थित ?

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : मैं यह बात दोहराता हूं, जान बूझ कर अनुपस्थित। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्र भर में आंदोलन हो रहे हैं, मूल्य वृद्धि अत्यधिक हो गयी है, हमारी मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच चुकी है, चीजें महगी होती जा रही हैं, अन्य वस्तुओं की भांति नमक भी मूल्यवान वस्तु होता जा रहा है। उन्हें इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वे अभी भी बगैर किसी चिन्ता के शांत बैठे हुए हैं और हेड फोन द्वारा सारी बातें सुन रहे हैं। महोदय, क्या वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगें? क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप उनसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहें। यह कैसी प्रणाली है? हममें से चार लोगों ने अभी इसका जिक्र किया है और अभी भी वे शान्त बैठे हुए हैं। क्या आज वे नियम 193 के अन्तर्गत हुई चर्चा का जवाब देंगे? वे कब वक्तव्य देगें? किस प्रकार वे वक्तव्य

देगें ? हम उनकी प्रतिक्रिया अभी जानना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** जी हां, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी···

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन :** महोदय, उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए।

**प्रो० मधु दण्डवते :** यह पहले ही कल के लिए रखा जा चुका है।

**अध्यक्ष महोदय :** वह कल जवाब दे रहे हैं···

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को कुछ अन्य मुद्दे उठाने हेतु आमंत्रित किया है···

[हिन्दी]

वह खड़े हैं।

(व्यवधान)

**श्री कल्पनाथ राय (घोसी) :** अध्यक्ष महोदय, मंहगाई बहुत बढ़ रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** इस पर कल चर्चा होगी। मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं। वे यहां उपस्थित हैं···

(व्यवधान)

**श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, महोदय··· (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** हम श्री कुण्डु के व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें···

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** हम उनके व्यवस्था के प्रश्न को भी सुन लें···

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कुन्डु जी आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। हम माननीय वित्त मंत्री जी की बात सुन लें।

(व्यवधान)

**श्री समरेन्द्र कुन्डू :** चाहे वित्त मंत्री जी हो या प्रधान मंत्री जी या अन्य कोई, व्यवस्था के प्रश्न को पहले सुना जाना चाहिए। व्यवस्था के प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** जी हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** व्यवस्था के प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**श्री समरेन्द्र कुन्डू :** महोदय, हम सब आपके आभारी हैं कि आप शून्य काल के समय कुछ अनुशासन लाए हैं और आपने सही कहा कि शून्य काल के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सूचना देनी चाहिए और जो सूचना देते हैं आप उन्हें बुलाएंगे। सूचना के बावजूद भी शोर शराबा होता रहता है। एक के बाद दूसरे··· (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। प्रो० मधु दण्डवते जी···

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कुन्डू जी आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये···

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा··

(व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते :** अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मूल्य वृद्धि पर चर्चा शुरू हो चुकी थी तथा जवाब देने की बात भी कार्य सूची में थी और मैं इस चर्चा का जवाब देने वाला था। लेकिन अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी उन्हें अपनी बात कहनी है। इसलिए मैं उठ गया था और एक अनुरोध किया था कि चूंकि मुझे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक से सम्बन्धित आवश्यक कार्य हेतु जाना था, मैंने लौटकर इस वाद विवाद का उत्तर देने की अनुमति सभा से मांगी थी और पूरी सभा ने कहा था कि वे चर्चा जारी रखेंगे।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) :** मधु जी को कौन 'नहीं' कहेगा ?

**प्रो० मधु दण्डवते :** बिल्कुल सही है। आप जैसे मित्र प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करेंगे। (व्यवधान) परिणामतः यह तय किया गया था कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिन निश्चित किया जायेगा। आज सुबह जैसे ही मैं लौटा हूं मैंने कल की कार्य सूची देखी। कल की सूची में जवाब देना रखा गया है और मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर दूंगा। (व्यवधान)

**प्रो० सैफुद्दीन सोज :** इस बीच मूल्यों में और वृद्धि हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

**प्रो० मधु दण्डवते :** इसलिए महोदय, मैं कल जवाब दूंगा। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जाए, जैसाकि श्री कुमारमंगलम

जी ने कहा कि मैं जान बूझ कर बाहर गया था। मैं सभा की अनुमति लेकर तथा लौटकर जवाब देने का आश्वासन देकर गया था। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि मैं कल 3 बजे बाद विवाद का जवाब दे रहा हूं। सौभाग्यवश आपने कल की कार्यसूची में इसे रखा है।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह आपकी सुविधानुसार है। आपको मुझे गलत नहीं समझना चाहिए।

[हिन्दी]

**प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) :** मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज सभी समाचार पत्रों में छपा है कि पाकिस्तान की सेनाएं भारत की सीमाओं के निकट आ गई हैं पाकिस्तान में आज, अखबारों और रेडियों के द्वारा बहुत जहरीले प्रचार हो रहे हैं। आतंकवादी प्रशिक्षण अड्डों को उन्होंने बन्द नहीं किया और आतंकवादी अड्डे आज भी उसी तरह से चलाये जा रहे हैं। वहां से लोग ट्रेनिंग लेकर हिन्दुस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान के अखबारों में हिन्दुस्तान से कश्मीर को मुक्त करने के लिए, इश्तिहार दिए जा रहे हैं और वालंटियर भर्ती किए जा रहे हैं जो हमारा शिमला समझौता हुआ था उसको भी नहीं माना जा रहा है। जब प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया था जोरदार चेतावनी दी, उसका एक अच्छा असर हुआ था परन्तु आज समाचार-पत्रों में आया है कि हमारे विदेश मंत्री श्री गुजराल साहब ने कह दिया है कि जो आतकवादी अड्डे हैं उन पर हिन्दुस्तान कोई कार्यवाही नहीं करेगा और हमारा कार्यवाही करने का कोई इरादा भी नहीं है, यह आज बैनर लाइन्स में छपा है। मैं यह चाहता हूं कि, प्रधान मन्त्री जी, यदि पाकिस्तान की सेनाएं निकट आ गई और जो शिमला समझौते को रोज तोड़ा जा रहा है, आतंकवादी अड्डे चलाए जा रहे हैं, और हमारे विदेश मन्त्रियों में जो बातें अमेरिका में हुई, उसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस प्रकार दो भाषाओं में बोलना-एक तरफ उसको चेतावनी देना और दूसरी तरफ कोई कार्यवाही न करने की बातें बोलना, यह बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर पाकिस्तान में यह हरकतें चलती रहेगी तो हिन्दुस्तान को कोई कदम उठाना पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी, इसके बारे में पूरे देश को कांफीडेंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि जो इस तरह का व्यवहार पाकिस्तान कर रहा है, उसके लिए प्रधानमन्त्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

**प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) :** महोदय, हम अपने मित्र से सहमत हैं। हम चाहेंगे कि माननीय रक्षा मंत्री जी और साथ ही प्रधान मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इस सभा में इसका उत्तर देने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) :** अध्यक्ष महोदय, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो 5-6 दिन पहले अधिकृत रूप से सरकार की ओर से बयान आया था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए जो अड्डे हैं, उनको उड़ा देंगे। यह बात सरकारी प्रवक्ता द्वारा कही गई और आज विदेश मंत्री जी इस तरह की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बृजभूषण तिवारी (डुमरियागंज)** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा है, आज समाचार पत्रों में इस आशय की खबर छपी है कि हमारे छंब इलाके में जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके निकट पाकिस्तानी टैंक काफी संख्या में लगाए गए हैं और अन्य प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। साथ ही साथ तमाम प्रकार के उत्तेजक बयानात पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से जारी हुए हैं। यह मामला बहुत ही गंभीर है और भारत की सुरक्षा से सम्बन्धित है। इसलिए मेरी भी आपके माध्यम से यह मांग है कि प्रधान मंत्री जी इस बारे में सदन में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री माणिक सान्याल (जलपैगुड़ी)** : महोदय, मैं सीमा सुरक्षा बल की गतिविधियों के द्वारा जलपैगुड़ी और कूच बिहार जिलों में उत्पन्न गम्भीर समस्याओं की ओर आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विभिन्न बहाने बनाकर जलपैगुड़ी और कूच बिहार के समस्त सीमान्त क्षेत्र में भारत और बंगलादेश के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर विगत कुछ समय से सीमा सुरक्षा बल ने अत्याचार करना शुरू कर दिया है।

महोदय, मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि कूच बिहार जिले के सलमारा गांव में 0 अप्रैल को एक घटना घटी थी।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सी० पी० आई० (एम०) के एक सदस्य श्री रमणी कांत बर्मन और उनके एक सम्बन्धी श्री भूतुआ बर्मन की उनके घर पर गोली मार कर हत्या कर दी। वे स्थानीय पुलिस अधिकारियों को धमका कर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा की जा रही जांच में सभी प्रकार की बाधाएं डाल रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ग्रामीणों को धमकी दी है यदि उन्होंने वर्तमान मामले में साक्ष्य के रूप में पेश होने का साहस किया तो उन्हें खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे। इससे सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

मैं मृतक के परिवार को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने की मांग के साथ-साथ यह भी मांग करता हूं कि अपराधियों को सजा दी जाए और सीमा सुरक्षा बल की 86वीं वाहिनी को वहां से स्थानान्तरित किया जाए—गृह मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है।

**श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर)** : महोदय, जैसा कि मेरे मित्र श्री मल्होत्रा जी ने अभी यह कहा कि पाकिस्तानी सेनाएं हमारी सीमाओं पर है और महोदय, वायु सेना के सम्बन्धित अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। मिराज को भारतीय वायु सेना में सम्मिलित किया गया है। इस विमान में तीन वर्षों से कोई हथियार नहीं थे और न ही कोई प्रक्षेपास्त्र थे। यह बिना किसी मारक क्षमता के उड़ान भर रहा था। विमान चालकों के जीवन और राष्ट्र की सुरक्षा को वहां खतरा है। तीन वर्षों के पश्चात्, भारतीय वायु सेना सचेत हुई और इन्होंने कुछ हथियार खरीदे। इन तीन वर्षों के अन्तराल में, खरीदे गए शस्त्र महंगे हो गए और राष्ट्र को 37.39 लाख रुपये की क्षति हुई। इस लापरवाही के लिए उत्तरदायी कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? हमारी सुरक्षा में यह कमी क्यों है? मैं रक्षा मन्त्री से यह चाहूंगा कि जब वे मेरे मित्र श्री मल्होत्रा जी के प्रश्न का उत्तर दें तो इस ओर भी ध्यान दें और इस सदन को स्पष्ट आश्वासन दें कि हमारे सभी हथियार अद्यतन हैं ये पुराने नहीं हैं। सबकुछ उपयुक्त है और यह लापरवाही समाप्त कर दी जाएगी। इस भयकर गलती के लिए या राष्ट्र और हमारे विमान

चालकों की सुरक्षा में कोताही के लिए उत्तरदायी कौन है—यह जानने के लिए जांच की जानी चाहिए। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिए।

**श्री नन्दू थापा (सिक्किम)** : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान कुख्यात चोर शिकारी, हत्यारे और तस्कर वीरप्पन जो कि हमारे जमाने का सबसे अधिक खूंखार शिकारी है, के बारे में 13 मई 1990 के **'दी टाईम्स आफ इन्डिया'** में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मैं उद्धृत करता हू, इसके अनुसार :

"श्री वीरप्पन एक चोर शिकारी, तस्कर और हत्यारा है। वीरप्पन जिसने दो दशक पूर्व छोटे से गुण्डे के रूप में आरम्भ किया आज तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा के साथ लगते गांवों में एक आतंक है। यह कहा जाता है कि इस दौरान उसने लगभग 800 हाथी, हाथी दांत के लिए मारे, कई टन चन्दन की लकड़ी की तस्करी की और उसकी इस लूट को रोकने वाले सभी अधिकारियों को उसने बेरहमी से समाप्त कर दिया।"

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री नन्दू थापा** : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आगे इसके अनुसार :

"कहा जाता है कि वीरप्पन को न केवल स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था, बल्कि वन अधिकारियों, पुलिस वालों और राजनीतिज्ञों का समर्थन भी प्राप्त था। जिन्हें उसने पैसा लुटाकर खरीद लिया था। वन रक्षक उसके साथ खाते पीते थे। पुलिस वालों ने उसकी मिली भगत थी और चुनावों के दौरान राजनीतिज्ञ उससे सहायता मांगते थे।"

अतः मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसे गम्भीरता से ले।

मैं यह भी चाहता हूं कि गृह और पर्यावरण, दोनों मन्त्रालय इन क्षेत्रों में दुर्लभ हो गए जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं।

**श्री भक्तों शंकर होटा (सम्बलपुर)** : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में विनाशकारी बाढ़ के कारण लगभग 500 व्यक्ति मर गए हैं और केन्द्रीय सरकार ने लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रधान मन्त्री जी ने भी आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया है। परन्तु उड़ीसा के गंजम जिले में, तेज बाढ़ के कारण खडी फसल को नुकसान हुआ है, दूरसंचार सम्पर्क टूट गए हैं और सड़कों को क्षति पहुंची है। बिजली आपूर्ति में बाधा पड़ी है और इससे गंजम जिला के दिगपाहाण्डी सखेमुण्डी खण्डों में लगभग 50 गांव प्रभावित हुए हैं। गुमा, जलमोरा और फासीगुडा गांव बाढ़ के पानी में पूर्णतः डूब गए हैं। पिछले दो दिनों से लगातार भारी बर्षा के कारण जिला कोरापुट में सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बंगाल की खाड़ी में आए भारी तूफान के कारण यह प्रभाव पड़ा है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन प्रभावित क्षेत्रों में फसल, निजी एवम् सरकारी भवनों और टेलीफोन लाईनों को हुई क्षति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे और अपनी ओर से पर्याप्त सहायता अनुदान रूप में दे।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला)** : महोदय, मैं हाल ही में श्रीनगर से लौटा। मैंने वहां प्रशासन द्वारा की गई घेराबन्दी की स्थिति को देखा। यह स्थिति मुझे स्वीकार्य नहीं है

(व्यवधान)। मैं एक संतुलित वक्तव्य दे रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। यह स्थिति वहां के स्थानिए प्रशासन द्वारा उत्पन्न की गई है। मेरा यह प्रस्ताव नहीं है कि उन्हें विघटनकारियों से निपटना नहीं चाहिए; उन्हें ऐसा करना चाहिए। तीन-चार घटनाएं मैंने स्वयं देखी। इस मास की 9 तारीख को अर्द्ध सैनिक बलों ने दो स्थानों पर गोलियां चलाई जिसमें 8 निर्दोष लोग मारे गए और 12 घायल हुए। 10 मई को श्री लतीफ अहमद खान पर गोली चलाई गई…

[हिन्दी]

**एक माननीय सदस्य** : वो तो आतंकवादी मारा गया…(व्यवधान)

[अनुवाद]

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वक्तव्य दे रहा हूं और इन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। वे लोग निर्दोष थे। 10 मई को श्री लतीफ अहमद खान घायल हुए और उन्हें केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल के लोग ताग निवास ले गए। सारा रक्त बहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। (व्यवधान) हां, मैंने जांच की है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इस बेरहमी के कारण लोग कठिनाई में हैं। पूरी सेक्टर में, दस गांवों से लोग सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, उस स्थिति पर प्रधान मन्त्री जवाब दें।

[हिन्दी]

**श्री ईश्वर चौधरी (गया)** : अध्यक्ष महोदय, ग्रीष्म कालीन सत्र समाप्ति की ओर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जब हम दुबारा मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में कितनी तबाही हुई, कितने लोग मारे गए और जान-माल का कितना नुकसान हुआ, इसलिए मैं आपका ध्यान बिहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर कमला बलान, कोसी, गन्डक, गंगा, कुनकुन, सोन और उनकी सहायक नदियां विकराल रूप धारण करेंगी और इससे जान माल का खतरा तो होगा ही, साथ ही साथ जो भूमि है भारी मात्रा में उसका भी कटाव होगा और कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं दूसरी ओर अन्तःसलीला फलगू नदी गया की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां तीन महीने वर्षा होने पर भूमि का कटाव होता है और परम्परागत ढंग से वह नदी सूख जाती है और उसका पानी नीचे चला जाता है। उसका असर कृषि कार्यों पर और पीने के पानी पर पड़ता है। जल स्रोत नीचे जाने से पानी मिलना मुश्किल हो जाता है इसलिए मेरी मांग है कि फलगू नदी पर बांध बनाया जाये जिससे बरसात का पानी बह न सके और सिंचाई तथा पीने का पानी वहां उपलब्ध हो सके। गया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। यहां बाढ़ के बारे में चर्चा हुई है वह राष्ट्रहित की बात है, चूंकि बाढ़ नियन्त्रण आयाग एक सफेद हाथी बन कर रह गया है इसलिए मेरी मांग है कि बाढ़ नियन्त्रण आयोग की क्या पकड़ है और वह इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहा है, समय रहते इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने 193 के तहत नोटिस दिया है और मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर सदन में चर्चा करने का हमें अवसर मिले।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा)** : एक तरफ तो पाकिस्तान द्वारा टैंकों के अभाव की चर्चा कर रहे हैं कि इतना बड़ा खतरा देश के ऊपर है। दूसरी तरफ हमारे देश के बहुत बड़े भू-भाग में पीने का पानी का भयकर संकट है। अगर देश को विदेशी खतरे का मुकाबला करना है तो हमें यह भी व्यवस्था करनी होगी कि हमारे देश की जनता को पीने का पानी मिले। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात के बहुत बड़े भू-भाग में पीने के पानी का भयंकर संकट है। लाखों जानवर पानी के अभाव में मर चुके हैं। मैं आज ही अपने क्षेत्र से आया हूं, मेरे जिले रीवा में गांव के लोगों ने अपने पालतू जानवरों को जगल में छोड़ दिया है उनके माथे पर तिलक लगाकर कि हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते इसलिए जहां जाना है वहां जाओ और मरो। इस तरह से लाखों जानवर बिना पानी के मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों और परिवार को लेकर गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं कि कहीं पानी मिले वहां जायें। गन्दे पानी के नाले से कीचड़ भरे हुए पानी को लोग पीते हैं और उसका प्रभाव यह होता है कि पीलिया की बीमारी वहां फैल रही है, ब्लड कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। रीवा नगर में 0 हजार लोग पीलिया से प्रभावित हैं। केन्द्रीय सरकार की आई० सी० एम० आर० की टीम वहां पर गई थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट दी है कि पीने का पानी नहीं मिलने के कारण और दूषित पानी के कारण पीलिया की महामारी फैली है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से और प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सवाल पर वह अपना ध्यान केन्द्रित करें और तुरन्त हस्तक्षेप करके पेयजल का संकट दूर करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करें ताकि प्रान्तीय सरकारें पेयजल की व्यवस्था कर सकें।

[अनुवाद]

**श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद)** : महोदय, तीन राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में भयंकर तूफान आया। इनमें से भी आन्ध्र प्रदेश सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। 480 लोगों की मृत्यु हो गई और 1000 करोड़ रु० मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ और 500 करोड़ रुपये की खड़ी फसलों और बागानी फसलों का नुकसान हुआ।

प्रधान मन्त्री ने क्षेत्र का दौरा किया। परन्तु उन्होंने केवल 34 करोड़ सहायता की घोषणा की है जो कि इस अत्यधिक नुकसान को देखते हुए बहुत कम है और वहां पीने का पानी भी नहीं है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं और लगभग 10 हलीकाप्टर भोजन उपलब्ध कराने के लिए उड़ान भर रहे हैं। वित्त मन्त्री जी यहां हैं। अतः उन्हें और अधिक सहायता की घोषणा करनी चाहिए। 34 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि इनसे कुछ नहीं किया जा सकता। केवल गुन्टूर ही से 200 व्यक्ति मर गए हैं। अतः सरकार को उदार सहायता देनी चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री एम० बागा रेड्डी (मेडक)** : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री कल और परसों आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर जाकर आये हैं और वहां पर उन्होंने खासकर आन्ध्र के कोस्टल एरिया में हुए भीषण तूफान से नुकसान को देखा···

**अध्यक्ष महोदय** : रेड्डी जी बहुत बढ़िया हिन्दी बोलते हैं।

**श्री एम० बागा रेड्डी :** जो नुकसान हुआ है, उसको उन्होंने देखा है। मुझे यह आशा थी कि वे आज हाउस में उन नुकसानात के मुत्तलिक बयान करते। प्लान के अन्दर जितना फिक्स अमाऊट वे दे सकते थे उन्होंने 3 करोड़ दिया है। उन्होंने वहां एक कमेटी भेजी है लेकिन वह कमेटी 15 दिन में या एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है इसे तो इमीजिएटली फौरी तौर पर हैल्प देने की है। यदि इस कमेटी की रिपोर्ट आने में देर लगेगी तो ऐसा हो जाएगा कि कौन उस समय जीता है जिसे ज्यादा मदद मिलेगी ? तो इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत जल्दी ही फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में जवाब दें। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**प्रो० पी० जे० कुरियन :** जो बात श्री पी० नरसा रेड्डी और श्री बागा रेड्डी ने 400 से अधिक लोगों की जानें जाने और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट होने की जो बात कही है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 34 करोड़ रुपये की जो सहायता दी गई है, वह बहुत कम है। चूंकि वित्त मन्त्री जो यहां हैं और वे इसे सुन रहे हैं, आप उन्हें उत्तर देने के लिए क्यों नहीं कहते ? क्या आपको इसकी चिन्ता नहीं है ? मैं केवल यही कह रहा हूं कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहां वित्त मन्त्री जी को कुछ कहने दीजिए और पहले दी गई सहायता को बढ़ाने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री युवराज भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री युवराज (कटिहार) :** अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आन्ध्र में तूफान से जो बरबादी हुई है, उसका असर तमिलनाडु और पाण्डिचेरी पर भी पड़ा है। इसमें न केवल 450 आदमी मरे हैं बल्कि 50 लाख टोटल पापूलेशन प्रभावित हुई है और इतना ही नहीं एक लाख से ज्यादा मवेशी मर गये हैं। साथ ही पीने के पानी की बड़ी समस्या है। हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराये जा रहे हैं लेकिन पीने के पानी की हालत इतनी खराब है कि हैदराबाद से 30 टैंकर पानी के भेजे गये हैं। समुद्र का पानी चारों ओर फैलने से जो कुएं थे, उनका पानी भी खराब होने से बरबाद हो गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाउस की एक कमेटी बननी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, सरकार जो करती है, वह अपने स्तर से करती है। दक्षिण भारत में ऐसा कितनी बार हुआ है, लेकिन हाउस की कमेटी नहीं बनी, जोकि बननी चाहिये। गवर्नमेंट को उसका असेसमेंट करके यह प्रोपोज करना चाहिये कि उन कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए कौन-सी व्यवस्था यह सरकार करे जिससे होने वाली जान-माल की क्षति तथा पीड़ितों को समुचित राहत मिल सके।

**श्री मदन लाल खुराना :** अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर बस व्यवस्था 'बैड टू वर्स्ट'' हो रही है उसके केवल दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली वाले कहां जायें ? चूंकि अभी दिल्ली स्टेट नहीं बना है, इसलिए मैं बतलाना चाहता हूं कि आज से दो साल पहले दिल्ली में 5587 बसें थीं जो आज 5000 बसें रह रह गयी हैं। **(व्यवधान)**

**प्रो० पी० जे० कुरियन :** वहां कई आदमी मर गये और इसका समर्थन करना चाहिए था और वहां उन लोगों की मदद करना चाहिये, इसके बारे में बोलें।

[अनुवाद]

माननीय मन्त्री जी कुछ तो कहें।

**अध्यक्ष महोदय** : सम्पूर्ण सदन आन्ध्र प्रदेश के लोगों की मुसीबत के बारे में जानता है।

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना** : मेरा निवेदन है कि दो साल पहले 5587 बसें थीं जो अब 5000 रह गयी हैं जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह संख्या 7000 होनी चाहिये थी। अध्यक्ष महोदय, डी० टी० सी० के कर्मचारी चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू न किये जाने के विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। मैनेजमेंट एक माफिया गिरोह है जो इसको चलाता आ रहा है। मुझे यही कहना है कि यह कांग्रेस का कैसा पक्ष था कि प्राईवेट बसों को, जो अण्डर डी० टी० सी० चल रही हैं, यात्रियों को जो टिकटें दी जाती हैं, उसके पीछे लिखा है—वोट, स्पोर्ट एण्ड इलेक्ट कांग्रेस(इ०) जिसके लिए मैंने शिकायत भी की है कि इलेक्शन के पहले यह हुआ था और अब जब नयी सरकार आ गयी है, उसके बाद भी ये टिकटें बिकती रहीं। अब शिकायत की गयी तो उन बसों को तो हटा दिया गया, मुश्किल से 5-7 बसों को हटा दिया गया लेकिन जिन अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हुआ, वे आज भी दनदना रहे हैं और नई सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनकी वजह से आज दिल्ली की बस सर्विस का सत्यानाश हो गया है। डी०टी०सी० में घाटा रिकार्डतोड़ हो गया है। इसके बावजूद उत्पादकता कांसिल ने उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दे दिया है। मेरा निवेदन है कि डी०टी०सी० में जो माफिया गिरोह सक्रिय है, जिसने दिल्ली की बस सेवाओं का सत्यानाश कर डाला है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये, डी० टी० सी० में फैली अनियमितताओं की जांच कराई जाये और डी० टी० सी० को माफिया गिरोह से मुक्त कराया जाये।

[अनुवाद]

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम)** : यही कारण है कि वे चुनाव हार गए। आप शिकायत क्यों करते हैं? इसी कारण से सत्ताच्युत हो गए। (व्यवधान)

**श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर)** : उड़ीसा में सम्बलपुर में केवल एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी समलेश्वरी एक्सप्रैस है, जो हावड़ा से सम्बलपुर चलती है। इस गाड़ी द्वारा बोलनगीर, कालाहाण्डी, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ के लोग कलकत्ता तक यात्रा करते हैं (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री चार्ल्स, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।...(व्यवधान)

**श्री बालगोपाल मिश्र** : सामान्यतः ये सभी यात्री व्यापारी होते हैं जिनके पास काफी नकदी होती है। पिछले एक महीने में पहले ही इस गाड़ी में टाटा के निकट तीन डकैतियां पड़ चुकी हैं। यह गाड़ी अपने गन्तव्य स्थल पर कभी समय पर नहीं पहुंचती। केवल यही एक एक्सप्रेस गाड़ी है। मैंने पहले भी इस गाड़ी के देरी से चलने का मामला सदन में उठाया था और अब मैं इसे दोहरा रहा हूं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस ओर ध्यान दे और यात्रा करने वालों की जान माल की सुरक्षा के लिए कदम उठाए और इस गाड़ी को बोलनगीर तक बढ़ाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रामनाईक (मुम्बई उत्तर)**: अध्यक्ष महोदय; शिलान्यास के मामले को लेकर इस सरकार ने आदरणीय शंकराचार्य को गिरफ्तार करने का दुस्साहस किया है। इसी मामले में, उन्हें तुरन्त छोड़े जाने की मांग को लेकर, हिन्दू शक्ति दल के ज्ञानदेव नामक एक युवक ने, सरकार को पूर्व सूचना दी कि यदि शंकराचार्य जी को सरकार नहीं छोड़ती तो मैं आत्मदाह करूंगा। जब शकराचार्य जी को सरकार ने नहीं छोड़ा तो आत्मदाह के लिए मोर्चा लगाया गया, जिसमें सैंकड़ों लोग शामिल हुए और वे सब स्थानीय पुलिस स्टेशन में गए। वहीं चिता बनायी गयी, जिस पर कैरोसिन और पैट्रोल आदि छिड़ककर जलाने के लिए तैयार किया गया परन्तु खेद का विषय है कि पुलिस सब कुछ मूकदर्शक बनी देखती रही। जब कुछ लोगों ने पुलिस से पूछा कि आप इस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों नहीं करते हो ताकि यह मरने से बच जाये तो पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जब तक वह कोई गुनाह नहीं करता, आग में जल नहीं जाता, तब तक हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, इस तरह पुलिस के सामने उस ज्ञानदेव नाम के युवक को जलाया गया। उसे अरेस्ट करने तक की परमीशन नहीं दी गयी ताकि उसे बचाया जा सकता।

जब वह युवक जल गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया और यह बड़े दुख की बात है कि कल उसकी मृत्यु हो गयी। मैं समझता हूं कि इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की निष्क्रियता खुलकर सामने आती है कि एक व्यक्ति इस प्रकार आत्मदाह करके मर जाये। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपना बयान सदन में दे कि सरकार की ऐसे मामलों में क्या नीति है, वह क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व आन्ध्र प्रदेश में श्री राम लू नाम के व्यक्ति ने भी आमरण अनशन किया था और उसकी उस समय मृत्यु हो गयी। उस समय जैसी गम्भीर परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं अब भी स्थिति के विस्फोटक होने की पूरी सम्भावनायें हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अपने रुख को सदन के सामने स्पष्ट करें, सदन को पूरी जानकारी दे

**श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार)**: अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश में लोकल एम० एल० सी० के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरशाही के द्वारा वोटरों को बंद करवाया जा रहा है जो चुनाव कानून और प्रक्रिया का घोर अपमान है, कानून विरुद्ध है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो एम० एल० सी० के चुनाव हो रहे हैं, उनमें जिस तरह से एस०डी०एम० और तहसीलदार वोटरों को बन्द कर रहे हैं, सरकार चुनाव आयोग को ऐसे आदेश दे कि किसी वोटर को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बन्द न किया जाये, कहीं किया गया है तो उन्हें अविलम्ब छोड़ा जाये ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हो सकें। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : बस हो गया, आप बैठिए।

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : केन्द्रीय सरकार को मनीला और कोपेनहेगन में आनन्द-मार्गियों के हाल में समाप्त हुए सम्मेलन से बहुत ही चौंकाने वाले समाचार प्राप्त हुए हैं जहां उन्होंने

पश्चिम बंगाल में अस्थिरता पैदा करने और पश्चिम बंगाल में गम्भीर अशान्ति पैदा करने के लिए पूरा खाका तैयार किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी यह सूचना प्राप्त हुई है कि ये संगठन किस प्रकार विदेशी एजेंन्सियों से धन प्राप्त कर रहे हैं।

क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इन्टरपोल की सहायता लेने पर विचार करेगी क्योंकि उनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध है; उनकी लगभग 100 देशों में शाखाएं हैं, वे विदेशों से हथियार एकत्र कर रहे हैं, वे विदेशों से धन एकत्र कर रहे हैं और वे हमारे देश में अशान्ति और अस्थिरता पैदा कर रहे हैं ? क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इन संगठनों की गतिविधियों की जांच करने, विदेशों में उनकी गतिविधियों की जांच करने के लिए इन्टरपोल की सहायता लेगी ? मैं यह भी मांग करता हूं कि आनन्द मार्गियों, उनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में सरकार को एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए।

**श्री वसन्त साठे : उच्च न्यायालय के निर्णय उनके पक्ष में हैं।**

**श्री बसुदेव आचार्य** : हो सकते है।

**श्री वसन्त साठे** : उनकी भी जांच की जानी चाहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : अतः आप उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : इससे केवल यह पता चलता है कि जांच में श्री वसन्त साठे और श्री अजीत पांजा की सहायता भी अवश्य ली जाय। वे जानते हैं, उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया है। (व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : जी हां, आप उनके एजेंट हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए।**

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्योंकि इनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध है और उन्होंने मनीला और कोपेनहेगन में बैठे हुए अस्थिरता पैदा करने के लिए पूरा खाका तैयार किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन संगठनों की गतिविधयों के सम्बन्ध में एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत करेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री गुमान मल लोढा (पाली)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न के ऊपर होने वाले आन्दोलन के बारे में खींचना चाहता हूं। चार करोड़ राजस्थानियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, राजस्थानी को संविधान की आठवीं सूची में अब तक शामिल नहीं किया गया है। राजस्थानी भाषा अपने आप में परिपूर्ण है। श्री कन्हैयालाल सेठिया जैसे महान् कवि, जिन्होंने "पीतल-पाताल" और "धरती धोरों री" जैसी कविताओं की रचना करके विश्व में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का नाम ऊंचा किया, डिंगल भाषा के ऊपर आधारित ऐसे महान् कवि, लेखक, साहित्यकार, रचनाकार, गीतकार और राजस्थानी भाषाभाषी लोगी आज तक लगातार सरकार की ओर से उपेक्षा की

[श्री गुमान मल लोढा]

जा रही है। साधारण भाषा तीन-तीन, चार-चार लाख लोग बोलते हैं, उसे संविधान की आखिरी सूची में शामिल कर लिया गया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु चार करोड़ राजस्थानियों की यह भाषा जिसमें सब प्रकार का साहित्य, विज्ञान, कला है, आज की नहीं पृथ्वीराज रासो से लेकर अब तक राजस्थानी का ठाठ है। यदि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई तो राजस्थान में बहुत बड़ा आन्दोलन होगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं उस आन्दोलन में अगवाई करूंगा और एक साल में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी गई तो आमरण अनशन में मैं स्वयं बैठूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, हमारे बहुत से सदस्य तथा कुछ भूतपूर्व मन्त्री भी सदन तथा वित्त मन्त्री का ध्यान बहुत-से राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा सम्पूर्ण पूर्वी तट पर चक्रवात से होने वाले अभूतपूर्व नुकसान की ओर पहले ही आकर्षित करा चुके हैं। इससे होने वाला नुकसान इतना अभूतपूर्व है कि अकेले आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात से 500 व्यक्ति मारे गए हैं। क्योंकि हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय सौभाग्य से यहां पर हैं, मैं चाहता हूं कि वह इस पर कुछ ध्यान दें। उन्हें केन्द्र से विशेषज्ञों के दल को भेजने उनकी रिपोर्ट प्राप्त करने और फिर उड़ीसा निधि में से कुछ धन आवंटित करने और प्राकृतिक आपदाओं के लिए निधि में से कुछ धन आवंटित करने और सरकारी धन में से कुछ धन आवंटित करने की आम प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इसकी ओर विशेष ध्यान दें और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करें इतना नहीं जितना कि उन्होंने अभी तक वायदा किया है, इससे लोग बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं होंगे। यदि सम्भव हो, उन्हें स्वयं जाना चाहिए और वापस आकर सरकार को पर्याप्त धन आवंटित करने और राहत तथा पुनर्वास के लिए धन मंजूर करने के लिए सलाह देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने यह मांग की है कि वर्तमान सरकार को पूर्ववर्ती सरकार की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए और मन्त्री को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : दान घर से आरम्भ कीजिए। महोदय, हम यहां सभी उपस्थित हैं। सभी सदस्यों को आन्ध्र चक्रवात राहत निधि के लिए तत्काल एक महीने का वेतन देना चाहिए। (व्यवधान)

चिल्लाने की बजाय, मन्त्रियों और सभी सदस्यों को एक महीने का वेतन देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री इसका उत्तर देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री वसुदेव आचार्य :** क्या आप उसमें अपनी पूरी आय शामिल करेंगे। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** श्री बिप्लव बाबू, यह क्या हो रहा है? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

**(व्यवधान)**

**(हिन्दी)**

**श्री मदन लाल खुराना :** उसके बारे में हम लोगों ने काल अटैन्शन मोशन दिया हुआ है।

**श्री यादवेन्द्र दत्त :** अध्यक्ष महोदय, विवाद बन्द कराइए ताकि मन्त्री जी उत्तर दें। **(व्यवधान)**

**(अनुवाद)**

**प्रो० मधु दण्डवते :** अध्यक्ष महोदय, जब प्रो० रंगा जैसे वयोवृद्ध ने सरगर्म अपील की है तो उसे अनसुना न किया जाए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी के साथ हमारे जो भी मतभेद हों, जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, हम किसी राजनीति को इसके बीच में नहीं लाना चाहते। जहां तक विगत का सम्बन्ध है, प्रो० रंगा मैं एक बात को याद दिलाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

कठिनाई यह है कि जब मैं उनसे सहमत होता हूं, वे असहमत हो जाते हैं। महोदय क्या मैं आगे बता सकता हूं और एक पूर्व दृष्टान्त दे सकता हूं? प्रो० रंगा को भी याद होगा कि पिछली बार जब जनता सरकार थी, वर्ष 1977-78 में, मुझे ही वहां भेजा गया था। तब तत्कालीन कांग्रेस के मुख्य मन्त्री ने सार्वजनिक तौर पर मेरा धन्यवाद किया था और मुबारकबाद दी थी। उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा अवसर है जब केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि-तत्काल आया और उन्हें बिना किसी देरी के धन प्राप्त हो गया। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी सम्भव होगा जोकि आपके सुझावों से मेल खाता होगा, वह किया जाएगा।

**श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) :** सम्पूर्ण देश, कश्मीर में चौंकाने वाली स्थिति से चिन्तित है। हमने हमेशा यह कहा है कि कश्मीर स्थिति की ओर इस सरकार की प्रतिक्रिया धीमी, अपर्याप्त और असमन्वित रही है। उन्होंने इसे एक बड़ा विषय बनाया और बड़ी घोषणा की जब उन्होंने कश्मीर मामलों को देखने के लिए एक केबिनेट मन्त्री की नियुक्ति की थी। जब श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह बात कही कि राज्यपाल जगमोहन ने उन्हें यह बात स्पष्ट कर दी थी कि कश्मीर मामलों के मन्त्री के लिए कश्मीर घाटी में जाना ठीक नहीं है।

**

श्री जार्ज फर्नाण्डीज ने यह बात साक्षात्कार के दौरान कही थी। राज्यपाल जगमोहन

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

उनकी बात नहीं सुनते थे। क्या सरकार का कश्मीर विषय को हल करने का यही तरीका है ? यह पूरी तरह से असमन्वित है… (व्यवधान)

**श्री यादवेन्द्र दत्त :** माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जम्मू-कश्मीर के गवर्नर श्री जगमोहन के बारे में जो कि इस हाऊस में स्वयं को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में इस प्रकार के शब्द कहना या उसे हाऊस की कार्यवाही में लाना कहां तक उचित है ? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** नाम और इंरोगेटरी रैफेंस रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दण्डवते :** मैं प्रक्रिया नियम के नियम 352 (पांच) की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इसमें कहा गया है : "बोलते समय कोई सदस्य उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।" यह बहुत ही स्पष्ट है। इसीलिए, इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) :** अध्यक्ष महोदय, 352 के तहत मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आपका प्वाइंट आफ आर्डर वही है जो मधु दण्डवते जी ने उठाया है।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** जी हां, उसमें हमें आपकी व्यवस्था चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं पहले ही कह चुका हूं और वह हो गया है। अब आप बैठ जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री अजीत पांजा :** महोदय, आपके माध्यम से, सभी सदस्यों को तथा बहुत ही वरिष्ठ और आदरणीय मंत्री जो यह इस समय बैठे हैं उनको तथा जो सरकार में है, मैं उन्हें एक महिला की दुर्दशा के बारे में बताना चाहता हूं जिसने अपने पति के दिल के आपरेशन के लिए धन मांगने के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्री से अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था। भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा 13 अक्तूबर 1980 को लिखित रूप से 9000/- रुपये की मंजूरी दी गई थी।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह धनराशि उसे प्राप्त हो गई थी ?

**श्री अजीत पांजा :** जी नहीं, उसे तत्काल यह सूचना देने के लिए कहा गया था कि उस

अस्पताल का नाम क्या है जहां पर यह आपरेशन होना था। इसी बीच सरकार बदल गई। वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधान मंत्री के कार्यालय ने उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में यह निर्दयता है। मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जो कि यहां उपस्थित हैं। मैं उन्हें अभी सभी सम्बन्धित कागजात देने जा रहा हूं। यह अनुदान तत्काल दिया जाना चाहिए। अन्यथा, निर्धन महिला अपने पति को नहीं बचा पाएगी। मैं वित्त मंत्री से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूं।

———

12.54 म०प०

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

### भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा विश्व भारती, शांती निकेतन के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि

**मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 816/90]

(3) विश्व-भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 817/90]

———

12.55 म०प०

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को असम के तिनसुखिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के साथ जोड़े जाने के लिए शीघ्र धनराशि दिए जाने की मांग

**श्री लेइता अम्बरी (अरूणाचल पूर्व)** : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को अरूणाचल के पूर्वी शियांग, दिबांग घाटी और लोहित जिलों से होकर असम के तिनसुखिया जिले

[श्री लेइता अम्बरो]

में रूपई के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 से जोड़ने का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

12.56 म० प०

(श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए)

योजना के अनुसार यह कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाना चाहिए था परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण, अरूणाचल प्रदेश के कुछ भागों में संरेखन कार्य तक भी विगत पंचवर्षीय योजना में पूरा नहीं किया गया। शियांग नदी के पुल का निर्माण पिछले वर्ष ही शुरू हुआ था जबकि ऐसी अनेक बड़ी नदियां हैं जिन पर, पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क का निर्माण पूरा करने के लिए पुलों का निर्माण तुरन्त किया जाना चाहिए। इसके पूरा होने से यह राज्य का एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाए।

(दो) कृष्णा नदी पर हिप्पारागी बांध का निर्माण किए जाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की मांग

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्र दुर्ग) : महोदय, 1972 में कृष्णा नदी पर हिप्पारागी बांध के निर्माण की योजना बनाई गई थी। इस परियोजना से अथानी, चिकोड़ी, जमाखंडी और उसके आसपास के तालुकों में 50506 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 45 करोड़ रुपये से बढ़कर 187 करोड़ रुपये हो गई है। यह परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल थी परन्तु इस परियोजना की प्रगति का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता।

बेलगांव और बीजापुर जिलों के उत्तरी भाग सूखा प्रवण क्षेत्र हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष सूखा राहत कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। ऐसे अस्थायी राहत कार्यक्रमों के बजाए हिप्पारागी परियोजना को जो उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों का स्थायी समाधान है, पूरा करने की आवश्यकता है। इस परियोजना के द्वारा राज्य, कृष्णा नदी के अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर सकेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाए ताकि इसे बिना किसी विलंब के पूरा किया जा सके।

(तीन) महाराष्ट्र में शिरडी में एक हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपर गांव) : महोदय, सरकार को महाराष्ट्र में शिरडी के धार्मिक महत्व की पूर्णतः जानकारी है। जहां हजारों विदेशी और स्वदेशी पर्यटक जाते हैं, विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए यथा शीघ्र हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता है। इससे हमें विदेशी मुद्रा की बड़ी मात्रा में आय होगी।

शिरडी को विदेशों तथा अन्य राज्यों से जोड़ने से इस धार्मिक शहर का महत्व और बढ़ जाएगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि शिरडी में यथा शीघ्र एक हवाई अड्डा बनाया जाए।

1.00 म० प०

## (चार) राजस्थान में वनों के लिए निर्धारित भूमि भूमिहीन लोगों में आवंटित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

**श्री बेगा राम (गंगा नगर)** : सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार ने 1962 में वन विभाग जो राज रक्बा पड़ा था, उसमें वन लगाने की घोषणा की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया था कि जो ऊंचे टीले हैं या जमीन जो ऐन्कमाण्ड रक्बा है, वन विभाग के लिए छोड़ दिया जाए। राजस्थान में लाखों एकड़ जमीन वर्तमान समय में इंदिरा गांधी नहर के आसपास खाली पड़ी है, न ही उसमें पशुओ के लिए चारा है और न ही वहां कोई पेड़ हैं। राजस्थान में लाखों लोग भूमिहीन बैठे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। राज रक्बा जो खाली पड़ा है, भूमिहीनों को दिया जाए व प्राथमिकता के आधार पर हरिजनों को एलाट की जाए।

## (पांच) केरल के कासरगोड और कन्नानोर जिलों के बीड़ी कर्मचारों की कठिनाइयां दूर करने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

**श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड)** : केरल के औद्योगिक रूप से पिछड़े कासरगोड तथा कन्नानोर जिलों में अधिकांश पुरुष तथा महिलाएं बीड़ी बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं।

1968 में जब तत्कालीन केरल सरकार ने बीड़ी और सिगरेट अधिनियम कार्यान्वित करने का निर्णय किया तो निर्माताओं ने, जिनके कर्नाटक में कार्यालय थे, विरोध में केरल छोड़ दिया। परन्तु तत्कालीन केरल सरकार ने कर्मकारों को औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों में संगठित करके बीड़ियों—"केरल दिनेश बीड़ी" नाम से बीडियों का निर्माण शुरू कर दिया। प्रारम्भ में यह 3000 कर्मकारों को रोजगार दे सकती थी परन्तु अब यह समिति 45,000 से अधिक कर्मकारों को रोजगार दे रही है तथा श्रमिकों को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें 22.60 रुपये प्रति हजार बीड़ियों के हिसाब से मजदूरी मिल रही है।

केरल के औद्योगिक रूप से पिछड़े कन्नानोर और कसारगोड जिलों विशेषत: कसारगोड में बीड़ी उद्योग मुख्य रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। कसारगोड में 60000 से अधिक कर्मकार निजी क्षेत्र में तथा कन्नानोर में 50000 कर्मकार कार्यरत हैं जिनमें से 75 प्रतिशत महिलाएं हैं।

बीड़ी निर्माण के लिए तम्बाकू और तेंदु के पत्तों, जिनका दूसरे राज्यों जैसे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश से आयात होता है, को कच्चे माल के रूप में आवश्यकता होती है। निर्माता मुख्यत: कर्नाटक के हैं और जनशक्ति केरल की है।

केरल दिनेश बीड़ी सोसाइटी ने मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम मजदूरी 22.60 रुपये प्रति हजार बीड़ी की घोषणा की है तथा अन्य कम्पनियां भी, जिनके कार्यालय केरल में हैं, इसी दर से मजदूरी दे रही हैं। कर्नाटक स्थित कम्पनियों ने इस दर से मजदूरी देने से अस्वीकार कर दिया है।

[श्री एम० रमन्ना राय]

कुल मिलाकर कर्मकारों की स्थिति बड़ी दयनीय है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी तथा पूर्ण-कालिक काम नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि बीड़ी कर्मकारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं

(छः) बड़ौदा जिले में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत कुओं के बजाय नलकूपों का निर्माण किए जाने की मांग

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : भारत सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए कुएं खोदने के लिए जीवन धारा नामक योजना शुरू की है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि उन्हें विगत में आई० आर० डी० पी० और एस० एम० एफ० कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस प्रकार की सिंचाई सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो। इस सुविधाओं का लाभ केवल कुओं के लिए ही उठाया जा सकता है, नलकूपों के लिए नहीं। सरकार ने इस योजना को उदार बना दिया है यदि कुओं के द्वारा पानी प्राप्त नहीं होता है तो नलकूप लगाए जा सकते हैं।

बड़ौदा जिले में, नबार्ड द्वारा जीवन धारा योजना के अन्तर्गत कुएं लगाने के बजाए 6 इंच व्यास के नलकूप लगाए जा सकते हैं। भौगोलिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार इस जिले में इस प्रकार के नलकूप लगाना संभव है। पथरीला क्षेत्र होने के कारण नलकूप के लिए पाइपों की आवश्यकता नहीं है। शुरूआत में ही पाइप की आवश्यकता होती है। इसलिए इस जिले में नलकूप लगाने की अनुमति प्रदान की जाए।

महोदय, मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार इस जिले में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत कुओं के बजाए नलकूप लगाने की स्वीकृति प्रदान करें।

(सात) गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों के गांवों और कस्बों में पेय जल उपलब्ध कराए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : गुजरात के अहमदाबाद जिले के धंधुका, विरम-गाम, बावला और मॉडल जिला में तथा भावनगर जिले के बोटाद, पलकीपुर, गढडा और उम-राला तहसील के गांवों में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता। तालाब सूख गए हैं। कुओं में पानी नहीं है। मनुष्य पानी के लिए परेशान है। पशुधन के लिए सरकार की ओर से कोई पानी की सुविधा नहीं है। इस समय मनुष्य जाति और पशु अत्यन्त कठिन परिस्थिति में जी रहे हैं। इन इलाकों में पानी उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा आने वाले दिनों में कुछ गांव के लोगों को पानी के कारण अपने पशु सहित गांव को छोड़ने की स्थिति में आना पड़ सकता है।

इसलिए जल संसाधन मंत्री से निवेदन है कि इसके लिए उचित कदम उठाया जाए।

**(आठ) उत्तर तटीय आन्ध्र प्रदेश में एक एल्युमिना संयंत्र स्थापित किए जाने की मांग**

**[अनुवाद]**

**श्री के० राम मोहन राव (बोबिल्ली)** : आन्ध्र प्रदेश का उत्तर तटीय क्षेत्र, जिसमें श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्नम जिले हैं, विशाखापट्नम शहर के अतिरिक्त कृषि और औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। श्रीकाकुलम और विशाखापट्नम जिलों में नक्सलवादी आंदोलन उभरने का यही मुख्य कारण है।

इस क्षेत्र के विकास के लिए और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए वहां औद्योगिकीकरण किया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में बाक्साइट अयस्क के विपुल भंडार हैं। इस अयस्क का उपयोग करने के लिए विजयनगरम जिले के, श्रीहरि कोटा, जो जनजातीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित किया जा सकता है।

वास्तव में, इस क्षेत्र में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

1978 में सोवियत विशेषज्ञों और भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों के दल ने इस क्षेत्र का दौरा किया और इसने अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा राज्य सरकार इस संयंत्र के लिए आवश्यक भूमि, जल और बिजली देने के लिए सहमत हो गई थी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र एल्युमिना संयंत्र स्थापित किया जाए।

———

1.06 म०प०

## अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

**जल संसाधन मंत्रालय**

**और**

**कृषि मंत्रालय—जारी**

**सभापति महोदय** : अब, मैं सभा का मत जानना चाहता हूं। पहले ही अनेक मंत्रालयों पर चर्चा नहीं की जा सकी है। आज जल संसाधन तथा कृषि मंत्रालय के साथ-साथ श्रम तथा कल्याण मंत्रालय भी सूची में हैं। क्या सदन का यह मत है कि यथा संभव तथा यथाशीघ्र हम श्रम तथा कल्याण मंत्रालय पर चर्चा करें तथा कृषि और जल संसाधन मन्त्रालय पर यथाशीघ्र इस चर्चा को समाप्त कर दें? अन्यथा इन दोनों मंत्रालयों से सम्बन्धित चर्चा नहीं हो सकेगी।

यदि आपकी सहमति हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि कांग्रेस (आई) के वक्ता जो उस दिन भी उपस्थित नहीं हो सके हैं, मैं उनके नाम लूंगा तथा तत्पश्चात् मैं अन्य दलों से वक्ताओं को बुलाने की अपेक्षा मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि वे अपना उत्तर दें। यह ठीक रहेगा तथा हम आज ही अन्य मंत्रालयों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक दल के कई वक्ता अपनी बात कह चुके हैं।

**श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी)** : कुछ सदस्यों ने अनेक कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सका। परन्तु वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उसके लिए भी कुछ समय देना होगा।

**सभापति महोदय** : मैं आपको बताता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तीन सदस्य पहले ही अपनी बात कह चुके हैं। सूची के अनुसार प्रत्येक दल ने काफी वक्ता अपनी बात कह चुके हैं। यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो श्रम तथा कल्याण मंत्रालय भी 'गिलोटिन" के अन्तर्गत आ जाएंगे। आप इस संदर्भ में निर्णय कर सकते हैं। इस बारे में निर्णय करना सदन पर निर्भर है।

**श्री भोगेन्द्र झा** : महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ मिनट दिए जाने चाहिएं।

**सभापति महोदय** : कुछ मिनट का कुछ मिनट का न रहकर कुछ घंटों से भी अधिक का हो जाएगा। परन्तु यदि आप इसी बात पर अड़े रहते हैं, तब इसमें कोई नुकसान नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : महोदय, हम आपके सुझाव ठीक से नहीं सुन पाए।

**सभापति महोदय** : मैं इस विषय पर सभा का मत जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

**श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत)** : सभापति जी, कृषि मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो इस देश के हर निवासी से सम्बन्धित है और हमारे जैसे व्यक्ति जो अपनी बात कहने के लिए पूरे तौर से तैयार हो कर आए हैं, इसमें हम लोगों को बोलने के लिए अवसर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम पीछे बैठते हैं, बैंक बैंचर्स बना दिए गए हैं। इसलिए हम लोगों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : आप पीछे बैठने वालों की समस्यायें उठा रहे हैं। इसे समझा जा सकता है। यह एक भिन्न मसला है। मैं यह सुझाव दे रहा था कि प्रत्येक दल के अनेक वक्ता इन दो मंत्रालयों की मांगों के सम्बन्ध में पहले ही बोल चुके हैं। अतः इसको यहीं पर ही सीमित करना बेहतर होगा बजाय इसके कि मैं कांग्रेस (आई) के कुछ सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए बुलाऊं, क्योंकि वे समय पर उपस्थित नहीं हुए हैं। मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात हम श्रम तथा कल्याण मंत्रालय पर चर्चा कर सकते हैं। मैं सदन का ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाह रहा था कि अब विभिन्न दलों के और वक्ताओं को नहीं बुलाया जाएगा तथा यथाशीघ्र हम इन दो मंत्रालयों पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा)** : सभापति जी, हमें 15 घण्टे का समय वाटर रिसोरसेस के लिए मिला था, जिसमें अभी केवल 10 घण्टे की ही बहस हुई है, यह ठीक नहीं है। यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को अपने मत व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। इसमें केवल कांग्रेस के लोग बोलें और दूसरे लोगों को इसके लिए मौका न मिले, यह ठीक नहीं है। इसके लिए जितना समय दिया गया है वह पूरा समय इसके लिए

दिया जाए। उसके बाद दूसरे विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** समस्या दस घंटे की नहीं है। सिर्फ दो घंटे शेष रह गए हैं।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) :** अभी साढ़े तीन घंटे हैं।

**सभापति महोदय :** परन्तु समय कहां है ? एक घंटा 26 मिनट कांग्रेस के लिए, 46 मिनट जनता दल के लिए तथा 18 मिनट भारतीय जनता पार्टी के लिए दिए गए हैं। हमारे पास समय कहां है ? वे अपने समय का ध्यान नहीं रखते हैं। क्या वे समय का ध्यान रखते हैं ?

[हिन्दी]

**श्री सत्यपाल मलिक :** देखिए, यह जो बात आपने कही, यह वाजिब है। लेकिन इसमें अभी कुछ सदस्य रह गए हैं और अभी वक्त हमारे पास है। इसमें हम यह कर सकते हैं कि 6 बजे जो हमारी आधे घण्टे की चर्चा है उस वक्त तक हम इसको निपटा दें और इसमें बाकी लोगजो रह गए हैं उनको भी मौका मिल जाए, ऐसा निश्चित करके हम इस पर चल सकते हैं।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** यदि ऐसा है तब ठीक है। परन्तु इतना समय दिया गया है।

[हिन्दी]

**श्री युवराज (कटिहार) :** सभापति जी, ठीक है। 6 बजे तक चलाइए।

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) :** कुछ माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए बुलाया जा सकता है।

**सभापति महोदय :** जी, हां। मैं यही करने जा रहा हूं। परन्तु उससे पहले मैं सदन के विचार जानना चाहता था।

**श्री सत्यपाल मलिक :** 6 बजे तक उत्तर तथा वोट इत्यादि का कार्य समाप्त हो जाना चाहिए।

**प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) :** मैं यहां पर व्यक्त किए गए विचार का समर्थन करता हूं कि श्रम तथा विशेषकर कल्याण मंत्रालय पर चर्चा हेतु समय दिया जाना चाहिए। वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः मेरा सुझाव यह है कि आपके पास साढ़े तीन घण्टे का समय है। प्रत्येक दल को आधा-आधा समय दिया जाए। हमारे दल के पास अस्सी मिनट का समय है तथा हम चालीस मिनट में ही संतुष्ट होने को तैयार हैं। यदि सभी दल इसी प्रकार सहयोग करें तब हम चर्चा को पहले समाप्त कर सकते हैं तथा श्रम तथा कल्याण मंत्रालय पर चर्चा शुरू करें जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण है।

**श्री राम नाईक :** मेरा सुझाव यह होगा कि इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा 6 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। 6 बजे के बाद हम श्रम मंत्रालय पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। हम अन्य दिनों में तो और अधिक समय तक बैठे रहे हैं। अतः हम श्रम पर आज एक घंटा बहस

[श्री राम नाईक]

कर सकते हैं तथा शेष पर कल चर्चा करेंगे । हम आज एक घंटा अधिक काम कर सकते हैं । कल 3 बजे गिलोटिन होगा । अतः आज के एक घंटे सहित हमें कल चार घंटे मिल जाएंगे ।

**सभापति महोदय** : मैं नहीं समझता कि यह व्यावहारिक है । परन्तु खैर, क्या सदन का यही विचार है ? इसका अभिप्राय है कि श्रम तथा कल्याण गिलोटिन के अन्तर्गत आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

**श्री सत्यपाल मलिक** : महोदय, यदि आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं । (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : मैं ऐसा करना थोड़ा कठिन समझता हूं । उस समय में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर का समय भी शामिल है । अन्यथा शेष समय में और माननीय सदस्यों के समय का सामंजस्य करना संभव नहीं है ।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : आप उचित रूप से समय बांट सकते हैं ।

**श्री सत्यपाल मलिक** : आप उचित रूप से समय निर्धारित कर सकते हैं ।

**सभापति महोदय** : यदि सदन की सहमति हो केवल तभी ऐसा किया जा सकता है । अन्यथा ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है ।

[हिन्दी]

**श्री सत्यपाल मलिक** : ठीक है ।

**श्री मामाजी बंगाजी ठाकुर (कपड़वंज)** : सभापति महोदय, मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला है । कृषि की मांग पर मैं बोलना चाहता हूं । मेरी पार्टी की ओर से नाम भेजा गया है, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय**: जब आपका नाम पुकारा गया था, उस समय आप सदन में उपस्थित नहीं थे ।

[हिन्दी]

**श्री मामाजी बंगाजी ठाकुर** : आज ही नाम भेजा गया है और मैं कहीं बाहर नहीं गया हूं ।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : मैं नहीं जानता । खैर, कृपया बैठ जाइए । श्री संतोष मोहन देव ।

**श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम)** : सभापति महोदय, हम जल संसाधन तथा कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से असम

से सम्बन्ध रखता हूं जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी को "दुःख की नदी" के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष एक से अधिक बार आसाम में भयंकर बाढ़ आती है। यह हजारों घरों को बर्बाद कर देती है। इससे कई गांव प्रभावित होते हैं। हजारों एकड़ फसलें हमेशा नष्ट हो जाती हैं।

हम जानते हैं कि पहले भारत सरकार ने एक ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया था। परन्तु दुर्भाग्य से इसने उस रूप में कार्य नहीं किया है जैसा कि इसे करना चाहिए था। इस समय भी मुझे नवीनतम स्थिति की जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में मंत्री जी बेहतर रूप से बता सकेंगे। इस बोर्ड में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। इस बोर्ड का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि यह ऐसी मुख्य योजना बनाएगा जिससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में आने वाली भयंकर बाढ़ पर नियन्त्रण हो सके। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है? क्या पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों को नियुक्त किया गया है? भारत सरकार ने इसके लिए कितनी राशि आबंटित की है? आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी क्या योजनाएं तथा कार्यक्रम हैं? असम की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, इस्पात तथा तेल उद्योग पर निर्भर है। दुर्भाग्य से यह सभी उद्योग इससे प्रभावित होते हैं। यहां तक कि इस बाढ़ के कारण चाय बागानों के क्षेत्र भी भूमि-कटाव का विषय बन जाते हैं। धान के खेतों में इतनी अधिक गाद भर गई है कि उस जमीन में आर्थिक दृष्टि से खेती करना सम्भव नहीं है। एक निश्चित ऊंचाई तक गाद भर जाने से तो कृषक को लाभ हो सकता है परन्तु उस एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर गाद भर जाने से कृषकों के लिए भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। भारत सरकार प्रति वर्ष असम सरकार को बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में राहत सहायता प्रदान करने के लिए मदद देती रही है। वर्ष 1947 से लेकर आज तक जितनी भी धनराशि बाढ़ नियंत्रण पर व्यय हुई है, आप देखेंगे कि पूरी धनराशि का उचित रूप में उपयोग नहीं किया गया है। यदि इस पूरी धनराशि का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता तथा इस नदी के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की बेहतरी के लिए न कि उन्हें दुख देने के लिए बनाया जाता तब बाढ़-नियन्त्रण की समस्या का समाधान हो गया होता।

अतः जबकि मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं मैं उनसे इस ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्र बोर्ड को सक्रिय बनाने के लिए भारत सरकार की कार्य योजना के बारे में जानना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वे कौन सी परियोजनायें हैं जिन्हें सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाने का विचार रखती है।

मैं कछार क्षेत्र से हूं जहां पर बोरक नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। वहां एक परि-योजना बनी थी जिसे तिपाईमुख बांध कहते हैं तथा जो मणिपुर और कछार की सीमा में थी। जब मैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री था तब मैंने जल संसाधन तथा कृषि मंत्री के साथ अनेक बार व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की थी तथा मुझे तत्कालीन मंत्री द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में तिपाईमुख बांध बनना शुरू हो जायेगा। केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी निर्णय किया गया था कि नाम मात्र की राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान उस क्षेत्र में वहां आधारभूत कार्य शुरू करने के लिए व्यय की जायेगी। मैंने इस मुद्दे पर जल संसाधन विभाग के वर्तमान सचिव के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की थी तथा मुझे आश्वासन दिया गया था कि इस परियोजना विशेष के सम्बन्ध में एक अध्ययन

[श्री सन्तोष मोहन देव]

दल इसकी गहराई में जांच करने जा रहा है तथा तिपाईमुख बांध के लिए तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आ गई है तथा जल संसाधन विभाग इसके पक्ष तथा विपक्ष का विश्लेषण कर रहा है तथा यह परियोजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपना अन्तिम स्वरूप ले लेगी। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि तिपाईमुख परियोजना, जो बराक घाटी बांध के नाम से जानी जाती है, की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि के दृष्टिकोण से यह अच्छी बात है कि भारत सरकार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए आगे आई। किन्तु इस चक्रवात का कुछ प्रभाव त्रिपुरा में भी पड़ा और त्रिपुरा सरकार ने भारत-सरकार को एक ज्ञापन भेजा था। दुर्भाग्य से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि स्थिति ऐसी है कि जो बर्बादी आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ हिस्से में हुई है उसकी प्रकृति त्रिपुरा में हुए नुकसान से अधिक गम्भीर है। किन्तु जब आप एक विशेष क्षेत्र की देखभाल करते हैं और किसी अन्य क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे लिए कठिन हो जाता है क्योंकि हम उस क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम उन्हें उत्तर नहीं दे सकते कि क्यों देश के किसी विशेष भागों में कुछ कदम उठाया गया है और क्यों देश के अन्य भागों में अलग कार्रवाई की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि त्रिपुरा के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में क्या हो रहा है क्योंकि त्रिपुरा की सरहद बंगलादेश से मिलती है और जैसाकि आप जानते हैं, हर वर्ष बंगलादेश के कुछ हिस्से चक्रवात से बर्बाद होते हैं और इसका कुछ प्रभाव त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में भी पड़ता है।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को भारत सरकार राहत के रूप में धन देती है और ऐसी व्यवस्था है कि पूरी तरह से नष्ट, आंशिक रूप से नष्ट हुए घरों और फसलों इत्यादि के लिए भी धन देती है। कृषि मन्त्रालय द्वारा असम सरकार को अक्तूबर 1989 में 27.1 करोड़ रुपये और नवम्बर में 85.67 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 112.77 करोड़ रुपये असम के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की मदद के लिए दिए गए थे। दुर्भाग्य से, यह धन आज तक पूरी तरह से बांटा नहीं गया है। मैं स्वयं उप प्रधान मंत्री से मिला था और उन्हें इसकी जानकारी दी थी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मन्त्रालय से कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करने जाएगा कि धन को वितरित कर दिया गया है। किन्तु धन को कहीं और मोड़ दिया गया है। राज्य सरकार की यह एक अति गम्भीर गलती है। सरकार किसी विशेष कार्य के लिए धन देती है जब भारत सरकार के पास ज्ञापन आता है और भारत सरकार अपने एक दल को उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजती है जिसमे नुकसान की सत्यता की अन्दरूनी जांच की जा सके और अफसर आकर अपनी रिपोर्ट देते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से, जब धन दिया जाता है, तो धन को उचित प्रकार से खर्च नहीं किया जाता है। इसके लिए निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

अब, आप आंध्र प्रदेश को धन दे रहे हैं। यह अच्छा है, किन्तु इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धन उसी कार्य के लिए व्यय किया जा रहा है जिस कार्य के लिए धन दिया गया है। मेरे अनुभव से, प्रति वर्ष, असम में, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, अथवा कोई और सरकार, भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। आरम्भ में, यह धन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए खर्च किया जाता है और अन्त में भारत सरकार धन की प्रतिपूर्ति

करती है। किन्तु दुर्भाग्य से धन उन कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जाता है जिस कार्य के लिए यह दिया जाता है। असम सरकार की राजस्व पत्रिका में यह प्रावधान है कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए कितना धन है। मैं जानता हूं, यहां तक कि भारत सरकार इससे भी आगे चली गई है। क्षति की गहराई को देखने के बाद, सरकारी दल ने और अधिक की सिफारिश की थी। कम से कम, असम में, 5000 पुल और नालियां हैं जो बाढ़ द्वारा हुई बर्बादी के कारण काम नहीं कर रहे हैं। असम सरकार इस पर खर्च नहीं कर सकती। कुछ धन दिया गया था। जब 1984, में मैं उस क्षेत्र से चुना हुआ सदस्य था मैंने एक पुल के लिए 69 लाख रुपये की स्वीकृति ली थी और उस पुल का कार्य अब 1990 में शुरू हुआ है। इतनी देर तक यह धन असम सरकार के पास रहा। मुझे बहुत खुशी है कि भूतल परिवहन मन्त्रालय यहां है। हाल ही में, बोडो आंदोलन में, एक पुल उड़ा दिया गया था। यह असम के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि परिवहन मन्त्रालय ने एक घाटी पुल बनाकर तुरन्त कार्रवाई की है। श्री उन्नीकृष्णन जी, दुर्भाग्य से इतना यह वस्तुतः इतना भार वहन नहीं कर सकता और आप इसकी ठीक प्रकार से आज्ञा नहीं दे रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्य से यह पुलिस और अन्य लोगों के लिए भ्रष्टाचार का स्रोत बन गया है। यथार्थतः इसमें चार या पांच टन से अधिक नहीं होना चाहिए। किन्तु यह सात या आठ वस्तुएं टन भार दब रहा है। अब यही हो रहा है। यह पुल फिर से ढह जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हू कि आप इस पर तुरन्त कार्यवाही करें। मैं जानता हूं कि आपने स्वयं असम सरकार से अपनी योजना और अनुमानित व्यय का ब्यौरा देने के लिए कहा है। मुझे बताया गया है कि असम सरकार ने अभी तक इसे नहीं भेजा है। उन्हें कहा जाना चाहिए कि वे तुरन्त इसे जमा करें क्योंकि जल्दी ही मानसून का मौसम आ रहा है। असम रेल और सड़क के द्वारा एक संकीर्ण पथ से जुड़ा हुआ है। यह बोडो आन्दोलन और कार्बी एन्गलोन्ग तथा उत्तर कच्छार के ए०डी०सी० क्षेत्र में आंदोलन उग्रवादी तरीके से चल रहा है।

अब असम में, सड़क और रेल द्वारा सम्पर्क की कमी के कारण वहां आवश्यक सामग्रियों की गम्भीर कमी हो रही है। रेलों को भी क्षति पहुंची थी। रेल व्यवस्था ज्यादातर दिन में ही है और रात में इसे कम कर दिया गया है। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस विशेष समस्या की जांच करें।

हमने असम सरकार के अधिकारियों के साथ जो विचार-विमर्श किया था, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि बराक बांध और तिपाईमुख बांध पर कार्रवाई शुरू करने से पहले, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बराक घाटी समेत असम के विभिन्न जिलों में निकास योजना के विकास के सम्बन्ध में सकारात्मक कदम उठा सकता है। छोटी नदियों में गाद के जमा हो जाने से बड़ी नदी से पानी लेने की क्षमता काफी कम हो गई है। यह निर्णय लिया गया था कि छोटी नदियों में निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मुख्य नदी से जल आ सके। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार बराक घाटी के कुछ विशेष क्षेत्रों, नाओगोन्ग, सिबसागर इत्यादि की पहचान हो पाई। किन्तु दुर्भाग्य से, आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहूंगा।

[श्री सन्तोष मोहन देव]

कृषि मंत्रालय के दृष्टिकोण से, त्रिपुरा में 75 प्रतिशत जनता जनजाति क्षेत्रों में और ए० डी० सी० क्षेत्र में रहती है। पिछले वर्ष एक नई प्रकार की खेती-बाड़ी शुरू की गई है, जो विशेष तौर पर जन जाति के लोगों को झूम खेती बाड़ी से हतोत्साहित करने के लिए की गई है। झूम खेती-बाड़ी से जंगल को बहुत हानि पहुंचती है। भूमि का कटाव इस सीमा तक होता है कि यह छोटी नदियों में कुछ क्षेत्रों में गाद उत्पन्न करता है। भारत सरकार ने यह नीति निर्णय लिया था कि झूम खेती-बाड़ी को पूरे उत्तर-पूर्व में हतोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर खेती-बाड़ी की अन्य पद्धति को शुरू करना चाहिए। इनमें से एक प्रक्रिया है कि हमें झूम क्षेत्रों में और अधिक वृक्ष रोपण शुरू करना चाहिए और रबी फसल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, जो भूमि में कटाव पैदा नहीं करते और इस प्रकार हम जन-जातीय लोगों को फायदेमन्द व्यवसाय दे सकते हैं जिससे उन्हें यह दुःख न हो कि झूम खेती-बाड़ी को बन्द कर दिया गया है और उनके जीवन-यापन के स्रोत पर प्रभाव पड़ा है और इसके विपरीत, भारत सरकार ने जन-जातीय क्षेत्रों में रियायती दरों पर अनाज की मदद देने का निर्णय लिया था। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार ने त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे करबीयलोंग और उत्तर कच्छार पहाड़ियों में इसे पुनः शुरू किया है। इस कदम का स्वागत है। इसके साथ ही, जब तक पहाड़ी क्षेत्रों में रबी की फसल और वृक्ष-रोपण के लिए विशेष धन का प्रावधान नहीं किया जाता जिससे लोगों को फायदेमन्द व्यवसाय दिया जा सके। जब तक आप गांवों में लोगों को कोई अन्य कमाई का स्रोत नहीं दे देते, आप झूम खेती-बाड़ी को नहीं रोक सकते। इसलिए मैं कृषि मन्त्री से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मे झूम खेती-बाड़ी के विरुद्ध किसी वैकल्पिक फसल के बारे में जानना चाहूंगा, कि सम्बन्ध में योजना और कार्यक्रम क्या है क्योंकि झूम खेती-बाड़ी अवश्य रोकी जानी चाहिए। यदि इसे रोका न गया तो यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विनाश का कारण बनेगी। रबी फसल और फसल की अन्य किस्मों की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचा जाना चाहिए जो जंगल की मिट्टी को नष्ट नहीं करेगा। इस विशेष क्षेत्र के बारे में इसकी क्या योजना और कार्यक्रम है?

जैसे मैंने कहा, समय कम है और मैं इसके सामान्य पहलुओं में नहीं जाना चाहता। किन्तु मैं विशेष रूप से कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे झूम खेती-बाड़ी के विकल्प के बारे में कहें। जो धन यहां से भेजा जा रहा है, उसके बारे में, मैंने स्वयं उप प्रधान मंत्री से बात की और कृषि, सचिव से भी बात की। मैं किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष की निन्दा नहीं कर रहा हूं। मैं बस यह कहता हूं कि आप एक विशेष कार्य के लिए धन दे रहे हैं और यह धन अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इस संबंध में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। यदि वे अब उत्तर नहीं दे सकते तो मैं—उनसे निवेदन करूंगा कि वे कम से कम अपने शासन-तन्त्र से यह पता लगाएं कि जो धन पिछले तीन वर्षों में असम सरकार को दिया गया है, क्या उसका उचित उपयोग हुआ है। यदि नहीं, तो कृपया भविष्य के लिए, यह निर्देश दे दें कि इसका उचित उपयोग होना चाहिए अन्यथा इससे केन्द्रीय सरकार की साख पर बुरा असर पड़ता है। हम संसद सदस्यों की हैसियत से आकर मंत्री की ओर से पत्र

या आश्वासन प्रस्तुत करते हैं कि यह दिया जा चुका है। किन्तु उन कारणों पर कि यह लोगों को प्राप्त नहीं होता।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री के लिए पुनः कहता हूं कि मुझे ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड और तैंपामुख बांध के बारे में बताया जाए।

जल भूतल परिवहन मन्त्री यहां उपस्थित हैं, मैं यह उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैंने उन्हें कई पत्र लिखे हैं। उन्होंने पत्रों की पावती भी भेजी है। किन्तु उनसे अभी उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। मुझे उम्मीद है, वे असम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उन्होंने असम के सभी भागों की यात्रा की है। मुझे उम्मीद है, वे इस समस्या की ओर भी ध्यान देंगे क्योंकि संचार व्यवस्था एक बड़ी समस्या है। मैंने उन्हें चार या पांच पुलों के बारे में लिखा है जिन्हें पिछली सरकार ने स्वीकृत कर लिया था। किन्तु अब इसका विकास रुक गया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

**श्री युवराज (कटिहार)** : सभापति महोदय, आज यहां जो जल संसाधन और कृषि की मांगें पेश की गई हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश को सबसे ज्यादा चीज कृषि देती है, उपज देती है। किसान खेतों में काम करते हैं और जो साधारण किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वे बिल्कुल मजदूरों की जिन्दगी बिताते हैं। इस हाउस में और हर जगह हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि कृषि उत्पादों का मूल्य ज्यादा बढ़े। इसमें यदि उत्पादों का मूल्य ज्यादा बढ़े तो जो मुट्ठी भर कृषक हैं, उसका लाभ उनको मिलता है। और दूसरी तरफ चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे यहां श्री जी० के० भौमिक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि लाभपरक मूल्यों के बजाए कीमतों पर नियन्त्रण होना चाहिए। यदि कीमतों पर नियन्त्रण होता है तो तमाम लोगों को सुविधा मिलेगी। इसलिए यदि हम केवल कृषि उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि की बात करेंगे तो इससे मनी-सप्लाई या मुद्रा प्रसार भी बढ़ेगा और उससे हमारी कठिनाइयां बढ़ती जायेंगी। जब हम किसानों के बीच जाते हैं, बिहार की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तो यद्यपि वहां भूमि मौजूद है, अच्छी भूमि है, लेकिन खाली पड़ी है क्यों कि वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं और सिंचाई की व्यवस्था बिना बिजली के हो नहीं सकती। बिजली आप हमें कितनी देते हैं, जितनी हमें बिजली की आवश्यकता है, उससे भी 20 प्रतिशत कमी रह जाती है और देहातों में तो स्थिति और ज्यादा खराब है। वहां 40 प्रतिशत बिजली की कमी रह जाती है, जबकि कुछ शहरों को बिजली का लाभ मिलता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम कृषि की तरक्की चाहते हैं, कृषि का विकास चाहते हैं तो बिजली की व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। न केवल थर्मल पावर बढ़ाकर, बल्कि हमारे यहां जितनी नदियां बहती हैं, ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे कि उन नदियों में बहने वाले पानी का दोहन करके अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सके और बिजली का लाभ किसानों को मिल सके। कृषि के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण के लिए सारे देश में जो प्रयास हुए हैं उन पर अरबों रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं लेकिन आज भी स्थिति में कोई विशेष सुधार हुआ नजर नहीं आता। केन्द्रीय सरकार भी पैसा देती है और वर्ल्ड बैंक से भी हम पैसा लेते हैं, जिस पर हमें सूद देना पड़ता है। इस सब के

[श्री युवराज]

बावजूद हमारी एक भी योजना बन नहीं पाती और इसका कुपरिणाम किसानों को भोगना पड़ रहा है। हमारे यहां महानन्दा बाढ़ नियंत्रण तटबंध है, जो 300-400 किलोमीटर लम्बा है। उस महानन्दा बाढ़ नियंत्रण तटबंध का निर्माण 1974 में हुआ परन्तु आज तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी। वहां सन् 1987 में जोरों की बाढ़ आई, उसमें कई स्थानों पर सीपेज हुआ और कई जगहों से वह टूट गया। उसके कारण बिहार के एक ही कटिहार जिले को लगभग 1400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हजारों की संख्या में मवेशी मरे, लाखों लोग बेघरबार हो गए। हमारी स्टेट में आज भी महानन्दा बाढ़ नियंत्रण तटबंध से सम्बन्धित सिंचाई विभाग के जितने अधिकारी हैं, जिन्हें केन्द्र की तरफ से तटबंध के निर्माण के लिए पैसे दिए गए थे, तटबंध बनने के बावजूद, उसकी अन्य प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकीं, अन्य कार्य सम्पन्न नहीं हो सके। यही कारण है कि वहां के किसान बार-बार मांग करते हैं कि सिकमी छार/धार पर कल्वर्ट बना दो, एक स्ल्यूस गेट बना दो, वहां बार-बार मांग उठती है कि बोअलमारी बांध पर, जो उसके निकट है, उस पर एक स्ल्यूस गेट बना दो, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वहां नेपाल की तरफ से पानी आता है, कोसी का पानी, महानन्दा का पानी आता है परन्तु सरकारी विभाग की नजर इतनी अवैज्ञानिक हो गई है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे यहां एक रेलवे का पुल भी था, उसे भी बन्द करा दिया गया। रेलवे ने सोचा कि यदि इस पुल को बन्द करा दिया जाए तो रेलवे की एक बहुत बड़ी कठिनाई मिट जाएगी। गत 1987 में जब पानी आया था तो समूचे उत्तर बिहार के किसान, कटिहार जिले के किसानों ने रेलवे लाईन को काट दिया जिससे कि महानन्दा का जल गंगा नदी में बहकर आ गया। इस तरह जल की निकासी हो जाने से उस क्षेत्र के किसानों को राहत मिलती थी। हमारा जिला पूरे प्रान्त का सबसे पिछड़ा इलाका है, बंगाल के बोर्डर पर स्थित जिला है, कटिहार और पूर्णिया, वहां तटबंध तो बनाया जाता है परन्तु स्ल्यूसगेट नहीं बनाया जाता। यह कितने दुःख की बात है, जिसका किसानों को कोई लाभ नहीं। कन्ट्रीसाइड के किसान भी इससे बुरी तरह परेशान हैं, उन्हें भी किसी तरह की फेसिलिटी नहीं मिल पाती। उनके लिए भी सरकार ने किसी तरह का बंदोबस्त नहीं किया। पहले वहां मिट्टी नदी में बहकर आ जाती थी, वह भी बन्द हो गई। सरकार ने चैनल को निकालकर जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। सरकार को चाहिए था कि ऐसी नालियां बनाई जातीं ताकि विद्युत शक्ति से उस इलाके को पानी मिल सके और किसानों को राहत हो और किसान अपने खेतों को अच्छी तरह सींच सकें। चौदह वर्ष बीतने के बाद भी और महानंदा तटबन्ध बनने के बावजूद, आज तक किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल सका। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इतनी ही कठिनाई नहीं है बल्कि आज हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में जो प्रक्रिया चल रही है, उससे मुट्ठी भर लोग समृद्ध हो रहे हैं और उसी वर्ग का आधिपत्य पंजाब की राजनीति पर है, उसी वर्ग का आधिपत्य आज सम्पूर्ण देश की राजनीति पर है और उसी वर्ग का आधिपत्य आज सम्पूर्ण प्रशासनिक जगत में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक विकास की प्रक्रिया में और अर्थव्यवस्था तथा समाज में जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक चाहे जितने ऊपर उठने का आप प्रयास करें, चाहे जितना अधिक आप उत्पादन बढ़ा लें और चाहे जितने अधिक आप उद्योग बढ़ा लें, आपके इन सब प्रयासों से जो पचास फीसदी लोग आज कराह रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारी बुनियादी दृष्टि यह होनी चाहिए कि जो

अर्थव्यवस्था है और जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए और यह लाभ जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनको गांव में कम मजदूरी मिलती है, उनको मिले। कम मजदूरी या बेरोजगारी के चलते लोग भागकर पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में जा रहे हैं। आज बिहार में गांवों में कम मजदूरी मिलने के कारण किसानों को मजदूर नहीं मिलते हैं जिसके कारण वहां के किसानों को काफी कठिनाई और परेशानी का मुकाबला करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ लाखों मजदूर दिल्ली नगर में औद्योगिक इकाइयों में काम करते हैं इसलिए कि उनको मजदूरी कुछ ज्यादा मिलती है और उससे वे अपने बाल-बच्चों की जीविका का इंतजाम कर लेते है। आपके माध्यम से मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि आज तक जो हमारी कृषि नीति है वह बन नहीं सकी है। अभी तो केवल इसके लिए समिति ही बन सकी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो कृषि नीति आपकी बने वह ऐसी हो जो औद्योगिक भी हो, अर्थात् कृषि औद्योगिक नीति बननी चाहिए। यदि आप कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहते हैं, तो परिवर्तन आपको अपने दृष्टिकोण में करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

**श्री लेइता अम्बरी (अरुणाचल पूर्व)** : महोदय, मैं जानता हूं कि हमारे पास समय की कमी है। इसलिए, मैं केवल अपनी मुख्य बातें प्रस्तुत करूंगा। प्रथम, अरुणाचल प्रदेश की कुल भूमि की 5% से भी कम ऐसी भूमि है जो समतल, उपजाऊ और खेती करने योग्य है। इसलिए, पहाड़ों में रहने वाले लोगों को खेती करने के लिए उन्हीं क्षेत्रों में रहना पड़ता है। किन्तु, भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से, राज्य में हर वर्ष भारी वर्षा होती है। इकट्ठा हुआ वर्षा का पानी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की छोटी और बड़ी उपनदियों में मिलता है, हर वर्ष फसलों और उपजाऊ भूमि को बर्बाद कर देता है। अतः, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की छानबीन करे और बाढ़ों को रोकने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाए। राज्य सरकार ने बाढ़ों की रोकथाम के लिए हर वर्ष कई उपाए किए हैं किन्तु अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण, राज्य सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकी है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि बाढ़ सुरक्षा हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराए। वर्ष 1988 में, अरुणाचल प्रदेश में बड़ी भयानक बाढ़ आई थी जिसमें सैंकड़ों लोग अपने घरों से हाथ धो बैठे थे, सैंकड़ों गांव बाढ़ में बह गए थे और हजारों एकड़ की खेती योग्य भूमि, जिस पर खेती बाड़ी हो रही थी, पर भी प्रभाव पड़ा। हमने केन्द्रीय सरकार से बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए धन की मांग की, किन्तु अरुणाचल प्रदेश को जो धन उपलब्ध कराया गया वह इतना कम था कि हम ठेकेदारों को उनकी देय राशि का भी भुगतान नहीं कर सके। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्य को ठीक प्रकार से नहीं किया। इसलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाएगी।

दूसरी बात यह है कि पिछले वक्ता का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी सम्पूर्ण असम प्रदेश से होकर बहती है। यदि नदी का बहाव ऊपरी असम में देखा जाए तो यह बहुत डराने वाला होता है क्योंकि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र में पानी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसलिए, प्रति वर्ष चाय बागानों की सैंकड़ों एकड़ भूमि पानी में बह जाती है। इसलिए, वहां पर बड़े पैमाने पर बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाने चाहिएं। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के कार्य केवल ब्रह्मपुत्र ही नहीं अपितु इसकी अन्य उपनदियों के सम्बन्ध में भी अत्यन्त असन्तोषजनक हैं।

[श्री लेइता अम्बारी]

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कॉप्टिक टीटा, जो मिश्मीटीटा के नाम से जानी जाती है, महत्वपूर्ण चिकित्सीय जड़ी-बूटियों में से एक है। अठवें दशक में हमारे लोग इन जड़ी बूटियों को पहाड़ों जंगलों से, जो 5000 फुट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं, इकट्ठा करके असम के मैदानों में बेचा करते थे किन्तु अचानक 1977-78 में इसकी मार्किट गिर गई और इसी के साथ उन दिनों हमारी राज्य सरकार ने गांव वासियों को इस चिकित्सीय जड़ी-बूटी की खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुछ योजनाएं शुरू की थीं। अब इस क्षेत्र में कई फार्म विकसित किए जा चुके हैं। किन्तु इन उत्पादों को बेचने के लिए कोई बाजार नहीं है और हमारे लोग बहुत हतोत्साहित हो रहे हैं। हमें बताया गया है कि उन दिनों मिश्मीटीटा जड़ी बूटियों को जापान को निर्यात किया जाता था। मैं नहीं जानता कि जापानी लोग इसका कैसे प्रयोग करते थे। किन्तु हमें बताया गया है कि उन्हें चीन से मिश्मीटीटा तुलनात्मक रूप से सस्ते दरों पर मिल रही है और उन्होंने भारत से मिश्मीटीटा खरीदनी बन्द कर दी है। इसलिए, हम अपने अनुसंधान संस्थान में इन चिकित्सीय जड़ी बूटियों के भारत में ही प्रयोग पर अध्ययन क्यों नहीं कर सकते और क्यों राज्य में जहां पर वे उपलब्ध हैं औषधियों की फैक्टरियां नहीं लगा सकते? हमारी सरकार को यह मुद्दा जापान के साथ भी उठाना चाहिए अगर वे वास्तव में पहले जापान को निर्यात कर रहे थे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इस मुद्दे को गम्भीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि उन गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति फिर से सुधर जाए।

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल यादव।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपके पास भाजपा के सदस्यों की सूची है?

सभापति महोदय : हां, है।

श्री राम नाईक : सामान्यतया, हमारी बारी कांग्रेस दल के बाद आती है।

सभापति महोदय : यह सभापति की इच्छा पर निर्भर है। उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल यादव (अलवर) : सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा जब 1940-41 में जब हम कालेज में पढ़ते थे, तब भी किताबों में लिखा था कि

[अनुवाद]

भारतीय कृषि मानसून पर ही आधारित है।

[हिन्दी]

वह स्थिति आज भी मौजूद है।

भारत सरकार ने पिछले 40 सालों में देहात में एग्रीकल्चर को उत्साहित करने के लिए कोई इरिगेशन के साधन मुहैया नहीं कराए जिससे की स्थिति बदलती। दरअसल स्थिति यह है कि इसके लिए ज्यादा प्रयत्नों की आवश्यकता है। जितने स्पैशल एफर्टस किए जायेंगे उतना ही नीचे का पानी, सब सॉयल वाटर ट्यूबवैल के माध्यम से ऊपर आयेगा और हमारे किसान

खुशहाल होंगे। मैं राजस्थान के बारे में खास तौर पर अर्ज करना चाहूंगा। राजस्थान में किसान भी प्यासा है, वहां का पशु भी प्यासा है और वहां का खेत भी प्यासा है। पिछले 40 साल में वहां की सरकार ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे वहां की प्यास बुझे। आज मैं इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे इस मामले में स्पेशल प्रयत्न करने चाहिए और उस स्पेशल प्रयत्नों के तहत एक्सप्लोरेटरी टयूबवैल एक्सपेरिमेंट के तरीके पर सरकार को खुदवाने चाहिए। 400-500 या 1000 फुट पर जहां पानी मिले वहां पानी को मुहैया करा कर, उसको टैस्ट करा कर कि वह खेती के उपयोगी है या नहीं, किसानों को उसके नतीजे से अवगत कराना चाहिये ताकि किसान खेती को उत्साहित कर सकें। इसलिए केन्द्र सरकार से चूंकि राजस्थान सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंटल टयूबवैल लगा सकें, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के टयूबवैल वह वहां लगाए।

राजस्थान की जमीन चूंकि बहुत बूढ़ीवाली जमीन है, उसमें कनवैंसी लॉसीज पानी के ज्यादा हो जाते हैं इसलिए जरूरी है कि वहां पर स्प्रीकल सैट लगे या अंडर ग्राउण्ड पानी बिछा कर उस पानी को ले जाया जाए ताकि एक जगह से दूसरी जगह खेत में पानी जो बेकार चला जाता है और जमीन खराब होती है, वह भी न हो और पानी का पूरा-पूरा उपयोग हो सके।

इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 साल में पानी का लैवल बहुत नीचे जा रहा है। वह हर साल 10-15 फीट नीचे जा रहा है। उसको ठीक करने के लिए आप कोई कदम उठायें। मेरा जिला जहां से मैं चुनकर आया हूं, अलवर वह आपके हरियाणा के बार्डर से लगा हुआ है। हरियाणा के बार्डर पर नहरें दौड़ती हैं और हमारे इलाके में नहरें ही नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि भारत का हरियाणा जैसा अंग है वैसे ही राजस्थान है। इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि जो नहरें पास से गुजरती हैं, अगर उन नहरों में पानी इतना न हो कि हमारे खेतों को केनाल इरिगेशन से पानी मुहैया कराया जा सके तो उन नहरों को राजस्थान में मोड़कर खारा पानी वहां छोड़ दिया जाये ताकि वाटर लैवल जो नीचे जा रहा है, वह नीचे जाने से रुक जाये और हम अपने टयूबवैल से और कुएं से पानी अपने इरिगेशन के लिए ले सके।

इसके अलावा बहुत सी जगह हमारे अलवर और भरतपुर जिलों में प्राबलम सॉयल है। मिट्टी खारी हो गई है और उसमें खारापन है और उसमें सोडाइज है। इसके लिए मैंने आपकी वार्षिक रिपोर्ट में पढ़ा है कि हरियाणा में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में सरकार ने ऐसी योजना चलायी है जिससे इस प्रकार की जमीन जो खराब हो गई है, ऊसर हो गई है, बंजर पड़ी है, जिन में कुछ पैदा नहीं होता है, उस जमीन को सरकार इस प्रकार से ट्रीट करती है जिससे वह जमीन सुधर जाती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान को भी उन तीन स्टेटस की लिस्ट में शामिल किया जाये जिससे राजस्थानवासियों को लाभ हो सके।

सभापति महोदय, सरकार ने बहुत बड़े-बड़े बांध बनाए हैं। राजस्थान में बड़े बांधों की कोई

[श्री रामजी लाल यादव]

गुंजाइश ही नहीं है। मेरे इलाके में इस तरह की छोटी-छोटी पहाड़ियों के बीच बहुत छोटा धन लगाने से 2 लाख—4 लाख लगाने से छोटे-छोटे बांध बन सकते हैं जिससे नीचे का सब-सॉयल वाटर भी ऊपर आएगा और केनाल इरिगेशन भी थोड़ा बहुत हो सकेगा। इसलिए सरकार हमारी राजस्थान सरकार की यह सहायता करे। कि इस प्रकार के बांध बनाने में हमारी राजस्थान सरकार सफल हो सके।

इसके अलावा बीज, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह समय पर कम मिलते हैं इसलिए समय पर दिलाने की कोशिश की जाय और इसके अलावा एक खास बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि जबसे शंकर बीज मिले हैं, उसकी क्वालिटी में, खाने में उतना स्वाद नहीं रहता। हमारे इलाके में दो गांव ऐसे हैं, झखराना और खालदा, जहां का बाजार इतना प्रसिद्ध था कि सारे राजस्थान और हरियाणा में बीज के लिए लोग ले जाया करते थे, जिसकी एवरेज प्रोडक्शन भी ज्यादा होती थी और शुरू शुरू में जिस वक्त पंचायत समितियां बनीं, सारे राजस्थान में उस इलाके का बाजरा जाया करता था। अब लोग केवल शंकर बीजों पर आश्रित हो रहे हैं जिससे बाजरे की क्वालिटी गिरी है और उसमें वह स्वाद भी नहीं रहता। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि बीज एक प्रकार से लुप्त हो गया है, रिवाइज करने के लिए, उसको दोबारा से प्रचारित करके इस्तेमाल करने की व्यवस्था की जाये।

इसके अलावा आज नई-नई बीमारियां फैल रही हैं। उसके लिए सरकार कीटनाशक दवाइयां मुहैया जरूर कराती है लेकिन अब दवाइयां बिल्कुल इनइफैक्टिव हो गई है। बाहर से जो बीज मंगाया जाता है, उसके साथ खरपतवार, जिसको हम वीडस बोलते है, वह इतनी ज्यादा आती हैं, कुछ बीमारियां भी उसके साथ आ रही है इसलिए जो भी प्लाण्ट्स हों या बीज हों, जो बाहर से आते हैं उनकी भली प्रकार से क्वैरन्टाइन तरीके से जाँच कराई जाए ताकि बाहर की बीमारियाँ और खरपतवार हिन्दुस्तान में नहीं आ पायें।

इसके अलावा मैं राजस्थान की तरफ से इस सरकार की तवज्जह एक विशेष समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। राजस्थान की तरफ से बोलते हुए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि केन्द्र जो भी सहायता देता है, गाडगिल फार्मूले के तहत देता है। 1968 में यह फार्मूला जारी हुआ। था। इसके मुताबिक पोपुलेशन के आधार पर 60 परसेन्ट सैण्ट्रल साधनों का स्टेट्स को दिया जाता है, पोपुलेशन के आधार पर 10 परसेण्ट पर कैपिटा इन्कम के हिसाब से टैक्स एफर्ट का 10 परसेण्ट, मेजर इरीगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स का 10 परसेण्ट और स्पेशल प्राब्लम्स का 10 परसेण्ट, इस प्रकार से यहाँ से साधन केन्द्र मुहैया कराता है, स्टेट गवर्नमेण्ट्स को। इसमें 1978 में संशोधन हुआ और मेजर वर्क्स और पावर प्रोजेक्ट्स जिन सरकारों ने हाथ में लिये हुए थे उनको डिलीट कर दिया गया, कैपिटा इन्कम का 10 परसेण्ट वेटेज बढ़ाकर 20 परसेण्ट कर दिया गया। इससे स्थिति यह हुई है कि जो पुअरर स्टेट्स थे, जिनमें राजस्थान खासकर पुअरर स्टेट की गिनती मे आता है, उसका ज्यादा नुकसान हुआ है और उसका कारण यह है कि राजस्थान की ज्योग्राफिकली स्थिति बहुत ही विचित्र है, वहाँ पर पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, वहाँ पर ज्यादा एफर्ट्स होने चाहिए, सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिए। राजस्थान में हिन्दुस्तान की

पोपुलेशन का 4 परसेण्ट है जबकि एरिया 11 परसेण्ट है तो जब तक 11 परसेण्ट एरिया को कन्सीडर नहीं किया जाता तब तक राजस्थान को पूरी सहायता यहाँ से नहीं मिल सकती। जिस एरिया का सरकार विकास करवाना चाहती है, उसके लिए जरूरी है कि उस एरिया को भी इस कंसीडरेशन में लिया जाय, इसको भी वेटेज दिया जाय, क्योंकि, जितना एरिया बड़ा होगा, उसके विकास के लिए, उसी प्रकार से ज्यादा साधन मुहैया करवाया जाना चाहिए। राजस्थान में चम्बल योजना, राजस्थान कैनाल, माही और दूसरे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं, जिनके लिए राज्य सरकार ने काफी अपनी तरफ से पैसा भी लगाया है लेकिन उसका लाभ राजस्थान में इसलिए नहीं मिला कि 1968 में जो पावर प्रोजेक्ट्स और बड़े इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए थे, वह वेटेज के हिसाब से उसमें से निकाल दिए गए और राजस्थान जिसको फर्स्ट प्लान में 6.8 परसेण्ट केन्द्रीय सहायता का हिस्सा मिलता था, अब छठी योजना में जाकर वह केवल 5 परसेण्ट मिलता है। राजस्थान जो गरीबी के हिसाब से 18 स्टेट्स में पन्द्रहवें नम्बर पर स्टेण्ड करता है।

2.00 म० प०

उसको ज्यादा केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है, लेकिन केन्द्र की सहायता हमको नहीं मिल रही है। हमारी जो खुद की एफर्ट है, राजस्थान सरकार अपने संसाधन इकट्ठे करने के लिए प्रयास कर रही है, पहली योजना में प्रतिशत 9.8 प्रतिशत था और छठी योजना में यह प्रतिशत जाकर 69.9 प्रतिशत हो गया है। हम अपने तरीके से संसाधन इकट्ठे करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारा हिस्सा एक प्रकार से कम हो रहा है और राजस्थान का जो डेवलपमेंट का एफर्ट है, उसको पूरा नुकसान हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि क्षेत्र के मामले को ज्यादा महत्व देकर इस मामले को लिया जाए। इससे पूर्व जो हमारे मुख्यमन्त्री थे श्री जोशी और श्री माथुर, इन्होंने इस मामले में प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। अब हमारे नए मुख्यमन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत जी बने हैं, उन्होंने मुख्यमन्त्री पद की शपथ लेते ही केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि यहां के संसाधनों को डिवाइड करने का जो तरीका सरकार ने अपना रखा है, उसको रिवाइज किया जाए। उसमें खासतौर से एरिया को महत्व दिया जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि गाडगिल फार्मूले में संशोधन कर क्षेत्रफल को महत्व दिया जाए।

इसके अलावा किसान की आमदनी खेती के अलावा बढ़ना भी जरूरी है। इसके लिए उसने परम्परागत तरीके से अपने यहां एनिमल हसबैण्ड्री को अपना रखा है। एनिमल हसबेंड्री में वह अपने तरीके के पशुओं को रखता है, जोकि इकोनोमिल नहीं हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि नए तरीके के क्रासब्रीड एनिमल उनको दिए जायें, ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। जिस प्रकार आदमियों को डाक्टरों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से जानवरों के लिए वेटरनरी हास्पिटल्स खोले जायें ताकि उनके पशु जब बीमार हों तो उनको सुविधा मिल सके। मेरे इलाके में ग्राम झकराना में बकरियां इतनी प्रसिद्ध है कि पिछले तीन-चार सालों से लगातार जो आल-इण्डिया लैवल के कम्पीटीशन होते हैं, उनमें वे बकरियां पहले-दूसरे-तीसरे स्थान पर उसी गांव की आती हैं। वहां की बकरियां छः-सात-आठ किलो तक एक दिन में दूध देती है, यह कम्पीटीशन में बैठ कर देखा है। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि इन तरह के गावों के बारे में रिसर्च

[श्री रामजी लाल यादव]

करें और इस तरह के पशुओं को दूसरी जगहों पर भेज कर दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचायें।

अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री राम नाईक** : मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा क्योंकि भाजपा के सदस्य नहीं बुलाए जा रहे हैं।

**सभापति महोदय** : इसका यह अर्थ नहीं है कि वे कभी भी नहीं बुलाए जाएंगे।

**श्री राम नाईक** : पहले ही परम्परा बनी हुई है।

**सभापति महोदय** : नहीं। इसे एक विशेष तरीके से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए और परम्परा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाना चाहिए। अब श्री ए० के० राय बोलेंगे।

**श्री ए० के० राय (धनबाद)** : सभापति महोदय, कृषि के बारे में चर्चा करते हुए, हम यह पूर्णतया भूल रहे हैं कि उर्वरक भी कृषि मन्त्रालय का ही एक हिस्सा है जो पहले पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का हिस्सा हुआ करता था।

जब मैंने कई सदस्यों के भाषण सुने, उनमें से किसी ने भी, कम से कम उन सदस्यों ने जिन्हें मैं सुन सका, हमारे देश में उर्वरक की समस्या को नहीं लिया। आप जानते हैं कि कृषि के लिए तीन चीजें अति महत्वपूर्ण हैं। पहली, भूमि प्रबन्ध जिसमें भूमि सुधार तथा अन्य बातें आती हैं।

दूसरे, जल प्रबन्ध। इसका अर्थ है सिंचाई और अन्य जल संरक्षण प्रक्रियाएं।

तीसरे, निवेश प्रबन्ध जिसका अर्थ है उर्वरक, अच्छी किस्म के बीजों का उचित चयन और उचित प्रयोग जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

हम कुछ भी कहें, आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इससे कुल राष्ट्रीय आय का 30 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इस समय हमने करीब .75 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यदि हम वर्तमान उत्पादन दर रखना चाहते हैं तो हमें लगभग 206 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करना होगा और 2000 ईसवी तक लगभग 222 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करना होगा। यह अतिरिक्त अनाज कहां से आएगा क्योंकि उस सीमा तक हम खेती योग्य भूमि को बढ़ा नहीं सकते ? हमने पहले ही उसका उपयोग कर लिया है इसका अर्थ है, हमें श्रम-प्रधान कृषि अपनानी चाहिए जिसका अर्थ है, कृषि निवेश में वृद्धि। और उसमें, उर्वरक मुख्य है। हम जानते हैं कि एक टन पोषक उर्वरक दस टन अनाज उत्पन्न कर सकता है। इसका अर्थ है यदि हम 30 मिलियन टन और अधिक अनाज उत्पादित करना चाहते हैं तो हमें 3 मिलियन टन के पोषक तत्वों की

क्षमता उत्पन्न करनी होगी। और तीन मिलियन पोषक तत्वों का अर्थ है आठवीं पंचवर्षीय योजना में 10,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक का खर्च।

जैसा हमने देखा है और विशेषज्ञों ने गणना की है—मैं कुछ समय लूंगा, क्योंकि पूरे बजट में से मैंने यही एक विषय विचार-विमर्श के लिए लिया है—आज नाइट्रोजन उर्वरक के लिए हमारी क्षमता 81 मिलियन टन के लगभग है और फोस्फोरस उर्वरक के लिए यह 2.7 मिलियन टन है। यदि हम इसका जोड़ करें तो यह 10.8 मिलियन टन बन जाता है। उर्वरक उत्पादन की वर्तमान की वर्तमान प्रक्रिया से आठवीं पंचवर्षीय योजना मे प्रवेश करने से पूर्व हमारी उत्पादन क्षमता 11.8 मिलियन टन होगी। लेकिन हमें 16.5 मिलियन टन क्षमता की आवश्यकता होगी। जिसका मतलब यह है कि हमें तौर से चार मिलियन टन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करनी होगी जिसका मैंने पहले अनुमान लगाया है। इतनी क्षमता कहां से आएगी? हम किस तरह उस क्षमता को प्राप्त कर सकेंगे? एक रास्ता यह है कि नए संयंत्र स्थापित किए जाएं। ऐसा करना ही होगा। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। दूसरा रास्ता यह कि हमें संयंत्रों के क्षमता उपयोग को बढ़ाना होगा। हमें अपन सभी मौजदा संयंत्रो को पुनः चालू करना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि सभी रुग्ण उर्वरक एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई कार्य नीति एवं विस्तृत योजना नये मन्त्रालय द्वारा तैयार की जानी चाहिये। इसके लिए मैं मन्त्रालय पर दो कम्पनियों एफ० सी० आई० एवं एच० एफ० सी० जोकि रुग्ण उर्वरक एकक हैं के बारे में बल देना चाहूंगा। इस मन्त्रालय को एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिये कि किस तरह इन संयत्रों को पुनः चालू किया जाए तथा किस तरह संयंत्रों को लाभदायक बनाया जाए। हमें इन सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। एच० एफ० सी० के अन्तर्गत दुर्गापुर, बरौनी, हल्दिया, और नामरूप—I, II एवं III आदि कारखाने हैं और एफ० सी० आई० के अन्तर्गत सिंदरी, गोरखपुर, रामगुंदम और तालचेर आदि कारखाने हैं। ये सभी रुग्ण हैं तथा घाटे में चल रहे हैं। यदि हम इसकी तह में जाएं तो हम पाएंगे कि कर्मचारियों का इसमें कोई दोष नहीं है। लोग हमेशा कहते हैं कि वहां पर कार्य करने की परिस्थितियां नहीं है। लेकिन यदि हम मामले की गहराई में जाएं तो यह पाएंगे कि कर्मचारियो का कोई दोष नहीं है बल्कि इसके डिजाइन में दोष है तथा बेमेल उपकरणों के कारण घाटा हो रहा है।

मैंने पहले ही कहा है कि यदि एच० एफ० सी० पर छह सौ करोड़ रुपये व्यय किए जाएं तो इसकी सभी कम्पनियां दो वर्ष के अन्दर अर्थक्षम हो जाएंगी और हम दो सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के लगातार चले आ रहे घाटे से बच जाएंगे।

उसी तरह हमे एफ०सी०आई० एककों के लिए भी समयानुसार खर्च करना होगा। उदाहरणस्वरूप सिंदरी का पूरा अमोनियम सल्फेट संयंत्र बेकार पड़ा है। इसमें और अमोनियम नाइट्रेट के सयंत्र में दूसरे सुधारों के लिए 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ये पुनः सिंदरी कारखाने को लाभकारी कम्पनियो में स्थान दिला देंगे।

उसी तरह रामगुंडम संयंत्र ताप संयंत्र के अभाव में बेकार पड़ा है। पहले से ही 4 मेगावाट का रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है। यदि वह समय पर स्थापित कर दिया जाता है तो रामगुंडम संयंत्र भी घाटे के दौर से निकल जाएगा।

[श्री ए०के० राय]

गोरखपुर क्षेत्र में स्थित संयंत्र सबसे पुराना है। यह पहले लाभ दे रहा था। इसके 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गोरखपुर संयंत्र को लाभकारी बनाने के लिए इसके पूर्णतया नवीनीकरण की आवश्यकता है। इस प्रकार यदि प्रत्येक संयंत्र की जांच हो और उचित कारंवाई की जाए तो हम सभी उर्वरक संयंत्रों को पुनः चालू कर सकते है और उनसे भरपूर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

हमने हल्दिया संयंत्र पर कई बार चर्चा की है। यदि हल्दिया संयंत्र पर विस्तार से गौर कर तो आप पाएंगे कि पूरा संयंत्र ही पुराना हो गया है क्योंकि इस । ईन्धन तेल संयंत्र काम नहीं करता है। क्यों? चूंकि उचित आक्सीजन कम्प्रेसर नहीं है। इसमें समय पर 20 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता थी जो नहीं किया गया। इसलिए अमोनिया का भी उत्पादन नहीं किया जा सका और इसी प्रक्रिया में पूरा संयंत्र बन्द हो गया और अब यह बेकार पड़ा है। इसीलिए पी०डी०आई०एल० ने अमोनिया संयंत्र, यूरिया संयंत्र और मेथोनोल संयंत्र को फिर से चालू करने और लाभकारी बनाने के लिए एक 227 करोड़ रुपए खर्च करने का एक विस्तृत प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था।

नाइट्रो फास्फेट विभाग में लगभग 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। एफ०ई०डी०ओ० ने एक प्रस्ताव भेजा था। यदि वह स्वीकार कर लिया जाता है तो वह संयंत्र भी चालू हो जाएगा। लेकिन उर्वरक उद्योग के साथ समस्या यह है कि सही निर्णय लेने में इतना अधिक समय लग जाता है कि अंततः संयंत्र ही बेकार हो जाता है और तब वे कार्य शुरू करते हैं। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि नये संयंत्रों पर व्यय करने की बजाय रुग्ण संयंत्रों को पुनः चालू किया जाए जिससे उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए तीन से चार मिलियन टन उर्वरक की व्यवस्था की जा सके। एम०सी०आई० कम से कम पांच लाख टन अधिक नाइट्रोजन दे सकता है जो कि मशीनी गड़बड़ियों के कारण नहीं प्राप्त हो रहा है चूंकि इसकी क्षमता का 37 प्रतिशत उपयोग ही किया जा रहा है। एच०एफ०सी० भी चार लाख टन अधिक उर्वरक दे सकता है जिस के लिए कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। वह भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है चूंकि इसकी 25 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो रहा है।

मेरा ठोस सुझाव यह है कि नयी परियोजना को शुरू करने की बजाय यदि पुरानी परियोजनाओं और रुग्ण संघटकों, जिसमे इसकी पूरी क्षमता का उपयोग प्रभावित हो रहा है. की क्षमता का विस्तार करना होगा जोकि सस्ता और आसान भी है। यदि आप नई परियोजना को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और इसमें और भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। आप यह भी कर सकते हैं और हम आपको ऐसा करने से रोक नहीं रहे हैं। सिंदरी, बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया में जमीन पहले से ही है, बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, मशीनें भी हैं, केवल उन्हें सही करने की आवश्यकता है, उचित देखरेख तथा जिम्मेवारी जो उन्हें सौंपी गई है उसके प्रति उत्तरदायी होने की आवश्यकता है।

मैं भी यही सुझाव देना चाहूंगा। हमारे पास भी अपने अनुसंधान संगठन हैं जैसे

पी०डी०आई०एल० प्लानिंग एण्ड डिवलपमेंट डिविजन ऑफ इण्डिया जिसे अब प्रोजेक्ट एण्ड डिवलप्रमेंट डिविजन ऑफ इण्डिया के नाम से जाना जाता है और एफ०ई०डी०ओ० । उन्होंने बहुत विशेषज्ञता विकसित की है । आप उनमें विश्वास करें और प्रत्येक संयंत्र को एक अनुसंधान संस्थान को सौंप दें । यदि वे असफल होते है तो आप उन्हें पकड़ें, उन्हें उसके लिए जिम्मेदार ठहराएं और अन्य अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही के लिए पद से हटा दें । और आप उन्हें 'केलॉग' 'हाल्डोरटोसो' और 'टोचे' जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी शक्तियों के उप-ठेकेदार नहीं बनने दें । आप अपने विशेषज्ञों का उपयोग मात्र अनुबन्ध के आधार पर कर रहे हैं । वे आते हैं, एक वस्तु का निर्माण करते है और चले जाते हैं । लेकिन उसके बाद वह काम करना बन्द कर देता है । तब आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते हैं और आप कठिनाई में पड़ जाते हैं क्योंकि एक भाग एक कम्पनी के द्वारा बनाया गया है और दूसरा भाग किसी अन्य कम्पनी के द्वारा । जिससे कि हम किसी एक को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं जैसाकि रामगुंडम और हल्दिया के मामले में हुआ है । इसलिये हमारा यह अनुरोध है कि पहले आप एक ठोस प्रस्ताव उन रूग्ण एककों के सधार के लिए तैयार करें । दूसरे, आप कुछ संयंत्रों को पी०डी० आई०एल० एवं एफ०ई०डी०ओ० जैसी शोध संस्थाओं को सौंप दें । उन्हें आप पुरुद्वार की पूरी जिम्मेवारी सौंप दें । वे केलॉग, हाल्डोरटोसो, टोचे या नुरगी जैसी किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्मों की सहायता ले सकते हैं । लेकिन इस स्थिति में जिम्मेदारी उन्हीं की होगी । उपकरणों के चयन, उनकी परख एवं स्थापना इन सबके लिए शोध संस्थान उत्तरदायी होगा । अतः उन्हें यह कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए ।

दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि आप आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन नेप्था-आधारित संयंत्रों की स्थापना करने जा रहे हैं । आपको उनमें से एक नेप्था संयंत्र सिंदरी में स्थापित करना चाहिए चूंकि सिंदरी संयंत्र बहुत पुराना हो गया है । मैं समझता हूं कि आपके पास यह प्रस्ताव पहुंच चुका है । उसी तरह एक नेप्था संयंत्र गोरखपुर में स्थापित किया जाना चाहिए चूंकि वह भी बीस वर्षों से अधिक कार्य करने के कारण पुराना पड़ गया है । एक अन्य नेप्था संयंत्र यदि स्थापित नहीं किया जाता है तो दुर्गापुर और बरौनी जिसकी वर्तमान क्षमता 600 टन प्रतिदिन है, को बढ़ाया जाना चाहिए ।

इस प्रकार कम खर्च करके और अपने विशेषज्ञों का उपयोग कर आप इसका विकास कर सकते हैं । मैं इसमें विश्वास करता हूं क्योंकि उर्वरक उत्पादन तकनीक का विकास हमारी पहुंच के अन्दर है । उसके लिए हमें हालैंड या इंग्लैंड या अमरीका या इटली से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है । हमें इटली के संपर्क को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है । हम अपने विशेषज्ञों से सम्पर्क कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं ।

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात अब समाप्त करें ।

**श्री ए० के० राय** : मैं दो मिनट मे अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता कि 'छोटा हमेशा सुन्दर होता है और बड़ा खराब' यदि यह दूसरे मामलों में लागू नहीं भी होता हो फिर भी यह कम से कम उर्वरक के मामले में सत्य

[श्री ए०के० राय]

है। उर्वरक संयंत्रों को किस कच्चे माल की जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन गैस हवा से प्राप्त की जा सकती है, उर्वरक का कच्चा माल सल्फर है, उर्वरक का कच्चा माल फासफोरस है, उर्वरक का कच्चा माल कार्बन है। ऊर्जा को आप प्रत्येक स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपको 1350 टन दैनिक क्षमता वाले संयंत्र को चालू करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल बड़े संयंत्रों को आरम्भ करने का जनून है। सरकार को एक लाख टन वार्षिक क्षमता वाले छोटे संयंत्रों को आरम्भ करना चाहिए। सरकार प्रारम्भ में 50000 टन वार्षिक क्षमता वाले छोटे संयंत्रों को आरम्भ करें। इसका तात्पर्य यह है कि 1350 टन की क्षमता के बजाए सरकार 50 टन अथवा 100 टन दैनिक क्षमता प्राप्त कर सकती है। इससे सरकार को प्रगति करने में सहायता मिलेगी। आई० सी० आई० ने एक विश्लेषण किया है कि लघु संयंत्र भी अच्छी प्रकार चलाए जा सकते हैं और इनमें ऊर्जा की खपत ही सम्पूर्ण उर्वरक उद्योग का अहम मुद्दा है। सरकार एक स्थान पर बड़ा संयंत्र लगाने के बजाए प्रत्येक कृषि जोन में 50 अथवा 100 टन दैनिक क्षमता वाले लघु संयंत्र स्थापित कर सकती है। उत्तरी बिहार और उत्तरी बंगाल के अनेक भागों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां यातायात जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। परन्तु वहां जो कुछ भी कच्चा माल वातावरण में प्राप्त है उससे सरकार छोटे उर्वरक संयंत्र स्थापित कर सकती है। जहां तक उर्वरकों की आपूर्ति और ढुलाई का सम्बन्ध है, वहां कठिनाइयां हैं। यदि छोटे उर्वरक संयंत्र कृषि क्षेत्रों में लगाए जाते हैं तो ढुलाई मार्द्रता और नमी के अवशोषण आदि की समस्याएं सामने नहीं आएंगी। सरकार इन सभी तकनीकी समस्याओं से बच सकती है अतः सरकार छोटे उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रयास करे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ जैविक-रासायनिक उद्योग पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को जैविक-रासायनिक उर्वरकों के विकास का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में रासायनिक प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। इस क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जा सकता है। फलीदार पौधों की खेती कर सकते हैं जिनमें वातावरण से नाइट्रोजन प्राप्त करने की क्षमता है। उसी प्रकार के जैविक-रासायनिक प्रयोग किए जाने चाहिए और कुछ छोटे जैविक-रासायनिक उर्वरक संयंत्रों को लघु पैमाने पर, यदि सम्भव हो सके तो ग्रामीण क्षेत्र में भी, स्थापित किया जाना चाहिए। अन्त में, माननीय मंत्री महोदय से मेरा ठोस निवेदन यह है कि उन्हें विशेषज्ञों के साथ-साथ उन सभी संसद सदस्यों, जिनके क्षेत्रों में बीमार ईकाइयां स्थित हैं, की एक बैठक बुलानी चाहिए और बीमार उर्वरक संयंत्रों के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए ताकि कुछ ठोस सुझाव अथवा ठोस प्रस्ताव सामने आ सकें जिन्हें उर्वरक संयन्त्रों को घाटे में चलने से मुक्त कराने और व्यावहारिक बनाने के लिए कार्यान्वित किया जा सके।

[हिन्दी]

**श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव)** : सभापति जी, मैं आपका धन्यावादी हूं कि आपने मुझे कृषि और जल संसाधन मंत्रालय की डिमाण्डज पर बोलने का मौका दिया। मैंने कई कट-मोशनज भी दोनों सब्जैक्टस पर दिए हैं। आठवीं योजना शुरू होने जा रही है। हमने बजट भी पेश किया है।

**श्री शान्ति धारीवाल जोशी (कोटा)** : सभापति जी, मैं आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं करता,

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोसीजर जो है उसके अनुसार हमारा नम्बर आखिरकार कब आएगा ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** वह मेरे ध्यान में है। जब मैं पीठासीन नहीं होऊंगा तब आपको सन्तुष्ट कर दूंगा।

**श्री राम नाईक :** महोदय, हम आपसे किसी स्पष्टीकरण के लिए नहीं कह रहे हैं··· (व्यवधान)

**सभापति महोदय :** मैं आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। जब मैं पीठासीन न होऊं तब आप मेरे से पूछिए।

कृपया अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

**श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** हम आठवीं योजना की तरफ जा रहे हैं और सरकार कृषि नीति की तैयारी भी कर रही है तथा कृषि नीति जल्दी ही तय होने वाली है। मैं कुछ बातें इस बारे में जानना चाहूंगा।

[अनुवाद]

**श्री राम नाईक :** क्या मैं यह बता सकता हूं कि सदन में गणपूर्ति नहीं है।

**सभापति महोदय :** घंटी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति है। अब माननीय सदस्य भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** कृषि नीति जल्दी तय होनी चाहिए। कृषि और पानी का बहुत गहरा सम्बन्ध है, पानी के बिना कृषि की उपज नहीं हो सकती। यह जो जल संसाधन मंत्रालय है एक प्रकार से वह भूमि सिंचन मंत्रालय है। कृषि उपज के लिए चावल, गेहूं आदि की ही मार्केटिंग की व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि पेरीशेबल गुड्स के लिए भी मार्केटिंग, गोदाम और वेयर हाउसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वेयर हाउस और गोदाम बन तो रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक तरीके से नहीं बन रहे हैं इसलिए आप इन्हें वैज्ञानिक तरीके बनाने का काम करें। कृषि विज्ञान केन्द्र के बारे में पिछली सरकार ने कहा था कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र होना चाहिए, जो अभी तक बन नहीं पाये हैं। मेरी आपसे मांग है कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र, कर्णाटक और आंध्र में कृष्णा-गोदावरी के लिए अवार्ड हुआ है उसका पानी 2000 तक इस्तेमाल करना है। मेरा निवेदन है कि तीनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री बैठकर तय करें जिससे भविष्य में कोई विवाद न हो और कृषि के लिए पानी की रुकावट न पड़े। आज एक हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए 40 हजार रुपये का खर्चा आता है। मेरा निवेदन है कि जितना खर्च आए वह केन्द्रीय सरकार डैम और

[श्री बालासाहिब विखे पाटिल]

नहर के लिए द अगर उससे ज्यादा आये तो वह किसान स्वयं दे। आज किसान खुद की जमीन सिंचित करने के लिए जायदाद मार्गेज करता है, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। इसलिए किसान को चालिस हजार की सब्सिडी दी जाए। इसके साथ मैं एक और निवेदन करूंगा कि आगे के लिए कृषि की उपज के लिए इनपुट कोस्ट है वह कम हो और उस पर चार प्रतिशत ब्याज हो। मैं फिर मांग करता हूं कि एक हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए जितना खर्चा सरकार खुद के खजाने में कर रही है वह किसान को दे और अगर उससे ज्यादा, 40 हजार से ज्यादा का खर्चा हो तो वह किसान स्वयं खर्च करे। जो डेजर्ट एरिया है, ड्राउट प्रोन एरिया है, सकेसिटी एरिया है वहां सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करें। जैसे हमारे परवरा कैनाल हैं उसके लिए जैसे इजीप्ट में ड्रीप्ट इरीगेशन चलता है वैसे ही हमारे यहां 'परवरा' कैनाल में ड्रीप्ट इरीगेशन की व्यवस्था कराई जाये। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका है, हमारे महाराष्ट्र में हैं आन्ध्र में तेलंगाना है जहां पानी की बहुत समस्या है वहां पानी का इस्तेमाल ठीक हो और उससे इरीगेशन में सहायता मिले इसके लिए आपको अपनी योजनायें बनानी चाहिएं तो पानी का-लैंड यूज एण्ड वाटर यूज—कोई ठीक लिंकेज हो। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सन् 2000 तक अनाज का उत्पादन 232 लाख मीट्रिक टन करना है और उपज को आगे बढ़ाना है तो ड्रिपट इरीगेशन के अलावा वाटर मैनेजमेंट टेक्नालॉजी और वाटर यूज टैनालॉजी तब तक नहीं ले पायेंगे। मैंने इस विषय पर कट मोशन्ज भी दिया है। महाराष्ट्र में प्रोटैक्टीव इरीगेशन के कारण ब्रिटिश गवनमैंट ने एक कैनाल बनाया था। वहां अकाल होने के कारण पानी का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहा है और खेती की पैदावार और उसका उत्पादन घाटे में जा रहा है। हॉर्टीकल्चर उस पर कैश काप्स कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि भारत सरकार भी इजिप्ट की तरह एक कैनाल बनाये जिससे ड्रिप्ट इरीगेशन कर सके। हिन्दुस्तान मे 3-4 कैनाल ही ऐसे हैं। भारत सरकार भी ड्रॉट प्रोन एरिया म पैसा दे नहीं तो जो किसान लोन में फसे हुए हैं, वे नहीं कर पाएंगे। आपने किसान का दस हजार तक का लोन माफ करने का वायदा किया है। अब जहां तक लैंड ऑनर्स पर किसान को वैल बोर करना है या ओवरहॉल करना है और जहां तक किसान को खुद डेवलेपमेंट करने की बात आती है तो एक एक कुंए के लिए 50-50 हजार या एक लाख रुपया लोन लेकर उसको यह धनराशि लगानी पड़ती है और अन्त में यह होता है कि वे लोन दे नहीं सकते और उनकी हर चीज नीलाम हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि किसी हालत में यानि नेचुरल कलैमेटीज या कोई विशेष आपदा के कारण यह बकाया रह जाए तो किसान की कोई वस्तु नीलाम न हो। जब आपकी सरकार किसान की सरकार कहलाती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसान से बर्तन या भूमि या इंजिन ऑयल या इलैक्ट्रिक मोटर ये सब नीलाम न हो जाएं क्योंकि किसान को जो लोन मिलता है उसपर कम्पाउण्ड इंट्रेस्ट लगता है जिससे वह थक गया है और वह डूब रहा है तो मैं चाहता हूं कि किसान की लैण्ड डेवलेपमेंट के लिए टर्म लोन हो जिसपर कम्पाउण्ड इंट्रेस्ट नहीं होना चाहिए। यह सिम्पल इंट्रेस्ट होना चाहिए और उसपर भी 4 प्रसेन्ट का चार्ज हो। मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि जब किसान पर कम्पाउण्ड इंट्रेस्ट नहीं होगा तो उसके लोन की रिकवरी बैंक आराम से कर सकेगा लेकिन कम्पाऊंड इंट्रेस्ट से बड़ी समस्या खड़ी हो रही है।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह किसान की कोई वस्तु नीलाम नहीं होने देगी और कम से कम एक या दो कैनाल में ड्रॉट प्रोन एरिया में ड्रिप्ट इरीगेशन का खर्चा सरकार वहन करेगी। यह मेरी मांग है।

**श्री० खुशाल परसराम बोपचे** (भण्डारा) : सभापति महोदय, जल संसाधन और कृषि की मांगों पर जो चर्चा चल रही है, उसमें भाग लेने के लिए मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे थोड़ा समय ज्यादा देंगे जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं।

आज से 3-4 दिन पहले अखबारों में चर्चा हुई है जिसकी शुरूआत कृषि विभाग से की जाये तो उपयुक्त होगा। हमारी नयी सरकार ने कर्ज-मुक्ति का जो कदम उठाया, जनमानस के दिल में इसके संदर्भ में कुछ प्रतिक्रियायें चल रही हैं और इसीलिए यह कहा। आवश्यक है कि इस बात का भी ठीक विवरण और स्पष्टीकरण होना चाहिये क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शहरी भाग यहां कुछ गलतफहमी में आ गये हैं। सरकार तो खाली किसानों के लिए ही सब कुछ कर रही है फिर बाकी लोग जो हैं, जो अन्य वर्ग हैं, वे इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कर्ज-मुक्ति का कार्य जरूरी है—क्या देश में कभी ऐसा हुआ है जिसके अन्दर छोटा-मोटा व्यापारी होगा या हमारे कर्मचारी होंगे जिसकी तनख्वाह अगर 500/- होगी तो कभी उन्होंने 400/- रु० लिए हैं। अगर किसी उत्पादन पर 90 पैसे कास्ट पड़ी हो तो 80 पैसे में कभी वह चीज बेची गई है। उसने उसके ऊपर अपनी लागत के आधार पर मुनाफा लगाकर ही बेचा है। इस प्रकार से सारा व्यवसाय चला। किसान ही एकमात्र इस देश का नागरिक है जिसे सरकार ने 90 पैसे लागत पर भी 70 पैसा दिया होगा और इसमें भी प्रमुख खेती के रूप में जो किसान काम करते थे, वे ही इस देश नीति (व्यवस्था) के भीतर पीसे गये। अब कुछ लोगों ने अखबारों के माध्यम से एक चर्चा यह लिखी है कि अब इस देश में खेती घाटे का व्यवसाय है तो लोग खेती की तरफ जाते क्यों हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज भी आप गांवों के भीतर जाकर देख लीजिये, वहां बड़े-बड़े लोग खेती इसलिए नहीं करते कि इससे उन्हें कोई आय होती है, बल्कि वे अपने दो नम्बर के काले धन को बचाने के लिये खेती करते हैं ताकि उस धन को वे खेती से अर्जित किया दिखला सकें। लोग अपनी काली कमाई को खेती के माध्यम से सफेद कमाई में बदलना चाहते हैं। उस आपका ध्यान नहीं जाता। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि मूल रूप से किसानी का धन्धा करने वाला किसान आज पीछे जा रहा है। मैं यहां आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा, पूरे देश की स्थिति क्या है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। हमारे यहां महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को कर्ज उपलब्ध कराये जाते हैं, लेकिन कर्जा देते समय ही वह बैंक कुल राशि का 5 टका या 10 टका काटकर उसी बैंक में डिपोजिट कर लेता है। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान को एक हजार रुपये का ऋण मिलता है तो किसान को हाथ में सिर्फ 900 रुपये ही दिये जाते हैं; बाकी पैसा बाकी 100 रुपये काटकर बैंक में डिपोजिट रख लिए जाते है। अब कर्ज वापसी का प्रश्न आता है तो उसे पूरे एक हजार रुपये लौटाने पड़ते हैं और पूरी राशि पर सूद देना होता है, जबकि 100 रुपये उसे कभी दिये ही नहीं गये। यदि मोटे तौर से देखें तो लगभग साढ़े सात सौ करोड़ रुपये किसानों के डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में या भूमि

[डा० खुशाल परसराम बोपचे]

विकास बैंक में रखे हुए हैं उन साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का ब्याज भी यदि आप निकालें तो 1500 करोड़ रुपये के लगभग बनता है, जो कभी किसी किसान को वापस नहीं किया जाता, जिसका किसान को कोई लाभ नहीं। आज कोई भी आदमी यदि 5 रुपये का नोट किसी बैंक में जाकर जमा कर दे तो 6 साल बाद उसे 5 के 10 मिलते हैं परन्तु किसानों के साढ़े सात सौ करोड़ रुपये जो बैंकों में पड़े हैं, उसमें से उसे एक पैसा भी वापस नहीं किया जाता। अतः आज यदि सरकार किसानों को कर्ज मुक्त करने की घोषणा भी करती है तो सरकार किसानों पर कोई मेहरबानी नहीं करती, वह तो उसका मूलभूत अधिकार बनता है। उसे किसानों पर की गयी मेहरबानी समझना एक भूल है, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं।

इस देश में यदि हम किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की तरफ ध्यान दें, किसानों की स्थिति की तरफ नजर दौड़ायें, खेती की अन्य सहूलियतों की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि हम अभी तक बहुत कम भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाये हैं, सारे देश में बड़ी मुश्किल से 12 प्रतिशत भूमि में सिंचाई हो पाती है, जिसे एश्योर्ड इरीगेशन कहा जाता है। इसमें भी कुओं और तालाबों से 6 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है। इसका मतलब हुआ कि सरकार अभी तक सिर्फ 6 प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध करा पायी है। ऐसी अवस्था में, जब हम इरीगेशन की सहूलियतें भी पूरी तरह नहीं दे पाए हैं तो किसानों को ऊपर उठाने की बात कैसे सोची जा सकती है। आज बड़े शहरों में यदि एक मिनट के लिए भी बिजली चली जाती है तो भारी शोर शराबा हो जाता है जबकि गांवों में दो-दो और तीन-तीन दिन बिजली गायब रहती है, इस कारण कभी-कभी तो किसान अपनी फसल बचाने में भी समर्थ नहीं हो पाता, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि बिजली की पर्याप्त सुविधा ग्रामीण अंचल में दिलाना इस सरकार का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। इतना ही नहीं, आज गांवों में यातायात के साधनों का सर्वथा अभाव है, कहीं रास्ते समुचित मात्रा में नहीं बन पाए हैं, कहीं आवागमन के दूसरे साधन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वन संरक्षण कायदों में भी थोड़ी तबदीली या संशोधन लाना बहुत जरूरी हो गया है। मैं पर्यावरण के खिलाफ हूं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है परन्तु पर्यावरण के नाम पर देश के पिछड़े हिस्सों का विकास रुक जाए, वे अविकसित रह जायें, इसे सहन नहीं किया जा सकता। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा। पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर आज महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा और खासतौर से विदर्भ का व्यापक क्षेत्र सुरक्षित जंगलों के कारण विकसित नहीं हो पाया है। वहां पर्याप्त मात्रा में पानी तो आता है, लेकिन वह व्यर्थ बहकर चला जाता है। हम उसे रोक नहीं पाते। अनेक प्रोजेक्टस वहां अधूरे पड़े हैं, सुरक्षित जंगलों नाम पर या तो उनकी स्वीकृति ही नहीं मिलती या अन्य किसी प्रावधान के तहत उनका निर्माण कार्य रुका हुआ है। हमारे विदर्भ क्षेत्र के 90 प्रतिशत प्रोजेक्टस इससे प्रभावित हैं और वन संरक्षण कानून के अन्तर्गत उनसे पानी का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, मैं भण्डारा जिले के उमरजरी प्रोजैक्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसका 90 प्रतिशत काम लगभग पूरा हो चुका है परन्तु वन संरक्षण नियमों के अन्तर्गत, एक करोड़ बारह लाख रुपये की लागत से बना वह प्रोजेक्ट पिछले अनेक वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसानों को उसका लाभ बिलकुल नहीं मिल रहा है। ऐसे

एक नहीं 132 प्रोजेक्ट अकेले भण्डारा जिले में है। अभी तो हम वन संरक्षण के नाम पर बच रहे हैं लेकिन जब तक जल संरक्षण नहीं होगा, तब तक इस वन संरक्षण का भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य को जल की भी आवश्यकता है। यदि यह नहीं होगा तो देश का मरुस्थलीकरण/मरीफिकेशन हो जाएगा। इसलिए इन सारी सुविधाओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि नीति इस प्रकार से बने जिससे सही-सही लाभ ग्रामीण तबके को पहुंच सके। यह ठीक है कि आपने 50 प्रतिशत खर्च कृषि पर करने का निश्चय किया है, लेकिन ग्रामीणों को इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप इन प्रकल्पों को पूरा होने देंगे। भण्डारा, चन्द्रपूर गढ़चिरोली जिलों में जंगल 40 प्रतिशत सुरक्षित हम लोगों ने रखे हैं जबकि देश की पर्यावरण राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी कहती हैं कि 33 प्रतिशत जगल आवश्यक हैं, तो फिर जब हमने इन जिलों में 40 प्रतिशत जंगल सुरक्षित किए हैं, तो क्यों वहां के प्रकल्पों को पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जाती है? झुडपी जगल महाराष्ट्र में कहां से आ गया। पुराने राजा-महाराजाओं के जमाने में जो जगल चराम के लिए रखा जाता था, वह आज भी महसूल डिपार्टमेंट के अन्दर आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस जंगल को उसी विभाग को अगर आप वापस कर दें, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व सारे प्रोजेक्ट अपने आप पूरे हो जाएंगे। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस जंगल को उस विभाग को तुरन्त वापस करने की प्रक्रिया चलाई जाए।

सभापति महोदय, हमने हालांकि बेरोजगारी को दूर करने का कायदा बना दिया है, लेकिन कायदा बना देने से तो बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। नौकरियां भी आप सभी बेरोजगारों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि आज जो गांवों से शहरों की तरफ आदमियों का फ्लो है, यह रुके। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप गांवों को आत्म निर्भर बनाएं; 5.76 लाख गांवों में 80 प्रतिशत लोग गांवों में ही बसे हुए हैं। लेकिन वहां से लोगों का शहर आना बदस्तूर जारी है। इसलिए इस फ्लो का रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो वे लोग भी शहरों में आ जाएंगे और आपको और परेशानी खड़ी करेंगे।

2.42 म० प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

सभापति महोदया, गांवों से शहरों की तरफ जो फ्लो है, उसको रोकना बहुत जरूरी है और उसके लिए गांवों को आत्म-निर्भर बनाना बहुत आवश्यक है और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती को आत्मनिर्भर बनाना अत्यावश्यक है। खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है—बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करना, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करना। अगर ये सारी व्यवस्थाएं हो गई तो यह फ्लो कम हो सकता है।

सभापति महोदया, अभी यहां पर चर्चा में यह बात आई कि हमारे जो मजदूर भाई खेती में काम करते हैं, वे भी शहरों की तरफ काम की तलाश में आ रहे हैं। इसमें उनका दोष नहीं है। चूंकि गांव में मजदूरी कम मिलती है और शहर में ज्यादा, इसलिए वे शहर में आते हैं। गांव में मजदूरी कम मिलने का मुख्य कारण यह है कि वहां पर किसान गरीब हैं और उनको खेती के लिए जिन आधुनिक साधनों की आवश्यकता है, वे उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस कारण उनको अपनी खेती में मुनाफा नहीं होता है, उत्पादित अनाज के पर्याप्त और सही दाम मिल नहीं

[डा० खुशाल परसराम बोपचे]

पाते हैं, इसलिए वे भी कम मजदूरी देते हैं। इसी प्रकार यदि गांवों से लोग शहरों की तरफ आते रहे, तो आप कितना ही बैलेंस्ड बजट बना लीजिए, शहर और गांव दोनों को ही दिक्कत होगी और दोनों जगह की व्यवस्था बिगड़ेगी।

सभापति महोदया, बिजली, पानी और पर्यावरण की समस्याएं तो मैंने आपके सामने रखीं, किन्तु खेती के लिए सबसे आवश्यक चीज खाद की बात मैं अब बतलाना चाहता हूं। देश में अनाज के दाम एक सीजन में मुश्किल से 4-5 रुपये क्विंटल ही बढ़ पाते हैं, किंतु दूसरी ओर खाद का दाम कई गुना बढ़ जाता है। एक खाद का बोरा जो वजन में 50 किलो का होता है, वह 50 रुपये में मिलता है, लेकिन सीजन में उसकी कृत्रिम कमी कर दी जाती है और वह 80 रुपये तक में मिलता है। इस प्रकार से खाद के दाम बढ़ाकर कृषक को परेशानी मे डाल दिया जाता है। इसलिए खाद के दाम भी उचित ढंग से बढ़ें या न बढ़ें इस ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है।

सभापति महोदया, हमारे देश में फलों का उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन उसके प्रोसेसिंग का काम बहुत ढीला है। इसलिए फ्रूट प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है। यदि आप किसानों से कैश-क्रॉप ज्यादा से ज्यादा लेने की इच्छा करते हैं, तो उनके द्वारा उत्पादित फलों के प्रोसैसिंग की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। आज प्रोसैसिंग की यूनिटें कम होने और इसके कारण ज्यादा खर्च आने की वजह से जहां एक ओर उपभोक्ता को ये चीजें महंगी मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर किसानो को भी मार्केटिंग सिक होने से नुकसान होता है। इसकी तरफ विचार करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार स मछली का उत्पादन भी महाराष्ट्र मे अच्छी तरह से हो सकता है। आज मछली की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मीठे पानी की मछली महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है। किसानों के लिए सरकार ने यदि खेती में कुछ करने का प्रावधान किया तो किसानों को अच्छा धन्धा मिल पाएगा। जिस ऐरिया में कैनलाईजेशन नहीं हो सकता, जहां पर नहर नहीं निकल सकती, ऐसी कुछ भूमि वहां पर है क्योंकि हमारे देश में भौगोलिक परिस्थिति कुछ किलोमीटर में बदलती रहती है, ऐसे क्षेत्रों में टयूबवैल की व्यवस्था 50 प्रतिशत सबसिडी मे भी यदि कर दी जाए तो निश्चित रूप से किसान इसका लाभ ले पाएंगे। इससे जहां पर कैनालों से पानी नहीं द सकेंगे वहां पर टयूबवैल के माध्यम से ऐश्योर्ड ईरीगेशन तैयार होगा। इन सारी मांगों को मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रख रहा हूं। निश्चय ही इन सारी बातों पर विचार होगा। आपने थोड़ा ज्यादा समय दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपने चन्द शब्द समाप्त करता हूं।

**श्री कृपाल सिंह (अमृतसर)** : पंजाब के मुतल्लिक पानी की स्थिति जो इस समय है, उसपर ज्यादा ओर देकर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक देश का ताल्लुक है, इसके जितने वाटर रिसोर्सेस थे उनको मोबीलाईज करना तो एक तरफ रहा, हिन्दुस्तान पर राज करने वाले लोगों ने स्टेट में पानी का झगड़ा डालकर सारे पानी को फजूल में बहने दिया और आज तक इसका फैसला नहीं हो सका कि वह पानी स्टेट के झगड़े में फजूल जा रहा है, उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, उस सिलसिले में मैं चन्द अल्फाज कहूंगा। पहली बात तो यह है कि लोगों को फर्टिलाइजर और इनसैक्टीसाईडस सही सूरत में और

सबसीडाईज्ट रेट पर मिले। दूसरी बात, पंजाब में शुगर मिलें कम से कम 30 होनी चाहिएं। तीसरी बात, पानी की तकसीम के सिलसिले में आज तक हो चुकी तमाम बेइन्साफियों को मद्दे नजर रखते हुए खास तौर से जो उसूल राईपेरियन राईट्स का सारी दुनिया में माना गया है, उसको ध्यान में रखते हुए पंजाब के पानी को तकसीम किया जाए। तिलहन और दालों की काश्त के लिए, पोलटरी फार्म के लिए ज्यादा सबसिडी मिलनी चाहिए और उनको नो-हाओ के लिए ट्रेनिंग दी जाए। जहां तक पानी की तकीसम का ताल्लुक है, जिसका झगड़ा पंजाब के झगड़े के साथ अभी तक बहुत हद तक जुड़ा हुआ है या यह कहा जाए कि पंजाब का सबसे बड़ा मसला है, उसमें बहुत ज्यादा बेइन्साफी हुई है। जो बातें इस समय चल रही हैं उनमें एग्रो-वेस्ट इन्डस्ट्री में पंजाब को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। जहां तक फ्रूट्स, सब्जियों का ताल्लुक है, उनके बारे में भी उनकी चीजों का उचित भाव मिलना चाहिए। मैंने पहले कहा है कि पंजाब में बहुत जल्दी कम से कम शुगर मिलों को 30 के नम्बर तक ले जाना चाहिए, अभी वह 15 भी नहीं हो पाई हैं। कन्डी कैनाल बहुत देर से बननी शुरू हुई है, वह अभी तक मुकम्मल होने में नहीं आती है, वहां पर पानी के पानी की बहुत प्राबल्म है, उस प्राबल्म को हल करने की कोशिश की जाए। जहां तक पंजाब के जल साधनों का ताल्लुक है, जो जमीन साधन हैं और जो ईरीगेटेड ऐरिया है, उनकी फिगर तो मेरे पास हैं, यह मिनिस्ट्री भी जानती है, उसको पेश करने के लिए हाउस का टाइम नहीं लेना चाहता हूं।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हू कि पंजाब में ट्यूबवैलों की इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कि वहां की आधी से भी ज्यादा फसल ट्यूबवैलों पर निर्भर करती है। इसकी वजह से सिपरिंग लैवल पानी का बहुत नीचे चला गया है और जो पम्प हैं वह बेकार होते जा रहे हैं। दूसरी प्रकार की मशीनें जो इस काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, वह किसानों की बस की बात नहीं रह गई है। वाटर रिसोर्सिज बहुत कम होते जा रहे है। इसका नतीजा यह होगा कि पंजाब की जमीन सहरा में तबदील हो जाएगी। पंजाब का हरियाणा के साथ जब तकसीम हुआ और जब देश का तकसीम हुआ तो उस समय जितना पानी पंजाब को मिला था उसकी तमाम फीगर्स और रिकार्ड मेरे पास मौजूद हैं लेकिन मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। पंजाब और हरियाणा की तकसीम में जो बेस मानी गई थी, उसमें इसका फॉलो नहीं किया गया। पंजाब को दो इरिगेशन के सिस्टम मिले—एक सरहंद केनाल और दूसरा यमुना केनाल। जब पंजाब और हरियाणा का इस सम्बन्ध में फैसला होने लगा तो यमुना केनाल को एक तरफ रख दिया गया और बाकी पानी को तक्सीम कर दिया गया। तक्सीम के सवाल पर पंजाब के लोगों ने जो दावा सुप्रीम कोर्ट में किया कि पानी के हिस्से को जायज और इन्साफ से तक्सीम किया जाये क्योंकि पंजाब को उसका हक नहीं मिला, उस दावे को पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर ने सेंटर के इशारे पर यानी कि यहां की प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी जी के इशारे पर वह केस वापिस ले लिया और मध्यस्थता इनको दे दी। उन्होंने जो फैसला किया वह पंजाब के लिए बहुत नुकसानदेह फैसला था और उस फैसले के बाद यह झगड़ा पंजाब की समस्या के साथ जुड़ गया हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुःख थे, कोई लादवान थे।" लोंगावाल समझौते में वह चीज सामने आई थी जिसमें एक बात मानी गई थी कि जुलाई 1985 को जो पानी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इस्तेमाल कर रहा है वह कायम रहेगा लेकिन

[श्री कृपाल सिंह]

बाकी पानी तक्सीम होगा। उस तक्सीम के सवाल पर और दूसरे सवालों पर जो कमीशन बनते रहे उन कमीशनों की तो दास्तान भी अजीब है। पूरा देश हैरान होता था कि उनको जो सबजैक्ट दिया जाता था उन पर वह काम शुरू नहीं करते थे। एक जज के लिये यह कितनी गलत बात होगी।

पंजाब का जहां तक पानी का ताल्लुक है सबसे बड़ी प्राब्लम पंजाब की यह है कि 1.6 फीसदी रकबा पंजाब के पास सारे देश का है और इस रकबे के आधार पर वह 55 परसेन्ट अनाज देश को दे रहा है। उसकी बाकी जमीन जो पानी को तरस रही है, इसके लिए पानी के जो उसके जराये बनते है, उनको उनसे छीना जा रहा है। अगर वह उनसे यह न छीना जाये तो कभी भी देश मे अकाल की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। जो सुविधा उनको देनी चाहिए वह सुविधा इनको नहीं मिल रही है बल्कि जो हक कुदरत ने उनको दिए हैं उनको उनसे छीना जा रहा है। इन्साफ के नाम पर बेइन्साफी उनके साथ हो रही है। मैं इस हाऊस में वजीर साहब से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि बहुत मुद्दत मे यह सवाल नतीजे के लिए तरस रहा है। इसमें कुछ नहीं किया गया है। हर किसी ने इनको उलझाने की ही कोशिश की है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिनका कोई इलाज न हो सकता हो, लेकिन उसका इलाज करने की बजाए उसको पोलिटिकलाइज किया गया और उसको उलझाया गया। हर हाल में लोगों ने इस किस्म की बात की जैसे पंजाब हिन्दुस्तान से बाहर का देश है। अगर उसको पानी मिल जाएगा तो देश का पानी उधर चला जाएगा या इनको और राइट्स मिल जायेंगे तो व देश के बाहर चले जायेंगे। जो लोग इस देश की एकता और अखण्डता के लिए रोज जोर लगा रहे है, मैं उनकी तरफ देखता हूं चाहे वह किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों जिन्होंने सबसे पहल यह सवाल खड़ा किया कि पंजाबी तो हमारी जुबान ही नहीं है तो पंजाब मे तो वही बसत है, जिनकी जुबान पंजाबी होती है। फिर इस बात से झगड़ा पैदा हो गया, पंजाब के लिए समझ लिया गया कि जो पानी दिया जाएगा, यह सिखों के घरों में चला जाएगा, हिन्दुओं के घर नहीं जायेगा तो इस किस्म की धारा ने इसकी बेसिक वैल्यू को, बेसिक स्ट्रक्चर को इतना जोरदार चेलेंज किया और इतना तआसुब इसमें पड़ा कि हर फैसला उस तआसुब की नजर होता चला गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक जल संसाधनों का ताल्लुक है, इनके मुताल्लिक इस बात को पूरे जोर से देखना चाहिए कि पंजाब में आज जो सिर्फ अपने ट्यूबवेल थे और उन ट्यूबवेलों पर जो बिजली की लागत आती है, ट्यूबवेल बनाने पर लागत आती है, उनमें .1/3 से ज्यादा ट्यूबवेल ऐसे हैं जो इस वक्त डीजल से चल रहे हैं और इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने इस दफा जो डीजल के रेट बढ़ाये हैं, मैंने अपनी पहली पंजाब की बजट स्पीट में भी यह दरख्वास्त की थी कि डीजल जो एग्रीकल्चर के काम आता है, ट्यूबवेल के काम आता है, गहाई के काम आता है या ट्रैक्टर के काम आता है, उसपर कोई रेट नहीं बढ़ना चाहिए, उसमें तो सब्सिडी मिलनी चाहिए। आज जब देश के सम्मने सूखे का सवाल आता है, यहां मध्य प्रदेश वाले मेरे भाई और दीगर दोस्त सब सूबों के अकाल की बात करते हैं, पानी के न होने की बात करते हैं तो ऐसी सूरत में जहां आपके लिए यह सब कुदरत की तरफ से उपलब्ध है कि वहां इतना अनाज पैदा हो सकता है, इसका तजुर्बा हुआ कि 1.6 फीसदी रकबे में 55 परसेन्ट अनाज पैदा हो सकता है तो फिर बाकी

रक्बे को पानी देकर देश की इस सूरत को क्यों ठीक न किया जाय और उन लोगों को इस बात पर फख् करने का मौका दिया जाये कि हमसे बेइन्साफी नहीं होगी।

जहां तक रवायती फसलों का ताल्लुक है, उनके अलावा सो दीगर कैश क्रॉप्स हैं, उनमें पंजाब के किसान को और ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने अपने काम से साबित करके दुनिया के सामने दिखा दिया, एक ऐसा नजारा कि वह काम करने की हैसियत रखते हैं, काम करने की सहूलियत रखते हैं…

**सभापति महोदय** : कृपाल सिंह जी, बुरा न मानें आपका टाइम बहुत बीत गया।

**श्री कृपाल सिंह** : उनके मसायल हल किए जायें…

**सभापति महोदय** : आपका टाइम तो बहुत हो गया।

**श्री कृपाल सिंह** : तो मैं गैर-जरूरी बात कर रहा हूं?

**सभापति महोदय** : बहुत जरूरी बात कर रहे हैं लेकिन और मैम्बर भी हैं।

**श्री कृपाल सिंह** : यहां ऐसे मैम्बर्स भी हैं, जो चेयर को पूछते ही नहीं। इधर के 10 खड़े हो जाते हैं, इधर के 20 खड़े हो जाते हैं, उनकी कोई सुने या न सुने। यह तो अपनी शान है कि वह अपनी सुनी हो या अनसुनी हो, सुनने वाला कोई हो या न हो, शोर हो जाता है। इतने बड़े अच्छे-अच्छे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वे न चेयर को पूछते हैं और मुझे कह रही हैं। मैं तो अभी बैठ जाता हूं, मुझे इसमें कोई बात नहीं है।

मैं तो सिर्फ दो बातें आपसे करना चाहता था, उसके मुताल्लिक स्टेटिस्टिक्स इस हाऊस की कार्यवाही में दर्ज कराना चाहता था। आप समझती हैं कि मैं किसी के राइट पर छापा मार रहा हूं, किसी और बोलने वाले के तो मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि पंजाब के साथ पानी की तकसीम में जो कुदरत ने उसे दिया था, इन्सानों की बेईमानी ने वह छीन लिया और अगर आज कोई ईमानदार इन्सान गवर्नमेण्ट में आए हैं तो उनको वह हक देना चाहिए और अगर नहीं देंगे तो जिस तरह पहले बेईमानों की एक लिस्ट बनी थी, इनका नाम भी उन्हीं में लिखा जाएगा मैं चाहता हूं कि इनका नाम उस बेईमानों में न लिखा जाए और यह इन्साफ कर सकें और वह इन्साफ देश के हक में जाएगा, दुनिया के हक में जाएगा, देश के जनसाधारण के हक में जाएगा और देश के लिए जो रोटी का सवाल है और जो अनाज की उपलब्धि है, उसमें बहुत बड़ी जबरदस्त मदद करेगा।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यगण, समय सदन द्वारा ही निश्चित किया गया है। सदन ने ही इसे बढ़ाया है। पीठासीन अधिकारी उसे मानने के लिए बाध्य है। वक्ताओं की एक लम्बी सूची है। यदि मैं किसी माननीय सदस्य से अधिक समय न लेने का निवेदन करती हूं तो वह आपकी ही इच्छा है, न कि मेरी। कृपया बिना किसी विद्वेष के मेरे साथ सहयोग कीजिए।

अब मैं श्री दसई चौधरी को बोलने के लिए बुलाती हूं। उसके पश्चात कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार बोलेंगे।

3.0० म० प०

[हिन्दी]

**श्री दसई चौधरी** (रोसेड़ा) : माननीय सभापति महोदया, यह बात सही है कि आजादी के 42 सालों के बाद अभी तक कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो वह किसानों का वर्ग। इसका एक मात्र कारण यह रहा है कि जो सरकार कानून बनाती है सरकार की गलत मंशा के कारण आज किसानों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के जो बीज निगम हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वे किसानों को जितने बीज की जरूरत है, उतना वे उत्पादन कर सकें। इसका नतीजा यह होता है कि प्राइवेट एजेन्सीज बीज का उत्पादन करती हैं और उसे बीज निगम द्वारा खरीदा जाता है और जब वह बीज किसानों के बीच में जाता है, किसान उस बीज को लगाता है, तो सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है, मारी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिष्कोमान संस्था के जो अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वे को-आपरेटिव के माफिया माने जाते थे। बिहार के मंत्री, श्री नीतीश कुमार और श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा जी जानते हैं कि पूरे देश में बिष्कोमान से घटिया बीज खरीदा गया और 1984-85 में वही बीज किसानों को दिया गया। जब किसान ने उस बीज को लगाया तो गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ और किसान की खेती मारी गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका जो बीज निगम है और जो बिष्कोमान संस्था है, इन दोनों के पदाधिकारियों को दंडित करना चाहिए और जिस राजनीतिक आदमी को अध्यक्ष बनाते हैं, उसको दंडित करने का काम करेंगे, तब जाकर किसानों का भला होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर तरह से चाहे सूखाड़ की स्थिति हो जाए, चाहे बाढ़ की स्थिति हो जाए और चाहे प्राकृतिक प्रकोप आ जाए, उसमें हमेशा किसानों का ही नुकसान होता है। इन्होंने फसल बीमा योजना का कानून बनाया, इस देश में जहां कहीं बाढ़ से, सूखाड़ से और प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान हुआ है, क्या इन्होंने फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को पैसा दिया है? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 1987 में बिहार में भारी भूकम्प और बाढ़ के प्रकोप से लाखों किसानों को क्षति हुई थी, खासकर दरभंगा और समस्तीपुर जिलों के घनश्यामपुर, बिरौल, कुशेश्वर स्थल, रोसेड़ा, बहेड़ी, सिंधिया, हसनपुर एवं वारिसनगर प्रखण्ड में भारी बाढ़ और भूकम्प का प्रकोप आया था, जिसमें कि हमारे किसानों को नुकसान हुआ, क्या आज तक वहां के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पैसा मिला? आज तक जो वहां के किसानों को क्षति हुई है, उसका मुआवजा उनको नहीं मिला। उनको ऋण नहीं दिया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून तो हर सरकार बनाती है, कांग्रेस की सरकार ने भी किसानों की भलाई के कानून बनाए और यह सरकार भी किसानों की भलाई करना चाहती है, लेकिन जब तक उनकी मंशा ठीक नहीं होगी, जब तक उस कानून को लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे, तब तक सरकार जो लाभ किसानों को पहुंचाना चाहती है, वह नहीं पहुंचा सकती है। आप आई० आर० डी० पी० और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लोन देते हैं, किसानों को लोन देते हैं, मैं और प्रदेशों के बारे में तो नहीं कहना

चाहता हूं, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर कि किसानों को ऋण दिया जाता है, उसमें पचास प्रतिशत पैसा भी किसानों को नहीं मिलता है। पैसे बैंक में रह जाते हैं और कुछ पदाधिकारी घूस में वे पैसे खा जाते हैं। अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो पैसा किसानों की भलाई के लिए दिया जाता है, वह पैसा किसानों को नहीं मिलता—यह बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए मैं अपनी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से कहना चाहता हूं, आपने अपने घोषणा पत्र में भी जनता से वायदा किया था और मूल्य पर आधारित राजनीति की बात हमारे प्रधान मंत्री जी करते हैं। अगर इस देश के किसानों के उत्थान के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाएं और उनके कार्यान्वयन से इस देश के किसानों की भलाई और उत्थान हो जाता है तो इस देश का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा जिसकी कि कोई समस्या हो। किसी वर्ग की किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी।

सभापति महोदया, हमारे यहां एक कोसी नदी है। उस पर दजिना से फुहियां बांध बनाने के काम की स्वीकृति जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में सत्ता में आई थी तो दी गई थी और बिहार की सरकार ने उस पर बांध बनाने का काम भी शुरू करवा दिया था। लेकिन जब 1980 में कांग्रेस सरकार पुनः आई तो इस योजना के अन्तर्गत आधे बने हुए बांध पर काम छोड़ दिया गया। इस बांध का आधा पोर्शन अभी भी खाली है। उसके कारण गांवों में बाढ़ का पानी भर जाता है और उसके कारण लाखों लोगों को बेघर होना पड़ता है। वहां से ले जाकर दूसरी जगह उन लोगों को बसाया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दजिना-फुहियां बांध की स्वीकृति 1977 में मिली थी, इसका पूरा कराने की कोशिश करे। इसके बारे में हमारे राज्य मंत्री श्री करोडिया जी हैं उनको भी हमने आवेदन पत्र दिया था और उनसे भी आग्रह किया था। मैं इस सदन में भी किसी न किसी माध्यम से इस प्रश्न को उठा चुका हूं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बांध को पूरा कराने की कोशिश करे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी योजना किसानों की भलाई के लिए बनती है, उनके विकास की, उनके उत्थान की बनती है, उसको बनाने वाले जो अधिकारी हैं उनको वास्तव में किसानों की वास्तविक कठिनाइयों का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ऐसी योजना बनाते समय, ऐसे कार्यक्रम बनाते समय किसानों के प्रतिनिधियों से निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त की जाए और उनको योजना बनाने वाली समिति में रखा जाए ताकि ऐसी योजनाएं बन सकें जिनसे कि किसानों को वास्तविक रूप से लाभ पहुंचाया जा सके।

उत्तरी बिहार में जल निकासी की बहुत भारी समस्या है। हमारे नीतीश कुमार जी और वर्मा जी भी इस बात को जानते हैं। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार ने कुछ योजनाएं केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेजी थीं लेकिन जो कांग्रेस की सरकार यहां थी उसने उनको स्वीकृति नहीं दी। इसका नतीजा यह होता है कि उत्तरी बिहार के लोगों को जल निकासी की योजना ??? न होने से बहुत नुकसान होता है। अभी तक जल निकासी की किसी भी योजना को यहां से स्वीकृति नहीं मिली है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी जल निकासी की योजना बिहार सरकार ने केन्द्र को भेजी है उस पर सरकार विचार कर उनको स्वीकृति प्रदान करे ताकि बिहार के लोगों को राहत मिल सके।

[श्री बसई चौधरी]

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि 29 मार्च को बिहार में बहुत भारी ओलावृष्टि और हिमपात हुआ है। इसमे हमारे यहां के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन दुःख की बात है कि बिहार के लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह यहां से एक टीम भेजे और इसका सर्वे कराए। जो वहां किसानों का नुकसान हुआ है उनको आप फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पैसा दें। उनके नुकसान का आप मुआवजा दें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत)** : मुझे बोलने के लिए दो-चार मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : बाद में मंत्री जी बोलेंगे, अभी राज्य मंत्री जी को बोलने दीजिए।

**श्री छेदी पासवान (सासाराम)** : वक्ताओं की पार्टी की तरफ से जो सूची आपको जाती है, आप क्या उसके अनुसार बुलवा रही हैं या ऊपर नीचे करके बुलवा रही हैं? हम यहां बोलने के लिए बैठे हैं, नाम ऊपर नीचे करने से हमारा नाम नहीं बुलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : यह पीठासीन अधिकारी का परमाधिकार और विशेषाधिकार है। परन्तु आपकी जानकारी के लिए मैं जो कुछ कह सकती हूं वह यही है जिसकी सलाह मुझे माननीय अध्यक्ष और पूर्ववर्ती सभापति ने दी है, मैं उसी के अनुसार कार्य कर रही हूं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं तत्सम्बन्धी नियम पढ़ती हूं :

"अध्यक्ष उन सूचियों अथवा क्रम से बाध्य नहीं होगा जिसमें कि दलों या वर्ग अथवा व्यक्तियों द्वारा सीधे नाम भेजे जाएंगे। सूचियां केवल उसके मार्गदर्शन के लिए होंगी और जब कभी आवश्यक हो उसे उसमें सदा परिवर्तन करने का अधिकार होगा ताकि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार वाद-विवाद का विनियमन हो सके।"

[हिन्दी]

**श्री कपिल देव शास्त्री** : हम आपके अधिकार को चैलेंज नहीं करते। आप कुर्सी पर आसीन हैं, आप हमें जो आदेश देंगी वह हम मानेंगे, पर एक ऐसा मुद्दा है जो मैं मंत्री जी के जवाब देने से पहले कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : आपको तो मैंने बोला है कि श्री नीतीश कुमार जी इंटरवीन करेंगे और उसके बाद भी आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मैं उन सभी को समय देने का प्रयास कर रही हूं जो बोलना चाहते हैं। कृपया अपना भाषण निश्चित समय में ही पूरा करें।

[हिन्दी]

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले अफसोस जाहिर करता हूं कि मैं पूरे सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहा और माननीय सदस्यों के विचारों को ग्रहण नहीं कर सका। पटना में तेज बुखार के कारण मैं पूरे सप्ताह बीमार पड़ा रहा। यहां आने पर कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अभी भी इस देश में कृषि पर निर्भरता लगभग 76 प्रतिशत बनी हुई है और कुल स्वदेशी उत्पादन में इसका योगदान लगभग 40 प्रतिशत का है, लेकिन जो विशाल श्रमशक्ति है, उसको खपाने की जवाबदेही सबसे अधिक कृषि पर ही रहती है। यही कारण है कि देहात के इलाकों में अभी भी भयानक गरीबी है, शहरों के मुकाबले अभी भी घनघोर विषमता है। सरकार की नीति राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की नीति है कि देहातों का विकास किया जाये, कृषि का विकास किया जाये और इसी उद्देश्य से बजट का आधा पैसा इन क्षेत्रों में खर्च किया जायेगा, इसकी घोषणा कीगई है और इस घोषणा के अनुरूप बजट में यह प्रावधान भी किया गया है कि 49 फीसदी इन क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है। खेती के मामले में हम लोगों ने आजादी के बाद से तरक्की की है। यह सही है कि जितनी तरक्की इसमें होनी चाहिए थी उतनी तरक्की हम नहीं कर सके हैं क्योंकि हर योजना काल में खेती को इतना प्रश्रय नहीं मिला, लेकिन आठवी पंचवर्षीय योजना में खेती को काफी प्रश्रय मिलने जा रहा है और जो अभी इस साल 1989-90 में, 1988-89 की तुलना में इतना अच्छा मानसून नहीं था, लकिन फिर भी 1989-90 में संतोषजनक था। जिस हिसाब से 1950-51 में विकास की रफ्तार रही है उस हिसाब से कुछ हद तक संतोषजनक उत्पादन कहा जा सकता है। 1988-89 में जहां कुल खाद्यान्न का उत्पादन 170.2 मिलियन टन था, 1989-90 में उतना अच्छा मानसून न होने के बावजूद भी 173 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, 110 लाख गांठे कपास का उत्पादन होने का अनुमान है, 210 मिलियन टन गन्ने के उत्पादन की सम्भावना है और 1990-91 में हमारे खाद्यान्न का लक्ष्य 176.5 मिलियन टन, तिलहन का लक्ष्य है—17.5 मिलियन टन, गन्ने का 210 मिलियन टन, कपास का उत्पादन 105 लाख गांठे और पटसन का 90 लाख गांठ है। यह सब हम लोगों का लक्ष्य है और हमें उम्मीद है कि हम लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करेंगे बल्कि कृषि सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप हम लक्ष्य से आगे भी जायेंगे और आगे 5 वर्षों में आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि के क्षेत्र में और ज्यादा प्रगति होगी। यह स्थिति है।

सभापति महोदया, कई सदस्यों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। अभी माननीय सदस्य श्री दसई चौधरी जी ने बीज के सम्बन्ध में कहा। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि नेशनल सीड प्रोजेक्ट फेज 3 की शुरूआत विश्व बैंक की मदद से होने जा रही है। इससे राष्ट्रीय और राज्य सरकार के बीज निगमों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, उनका विकास होगा निजी क्षेत्र में भी सर्टिफाइड सीड की सहूलियत मिलेगी। इससे पहले के मुकाबले अधिक अच्छे बीजों का विकास होगा और स्वाभाविक है कि इससे उत्पादन भी अधिक होगा।

दूसरा सवाल श्री दसई चौधरी द्वारा फसल बीमा के संबंध में उठाया गया। इस सम्बन्ध में जो दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सबका निष्पादन होता है और लोनी फार्मर्स को इसमें कवर

[श्री नीतीश कुमार]

किया जाता है। यह योजना 1990-91 में भी जारी रहेगी। अभी नान-लोनी फार्मर्स को इसमें शामिल करने में दिक्कतें हैं, बहुत अधिक धनराशि की जरूरत पड़ेगी, और कई प्रकार के प्रशासनिक प्रबंध की जरूरत पड़ेगी, वर्तमान स्थिति में यह करना नामुमकिन दिखाई देता है। अभी 1990-91 के लिए लोनी फार्मर्स के लिए इसमें प्रावधान रखा जाएगा, कांप्रीहेंसिव क्राप इंश्योरेंस स्कीम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक 580 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान क्राप इंश्योरेंस स्कीम में किया जा चुका है, जबकि प्रीमियम के तौर पर मात्र 87 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह बात ठीक है कि बिहार में 1987 में भयानक बाढ़ थी, वहां पर लोगों को मदद नहीं मिल पाई, इसके कई कारण है, इस समय तफसील में जाने का वक्त नहीं है, कम दावों का भुगतान हुआ है, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कम भुगतान हुआ है बिहार में भी इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। सभापति महोदया, राष्ट्रीय मोर्चे की घोषणा के अनुकूल ऋण राहत योजना को लागू किया जा रहा है। सदन इस बात से अवगत है, माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात की चर्चा की थी कि 10 हजार रुपये तक के जो कर्जे हैं, कमर्शियल बैंकों के या रीजनल रूरल बैंकों के उनको माफ किया जाएगा। और जिन्होंने राज्य सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है, उनके लिए भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि ऋण राहत की योजना बनाएं और इसमें केन्द्र सरकार यथोचित सहयोग प्रदान करेगी। इसलिए जो वायदे किए गए थे, उनको पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है।

सभापति महोदया, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति की बार-बार चर्चा की गई है। इसमें पीड़ित लोगों को सहायता नहीं मिल पाती है, यह कहा गया है। इस बारे में समय-समय पर सेमीनार होते रहे है, कभी किसी राज्य को कितना मिला, कभी किसी राज्य को कितना मिला, कोई समेतिक नीति इस बारे में नहीं रही है। अभी प्रधानमन्त्री महोदय ने तय किया है कि हर राज्य के लिए अलग-अलग केलेमिटी रिलीफ फण्ड बनाया जाएगा। उसमें 25 प्रतिशत राज्य का अंश और 75 प्रतिशत केन्द्र का अंश रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि आन्ध्रप्रदेश में और कई दूसरे राज्यों में समुद्री तूफान आया, उनके लिए तत्काल इस प्रस्तावित फण्ड से, जिसका गठन लगभग हो चुका है, जिसके सारे डीटेल्स तैयार किए जा रहे हैं, 32 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार से बिहार मे ओलावृष्टि हुई, उपप्रधानमन्त्री जी वहां गए थे, यहां की टीम भी गई थी, मैं भी मौजूद था, उससे हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से सहायता पहुंचाना चाहती थी, इसलिए केन्द्र की तरफ से भी मदद देने की बात कही गई और उसी रिलीफ फण्ड से 54 लाख रुपए बिहार सरकार को भेजे गए हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह एक क्रांतिकारी कदम होगा, केलेमिटी रिलीफ फण्ड का, हालांकि यह मामला राज्य सरकारों का है, वे अपने ढंग से रिलीफ कोड बनाती हैं, आपदाओं में सहायता करती हैं।

सभापति महोदया, एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए यह सरकार सचेष्ट है। सहकारी संस्थाओं का योगदान कई राज्यों में बहुत ही अच्छा रहा है, वहां के देहाती इलाकों की वित्तीय

स्थिति को मजबूत करने में उनका योगदान सराहनीय रहा है। इनको और मजबूत, कारगर और गतिशील बनाने के लिए योजना आयोग ने चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। ये सारी बातें सरकार कर रही है, अपने वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठा रही है। एक मांग होती रही कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिए या जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको विदेशों में एक्सपोर्ट करने के सम्बन्ध में कौन सी नीति अपनायी जाए, जो एक्सपोर्ट करना है उसका क्या टारगेट होगा, किन चीजों का एक्सपोर्ट किया जाए, इन तमाम बातों पर विचार करके अपना परामर्श देने के लिए भानु प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। उसकी अन्तरिम रिपोर्ट भी आने वाली है। कृषि विकास से सम्बन्धित मामलों पर व्यवहारिक और नीतिगत सुझाव देने के लिए स्थाई तौर पर एक स्टैंडिंग ऐडवाइजरी कमेटी, जो हिन्दुस्तान के नामी किसान नेता है, शरद जोशी, उनकी अध्यक्षता में गठित की गयी है। समय समय पर जो मामले उसके सुपुर्द किए जाते हैं, नीति विषयक या तत्काल प्रभाव के मामले पर वह समिति सुझाव देती है। कृषि विभाग एक ऐसे रूप में काम कर रहा है जिससे यह लगे कि यह कृषि मंत्रालय नहीं किसान कल्याण मंत्रालय है। चाहे फसल के लाभकारी मूल्य का सवाल हो, किसानों को इनपुट समय पर उपलब्ध करवाने की बात हो, अच्छे बीज, अच्छी खाद का मामला हो, बेहतर इन्तजाम का मामला हो, किसानों का बिचौलियों के द्वारा जो शोषण होता है उससे बचाने की बात हो, इसके लिए अधिक समर्थन मूल्य की घोषणा की गयी है। इस साल के लिए जो घोषणा की गयी थी उससे ज्यादा वृद्धि हर एक चीज के लिए समर्थन मूल्यों में की गयी है। पूरा सदन इस बात से अवगत है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 215 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसी प्रकार अन्य चीजों का भी बढ़ाया गया है। यह सरकार सचेत है कि किसानों को हर प्रकार के कार्यक्रमों के जरिये लाभ पहुंचाया जाए, राहत पहुंचायी जाए। जो बिचौलियों द्वारा शोषण होता रहा है उसके लिए एक तरफ समर्थन मूल्य के आधार पर विभिन्न एजेंसियां सरकार के निर्देशन में मैदान आती हैं, बाजार में आती हैं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए, वहीं पर कई प्रकार के अवसर आते हैं तो सरकार की तरफ से मार्किटिंग इन्टरवेंशन किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले प्याज के मामले में मार्किटिंग इन्टरवेंशन किया गया।

सभापति महोदया, आप इस बात से अवगत हैं कि इस मामले में 50-50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकार को नुकसान वहन करना होता है। लेकिन महाराष्ट्र ने वह नुकसान वहन करने से इन्कार किया। लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार की पहल पर प्याज के मामले में मार्किटिंग इन्टरवैन्शन रोका नहीं गया, उसको जारी रखा गया। इस प्रकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा इनको और मजबूती से चलाने का हमारा विचार है।

आपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काफी तरक्की की सम्भावना है। आपरेशन फ्लड फेज-III शुरू होने जा रहा है। इससे देश का 60 प्रतिशत हिस्सा इसमें शामिल हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जहां इस पर खर्च हुआ था 603.41 करोड़ रुपया, वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1342.55 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

[श्री नीतीश कुमार]

इस तरह से डेरी के मामले में हम काफी तरक्की करेंगे। जो डेरी उत्पाद हैं उसमें हमारी तरक्की की यह स्थिति है कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से कई प्रकार के डेरी उत्पादों के टर्म्स में मदद मिलती थी, उसमें हम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप कैश में मदद करो। हम इस मामले में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर से राजधानी दिल्ली शहर की जरूरतों को को ध्यान में रखते हुए तीसरी डेरी खोलने का भी सरकार का विचार है। चार लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक डेरी प्लांट खोलने का सरकार का विचार है। यह सरकार उत्पादकों का हितों का ख्याल रखना चाहती है, कन्ज्यूमर्स के हितों का ख्याल रखना चाहती है।

कृषि के मामले में जो तरक्की हो रही है उसमें आई०सी०ए०आर० जो अनुसंधान का काम करता है, का योगदान बहुत ज्यादा है। उसका योगदान काबिले-तारीफ है। उसके योगदान के बगैर यह सम्भव नहीं था। जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं चाहे खाद्यान्न में हों, तिलहन में हों, मछली उत्पादन में हो, डेरी विकास में हो, हर क्षेत्र में रिसर्च कार्य रात-दिन चलता रहता है।

मुझे यह बताकर खुशी होगी कि लगभग 10^ तरह के उन्नत बीज इस बार निकाले गए और उनका सफल परीक्षण किया जा रहा है। 35 हजार क्विंटल ब्रीडर सीड का उत्पादन इस बार हुआ है। ये सब आई०सी०ए०आर० की उपलब्धियां हैं। कई प्रकार से प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए टैक्नोलॉजी को जमीन पर ट्रांसफर करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। और उसके लिए 300 केन्द्र कार्यरत हैं। किसानों को मदद पहुंचाने के लिए, व्यावहारिक रिसर्च करने के लिए 104 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं। लैबट-लैण्ड प्रोग्राम चलता है, कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं जिससे किसान को अप-टू-डेट जानकारी दी जाती है ताकि वह उन्नत कृषि कर सके। कृषि आयोग की सिफारिश है कि 000 तक प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायें और इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है। जो रेन फेड एरिया है उसमें उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विकास कार्यक्रमों के लिए जो योजना का परिव्यय था उसमें काफी वृद्धि की जा रही है। 1990-91 में 80.25 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि 1989-90 में मात्र 1 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस प्रकार से कई छोटे किसान होते हैं जो खाद्यान्न का उत्पादन करके लाभ की कमाई नहीं कर सकते हैं उनके लिए कई प्रकार की बागवानी की गुंजाइश है उसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है ताकि वह ठीक ढंग से अपना जीवन जी सकें। चाहे क्वालिटी बीज का मामला हो और कोई दूसरे मामले हों उनमें आई०सी०ए०आर० का योगदान सराहनीय है। इस सम्बन्ध में मैं यह अपील करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें कई प्रकार की जलवायु है, कई प्रकार की जमीनें हैं, वेस्ट लैण्ड हैं 170 लाख हेक्टेयर जमीन पर इस बार योजना है वेस्ट लैण्ड मिशन द्वारा कि इसमें पेड़ लगा दिए जायें और उसमे काफी लाभ होगा, फोडर का, चारा का उत्पादन होगा और दूसरी तरफ जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध होगी इससे ऊर्जा की बचत होगी। यह सब योजनायें कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं ताकि किसानों की माली हालत सुधार हो, देश में कृषि का उत्पादन बढ़े। हमारे देश में कृषि पर

निर्भरता 76 प्रतिशत लोगों की है। जब खेती तरक्की करेगी तो 76 प्रतिशत लोगों की तरक्की होगी और उनकी माली हालात में सुधार होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो कई प्रकार की उनकी मांगे और उन मांगों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के उत्पादन होंगे और उनमें बड़े पैमाने पर रोजगार के नए सिरे से सम्भावनायें पैदा होंगी।

इसलिए जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय मोर्चा की श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के गतिशील नेतृत्व में जो कृषि नीति है, चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में उसके चलते इस देश के किसानों का काफी भला होगा, कृषि क्षेत्र का विकास होगा और इतना ही बात कहते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विभिन्न मामलों पर जो अपने कट मोशंस दिए है उनको वापस लें और जब माननीय राज्य मंत्री जी जवाब दें उसके बाद सर्वसम्मति से इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करें।

**श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा)** : बिना लोन लिए लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। कृषि की जमीन है, जमीन के विकेन्द्रीकरण और भूमि सुधार के कार्यक्रमों का कोई प्रावधान नहीं है। 10 एकड़ तक कई लोगों के हाथ में ऐसी जमीन है जिसमें कोई पैदावार नहीं हो रही है···

**श्री नीतिश कुमार** : वर्मा जी बोलेंगे.

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय उत्तर देंगे और उसके बाद यदि जरूरी हो तो आप स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

**श्री एन० सुन्दरराज (पुडुकोट्टाई)** : सभापति महोदया, मेरे दल के सदस्यों द्वारा जब संसाधन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं। जहां तक विवादों का सम्बन्ध है, पूरे देश में राज्यों के बीच जल विवाद विद्यमान हैं। यहां अधिकांश सदस्यों ने राज्यों के बीच जल से सम्बन्धित विवादों के बारे में कहा है। ये विवाद पिछले 43 वर्षों से हैं परन्तु हम कोई निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो सके। यही समय है कि हम राज्यों के मध्य इन विवादों को हल करने के लिए कुछ करें। इसके लिए हम या तो जल आयोग अथवा जल ग्रिड बना सकते हैं। केवल तभी सभी राज्यों में सभी झगड़ों को निपटाया जा सकता है।

जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, हमारा कर्नाटक राज्य के साथ जल विवाद पिछले 20-25 वर्षों से चला आ रहा है। वर्ष 1971-72 तक, दोनों राज्यों द्वारा 560 टी० एम०सी० पानी का उपयोग किया गया था। वर्ष 1971-72 तक, हमें मेत्तूर बांध पर 380 टी० एम०सी० पानी उपलब्ध था आज हम 100 टी० एम० सी० पानी छोड़ने को तैयार हैं और 280 टी० एम० सी० पानी लेना हमें स्वीकार है, परन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि कर्नाटक इतना पानी देने की स्थिति में नहीं है। वर्ष 1971-72 तक कर्नाटक केवल 177 टी० एम० सी० पानी का ही उपयोग कर रहा था, परन्तु अब वह 414 टी० एम० सी० पानी की मांग कर रहा है। यह उसके द्वारा वर्ष 1971-72 तक उपयोग की जाने वाली मात्रा से लगभग 2.1/2 गुणा अधिक

[श्री एन० सुन्दरराज]

है। जहां तक जल अधिकार का प्रश्न है, डेल्टा सरकार के नदी तट भूमि स्वामित्व के अधिकार को ऐसी ही मान्यता मिलनी चाहिए, जैसी कि संसार में अन्यत्र प्राप्त है। तमिलनाडु राज्य की मांग को उन किसानों के सन्दर्भ में निपटाया जाना चाहिए जो कि सदियों से इस पानी का उपयोग वहां अपने खेतों की सिंचाई के लिए करते आ रहे हैं। मैं उच्चतम न्यायालय का आभारी हूं कि उसने इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया परन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह एक कमजोर सरकार है क्योंकि यद्यपि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों ने प्रधान मंत्री को इस मामले का निपटान करने का अनुरोध किया था, लेकिन वे इस सम्बन्ध मे न तो वे कोई निर्णय ही ले पा रहे हैं और न ही कोई निर्देश दे पा रहे हैं। उन्होंने केवल इतनी ही कहा है कि इस सम्बन्ध में निर्णय न्यायालय देगा। प्रधानमंत्री को ऐसे मामलों में इस तरह का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसी राज्य या कुछ लोगों से बैर मोल नहीं लेना चाहते हैं। परन्तु, सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं यह चाहूंगा कि कर्नाटक सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दायर करने से परहेज करे क्योंकि इस मामले को अविलम्ब सुलझाया जाना चाहिए। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायाधिकरण का गठन तुरन्त किया जाना चाहिए ताकि इस मामले को छः महीने के भीतर सुलझाया जा सके तथा तमिलनाडु के किसानों को और अधिक परेशानी से बचाया जा सके।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारत की 76 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसा कि उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री जी ने पहले कहा था, लगभग 374 संसद सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आये हैं और उनकी पृष्ठ भूमि ग्रामीण है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यह सरकार के लिए कोई उपलब्धि नहीं है कि 374 संसद सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, परन्तु इस देश की परिस्थितियां ही ऐसी है। जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और वे अपने प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं।

**सभापति महोदय :** मेरा आपसे निवेदन है कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें। समय बहुत कम है।

***श्री एन० सुन्दरराज :*** *पिता होने के नाते मुझे अपनी संतान का नामकरण करने का* अधिकार है। परन्तु एक किसान के रूप में मैं अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक उद्योगपति जो कि कोलगेट टुथ पावडर या टुथ पेस्ट बनाता है, वह उसकी जितनी कीमत चाहे उतनी प्राप्त कर सकता है। परन्तु चावल, गेहूं, केला या कोई और फल का उत्पादक मन चाही कीमत प्राप्त नहीं कर सकता। वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। सरकार को उत्पादक की अपेक्षा उपभोक्ता की अधिक चिन्ता है। हम उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं जो शहरों और महानगरों में रहते हैं, परन्तु हम उनका ख्याल नहीं करते जो इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं

और जिन्हें दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है तथा जिनकी जिन्दगी की परिस्थितियां दयनीय हैं।

उप-प्रधान मंत्री का कहना है कि 347 संसद सदस्य कृषि क्षेत्र से आए हैं। ग्रामीण पृष्ठ-भूमि के 4:0 संसद-सदस्यों की क्या उपयोगिता है। वे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ न्याय करने में असमर्थ हैं। इस वर्ष कुल बजट राशि का 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए रखा गया है। हम वही कर रहे हैं जो पहले होता रहा है। पहले ही हम बजट का 50 प्रतिशत कृषि के लिए आबंटित कर चुके हैं। हम इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। परन्तु इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। यह कहने में कोई गर्व की बात नहीं है कि कुल बजट राशि का 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आबंटित किया गया है।

जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है, उसमें राजसहायता से ग्रामीण किसानों को कोई मदद नहीं मिलती। बड़े बड़े कारखानों, बिचोलियों और विक्रेताओं द्वारा किसानों को उर्वरक के वितरण में हेराफेरी की जाती है। राज सहायता किसानों के पास खुद पहुंचनी चाहिए। सिर्फ तभी उन्हें मदद पहुंचाई जा सकती है।

जहां तक कृषि विभाग के कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हमारे आदरणीय श्री राजीव गांधी ने, जब वह प्रधान मंत्री थे, कहा था कि कुल आवंटित राशि में से सिर्फ 20 प्रतिशत ही उन लोगों तक पहुंचती हैं जिनके लिए यह आवंटित की गई है। आबंटित राशि की 80 प्रतिशत रकम दलालों या अधिकारियों द्वारा हजम कर ली जाती है। श्री राजीव गांधी ने यह कहा था कि जब सरकार ग्रामीण श्रमिक पर एक रुपया खर्च करना चाहती है, तो सरकार को प्रशासनिक ढांचा जैसे आई० ए० एस० अधिकारी, उप-समाहर्ता, तहसीलदार और इन सभी अधिकारियों का प्रशासनिक ढांचा बनाने के लिए 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक रुपय पर सरकार को दोबारा 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आज सरकार की, सरकारी ढांचे की और सरकार के काम करने के तरीके की यह शोचनीय दशा है। इसे बदलना चाहिए। यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि 374 संसद सदस्य कृषि क्षेत्र से हैं

**सभापति महोदय :** यह आपका अन्तिम मुद्दा होना चाहिए।

**श्री एन० सुन्दरराज :** मैं कुछ और मुद्दों के बारे में कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय :** आप उन मुद्दों पर किसी और दिन बोल सकते हैं। यह अंतिम दिन नहीं है।

**श्री एन० सुन्दरराज :** कृषि *समाज से यहां* 374 सांसद हैं।

**सभापति महोदय :** आप सिर्फ दो मिनट के लिए और बोल सकते हैं।

**श्री एन० सुन्दरराज :** मैं बोलने वाला अन्तिम सदस्य हूं।

जहां तक कृषि नीति का सम्बन्ध है, इसे राज्य नीति पर आधारित होना चाहिए। राज्य की भी अपनी नीति होनी चाहिए। सिर्फ तभी केन्द्र से सामंजस्य हो सकता है। केन्द्र को दिल्ली में नीति नहीं बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह तमिलनाडु, बिहार, राज-

[श्री एन० सुन्दरराज]

स्थान के दूरस्थ गांव में क्रियान्वित हो। यह कृषकों का स्तर सुधारने में सहायक नहीं होगी। इसे निचले स्तर से भी क्रियान्वित करना चाहिए।

हमें स्थानीय जनता की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। पंजाब में गेहूं बोया जाता है, तमिलनाडु में चावल और महाराष्ट्र में गन्ना। विभिन्न उत्पाद विभिन्न राज्यों में पैदा होते हैं और इसका समन्वय केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए और जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, केन्द्र की अपनी नीति नहीं होनी चाहिए।

जहां तक जवाहर रोजगार योजना का सम्बन्ध है, मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का आभारी हूं कि उन्होंने इसको लागू किया जिसमे पंचायतों को विद्यालयों, पंचायतों, नदियां इत्यादि के निर्माण और इसे स्थानीय जनता के संतोष के अनुसार क्रियान्वित करने जैसे प्रशासनिक निर्णय स्वय लेने का अधिकार मिल सका।

**सभापति महोदय** : कृपया समाप्त करें।

**श्री एन० सुन्दरराज** : मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा। जहां तक कर्ज माफी का सम्बन्ध है, मुझे इसके लिए खेद है और मैं सरकार से कहता हूं कि वह इस देश के किसानों की जिन्दगी से नहीं खेले। सिर्फ अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसके बारे में कह देने से कि वे 10,000 रुपये तक के कर्ज माफ कर देंगे, काम नहीं चलेगा। उन्होंने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जबकि कृषि-ऋणों की माफी के लिए 24 करोड़ रुपये चाहिए और तो और, राज्यों से कहा गया है कि जहां तक फसल कर्जों का सम्बन्ध है वे किसानों की पहचान कर, जो कि केन्द्र राज्यों को वापस कर देगा। आप इसे कब करने जा रहे हैं? इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आप कितने वर्ष लेने जा रहे हैं। राज्य इस योजना को कार्यान्वित नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भय है कि उनके ऊपर अधिक भार पड़ेगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मुद्दे पर चालें न खेलें और कृपया किसानों के कर्ज माफी के इस मुद्दे पर एक श्वेत पत्र जारी करें। (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कृपया समाप्त करें। यह आखिरी बात है।

**श्री एन० सुन्दरराज** : जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, उन्हें कृषि पर तो एक स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। सिर्फ यह कह देने भर से कि इस सदन में 370 के लगभग सदस्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, यह इस देश की कुल जनसंख्या के 74 प्रतिशत लोगों को सन्तुष्ट नहीं करेगा। यह सरकार सिर्फ तभी कुछ कर सकती है जब वह ऐसी योजनाओं को लागू करे, जो वाकई सही हों, जनता के प्रति सच्ची हों और किसानों के प्रति सच्ची हों। सिर्फ दिल्ली सचिवालय से आदेश दे देने से कुछ नहीं होगा।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं ताकि प्रत्येक सदस्य सहयोग कर सके। इस अनुदान पर बहस 6.00 म० प० पर समाप्त हो जाएगी। जल संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री को बोलना है और उनका समय निर्धारित है। वे 4.30 म० प० पर शुरू करना चाहते हैं एक के बाद दूसरा। बोलने के लिए 20 वक्ताओं के नाम हैं। हमें 4.30 म० प० से पहले खत्म कर देना है। अतः इस समय के अन्दर जितने वक्ताओं को सम्भव हो सकेगा, मैं बुलाऊंगी और प्रत्येक सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह सिर्फ पांच मिनट तक ही बोलें

और मुझसे सहयोग करें क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से हम अधिकतम सदस्यों को अधिकतम समय दे सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री प्यारे लाल हान्डू** (अनन्त नाग) : आप इसे ढाई मिनट के लिए ही क्यों नहीं कर देतीं ? (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : यह पीठासीन अधिकारी का विशेषाधिकार है। मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही हूं कि यथा संभव अधिकतम सदस्यों को बुला सकूं। इसीलिए, मैं सदस्यों से अनुरोध कर रही हूं कि वे पांच मिनट से ज्यादा न बोलें।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम)** : मुझे आपके द्वारा कुछ भी समय निर्धारित करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं सोचता हूं, कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सदन के ध्यान में यह लाऊं कि आज लगभग 2.00 म० प० पर यह निर्णय लिया गया था कि हम जब संचालन मंत्रालय की मांगों और कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा समाप्त कर देंगे और फिर श्रम मंत्रालय की मांगों और कल्याण मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा करेंगे तब कल गिलोटीन होगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि तब इस गिलोटीन को बाद में कराना पड़ेगा क्योंकि आपने श्रम और कल्याण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा का समय कम कर दिया है जो कि उचित भी नहीं है। मैं आपके इस निर्णय पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं कि इस चर्चा को 6.00 म० प० तक समाप्त कर दिया जाए।

**सभापति महोदय** : जहां तक मैं समझती हूं, गिलोटीन कल 3.00 म० प० के लिए निर्धारित है।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : यही मैं कह रहा हूं। अगर मांगों पर यह चर्चा लम्बी खिंच जाती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि गिलोटीन को कुछ समय के लिए विलम्बित कर दिया जाए।

**सभापति महोदय** : यह सरकार के ऊपर है, इस मामले को आप उनके साथ उठा सकते हैं। मैं भी सहमत हूं कि श्रम और कल्याण मंत्रालय की मांगें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें ज्यादा समय मिलना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत नजरिया है।

अब आगे की कार्यवाही शुरू करें। श्री कपिल देव शास्त्री।

[हिन्दी]

**श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत)** : कृषि मन्त्रालय सारे देश का सबसे बड़ा मन्त्रालय है जिससे इस देश के 75 फीसदी व्यक्ति सम्बन्धित हैं। हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में निर्णय लिया था कि हम दस हजार तक का कर्जा माफ करेंगे। मेरे हिसाब से इस देश के किसानों का एक छोटा पैसा माफ नहीं होगा, मैं बहुत गहराई तक इस मामले में गया हूं, कोई पैसा माफ नहीं होता इसके लिए 2 अक्तूबर 1987 की तारीख रखी है। आजकल सहकारी बैंकों की गाड़ियां घूम रही हैं, किसानों को गिरफ्तार करती हैं, बैंकों की कोठरियों में जेल होती है. 10-10 दिन तक रोक लेते हैं; 2 अक्टूबर, 1987 की तारीख के हिसाब से किसानों को ऋण वापिस करना

[श्री कपिल देव शास्त्री]

चाहिए था। उनकी तारीख 31 जनवरी या 28 फरवरी बनती है, उस तारीख तक कर्जा नहीं दिया तो डीफाल्टर हो गए। जिसका आज लेने लग रहे हैं उन्होंने तो दे दिया। मेरे हिसाब से इस देश के किसानों का एक छोटा पैसा माफ नहीं होगा। सरकार अपनी नीति बदले, सरकार को नीति बदलनी होगी। 26 नवम्बर 1989 तक जिन लोगों ने कर्जा ले रखा है, उन सबको शामिल करे और कोई शर्त नहीं लगाएं, हरेक का कर्जा माफ हो, रंजिशें कायम कर दें मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं; 50 वर्ष पहले चौधरी छोटूराम ने कानून बनवाया था, उसमें उन्होंने तय किया था, मूलधन और उसका ब्याज जिसका चला जाए वह तो ठीक है बाकी का कर्जा राईट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद उससे छोटा पैसा मांग नहीं सकेंगे। कर्जे के बदले किसान के दो बैल उसकी गाड़ी आजकल ट्रैक्टर हो गया है, किसान की जमीन, उसकी खड़ी फसल, उसके दूध देने वाले पशु, उसके रहने का घर, छः महीने का अनाज और छः महीने का पशु चारा पूरा नहीं हो सकता, यह हमारी सरकार को सोचना होगा। इस देश के किसान को बचाना है तो उसे कर्जे से मुक्ति देनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। आपने दस हजार करोड़ का बजट खेती के लिए रखा है, मेरे पास पूरा रिकार्ड है। इस देश के 20 परिवारों के पास 27,167 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां हैं। दस हजार करोड़ का शुद्ध लाभ है, यह इस देश की हालत है। एक तरफ 20 घर और चार शहर दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और हम निरीह प्राणियों की तरह गौ-री करके घूमते हैं। हमारी फसल सड़क पर पड़ी रहती है। भारतीय खाद्य निगम, फूड करप्शन आफ इण्डिया भ्रष्टाचार का अड्डा है, अफसरों की मिलीभगत से जब तक पैसा नहीं ले लेते, एक दाना अनाज बिक नहीं सकता है।

एक बात मुझे यह कहनी थी और दूसरी बात यह कहनी है जो सरदार कृपालसिंह कह गये। पानी की बात कहकर मैं समाप्त कर दूंगा। सतलुज व्यास और रावी के पानी का समझौता 1555-56 में पाकिस्तान से हुआ। पंजाब को यह तो मन्जूर है कि जो पानी पाकिस्तान में बहकर चला जाता है वह बेशक जाये, लेकिन हरियाणा और राजस्थान को वह पानी देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास 6 समझौतों की कापियां पड़ी हुई हैं, मैं केन्द्र सरकार से यह कहना चाहता हूं कि चुनावों से पहले-पहले सतलुज यमुना लिंक केनाल बनकर तैयार होनी चाहिये जिससे हरियाणा के क्षेत्रों को पानी मिले। इसके लिए 385 करोड़ रुपया मंजूर हुआ।

एक माननीय सदस्य : कौन-से चुनावों की आप बात कर रहे हैं।

श्री कपिल देव शास्त्री : जो नवम्बर में पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं; 80 फीसदी नहर का काम पूरा हो गया है। केन्द्र में हमारी सरकार है और पंजाब में गवर्नर का राज है; 20 फीसदी काम अभी होना है। अब कहा जा रहा है कि 31 दिसम्बर, 1990 को यह काम पूरा हो जाएगा। वर्ष 1984 से लेकर आज तक 6 बार तारीखें दी गई नहर को पूरा करने की और कहा गया कि अब पूरी होगी, अब पूरी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तारीख को घटाकर 31 अक्टूबर 1990 किया जाये और इस तारीख तक नहर बनकर तैयार हो जाये।

यही मुझे कहना था। आपने मुझे बोलने का जो पांच मिनट का समय दिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

**श्री लोकेन्द्र सिंह (दमोह)** : सभापति महोदय, आज की स्थिति यह है कि गांव से लोग भागकर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांवों में रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं है। गांवों में उन्नति नहीं है। यह सब इसलिए हुआ कि कांग्रेस की सरकार ने कृषि की नीति सही ढंग से नहीं बनायी थी। हमें कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। हमें अपनी सिंचाई योजनाओं के ऊपर नीति बनानी चाहिए। हमें बिजली की नीति बनानी चाहिए। आज स्थिति इस तरह की है कि पंजाब में 60 प्रतिशत भूमि सिंचित है और मध्यप्रदेश में केवल 20 प्रतिशत भूमि सिंचित है। कई इलाके ऐसे हैं—जैसे पन्ना, दमोह और सतना, वहां 3 प्रतिशत सिंचित भूमि सरकार द्वारा दी गई है। जब तक पूरी भूमि की सिंचाई का सन्तुलन नहीं बनेगा तब तक देश में उन्नति नहीं होगी। पंजाब 60 प्रतिशत सिंचित होने के नाते ज्यादा से ज्यादा गेहूं पैदा करता है। मध्य प्रदेश में अगर पंजाब जैसी स्थिति आ जाए तो वह गेहूं के अलावा सोयाबीन और तिलहन का उत्पादन बड़ी मात्रा में कर सकेगा। देश में जो तेलों के भाव बढ़ रहे हैं इससे वह भी कम हो सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि सिंचाई हर क्षेत्र में और हर जगह बराबरी में होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक अपने यहाँ तेलों के भाव नहीं गिरेंगे। सिंचाई तब हो सकती है जब उदवाल सिंचाई जल्दी से जल्दी निकाली जाये, छोटे बांधों को बनाया जाये, ट्यूबवैल बनाये जायें। इनमें ज्यादा जमीन डूब में नहीं आती है और न ही ज्यादा सरकार का पैसा लगता है, न ही जंगल डूब में आते हैं। केवल एक पम्प लगा दिया जाता है और विद्युत से वहाँ सिंचाई कर दी जाती है। मेरा निवेदन है कि मध्यप्रदेश को ध्यान में रखकर यहां पहला काम वहाँ करना चाहिए ताकि हमारी जो नदियाँ बह रही हैं, बेकार पानी जो उनका बह रहा है, उनको टेप किया जाए और बिना बांध बनाकर सिंचाई योजना लागू की जाये।

हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ऐसे कई छोटे बांध हैं जो जंगल विभाग के हरिजनों से अभी तक दबे हुए हैं। कोई-कोई बांध तो ऐसे हैं, जिसमे 10 एकड़ जमीन जंगल की आती है परन्तु उसको आश्वासन नहीं दिया जाता; उसको वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और फोरेस्ट एण्ड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से ओ० के० नहीं मिलता। उनमें 90 प्रतिशत पैसा खर्च होता है लेकिन वे कामयाब नहीं हुई हैं तो मेरा सरकार से निवेदन है कि यह जल्दी से जल्दी किया जाय।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तो बहुत ही कम आती है। जैसी शहरी इलाकों में बिजली आती है, अगर वैसी बिजली ग्रामीण क्षेत्र में चली जाय तो हमें कोई भी प्रोत्साहन नहीं देना पड़ेगा, किसानों को, 10 प्रतिशत फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ जायेगा, यह ध्यान रखना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा बिजली सिंचाई के लिए देनी चाहिए। जब तक सिंचाई को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जायेगा तब तक उन्नति नहीं होगी। मैं यह कहता हूं कि जो सही किसान हैं, जो उन्नत किसान हैं, उन लोगों को खेती करने का अच्छी तरह से मौका मिलना चाहिए और उन्नत किसानों को लैंड सीलिंग एक्ट से एग्जम्पशन मिलना चाहिए। मैं बड़े किसानों की बात नहीं करता, बड़े किसान तो पहले ही अपनी जमीन बेचकर चले जायेंगे, जब कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा। जो किसान सही ढंग से काम करेगा, सही ढंग से लेबर करेगा, उसको लेबर एक्ट के अनुसार लेबर को पैसा देना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा उन्नत किसान को ही फायदा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि लैण्ड सीलिंग एक्ट में उन्नत किसान के लिए थोड़ा सा एग्जम्पशन देना चाहिए।

[श्री लोकेन्द्र सिंह]

आजकल कृषि वानिकी बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में जंगलों पर पोपुलेशन का प्रेशर इतना अधिक हो गया है, जंगलों पर इतना भार हो गया है कि 10 प्रतिशत भी पूरे मुल्क का एरिया जंगलों के रूप में नहीं रह गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी को भी लैण्ड सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत एग्जम्पशन दिया जाना चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और वैजीटेबिल फार्मिंग बड़े इन्टेनसिव ढंग से किया जाएगा, क्योंकि छोटे किसान इन चीजों को करेंगे, इसलिए कि इसमें ज्यादा इन्टेन्सिव लेबर होती है और जब इन्टेन्सिव लेबर होगी तो शिक्षित बेरोजगारों और लेबर क्लास को ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा उन्नति करने का मौका मिलेगा। हॉर्टीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए रोड साइड प्लाण्टेशन, बिगड़े हुए जंगल की जमीनों, बिगड़ी हुई नदी के किनारे की जमीनों को इमेंपट्टों पर देना चाहिए। उसका 50 प्रतिशत लाभ सरकार ले और 450 प्रतिशत लाभ कृषक लें।

**सभापति महोदय** : यह तो आपका लास्ट पाइण्ट है न ?

**श्री लोकेन्द्र सिंह** : मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने फलदार वृक्ष लगाने के लिए काफी जमीन बांटी थी, इसकी जांच करनी चाहिए। अगर उन्होंने फलदार वृक्ष नहीं लगाए हैं तो उनसे जमीन वापस ले लेनी चाहिए और वह जमीन किसी और को दे देनी चाहिए ताकि अपना जो ऐम है वह पूरा हो सके।

अभी तक अपने यहां पर एरोमेटिक प्लान्ट्स और मैडीशनल प्लान्ट्स की खेती कम हो रही है। इसके लिए क्योंकि ज्यादा कैपीटल लगती है...

4.00 म० प०

जब ज्यादा कैपिटल लगेगा, तो छोटी सी जगह पर किसान काम नहीं कर सकेगा। मैंथोल और सैन्ट के लिए एरोमैटिक प्लान्ट विदेशों से मंगाए जाते हैं, यह सब हिन्दुस्तान में हो सकता है। हमारे यहां की जड़ी-बूटियों की मांग विदेशों में बहुत है। हम यहां पर बड़े पैमाने पर जड़ी-बूटियों को लगायें, तो उससे एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का नया रास्ता खुलेगा।]

सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जा रहा है। गोबर गैस प्लान्ट के लिए बड़े किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही है। जब तक बड़े किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तब तक उनके यहां जो जानवरों का गोबर होगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार रिफाइनरीज में गैस फलेरअप नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं उसी प्रकार से इनके यहां भी गोबर गैस का उपयोग भी नहीं कर पाएगे।

**श्री धर्म पाल शर्मा (ऊधमपुर)** : सभापति महोदया, देश में 85 फीसदी से भी ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जिस प्रकार स्माल स्केल सेक्टर में सब्सिडी मिलती है, चाहे सेल्स-टैक्स की बात हो, पांच साल के लिए सेल्सटैक्स नहीं देना पड़ता है, उसी प्रकार एग्रीकल्चर को भी इन्डस्ट्री डिक्लेयर किया जाए।

कांग्रेस सरकार के वक्त में देश को हमने पन्द्रह जोन्स में बांटा था और हर जोन के लिए उसके मौसमी-हालात के मुताबिक तरक्की के लिए कार्यक्रम बनाए थे। आप जानती हैं कि 1988 में इस देश में भयंकर सूखा पड़ा था, हमारी योजनाबद्ध एग्रीकल्चर पालिसी की वजह से

ही इस देश में एक भी आदमी भूखा नहीं मर सका। वर्ष 1989-90 में 170 मिलियन टन का हमारा टार्गेट था और उस टार्गेट को हमने पूरा किया। इसके अलावा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रहनुमाई में बिग-लैण्ड-स्टेट पॉलिसी एक्ट बनाया था, जिसके जरिए जितने भी जमींदार हैं, उनके पास 182 कैनाल्स रह सकते हैं। इसमे सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू-काश्मीर में बिला-मुआवजा जमीन दी गई। फिर 1976 में एक कानून बनाया था, एग्रेरियन रिफार्म एक्ट के मुताबिक सो स्टैन्डर्डाइज कैनाल्स रख सकते है और इससे ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं रह सकती है, जो खुद काश्त करता है उसके पास ही जमीन रह सकती है। हम देश के दूसरे भागों में देखें, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, सीलिंग एक्ट तो वहां बनें, लेकिन उनका वहां बहुत दुरुपयोग हुआ है। आप बिहार और उत्तर प्रदेश को ही लें, वहां हजारों एकड़ के कुल्कस हैं। आए दिन हम वहां देखते हैं कि किस तरह से लैण्डलैस लेबरर्स को मारा जाता है, उनकी झोंपड़ियों को जलाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता है। जो बड़े मालिकों की जमीन पर काम करते हैं, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता है और एक्स-प्लायटेशन होता है। उसके साथ ही एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए को-आपरेटिव सैक्टर को मजबूत करें, जिसके जरिए आम जनता को और गांवों में रहने वाले किसानों को अच्छे बीज और खाद वगैरह मिल सकें तथा साथ ही मेजर और मिडिल इरिगेशन को बढ़ा मिले। मेरी यह कहने में कोई आर नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में बीस फीसदी जमीन पर ही आबपाशी हो सकती है और 80 प्रतिशत के लिए उसको मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें कई बार यहां से अनाज मंगाना पड़ता है। कण्डी और पहाड़ी क्षेत्रों में पैदावार बहुत कम होती है। मैं मांग करता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार को ज्यादा से ज्यादा फण्ड दिया जाए इस प्लान में ताकि मीडियम और मेजर इरिगेशन के जो प्रोजैक्ट्स हैं, उनको वे शुरू करें और पूरा कर सकें।

इसी प्रकार हार्टिकल्चर की बात है। पांच लाख टन से ज्यादा वहां मेवा पैदा होता है, सेब, नाशपाती वगैरह, वह सब पैरीश हो जाता है। मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार पंजाब में पैप्सी कोला का किया है, उसी प्रकार से कश्मीर में भी किया जाए। इस बारे में वहां सर्वे भी हुआ था, बहुत बड़ा स्कोप है और किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा। आपको इस बारे में एक योजना बनानी चाहिए। इसी प्रकार से पहले ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी थी, जो अब बन्द हो गई है। जो व्यापारी मेवा भेजते हैं, वह ज्यादातर खराब हो जाता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, ताकि वे अपना माल यहां भेज सकें और अपना गुजारा कर सकें। लैंड-रिलेशन्स के मुताबिक रिकार्ड जम्मू-कश्मीर में अप-टू डेट है। इस देश में बड़ी होल्डिंग्स कम होती जा रही हैं। इसलिए देश में ऐसा कानून बनाना चाहिए, ताकि ज्यादा बड़ी होल्डिंग्स हों और वहां ज्यादा पैदावार हो। खेती बड़ी होगी, अच्छे बीज होंगे, खाद होगी तो पैदावार अधिक होगी।

यह जो गोबर गैस प्लांट योजना है यह बहुत कारामद साबित हुई है। यह हमारे कश्मीर के रूरल एरियाज में भी शुरू की गई है। यह बहुत अच्छी योजना है। इसको आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे आम किसान को फायदा है।

यह जो सरकार बनी है यह वायदे तो बहुत करती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ

[श्री धर्मपाल शर्मा]

करना है। लेकिन अमल में हम देख रहे हैं कि किसानों के ट्रेक्टरों के टायर के दाम महंगे हो गए हैं, डीजल के दाम महंगे हो गए हैं। इससे किसानों का लागत खर्च बढ़ गया है। इसके मुकाबले में आपने 30 रुपये क्विंटल दाम ही उनकी फसल के बढ़ाए हैं। यह बहुत कम है। आपने चुनावों से पहले और अपने चुनाव घोषणापत्र में जो वायदा किया था कि हम किसानों के दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर देंगे जिनके लिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि 14 हजार करोड़ रुपया चाहिए लेकिन मधु दण्डवते जी ने सिर्फ दो हजार आठ सौ करोड़ रुपया ही रखा है। अब आपने यह भी कह दिया कि 50 परसेंट कर्ज माफी का रियासतें देंगी और 50 परसेंट हम देंगे। पहले तो यह बात आपने नहीं कही थी। पहले आपने उन्हें बरगलाया और झूठा वायदा किया और उनसे वोट ले लिया। आपने टायर और डीजल का दाम बढ़ाकर उनकी फसल का लागत खर्च भी बढ़ा दिया है।

पहले यह होता था कि फसल बोने से पहले ही फसल की कीमत मुकर्रर हो जाती थी लेकिन अब की बार फसल कट गई और मंडियों में पहुंच गई लेकिन उसके बाद कीमतें मुकर्रर की गयीं। आप किसानों की भलाई के लिए दिन-रात गीत-गाते रहते हैं, आपके मंत्री किसानों की बेहतरी की बात करते रहते हैं लेकिन अमल में यह बात दिखाई नहीं देती।

गुफ्तार के गाजी बन तो गए लेकिन किरदार के गाजी बन न सके। चाहे उनकी फसलों की कीमत मुकर्रर करने की बात हो, चाहे उनके कर्जे माफ करने की बात हो। किसी में अमल दिखाई नहीं दे रहा है।

[अनुवाद]

**श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी)** : मैं बाढ़, अकाल और बिजली उत्पादन मेरा मतलब पन-बिजली से है, के सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति पर सिर्फ कुछ मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। स्वतंत्रता के बाद से ही, बाढ़ नियन्त्रण के बारे में एक बहुत गलत नीति अपनाई जा रही है, विशेषकर उत्तरी बिहार में। सम्पूर्ण नीति असफल हो गई है। नदी के दोनों ओर तटबन्ध बनाने करने से ज्यादा बाढ़ और अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। जब भी भारी वर्षा होती है, बांध सारे पानी को वहन नहीं कर पाता, परिणामस्वरूप बांध के दोनों ओर से पानी बाहर आ जाता है और सब कुछ डूब जाता है। अगर पानी कम है, नदियां समुद्र में पानी ले जाती हैं जिसके कारण सिंचाई के लिए पानी नहीं रहता। अतः, मैं यह कहूंगा कि इस नीति को छोड़ देना चाहिए। इस नीति से सिर्फ एक ही लाभ उठाया जाता है और वह यह है कि कुछ राजनीतिज्ञ या कुछ ठेकेदार और कुछ अधिकारी और अभियंता राष्ट्रीय राजकोष के खर्च पर जनता को लूट सकते हैं। कमला, कोसी, बागमती और महानन्दा नदियों में जल स्तर में उतार-चढ़ाव आता रहता है। वे हिमालय से गाद लाती हैं जिसके कारण प्रायः वे अपना रास्ता बदल लेती हैं। वे अपने साथ कीचड़ लाती हैं। जिसके कारण खुद का रास्ता रोक लेती हैं और उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। अतः इस नीति को छोड़ देना चाहिए।

वर्ष 1981 में कोसी नदी के 'बड़ा क्षेत्र' पर एक बहु उद्देश्यक ऊंचे बांध के निर्माण क

लिए भारत सरकार ने एच० एम० जी० नेपाल को एक रिपोर्ट भेजी थी। किन्तु वह अभी तक वहां लम्बित पड़ी है। अब, हमारे यहाँ एक सक्षम मौसम है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार को इसके लिए नेपाल सरकार से आगे कार्यवाही करनी चाहिए। यह दोनों देशों के हित में है क्योंकि नेपाल की जनता भी मुश्किलों का सामना कर रही है।

दूसरी बात मैडम, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब से नई सरकार सत्ता में आई है, प्रश्न काल के दौरान हमें सटीक उत्तर नहीं मिलते। वे सब टाल् जवाब होते हैं। मैं जल संसाधन मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने मंत्रालय को सही करें ताकि अधिकारी कुछ गृह कार्य करें। मेरे पास रिकार्ड हैं। मैं मंत्री जी को वह नहीं भेज सकता। उत्तर देने से बचा जा रहा है। कभी-कभी तो विदित तथ्यों से भी इंकार किया जाता है।

मैं कृषि के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। स्व-उत्पादन प्रवृत्ति हमारे देश के लिए इस समय की आवश्यकता बन गई है। परोक्ष स्वामित्व में वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से वे भू-स्वामी जो अपनी जमीनों से काफी दूर रहते हैं, उनकी जमीन पर खेती नहीं की जा रही है।

अतः मूल नीति का अध्ययन किया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों पर वर्तमान कानूनों में संशोधन करने के लिए, उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए जोर डाला जाना चाहिए। सम्पूर्ण देश के राजस्व मंत्रियों ने इस संबंध में वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 में बैठकें की थीं। मैं समझता हूं कि वे भूमि सुधारों को युक्तिसंगत तथा कारगर बनाने में काफी हद तक सहायता मिलेगी।

अब मैं विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के प्रश्न पर जोर देना चाहूंगा। उन टिहरी गढ़वाल (नर्मदा सागर) परियोजना, पंचेश्वर बांध तथा उत्तर प्रदेश के करनाली बांध के निर्माण में काफी विलम्ब हुआ है जिन पर कि नेपाल सरकार के साथ एक समझौता करने के पश्चात निर्णय किया गया था। मुझे विश्वास है कि हमारी गलती के कारण करनाली तथा पंचेश्वर परियोजनाओं में विलम्ब हुआ था। यह इस कारण है क्योंकि सरकारी स्तर पर भी विरोध तथा उपेक्षा की जा रही थी तथा मैं सोचता हूं कि नेपाल के प्रति हमारे बेरुखी के बर्ताव के परिणामस्वरूप हमें और नेपाल, दोनों को ही कठिनाई हो रही है। अत इस प्रकार की बातों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। बिहार में कोईल परियोजना में काफी विलम्ब किया गया था जिसके कारण छोटा नागपुर के जनजातीय लोगों को काफी नुकसान हुआ था तथा इसी कारण वे कष्ट उठा रहे हैं।

अतः इस समय सरकार को अपने तन्त्र तथा नीति में इसके अनुरूप गति लानी चाहिए।

कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि उत्पादों की कीमतों का सिर्फ एक पक्ष ही मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। किसानों को कम दाम पर बिजली, पानी तथा खाद इत्यादि प्रदान करके उनकी और अधिक सहायता की जानी चाहिए। कीमतों में वृद्धि करने की अपेक्षा ऐसा करना अधिक हितकारी होगा। अन्यथा इसका प्रभाव आगे अन्य वस्तुओं पर भी पड़ेगा।

अतएव, यदि हम प्रत्येक वस्तु के लिए तथा कृषि मे लगने वाली प्रत्येक लागत के लिए आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तब हमें मुद्रास्फीति पर भी नियन्त्रण रखना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**सभापति महोदया** : अब मैं तीन और सदस्यों सर्वश्री बालगोपाल मिश्र, प्यारे लाल हान्डू तथा छेदी पासवान को बुलाती हूं परन्तु आप में से प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करनी है।

**श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर)** : सभापति महोदया, यह विषय देश की 75 फीसदी जनता से सम्बन्धित है। परन्तु दुर्भाग्य से इस विषय पर दिया गया समय दर्शाता है कि यह सरकार तथा पूर्व सरकार भी पिछले चालीस वर्षों से इस समुदाय के बारे में किस प्रकार का ध्यान देती रही है।

इस देश में कृषक समुदाय को सब भूल चुके हैं। उन्हें पांच वर्षों में केवल एक बार याद किया जा रहा है। केवल चुनावों के दौरान ही लोग कृषि तथा कृषकों के बारे में बात करते हैं। वे लम्बे-चौड़े वादे करते हैं तथा चुनाव समाप्त होने के पश्चात् एक बार सत्ता में आने के पश्चात् वे अपने सारे वादे, वचन भूल जाते हैं। इसका कारण यह है कि यह समुदाय संगठित नहीं है। यह एक असंगठित समुदाय है। यह समुदाय यह नहीं जानता कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लडा जाए। इस समुदाय में इतनी ताकत नहीं है कि यह अपने साथी मित्रों से कह सके कि अपने हल चलाना बन्द कर दो जिस प्रकार से कि ट्रेड यूनियन कर्मचारी अपने उपकरण को रख देता है अथवा सेना के जवान अपनी बन्दूक रख देते हैं अथवा पुलिस वाले अपनी राइफल रख देते हैं क्योंकि वे अपने हल चलाना बन्द करने के बाद होने वाले नुकसान को वहन करने में असमर्थ हैं। पिछले चालीस वर्षों से यह सरकार इस स्थिति का फायदा उठाती आ रही है तथा इस समुदाय का शोषण करती रही है।

समयाभाव के कारण मैं केवल भूमि की अधिकतम सीमा पर ही कुछ कहना चाहूंगा। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। आपको अनेक उद्देश्य प्राप्त करने हैं। पंजाब में आपने 18 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि दी है तथा उड़ीसा में आप केवल 10 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि ही दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? क्या आप उड़ीसा की भूमि के साथ पंजाब की भूमि की तुलना करते हैं? मेरे विचार से दुःख की बात यह है कि हम बात तो कुछ करते हैं परन्तु चालीस वर्षों से हमेशा करते कुछ और ही रहे हैं। इसी का परिणाम यह हुआ है कि 20 अथवा 27 बड़े घरानों की सम्पत्ति 2,000 करोड़ रु० से बढ़कर 27,000 करोड़ रु० हो गई है।

महोदया, भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में व्यक्ति अत्यधिक ईमानदार है. आप आय पर अधिकतम सीमा क्यों नहीं लागू कर देते? आप सम्पत्ति पर भी अधिकतम सीमा लागू क्यों नहीं करते? क्या आप यह समझते हैं कि कृषक तथा कृषक समुदाय ने कृषि को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपराध किया है? यदि एक व्यक्ति केवल एक ही व्यवसाय से असीमित धन अर्जित कर लेता है तब यदि कोई व्यक्ति कृषि से कुछ धन अर्जित कर लेता है तो इसमें क्या नुकसान है?

**एक माननीय सदस्य** : कृषक से आपका क्या तात्पर्य है?

श्री बालगोपाल मिश्र : कृषक वह व्यक्ति है जो स्वयं खेती करता है। (व्यवधान)

आप पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन दे रहे हैं। वर्ष 1975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 'नमक हराम जागरी' शुरू की थी जिसमें विधायकों तथा संसद सदस्यों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है क्योंकि ये वर्ग समाज को मुखरित करने वाले वर्ग हैं। चूंकि यह वर्ग समाज में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं इसलिए उनका मुंह बन्द करने के लिए ही श्रीमती गांधी ने यह योजना आरम्भ की थी। हमें यह आशा थी कि जनता सरकार इसे बन्द कर देगी। परन्तु दुर्भाग्य से उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। परन्तु एक किसान, एक भूमिहीन किसान जो खेतों मे काम करता है, उसे कोई पेंशन नहीं मिलती। आप उसके साथ किस प्रकार का सामाजिक न्याय कर रहे हैं? पिछले चालीस वर्षों से केन्द्र सरकार क्या करती रही है?

आज, मुझे डर है कि यह सरकार भी एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है जिसके अन्तर्गत संसद सदस्य को पेंशन देने तथा केवल एक दिन के लिए भी संसद सदस्य रहने वाले व्यक्ति को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। परन्तु मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि एक खेतिहर मजदूर जो कि भूमिहीन श्रमिक है, जब वह वृद्ध होता है तब उसे कितनी पेंशन मिलती है?

राज-सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई थी। हम 6,000 करोड़ रु० की वार्षिक राज सहायता दे रहे हैं। हम ऐसा कब तक करते रहेंगे?

मैं समझता हूं कि मैंने अपना समय पूरा ले लिया है। मैं इस पर और अधिक कहना नहीं चाहता।

श्री प्यारे लाल हाण्डू (अनन्तनाग) : मैं समय व्यर्थ करना नहीं चाहता। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आतंकवाद अथवा विद्रोह के कारण कश्मीर आजकल सुर्खियों में है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कश्मीर में आतंकवाद तथा विद्रोह से और अधिक भी कुछ हो रहा है। उस संदर्भ में मैं कृषि मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कश्मीर में कृषि तथा जल संसाधन की समस्या पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

उस संदर्भ में मुझे कृषि विश्वविद्यालय के विद्वान प्रो० गन्जू जिनका पिछले शनिवार अपहरण कर लिया गया था तथा तीन दिन पश्चात् जिन्हें मृत पाया गया था, उनके सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय की पूर्ण निष्क्रियता, चुप्पी को देखकर मुझे खेद हो रहा है। मैंने अपना खेद प्रकट नहीं किया होता परन्तु प्रो० गन्जू के साथ उनकी पत्नी का भी अपहरण किया गया था। आज उनका अपहरण हुए दस दिन हो गए हैं तथा कृषि मंत्रालय में कोई भी उनकी खोज नहीं कर रहा है।

मैं आज श्रीनगर से आ रहा हूं। इससे पहले मैं सोपोर कस्बे में था जहाँ से पति-पत्नी का अपहरण किया गया था। अपहरण के तीन दिन बाद पति का पता चला था। पत्नी का अभी भी पता नहीं है तथा यह कितनी खेदजनक बात है कि राज्य सरकार को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लोगों में वहां पर यह भावना जरूर फैली हुई है कि उनका अपहरण किया गया है तथा नदी में फेंक दिया गया है और हो सकता है कि उनका शव बहकर पाकिस्तान चला

[श्री प्यारे लाल हान्डू]

गया हो। श्री लासा कौल की मृत्यु के समय जिस प्रकार से श्री उपेन्द्र, सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने व्यवहार किया था, मैं कामना करता हूं कि कृषि मंत्रालय के लिए भी वह एक उदाहरण होगा।

कम से कम उन्हें जम्मू जाना चाहिए था तथा इस पति-पत्नी के पीछे रह गए उनके दो बच्चों की देखभाल करनी चाहिए थी। उनमें से एक तो रूस से उच्चतम डिग्री हासिल करके अभी हाल ही में भारत वापस आया था तथा वह एक ऐसा संयत्र स्थापित करने की सोच रहा था जिसे उसने रूस से प्राप्त किया था तथा इसके चार दिन के अन्दर ही उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी प्रधान अध्यापिका थी तथा उसके पास उच्चतम डिग्री थी तथा उनका अपहरण हुए आज ग्यारहवां दिन हो गया है। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ है।

अब मैं दूसरे मुद्दे अर्थात कृषि की चर्चा करूंगा। यदि कृषि मंत्री जी के पास समय है तो मैं चाहूंगा कि वह यह बात का नोटिस लें कि यदि वह कश्मीर में जाते हैं तो उन्हें वहां की सिंचाई की समस्या समझ में आ जाएगी। क्योंकि वहां पर चालीस प्रतिशत जमीन की सिंचाई के बारे में सुविधाएं हैं परन्तु साठ प्रतिशत जमीन की सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वहां आठ नहर परियोजनाओं पर काम चल रहा है परन्तु वे सभी परियोजनायें निधियों के अभाव में लम्बित पड़ी हुई हैं।

मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र अनन्तनाग की आठ परियोजनाओं का नाम बताऊंगा जहां कि इन दिनों यह सब कुछ हो रहा है। यदि माननीय सिंचाई मंत्री जी को समय मिले तो उन्हें वहां जाना चाहिए और स्वयं वहां सारी बातों का निरीक्षण करना चाहिए। वे जान जाएंगे कि सिंचाई के सन्दर्भ में कैसे इनकी अनुमति दी जाती है। यह प्रत्यक्ष रूप से कश्मीर और बाढ़ नियन्त्रण योजना से सम्बन्धित है। वहां ऐसा कैसे हुआ है। वे दो या तीन सप्ताह के बाद वहां जा सकते हैं। वे पायेंगे कि किस प्रकार निर्माण कार्य मंद पड़ गया है। वे पायेंगे कि ये परियोजनायें विगत सात वर्षों से भी अधिक समय से चल रही हैं और वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ये परियोजनायें निम्न हैं :

(1) राजर

(2) राजल

(3) दूदार

(4) कास्तीगढ़

(5) लोअर झेलम

(6) कुपेल

(7) त्राल और

(8) राजपुरा

यदि आप इन आठ सिंचाई नहरों पर ध्यान देंगे तो आप पायेंगे कि ये परियोजनायें पूरी

होने वाली हैं लेकिन अभी तक नहरें चालू नहीं हुई है। फिर आप अपने आप से तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का प्रयास कीजिए। इनके साथ क्या हो रहा है ?

मैं एक बार फिर आपको स्मरण करा दूं कि एक समय आपने राज्य के 14 जिलों में से एक जिले को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था और वहां 'शिव नहर' नामक एक नहर बनाई जा रही थी। कृपया ध्यान दीजिए कि इसका नाम 'शिव नहर' था। आपने 2.50 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया। इसके बावजूद विगत 10 वर्षों से इस नहर में एक बूंद पानी भी नहीं आया है। कृपया वहां जाइए और इस पर ध्यान दीजिए। यह टौरा जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र में बनाया गया है। फिर आप राज्य सरकार से पूछिए कि हमारी सिंचाई प्रणाली में क्या हो रहा है।

भौगोलिक कारणों से कृषि के क्षेत्र में हमारी बुआई के तरीके देश के अन्य भागों से भिन्न हैं। मक्का की खेती में विशेष रूप से हमें कुछ कठिनाई होती है। यह कठिनाई बीज बोने के सन्दर्भ में है। बीजों की बुआई करने और उनके रख रखाव में कृपया हमारे राज्य सरकार को सहायता दीजिए।

देश में व्यक्ति और भूमि के सम्बन्धों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान मैंने इस पर जोर दिया था। मैं इस पर आज पुनः बल देता हूं यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि भारतीय कृषि उन्नति करे, अधिक वैज्ञानिक तरीके से हो, सभी को इससे समान लाभ हो, यह सामाजिक न्याय की भावना उत्पन्न करे, तो आपको देश में व्यक्ति और भूमि के सम्बन्धों पर एक बार पुनर्विचार करना होगा। यदि इसमें परिवर्तन होता है तो आपको मुगल काल के समय से तैयार किए गए भूमि राजस्व के रिकार्ड पर भी ध्यान देना होगा और आज की स्थिति देखिए। यदि आप 1.1/2 वर्ष पूर्व राजस्व मंत्रियों की बैठक में हाल ही में पारित हुए प्रस्ताव को पढ़ें और यदि 100 प्रतिशत नहीं तो इस प्रस्ताव का 20 प्रतिशत ही लागू करें और यह देखें कि हमने सभी राज्यों में इन रिकार्डों को सुरक्षित रखा है और इसे अद्यतन बनाए रखा है। इससे हमें काफी लाभ पहुंचेगा। यदि हम उपलब्ध उच्च प्रौद्योगिकी या वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करें ताकि हम अपने राजस्व रिकार्ड को अद्यतन कर सकें और उन्हें सुरक्षित रख सकें तो इससे हमें मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

**श्री छेदी पासवान (सासाराम)** : सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिंचाई और कृषि विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बिहार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार के प्रति सरकार का उपेक्षा का रवैया रहा है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिल रहा है और निर्धनों तथा बेरोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। सन् 1950 में प्रति व्यक्ति आय में पूरे देश में बिहार का चौथा स्थान था, 1970 में यह 11वां हो गया, 1980 में 1५ वां हो गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना आते-आते यह 18 वां हो गया। 1995 तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 10 प्रतिशत तक ले जाने का केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य है। बिहार

[श्री छेदी पासवान]

में छठी योजना के आरम्भ में ऐसे लोगों की संख्या थी 57.50 और सातवीं योजना के समय तक इसमें कोई कमी नहीं आयी है।

सभापति महोदया, बेरोजगारों की संख्या 1990 तक बिहार राज्य में 20 लाख तक पहुंच गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिहार के योजनात्मक विकास में अवश्य ध्यान दें और आठवीं पंचवर्षीय योजना रचना में बिहार में जो उपेक्षितपूर्ण नीतियां में आमूल परिवर्तन करें ताकि हमें हमारा हक मिल सके। बिहार के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए पर्याप्त धन मुहैया किया जाए। बिहार में कृषि योग्य जमीन 1.7 लाख हेक्टेयर है, बृहद मध्यम और लघु सिंचाई की योजनाओं से लगभग .24 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने की क्षमता है। बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 65 लाख हेक्टेयर और लघु सिंचाई परियोजनाओं से 58 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। परन्तु अब तक स्थिति निराशाजनक है। सिंचाई की कुल क्षमता का 40 प्रतिशत से भी कम है। बिहार में यह और भी कम है। नई सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति भी निराशाजनक है, पुरानी सिंचाई परियोजनाओं रख-रखाव और उचित देखरेख के अभाव में दम तोड़ रही है। उदाहरण के तौर पर सोन नदी परियोजना काफी पुरानी है और 6 जिलों की 23 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करती है इस पर एक करोड़ लोगों की जीविका निर्भर करती है। यह सुनिश्चित सिंचाई परियोजना मरम्मत के अभाव में दम तोड़ रही है। 1983 में इसके आधुनिकीकरण की योजना विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तावित है और धन के अभाव में यह योजना लम्बित है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार धन की व्यवस्था के लिए आवश्यक उपाय करे। एक डैम कदवन डैम हमारे यहां लम्बित पड़ा है। इस डैम से सोन नदी के लिए पानी संचित किया जा सकता है और साढ़े चार सौ मैगावाट बिजली भी पैदा हो सकती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे आप सम्मिलित करें। बिहार में तीन जिलों पटना, नालन्दा और मुंगेर में 1063 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल जमाव की भीषण समस्या है।

सभापति महोदय : आपको जो कहना है वह लिखकर दे दें।

श्री छेदी पासवान : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां से मैं जीत कर आया हूं वहां दुर्गावती जलाशय परियोजना है, उसका 1986 में शिलान्यास हुआ था और उसकी प्रारम्भिक लागत 25-30 करोड़ थी, लेकिन आज तक उस पर 67 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और आज भी वह जलाशय नहीं बन सका है। साथ ही इस क्षेत्र से जो लोग विस्थापित हुए थे उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि इन विस्थापित लोगों के पुनर्वास की योजना शुरू की जाए और दुर्गावती जलाशय परियोजना को जिस पर इतना धन खर्च हो चुका है जल्दी पूरा कराया जाए और उसे बनाने में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करे।

सभापति महोदय : जगन्नाथ सिंह जी दो मिनट में अपनी कहें और बिमल कौर जी आप भी दो मिनट में अपनी बात कहें।

**श्री जगन्नाथ सिंह (सीधी)** : देश में मध्य प्रदेश राज्य कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। वास्तव में प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश काफी भरपूर है और यहां नदी-नालों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन इसका ठीक से सदुपयोग नहीं होने से कृषि के क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पाई है। जब तक कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार नहीं होता तब तक कृषि मे उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यक है कि सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार किया जाए। पहले तो ट्यूबवैल के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार किया जाए दूसरा उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार किया जाए और छोटे-छोटे बांधों का निर्माण करके भी सिंचाई सुविधाओं म विस्तार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य की ऐसी बहुत सी छोटी-छाटी योजनायें भारत सरकार के यहां विचाराधीन हैं जो कि ढाई, तीन हेक्टेयर की जमीन की हैं जो फारेस्ट लैंड की है जो डूब में आती हैं, उनकी स्वीकृति नहीं मिलने से बांधों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पिछले समय में उन बांधों पर आधे से अधिक राशि सरकार द्वारा खर्च की गई, मगर ये अभी भी लम्बित पड़ी हुई हैं और केन्द्र सरकार से पैसा नहीं मिलने के कारण इन पर कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम में कुछ संशोधन होना चाहिए जिसके माध्यम से छोटी योजनाओं को भी स्वीकृति मिल जाए। इसी तरह से मैं अपने संसदीय क्षेत्र सीधी से चुनकर आया हू, वहां के एक लम्बे भाग में सोन नदी बहती है। पिछले दिनों बाण सागर परियोजना वहां लागू की गयी थी, वह पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए सरकार पर्याप्त राशि आबंटित करे ताकि उसका निर्माण कार्य पूरा किया जा सके और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इसी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत लौर दुर्गा नामक स्थान पर देवसील नामक जगह में सिंचाई परियोजना की स्कीम पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई थी जिस में 35-36 गांव डूब में आ रहे थे और 150 गांव सीधी जिला के डूब में आ गए थे। ऐसी स्थिति में अधिक डूब क्षेत्र बड़े बांध बनाने की वजह से तमाम प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। इसलिए बड़े बांधों के बजाय छोटे छोटे बाध का निर्माण किया जाकर कृषि के सम्बन्ध में उन्नति के लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदया, इसके साथ ही मैं कृषि ऋण के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा कि दस हजार तक के ऋण सभी काश्तकारों को माफ कर देना चाहिए और उससे ऊपर वाले भाग को चाहे छोटे हों या मध्यम या बड़े काश्तकार, उनसे वसूली की व्यवस्था होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग सवा करोड़ जनसंख्या वनों से आच्छादित क्षेत्र में निवास करती है और इनमें भी आदिवासी लोगों की संख्या अधिक है। ये आदिवासी गत 30-40 वर्षों से निवास कर रहे हैं और वहां की जमीन पर काबिज हैं लेकिन फारेस्ट अधिनियम की वजह से उनको व्यवस्थापन का पट्टा नहीं दिया जा सका, जब तक उन आदिवासियों को व्यवस्थापन का पट्टा, भूमि का स्वामित्व नहीं मिल पाएगा, तब तक उनके आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए और सरकार की भूमि के सम्बन्ध में इस जंगलों से आच्छादित भूमि में सुधार की कार्रवाई त्वरित रूप से करनी चाहिए ताकि छोटे बांधों का निर्माण करके उस ऊबड़-खाबड़ भूमि को सिंचित किया जा सके और उस सिंचाई योजना का लाभ वे आदिवासी उठा सकें। इसलिए मेरा एक बार पुनः आग्रह

[श्री जगन्नाथ सिंह]

है कि सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। कम समय की वजह से मैं अपना अंतिम निवेदन समाप्त करता हूं।

*श्रीमती बिमला कौर खालसा (रोपड़) : सरकार ने पहले कहा था कि सभी किसानों के 1 -10 हजार तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। यह बहुत दुःख की बात है कि अभी तक किसी भी किसान का एक पैसे का ऋण भी माफ नहीं किया गया। जबकि भारतीय किसान संघ की तीन बैठकें हो चुकी हैं। 31 दिसम्बर को भारतीय किसान संघ और भूतपूर्व सैनिकों की दिल्ली में बैठक हुई थी। माननीय प्रधान मंत्री भी उस बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने यह वायदा किया था कि किसानों के ऋण अवश्य माफ किए जाएंगे। उसके बाद 28 जनवरी को जो बैठक हुई उसमें भी माननीय प्रधान मंत्री शामिल थे चंडीगढ़ में भारतीय किसान संघ की एक रैली 14 जनवरी को हुई। इस रैली में माननीय उप-प्रधान मंत्री और माननीय उप प्रधान मंत्री दोनों मौजूद थे। वहां भी यह वायदा किया गया था कि किसानों के 10-10 हजार के ऋण माफ किए जाएंगे। लेकिन यह भी मालूम हुआ है कि केवल 10- 0 हजार के ही ऋण माफ किए जाएंगे। अब इसमें प्रश्न उठता है छोटे और बड़े किसानों का होना यह चाहिए कि किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी के 10-10 हजार तक के ऋण अवश्य माफ किए जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि झुग्गी झोंपड़ी वासियों को विस्थापित करने के बाद उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे एक-दो कमरों वाले मकान दिए गए हैं। वे लोग बहुत ही निर्धन हैं और कर्ज के भारी बोझ से दब गए हैं गरीब किसानों के साथ ही इन निर्धन वर्ग के लोगों के कर्ज भी माफ किए जाएं। जहां तक जल-विभाजन का सम्बन्ध है राइपेरियन लॉ के अनुसार जिस राज्य में समुद्र या नदी बहते हैं उसी राज्य का जल पर अधिकार होता है। नदी या समुद्र यदि किसी राज्य से होकर या उसको छूकर नहीं गुजरते, तो उनका उस जल पर कोई अधिकार नहीं होता। जैसे कि हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई थी और पंजाब को बाढ़ से नुकसान उठाना पड़ा था। पशु-धन, मानव जीवन और फसलों की हानि पंजाब को उठानी पड़ी थी लेकिन उस पानी से हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। इसलिए राइपेरियन लॉ के अनुसार जब श्री मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि इस जल-विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा। बाद में 1980 में श्रीमति इंदिरा गांधी की सरकार ने वह मामला उच्चतम न्यायालय से वापिस ले लिया क्योंकि वह भली भांति जानती थीं कि न्यायालय का निर्णय हरियाणा के पक्ष में न जाकर पंजाब के पक्ष में जाएगा। वह हरियाणा के विरुद्ध जाएगा। इसलिए वह मामला वापिस ले लिया गया था। आज मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस जल-विवाद का निर्णय राईपेरियन लॉ के अनुसार उच्चतम न्यायालय से करवाया जाए।

सभापति महोदया : अब एक मिनट के अन्दर, बिमल जी···

श्रीमती बिमल कौर खालसा : दूसरी बात एस०वाई०एल० के बारे में है। मैं कहना चाहती हूं कि एस०वाई०एल० के पानी में हरियाणा का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं और पंजाब के लोग भी यही चाहते हैं कि एस०वाई०एल० से एक बूंद पानी भी हरियाणा में नहीं जाना चाहिए। दूसरे जो 1967 में मूल्य सूचकांक निर्धारित किया था, उस हिसाब से

* मूल पंजाबी में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है किन्तु जिसों की कीमतें गिरी हैं। इसलिए मूल्य सूचकांक और जिन्सों की कीमतों में तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए।

**सभापति महोदया** : बिमल जी, प्लीज, आपका टाइम बीत गया है। अभी मिनिस्टर जी को बोलना है।

**श्रीमती बिमल कौर खालसा** : मेरी यह मांग है कि जो लोग चाहे आज सेवा-निवृत हुए हों या चार वर्ष पहले सेवा निवृत हुए थे उन सबके लिए समान रैंक समान पेन्शन होनी चाहिए।

**जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया)** : मैडम, मुझे खुशी है कि जल संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों और कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर लगभग 55-5 मैम्बर्स ने इस बहस में भाग लिया, पर्टिकूलरली वाटर रिसोर्सेज के सम्बन्ध में अपने सुझाव सदन के सामने रखे, यह भी सही है कि कई मेम्बरान ने इरीगेशन सैक्टर या वाटर रिसोर्सेज सैक्टर का उल्लेख नहीं किया, परन्तु सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद यह बहस सबसे लम्बी रही होगी। पन्द्रह घण्टे तक यह बहस चली। ओरिजिनली मेरे मंत्रालय की माँगों को चार घण्टे का समय निर्धारित किया गया था परन्तु कृषि मन्त्रालय को इसके साथ क्लब करके समय बढ़ा दिया गया ताकि काफी माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिले। मैंने इस हाउस में दिए गए सभी सजैशन्स को नोट कर लिया है, मेरे विभाग से सम्बन्धित कई शिकायतें भी आयीं, और कई रिकमैंडेशन्स तो बहुत अच्छी यहां आयीं मैंने उन सबको नोट कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको सम्मिलित करते हुए अपने उत्तर में स्थिति स्पष्ट करूं। मैडम, पिछले आँकड़ों को देखने से मुझे लगता है कि सिंचाई क्षेत्र को अब तक जिस ढंग से ट्रीटमेंट दिया गया, वह सही नहीं था, अच्छा नहीं था। हम लोग हिन्दुस्तान में कृषि का लाइफ-लाइन मानते है क्योंकि हमारे देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि या कृषि से सम्बन्धित किसी न किसी व्यवस्था पर आधारित है, कृषि से जुड़ी है, अपनी रोटी कमाती है। जब हम कृषि को लाइफ-लाइन बोलते है तो नेचुरली हमें कहना पड़ेगा कि वाटर कृषि का बैकबोन है। पानी के बिना, सिंचाई के साधन उपलब्ध किए बिना, एग्रीकल्चर का डैवलपमेंट क्वाइट इम्पोसिबल है। फिर भी, इस सीधी सादी बात को हमें सामने रखते हुए काम करना है। जहां तक सिंचाई सुविधाओं का सम्बन्ध है, राइट फ्राम दी फर्स्ट प्लान, यह क्षेत्र लगभग नैग्लैक्टिड रहा है क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 18,7 प्रतिशत भाग इस प्रयोजन हेतु एलाट किया गया था. दूसरी पंचवर्षीय योजना से इसमें डिक्लाइनिंग ट्रैन्ड चालू हो गया, जहां पहली योजना में इसके लिए 18.7 प्रतिशत प्रावधान किया गया, दूसरी योजना में वह हिस्सा घटकर 11 2 परसेन्ट पर आकर रुक गया, तीसरी योजना में इसमें और कमी आयी और यह 10.64 प्रतिशत रह गया। चौथी योजना में कुछ सुधार के लक्षण दिखायी दिए जबकि इस क्षेत्र के लिए 1[illegible].1 प्रतिशत प्रावधान किया गया और पांचवीं योजना में यह फिर घटकर 8.1 परसेंट पर आ गया। छठी पंचवर्षीय योजना में स्लाइटली रेज होकर 1.3 परसेन्ट हुआ और सातवीं पंचवर्षीय योजना में जल संसाधन हेतु कुल बजट का 8.9 परसेंट भाग निर्धारित किया गया नतीजा यह निकला कि रूरल सैक्टर में जितनी रोजगार की तादाद बढ़नी चाहिए थी वह नहीं

(श्री मनुभाई कोटाडिया)

बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का शहरी क्षेत्रों में आना शुरू हो गया और यहां आकर झुग्गी-झोंपड़ियां डालकर रहना शुरू कर दिया।

[अनुवाद]

लोग भोजन की तलाश में भटक रहे थे।

[हिन्दी]

जब तक ईरिगेशन सैक्टर को बढ़ावा नहीं मिलगा तब तक इस देश में प्रास्पेरिटी नहीं आ सकती है। आज जब हम पंजाब-हरियाणा की तरफ देखते हैं, तो पाते हैं कि इस देश का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र वहां है जिसके कारण आज देश अनाज में स्वावलम्बी हो सका है।

4.41 म० प०

[श्री निर्मल कांति चटर्जी पीठासीन हुए]

पहली चार पंचवर्षीय योजनाएं यदि इस क्षेत्र में पूरी कर दी गई होतीं, तो आज हमें जो 12 लाख टन एडीबल ऑयल्स के शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है वह नहीं करना पड़ता। चीनी के जो दाम बढ़ रहे हैं, वे नहीं बढ़ते। जितनी चीनी की आज हमें जरूरत है, उतनी चीनी हमें नहीं मिल रही है इसी प्रकार से पल्सेस के बारे में है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होती है जिसके कारण हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह ठीक है कि अनाज हमें खूब मिल रहा है, लेकिन दूसरी जो एसेंश्यल कमोडिटीज हैं, वे हमें पूरी नहीं मिल रही है। अगर सिंचाई का प्रावधान किया गया होता, तो जो स्थिति आज हमारे सामने है, उससे कई गुनी बेहतर होती। आज जो हमारी नदियों का पानी समुद्र में बेकार बह जाता है, यदि इसको रोका गया होता, तो हमारे देश म किसी भी प्रकार क कृषि उत्पाद की कमी नहीं रहती। उस समय जिन लोगों ने यह काम किया, शायद वे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग नहीं थे, उन को कृषि और सिंचाई का नॉलेज नहीं था। वे बुद्धिजीवी लोग थे, शहरों में बैठकर उन्होंने योजनाएं बनाईं। जो ग्रामीण क्षेत्र की इकनोमी है, उन्होंने उसको समझा नहीं, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। ईरीगेशन सैक्टर को बढ़ावा देते के लिए पूरा वेटेज देने की जरूरत थी। यदि पूरा वेटेज दिया गया होता, तो आज 42 वर्ष की आजादी के बाद भी मात्र 31 प्रतिशत सिंचाई नहीं होती। इस सिंचाई की कमी को हमें दूर करना है। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाओं पर विशेष जोर देना पड़ेगा, जिससे यह कमी दूर होगी और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ सकेगा।

सभापति महोदया, सातवीं योजना के अन्त तक, इस देश में प्लान और नॉन प्लान दोनों के अन्दर 43155 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, हमें उम्मीद है यह आठवीं योजना में।

[अनुवाद]

मैं इसे उचित सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। मैंने इसके अनुसार ही इसे प्रस्तावित किया है।

[हिन्दी]

इसलिए सातवीं योजना में जितनी धनराशि उपलब्ध की गई है उससे कई गुनी धनराशि आठवीं योजना में उपलब्ध की गई है।

[अनुवाद]

हम देखेंगे कि प्रतिशत-वार कृषि क्षेत्र पर उचित जोर दिया जाए।

[हिन्दी]

आज आठवीं योजना का जो मसौदा है, वह आखिरी तौर से नहीं मिला है, इसलिए मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाऊंगा।

[अनुवाद]

और आप देखेंगे कि सिंचाई के क्षेत्र पर उचित जोर दिया गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदया, भारतवर्ष में शुरू में जो इम्प्रेशन था वह यह था कि इस देश में बहुत पानी है। बहुत पानी होने के इम्प्रेशन के कारण जो पानी उपलब्ध रहा उसका सही ढंग से इस्तेमाल जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। जिस तरह से प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी, उस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। देश में आज 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं।

[अनुवाद]

मैं ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं जो हमेशा सूखे से प्रभावित रहता है।

[हिन्दी]

पीने का पानी नहीं मिलता।

[अनुवाद]

एक औरत खाली बर्तन सिर पर लिए पानी की तलाश में मीलों भटकती रहती है।

[हिन्दी]

यह क्यों हुआ, कैसे हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। यह अभी तक सोचा नहीं गया, यह इसलिए नहीं हुआ। पानी स्केयर्स कमोडिटी है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनकी पर हैड, पर कैपिटा पानी की एवेलेबिलीटी इस प्रकार है—यू० एस० में 6200 पर हैड क्यूबिक मीटर, जापान में 6500, रूस में 17,536।

[अनुवाद]

जबकि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के सतह के जल जिसे कि काम में लाना असम्भव है, यह 3,200 है।

[हिन्दी]

यह बताता है कि पानी की समृद्धि नहीं है। पानी का सही ढंग से इस्तेमाल करने की

जरूरत थी, वह नहीं की गई है । अब हमने जो कारोबार संभाला है ।

[अनुवाद]

हम देखेंगे कि यह कार्य किया जाए ।

[हिन्दी]

अकाल पड़ता है, क्या नतीजा निकलता है ? आज 42 साल के बाद भी एक अकाल का सामना करने की स्थिति किसान की नहीं रही है । जिन लोगों को कहते हैं कि बड़े किसान हैं, उस किसान की स्थिति को भी देखें । सूखे क्षेत्र में अकाल पड़ता है तो 20-25 हैक्टर जमीन के मालिक की बहन-बेटी भी रीलीफ वर्क पर जाकर मजदूरी करते हैं, एक अकाल का भी सामना नहीं कर सकते हैं । इस वजह से उसको गाय, भैंस बेचनी पड़ती है । आज यह आया है कि किसान का लोन माफ करें, मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसान पर कर्जा कैसे हुआ ?

[अनुवाद]

गलत नीति के कारण ऐसा हुआ था ।

[हिन्दी]

उसको सही दाम नहीं मिला, उसको खेती करने के लिए कोई रक्षा नहीं मिली है, पानी नहीं मिला । जब पैदावार हुई, मार्किट में लाया तो डिस्ट्रैस सेल हो गई, अकाल पड़ा तो फर्टिलाइजर, सीड जो डाला था, वह भी चला गया । इसकी वजह से किसान पर कर्जा बढ़ गया है । गवर्नमेंट की नीति फौल्टी थी, इसलिए गवर्नमैंट ने ऋण माफ करने का जो निर्णय किया है वह सही है । मैं पूछना चाहता हूं कि आज कितनी इण्डस्ट्री ऐसी है जिनका पैसा चला गया है ।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास के नाम पर करोड़ों रुपए लगाए जा चुके हैं ।

[हिन्दी]

आज कितनी इंडस्ट्रीज सिक हो गई, पैसा चला गया, कौन वसूल करने जाता है ? बैंक से कर्जा दे दिया, यूनिट सिक हो गई । पैसा चला गया । वह पैसा किसका है, सरकार का है, बैंक सरकार का है । किसान का ऋण माफ करना चाहिए ।

[अनुवाद]

और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं ।

[हिन्दी]

क्या करना है, कैसे करना है वह कनसर्न्ड मिनिस्टर जवाब दे देंगे । जो हुआ वह इसलिए हुआ है कि किसान को पानी की रक्षा, ईरीगेशन नहीं मिला ।

एक माननीय सदस्य : कोपरेटिव सैक्टर का कर्जा भी माफ करेंगे क्या ?

श्री मनुभाई कटाड़िया : वह तो सम्बन्धित मिनिस्टर बताएंगे । पीने के पानी के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं ।

[अनुवाद]

मैं भी चिन्तित हूं।

[हिन्दी]

पीने के पानी का प्रावधान करने की जो जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

विशेष रूप से जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सम्बन्ध है, ग्रामीण विकास का कार्यभार संभालने वाले मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

मैं भी मानता हूं कि पीने के पानी का प्रावधान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी रहा ही नहीं। आज से 20 साल पहले भूतल में पानी का जो लेयर था वह 50-60 फीट था, आज 300-400 फीट बोरवैल करते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता। जो दौर किया है उसके सामने रीचार्जिंग की फैसीलिटी खड़ी नहीं की गई, जो छोटा पौंड बनाना वह सही ढंग से नहीं बनाता है।

[अनुवाद]

कागजों में तो दिखाया गया है कि क्षमता उत्पन्न की गयी है। लेकिन वास्तव में कोई क्षमता उत्पन्न नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

मैं मानता हूं कि पूर्व में कुछ गलतियां हुई हैं। इसका नतीजा यह निकला कि पीने के पानी की समस्या यहां खड़ी हो गई।

मैं राजमाता जी का आभारी हूं, कि उन्होंने यहां बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं उनका भाषण सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। रूरल एरियाज के बारे में वह बहुत अच्छा बोली हैं। और कई सदस्यों ने यहां बहुत अच्छे सुझाव दिए। लेकिन राजमाता जी ने तो बहुत अच्छे सुझाव दिए।

यह सही बात है कि इरिगेशन एक स्टेट सबजैक्ट है। संविधान के आठवें शेड्यूल में साफ तौर पर यह लिखा है कि यह एक स्टेट सब्जैक्ट है। इसमें सेन्टर का जो रोल है वह है

[अनुवाद]

"बाहरी सहायता और इसे संचालित करने हेतु सहायता देना।"

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : मध्यस्थता और समझौता करना भी।

[हिन्दी]

श्री मनुभाई कोटाडिया : सातवीं योजना का जो प्लान था उसमें 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इसके अलावा सेंटर से 884 करोड़ रुपये का प्रावधान सातवीं योजना के दौरान था। इसमें से 70 परसेंन्ट स्टेट को पास करने के लिए थे। कमांड एरिया डेवलपमेंट, माइनर एरिगेशन, एस० वाई० एल० कैनाल और राजस्थान कैनाल के लिए

[श्री मनुभाई कोटाडिया]

प्रावधान था। सेन्ट्रल सेक्टर में इतना पैसा नहीं है कि सब राज्यों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया जा सके · कई माननीय सदस्यों ने रिक्वेस्ट किया कि सेन्टर से फाइनेंशल असिस्टेन्ट्स स्टेट को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। जो सेंन्टर से स्टेट को धनराशि दी जाती है।

[अनुवाद]

यह अनुदान के रूप में है। इसे किसी भी क्षेत्र या योजना अथवा परियोजना के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है।

[हिन्दी]

**श्री सैयद मसूदल हुसंन (मुर्शिदाबाद) :** जिस नदी के पास इन्टरनेशनल बार्डर पड़ता हो वह स्टेट सबजैक्ट होगा या दूसरा कोई सबजैक्ट होगा ?

[अनुवाद]

**श्री मनुभाई कोटाडिया :** [अनुवाद] मैं बाद में उस मुद्दे की चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

ऐसा सुझाव चल सकता है जिससे कि इसको सेन्ट्रल सेक्टर में ला सकते हैं। उसमें एक सवाल पावर के बंटवारे के सम्बन्ध में जरूर आयेगा।

[अनुवाद]

हम केन्द्रीय विधि निर्माण नहीं करेंगे। हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे।

[हिन्दी]

इसमें राज्यों की बात भी बीच में आएगी। हमारी राज्य विधान सभाओं में एम० एल० एम० हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि वे राज्य विधान सभाओं में यह मसला उठायें। सेंटर इस सम्बन्ध में जो कुछ कर सकेगा, वह करेगा और वह करने में हमें खुशी होगी। मैं इसके बारे में मुख्यमन्त्रियों के साथ बहस करने वाला हूं।

[अनुवाद]

राज्यों के अपने दौरे के दौरान मैं सम्बन्धित मुख्यमन्त्रियों विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमन्त्री के साथ चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

**एक माननीय सदस्य :** राजस्थान को भी इसमें शामिल किया जाये। (व्यवधान)

**श्री मनुभाई कोटाडिया।** सभी से करने की कोशिश करूंगा। जहां बड़ी-बड़ी नदियां हैं, वहां के मुख्यमन्त्रियों से खासतौर से करूंगा। (व्यवधान)

इस देश में जितना फ्लडप्रोन एरिया है उसमें 26 प्रतिशत सिर्फ बिहार में है। वहां हर साल बाढ़ आती है और उससे काफी बरबादी होती है।

**श्री भोगेन्द्र झा** : एक शुद्धिकरण है। हम बाढ़ पीड़ित इलाके के हैं और हमें बाढ़पीड़ित करके आप बर्बाद कर रहे हैं। वहां बाढ़ तीन महीने आती है और सूखा 9 महीने आता है, हम दोनों के शिकार हैं।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** : मैं इसी कनेक्शन में कह रहा हूं कि बिहार का बाढ़पीड़ित इलाका है और बाद में यह बाढ़ का पानी बंगाल में भी भेज देते हैं।

**श्री मनुभाई कोटाड़िया** : लेकिन उसका एक ही हल है कि नेपाल से साथ अब तक जो बातें चली हैं उसमें कुछ हल निकलना चाहिए।

[अनुवाद]

जब तक कि हम नेपाल के पास बड़े बांध नहीं बनाते हैं इसका कोई समाधान नहीं है।

[हिन्दी]

वही इलाज है। इसके लिए जब से मैंने मंत्रालय सम्भाला है उसके बाद 16 मार्च को मैंने एक लेटर लिख दिया है लेकिन मेरी मुसीबत है।

[अनुवाद]

मुझे विदेश मंत्रालय द्वारा इसे देखना है। विदेश मंत्रालय पहले ही इस मुद्दे को उठा चुका है।

[हिन्दी]

मैं इस बारे में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से और भी विनती करूंगा कि कैसे भी इसका हल निकाला जाय क्योंकि हर साल गंगा की बाढ़ है और जो नदियां बिहार में आती हैं वह सत्यानाश करती हैं। झा साहब ने कहा, ऐसी बाढ़ आती है तो ऐसी बात नहीं।

[अनुवाद]

दीपावली के बाद वे सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

[हिन्दी]

और इसका हल निकालेगा और निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है : अब

[अनुवाद]

हाल ही में

[हिन्दी]

नेपाल के साथ जैसे अपने सम्बन्ध सुधर रहे है और सुधरने की उम्मीद है, इसके जरिए मैं कह सकता हूं कि शायद यह हो सकेगा क्योंकि नेपाल को भी इसकी जरूरत है। आज भी नेपाल की टैरेटरी में बड़ा बांध बनाने के बाद 35 हजार मेगावाट पावर जैनरेट हो सकती है, जो हिन्दुस्तान की जरूरत का करीब 35 परसेन्ट हो जायेगी और उस पावर से उसकी सम्पन्नता बढ़ेगी और अपने को पानी मिलेगा, बाढ़ का नियन्त्रण हो जायेगा और ईरीगेशन के लिए बिहार को भी पानी मिलेगा, यू०पी० को मिलेगा, राजस्थान की भी जो मांग है उसकी भी संतुष्टि की

जा सकेगी लेकिन वह कैसे हो सकता है, कब हो सकता है।

]अनुवाद]

इस स्तर पर मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है।

[हिन्दी]

मांग है राजस्थान की।

श्री भोगेन्द्र झा : पंचरेश्वर और गिरावा में नेपाल से 12 साल पहले समझौता हो चुका है।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : आप राजस्थान को अपने हिस्से का पानी दिलवा दो, वही नहीं मिल रहा है, हम मर रहे हैं।

श्री मनुभाई कोटाडिया) : ठीक है।

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : मध्य प्रदेश की जमीन पानी के अभाव में बीहड़ और बंजर भूमि में बदल जायेगी, इसके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री मनुभाई कोटाडिया : सिंचाई में या अधिक सिंचाई सुविधा प्रदान करने में सबसे बड़ी कठिनाई धनराशि का अभाव है।

[हिन्दी]

पैसा तो है ही नहीं। एक निगम की स्थापना का मैंने एक सुझाव रखा है।

[अनुवाद]

जोकि इन राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था कर सके।

[हिन्दी]

जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आ रहा हूं। एक कारपोरेशन ऐसा खड़ा किया जाय कि जिस कारपोरेशन के माध्यम से पैसा मिल सके और उस पैसे ने नेशनल इम्पोर्टेन्स के प्रोजेक्ट्स बन सकें चाहे वह गंगा का हो या नर्मदा का हो या ब्रह्मपुत्र का हो या तिस्ता का हो, इसके लिए यह प्रपोजल है।

[अनुवाद]

यह सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आज भी नाबार्ड के माध्यम से एग्रीकल्चर सैक्टर को पैसा मिल सकता है।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र को वित्त व्यवस्था हेतु आई०डी०बी०आई० है। कोई भी वित्तीय संस्था नहीं है जो सिंचाई क्षेत्र के लिए वित्त व्यवस्था कर सके। मैंने इसके लिए प्रस्ताव रखा है और यदि इस पर सहमति हो जाए तो मैं इस संस्था को स्थापित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) :** आपने कावेरी विवाद को न्यायाधिकरण के हवाले क्यों नहीं किया ?

[हिन्दी]

**श्री मनुभाई कोटाड़िया :** आ रहा हूं। सब आ जायेगा, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। जब फाइनेंस की, रिसोर्सेज की बात चलती है तो इस देश में जो ईरीगेशन पोटेन्शियल खड़ा करता है, उसमें विदेशी कर्जा भी मिलता है, विदेशी असिस्टेंस भी मिलती है।

5.00 म० प०

अब तक जो विदेशों में मिलता है, उसमें से

[अनुवाद]

मुख्य रूप से हमें विश्व बैंक से मदद मिल रही है और विश्व बैंक द्वारा हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है।

[हिन्दी]

कई माननीय सदस्यों ने पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करके राष्ट्रीयकरण की बात कही है। यह बात सही है और नेशनल वाटर पॉलिसी मे इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन राज्य इस बात से सहमत होंगे, मुख्य बात यह है। कोई छोड़ने वाला नहीं।

[अनुवाद]

जबसे मैंने जल संसाधन मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है, मैं कावेरी जल विवाद जैसे अर्न्तार्ज्यीय विवादों को निपटाने हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों से औपचारिक और अनौपचारिक रूप में वार्तालाप शुरू कर चुका हूं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात और राजस्थान समेत कोई भी राज्य किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। अब उच्चतम न्यायालय ने एक न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश जारी कर दिया है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह विपरीत बात होगी।

[हिन्दी]

कावेरी में किसका है, क्या है, यह बात मैं नहीं कहूंगा।

[अनुवाद]

जहां तक वाटर ग्रिड का सम्बन्ध है इसके लिए दो प्रस्ताव आए हैं। गंगा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों को अन्तर्राज्यीय रूप से जोड़ने हेतु तथा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए जल से स्थानांतरण हेतु एक प्रस्ताव श्री के०एल० राव और दूसरा प्रस्ताव कैप्टन दस्तूर ने रखा था। सरकार के इन पर विचार किया था और तकनीकी रूप से इन्हें अनुव्यक्त पाया गया।

[हिन्दी]

पानी को कोई छोड़ने वाला नहीं है। पानी की क्या जरूरत है, क्या कीमत है, यह सब समझ लिया है। राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है, राज्य सरकारें इससे सहमत होंगी, इसको देखना होगा। फिर मैं इस बारे में डायलॉग चलाऊंगा।

[अनुवाद]

इन दो प्रस्तावों के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधन विकास हेतु एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है जिसके दो भाग हैं अर्थात् हिमालय रिवर डेवलपमेंट और पेनिशूलर रिवर डेवलपमेंट ।

[हिन्दी]

ऐसा कोई सुझाव दिया है कि इधर से गंगा के पानी को ले जाओ। लिफ्ट करने की जरूरत है, तो इसके लिए करीब 16 सौ मीटर के लिए सात हजार मेगावाट पावर की जरूरत पड़ेगी । इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी और मुश्किल होगा। इसका थोड़ा सा स्टडी किया है । इसलिए इसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं ।

[अनुवाद]

प्रायद्वीपीय नदी विकास के चार भाग हैं ।—

i) महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना,

ii) मुम्बई के उत्तर और ताप्ती के दक्षिण में पश्चिमी बहाव की नदियों को जोड़ना,

iii) केन को चम्बल के साथ जोड़ना; और

iv) सोन नदी के जल को तथा केरल की पश्चिमी बहाव की नदियों को पूर्व की ओर मोड़ना ।

[हिन्दी]

जहां तक हिमालय रिवर के डेवलपमेंट की बात है, जब तक नेपाल और बंगलादेश से समझौता नहीं होगा, अन्डरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक हमारा आगे बढ़ना मुश्किल है ।

[अनुवाद]

जल ससाधन विकास के लिए राष्ट्रीय योजना के पेनिशूलर रिवर डेवलपमेंट को मूर्त रूप देने हेतु राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी ।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका कोई टाईम बाउंड प्रोग्राम भी आपके पास में ? कोई एक्शन प्लान है ?

श्री मनुभाई कोटाड़िया : मैं आ रहा हूं । कुछ भी छूटेगा नहीं । मैं एक्शन प्लान पर भी आऊंगा । जिनका कृषि विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है वे लोग ही बड़े बांध के खिलाफ बात करते हैं । कुछ लोग रिहैबलीटेशन की बात करते हैं । कुछ लोग कास्ट बेनिफिट रेशों की बात करके निकल आए हैं । उन लोगों को मालूम नहीं है कि रूरल सेक्टर में क्या स्थिति है ।

[अनुवाद]

वे नहीं जानते कि किसान किस प्रकार वर्षा पर आधारित कृषि पर निर्भर करते हैं ।

[हिन्दी]

यह उनको मालूम नहीं है । नर्मदा सागर, सरदार सरोवर से 18 लाख 67 हजार

हेक्टेअर जमीन पर सिंचाई होगी। 1450 मेघावाट पावर मिलेगी। इसमें जो जमीन फोरेस्ट की जा रही है उससे डबल फारेस्ट वहां पर करने का निर्णय हो चुका है। आज जितना फोरेस्ट उससे डबल होगा। आज तो अनप्लांड और रेनफेड फारेस्ट है। वहां प्लांड फारेस्ट होगा और 6 साल में हम 18 लाख हेक्टेअर में ग्रीनरी बना देंगे। जो लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि इससे एनवायरनमेंट में सुधार होगा। इससे किसानों को पानी मिलेगा। वहां जंगल में आज फायरवुड होता है। वहां अब फ्रूटस के पेड़ लगेंगे। जिनसे आपको आम मिलेगा, केला मिलेगा और भी फ्रूट्स मिलेंगे। आज फ्रूट्स कितना महंगा है।

जहां तक रिहेबलिटेशन की बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि रिहेबलिटेशन अच्छी तरह से होना चाहिए।

[अनुवाद]

जो परियोजनाओं के लिए त्याग कर रहे हैं, उन्हें तंग नहीं किया जाना चाहिए। पुनर्वास में उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

जो लोग सबमर्जड एरियाज में रहते हैं उनको रिहेबलीटेट किया जाएगा। वे आज जो जीवन जी रहे हैं उससे अच्छा जीवन वे जी सकें ऐसी हमारी योजना है। वह योजना इम्पलीमेंट होगी। इसमें कोई कम्प्रोमाईज नहीं हो सकता। चाहे गुजरात में हो, चाहे कहीं और हो।

(व्यवधान)

किसानों को जो जमान देने की बात है, जिस किसान के पास एक एकड़ जमीन है, उसको कमान एरिया में दो एकड़ जमीन देने की बात है।

एक फेमिली तीन भाई हैं—

[अनुवाद]

—हर वयस्क पुत्र एक अलग परिवार माना जाता है।

[हिन्दी]

हम इस तरह से जमीन देंगे। आज जो उनको मिलता है, उससे ज्यादा उनको मिलेगा। मैं 29 तारीख को साईट पर गया था। वहां गांव में भी गया था। मैंने देखा था कि किसी के पास ढाई एकड़ जमीन है, किसी के पास कुछ ज्यादा है। किसी के तीन बच्चे हैं और जमीन भी कम है और सूखी पड़ी है। (व्यवधान)

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा)** : यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?

**प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर)** : आपने कहा है कि जो लोग उजड़े हैं और वहां पर जाकर बसे हैं। क्या आप वहां पर गए हैं और आपने देखा है कि वहां पर लोग सेटिसफाईड हैं? हिमाचल प्रदेश के पौंग डेम से जो लोग उजड़ कर आए हैं और राजस्थान में बसे हैं, क्या आप वहां पर गए हैं? (व्यवधान)

**श्री मनुभाई कोटाड़िया** : उस समय जो योजना बनाई गई है उस योजना पर अमल होना चाहिये । मैं उसे एग्री करता हूं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दें । मैं लघु सिंचाई की बात कर रहा हूं । उसकी जाँच की जाएगी । मैं अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे सम्बन्धित राज्यों में जाकर उन्हें कहें । यह योजना अवश्य लागू की जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में मैंने कह दिया है कि वह स्टेट की जिम्मेदारी है, फिर भी सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड, स्टेट बोर्ड की सहायता कर रहा है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड राज्य सरकार को योजना एवम् भूमि से पानी निकालने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता दे रहा है । हम अपनी ओर से पूरे प्रयत्न कर रहे हैं । निःसन्देह, यह एक राज्य सूची का विषय है ।

[हिन्दी]

माइनर इरीगेशन स्टेट का सब्जेक्ट है । माइनर इरीगेशन हमारे पास नहीं आता है फिर भी माईनर इरीगेशन अच्छे प्रोजेक्ट हैं । यह एक साल या दो साल में पूरे हो सकते हैं और उनका लाभ जल्दी मिल सकता है । माइनर इरीगेशन जहां-जहां हो सकता है, जितना-जितना हो सकता है, वह हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : हमें प्रक्रिया का पालन करना चाहिये । माननीय मन्त्री जी को बोलने दें । तत्पश्चात हम देखेंगे ।

[हिन्दी]

**श्री मनुभाई कोटाड़िया** : स्प्रिंकलर्स एण्ड लिफ्ट इरीगेशन की बात भी कई मैम्बर्स ने कही है जो ऐक्शन प्लान बनाया गया है और जो अभी एप्रूव नहीं हुआ है लेकिन एप्रूव हो जाएगा । इसमें यह कहा गया है कि आठवें प्लान के दौरान एक लाख हेक्टेयर जमीन को स्प्रिंकलर्स और लिफ्ट इरीगेशन की सुविधा देने की, हमें उम्मीद है ।

कई मेम्बर्स ने अण्डर यूटिलाईजेशन आफ इरीगेशन पोटेंशियल की बात कही है इसमें भी थोड़ी मुश्किल तो है, यह सही है कि इसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन जो बात मैंने देखी है वह यह है कि प्लान को बनाने के समय पर ओवर रिपोर्टिंग की बात भी सामने आई है । जब वे प्रपोजल भेजते हैं, प्लान बनाते हैं । कई बार दूसरा सिस्टम भी पूरा नहीं होता है । आज डेम पूरा गया तो पांच साल तक कैनाल पूरा नहीं होता है । दूसरा नॉन मेंटीनेंस आफ सिस्टम है, सिस्टम भी पूरी तरह से मैनटेन नहीं होता है उसकी वजह से पूरा लाभ नहीं मिलता है । कमाण्ड एरिया के डेवेलपमेंट का काम भी जिस ढंग से होना चाहिए वह भी नहीं हुआ है । इरीगेशन पोटेंशल का हम जितना भी प्रयोग कर सकते है, उसके लिए हम पूरी कोशिश

करेंगे। एग्रीकल्चरल पोटेंशल में से हम 84 परसेंट प्रयोग कर रहे हैं बाकी 16 परसेंट का प्रयोग करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

प्रोजेक्ट कंप्लीशन में विलम्ब के बारे में कहा गया, कई सदस्यों ने कहा, यह बात सही है। स्टेट गवर्नमेंट को अपने रेसोर्सेस के मुताबिक जितना काम हाथ में लेना चाहिए, उतना नहीं लेती है। प्लानिंग के बिना नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं और बाद में काम में विलम्ब होता है। 10-15-20 साल से कई योजनायें ऐसे ही चल रही हैं। जिस साल 50 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, उस साल 5 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। हमने मना कर दिया है और आदेश दे दिए हैं कि आन गोइंग स्कीम्स को पहले पूरा करो, नई स्कीम तब तक न ली जाए जब तक आन गोइंग स्कीम्स पूरी नहीं हो जाती। (व्यवधान)

समय के अन्दर प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, अभी तो 15-20 साल से कई प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना में उनको पूरा करना होगा, यह हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को कह दिया है।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : सतलुज यमुना लिंक केनाल के बारे में बोलिए।

**श्री मनुभाई कोटाड़िया** : सतलुज यमुना लिंक केनाल का काम चल रहा है। उसके बारे में भी बताऊंगा।

योजनाओं के क्लीयरेंस के बारे में कहा गया, इस बारे में मैंने पहले बताया है—

[अनुवाद]

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14 माह से और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10 माह से अधिक समय नहीं लगता।

[हिन्दी]

यह मेक्सीमम समय है। जैसा कि हमने राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं, हमने कहा है कि जब भी जरूरत हो आफिसर्स को यहां भेजिए और यहां से आवश्यकता हो तो टीम वहां भेजी जाए और आमने सामने बैठकर जो भी क्वेरीज हों, वे ठीक कर ली जाएं। यह नहीं कि यहां से कुछ क्वेरीज लगाकर भेज दिया और एक साल लग गया, फिर वहां से आया, फिर क्वेरीज लगा कर भेज दिया। अब यह नहीं होगा और प्रोजेक्ट क्लीयरेंस में मुश्किल नहीं होगी।

एक बात संतोष मोहन देव जी ने टिपाईमुख प्रोजेक्ट के बारे में कही—

[अनुवाद]

इस परियोजना के लिए मिजोरम, मणिपुर और असम के बीच समझौता अपेक्षित है। इस पर विशेष अध्ययन किए जा रहे हैं ताकि तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से परियोजना स्वीकृत की जा सके।

[हिन्दी]

इस तरह से अभी यह मसला चल रहा है, इस कार्यवाही के बाद ही कुछ हो सकेगा। इसी तरह से संतोष मोहन देव जी ने कहा कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि अब चेयरमैन है।

**श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) :** कौन है ?

**श्री मनुभाई कोटाडिया :** आप आज बोले हैं, कल अगर आप बोले होते तो मैं नाम भी बता देता, इतनी जल्दी तो नाम नहीं पता किया जा सकता। (व्यवधान)

एंटी सी इरोजन के बारे में कहा गया—

[अनुवाद]

समुद्र तट का भूमि कटाव रोकने सम्बन्धी बोर्ड अस्तित्व में है और सभी सम्बन्धित राज्य इसके सदस्य हैं।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य ने सुझाव रखा था, लेकिन एंटी सी इरोजन के बारे में एक्शन लेना राज्य सरकार का काम है, उसके अधिकार क्षेत्र की बात है।

इसी तरह से अपर सीकरी प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया, यह फारेस्ट एण्ड एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री के पास है। फारेस्ट लैंड की भी इसी सम्बन्ध में बात आई, फारेस्ट लैंड मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। (व्यवधान)

पहले राज्य सरकार को पावर थी, लेकिन 980 में फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट बनने के बाद यह अधिकार उनके पास नहीं है। इस विषय को फारेस्ट एण्ड एन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री को कंसीडर करना चाहिए। मैं तो इतना कह सकता हूं कि फारेस्ट लैण्ड जितनी सबमर्ज होगी, जितने पेड़ कट जाएंगे, उससे ज्यादा पेड़ ऐसे ही आ सकते हैं। (व्यवधान)

सिस्टम इंप्रूवमेंट आफ कैनाल लाइनिंग के सुझाव पर भी विचार किया गया है और 5 वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 8 लाख मिलियन हैक्टर क्षेत्र बढ़ेगा इस सिस्टम को इंप्रूव करने से, यह उम्मीद है। इन्दिरा गांधी कैनाल के बारे में भी कहा गया। इसमें सैंट्रल फायनैंस करता है।

[अनुवाद]

हम यह चाहेंगे कि यह यथाशीघ्र पूर्ण हो। इसके कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकार पर है।

[हिन्दी]

मैं माननीय सदस्य से विनती करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वैस्ट करें ताकि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके।

**एक माननीय सदस्य :** इसके हैड-वर्क का जो कंट्रोल है वह इतने वर्षों से तय हो चुका है और बराबर आप लोग लिख रहे हैं। लेकिन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट को उसका कंट्रोल न देकर पंजाब के पास इसका कंट्रोल है। राजस्थान के लिए पानी का हिस्सा तय है, लेकिन वह उसे नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

**श्री मनुभाई कोटाडिया :** हमें सभी सम्बन्धित संसद सदस्यों से मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

बिहार के बारे में शिकायत यहां आई। लोक सभा के 54 एम० पी० और राज्य सभा के 22 एम० पी०, इन 76 के बारे में मैंने बता दिया।

[अनुवाद]

16 तारीख को मैंने उन्हें बैठक के लिए आमन्त्रित किया है और हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान वालों को मैं बुला लूंगा।

[अनुवाद]

हम इस पर विचार करेंगे और अन्तिम निर्णय लेंगे। मैं इसके समाधान का प्रयास करूंगा। मैं यह नहीं कहता कि मैं इसका समाधान करूंगा, बल्कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के बारे में शिकायत की गई। उसमें सिर्फ फ्लड कंट्रोल की स्कीमें आती हैं, उनको सप्लीमेंट करने का उसका रोल है। वह कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है जैसे सी० डब्ल्यू० सी० है।

[अनुवाद]

ये सब योजनायें राज्य सरकार के कार्यों को पूरा करने में सहायता के लिए है।

[हिन्दी]

फरक्का के बारे में बात आयी। अमर राय प्रधान जी ने इसके बारे में कहा है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा कि इस वर्ष भूतकाल से ज्यादा पानी देने की हमने कोशिश की है।

[अनुवाद]

पिछले वर्ष यह 26,000 क्यूसेक से नीचे चला गया था।

[हिन्दी]

इस साल 30 हजार क्यूसेक से नीचे कभी भी पानी नहीं दिया।

[अनुवाद]

भगवान का शुक्र है, उसने हमारी सहायता की है और हम इसका प्रबन्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री अमर राय प्रधान** : हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 हजार क्यूसिक्स है।

[अनुवाद]

**श्री मनुभाई कोटाडिया)** : समझौता ज्ञापन पर 1985 में हस्ताक्षर हुए थे। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें बंगला देश के लिए यह 60 प्रतिशत था और हमारे लिए 40 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

वर्षा ऋतु में 60 हजार क्यूसिक तक फ्लो हो जाता है। यदि इसका 40 परसेंट निकालें तो कितना होगा ? यह 24 हो जाएगा ।

[अनुवाद]

मैंने बंगाल को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया है ।

[हिन्दी]

तीस्ता प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया कि इसको सैंट्रल गवर्नमेंट की एड मिलनी चाहिए ।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही यह प्रस्ताव किया है कि उन्हें 50 प्रतिशत सहायता मिलनी चाहिए ।

[हिन्दी]

यह मुश्किल काम है, क्योंकि पैसा नहीं है। सैंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

फिर भी आपने जो सुझाव रखा है, उसके बारे में सम्बन्धित मंत्रालय और योजना आयोग के साथ मैं बहस करूंगा और इधर से जो सैंगशन मिलेगी उसको मैं परमिट कर दूंगा। (व्यवधान)

जहां तक बाण सागर योजना की बात है, शास्त्री जी, इसका काम चल रहा है।

[अनुवाद]

यह राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार को ही इसे कार्यान्वित करना है, वे अपने पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, परन्तु उन्हें वित्तीय बाधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : तीन वर्ष में इसको पूरा करवा दें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री मनुभाई कोटाडिया** : तीन साल में पूरा करने के लिए मैं राज्य सरकार से बात करूंगा। इसके लिए मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ बात की थी। इसलिए उसके बारे में जो कुछ हो सकेगा वह मैं आपको बता दूंगा। (व्यवधान)

**श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला)** : आपने बहुत अच्छी रूपरेखा रखी है और असम से लेकर नेपाल तक की बात कही है। हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको इग्नोर कर दिया। जो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं ?

**श्री मनुभाई कोटाडिया** : हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है उसका अध्ययन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैंने माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया है और इनके द्वारा उठाए गए लगभग सभी मुद्दों को शामिल करने का प्रयास किया है।

[हिन्दी]

मैं मानता हूं बहुत से सदस्य अभी बाकी हैं जो इस बहस में हिस्सा लेना चाहते थे जिनको समय नहीं मिल सका। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उनके जो कुछ सुझाव हैं।

[अनुवाद]

यदि वे मुझे लिखें तो मैं निश्चय ही उन पर ध्यान दूंगा, जैसे कि यहां सदन में सुझाव दिया जा रहा है और मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

मैं माननीय सदस्यों से विनती करता हूं कि जिन्होंने कट मोशंस दिए हैं वे वापस ले लें और मेरे विभाग की मांगों का समर्थन देकर उसको पास करें। (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : मन्त्री जी ने कहा है कि उन्होंने लगभग सभी मुद्दे शामिल कर लिए हैं। इसमें महत्वपूर्ण शब्द है 'लगभग'। जल संसाधन अत्यन्त सीमित है, जिनकी ओर उन्होंने संकेत किया है। परन्तु जैसा कि सभी जानते हैं, यह विषत असीमित है। अतः इस पर चर्चा अनिश्चित समय के लिए जारी रह सकती है। जैसा कि मन्त्री महोदय ने सुझाव दिया है, शेष बचे मुद्दों को उन्हें भेजा जाए और वे उनका उत्तर देंगे। आगे और प्रश्न पूछने के लिए समय कदापि नहीं है। हमारे पास विचार करने के लिए अन्य कई विषय हैं। अब मैं मतदान करवाना चाहूंगा। (व्यवधान)

**राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़)** : महोदय, इन्होंने सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर पूरा करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कुछ नहीं किया है।

**सभापति महोदय** : आप भूतपूर्व मन्त्री हैं। आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण विषयों से कैसे निपटा जाता है।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : मैं इनसे कुछ जानकारी और आश्वासन चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : यदि आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल उपाय है कि आप उन्हें पत्र लिखें। यदि मन्त्री जी अभी तैयार हैं तो ठीक है।

[हिन्दी]

**राव बीरेन्द्र शर्मा** : सतलुज यमुना लिंक कैनाल का प्रोजेक्ट 1983 में पूरा होना था 6 बार हेड लाइन इसके लिए गुजर चुकी हैं, सारा खर्चा सेंटर बर्दाश्त कर रहा है। प्रोजेक्ट एस्टीमेट 176 करोड़ से 5·8 करोड़ हो गए हैं। क्या मंत्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि

[राव बीरेन्द्र शर्मा]

अगली डेड लाइन कौन-सी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रखी है और कब तक यह पूरा हो जाएगा और इसका कुछ फायदा भी मिलेगा या यह सारा पैसा बर्बाद जायेगा ?

श्री मनुभाई कोटाडिया : काम अच्छी तरह से और सही ढंग से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह फरवरी 1991 तक पूरा हो जाएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं और स्पष्टीकरणों की अनुमति नहीं दूंगा।

अब मैं श्री पलाई के०एम० मैथ्यू द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 85 और 86 जो कि जल संसाधन को सभा में मतदान हेतु रखता हूं। मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित हैं,

कटौती प्रस्ताव संख्या 85 और 86 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं जल संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में जल संसाधन मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 78 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोकसभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए जल संसाधन मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांग

| मांग संख्या और मांग का नाम | | 28 मार्च, 1990 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि | | लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | |
| | | राजस्व रु० | पूंजी रु० | राजस्व रु० | पूंजी रु० |
| 78 | जल संसाधन मंत्रालय | 66,36,00,00 | 4,55,00,000 | 199,06,00,000 | 13,65,00,000 |

**सभापति महोदय** : इससे पूर्व कि मैं कृषि मंत्री से उत्तर देने के लिए कहूं, मैं चाहूंगा कि श्री कुमारमंगलम अपनी बात कहें।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम)** : सभापति महोदय, कार्य सूची के अनुसार पहले इन दो मन्त्रालयों के लिए दो अनुदानों की माँगें सदन के समक्ष मतदान के लिए लगभग .00 म० प० पर रखी जानी थी। अब यह समय परिवर्तित हो गया है और अब इन दो मांगों को पारित करने के लिए लगभग सांय काल के 6 बज चुके हैं। मेरा विचार है जब तक ये पास होगीं, दिन बीत जाएगा। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सदन से यह प्रार्थना है कि इन मांगों पर कल की अपेक्षा परसों 3.00 म० प० पर गिलोटीन होना चाहिए ताकि श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की माँगों पर कम से कम पाँच से छः घण्टे तक चर्चा हो सके।

**सभापति महोदय** : क्या किसी दल के नेता या अन्य कोई इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे।

(व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** : हम इससे सहमत हैं।

**सभापति महोदय** : अतः गिलोटीन कल न होकर परसों होगा। मन्त्री जी यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इसके लिए समय 3.00 म० प० होगा या नहीं।

(व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : जहां तक समय का सम्बन्ध है, यह कल कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा तय किया जाएगा।

**सभापति महोदय** : अतः गिलोटीन का निश्चित समय कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा कल निश्चित किया जाएगा। अब कृषि मंत्री उत्तर दे सकते हैं। एक बात की ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह यह कि सदन द्वारा आधे घण्टे की चर्चा 6.00 म० प० पर आरम्भ की जाएगी। अतः आप संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करें और इसे 6.00 बजे से पूर्व समाप्त कर दें।

[हिन्दी]

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : श्रीमन्, मैं बहुत ध्यान से आनरेबल मेम्बर्स द्वारा दिए गए सुझावों को सुन रहा था। खास तौर से इसलिए भी कि मैं लोकसभा का बिलकुल नया सदस्य हूं और मेरी यह बड़ी इच्छी थी और अब भी है कि मैं लोकसभा के जो अनुभवी सदस्य हैं, जो अनुभवी भूतपूर्व मंत्री हैं। जो पहले प्रशासन में रह चुके हैं और अब लोकसभा के सदस्य बनकर आये हैं, और जो नवयुवक सांसद बनकर आए हैं, जो नए विचारों से ओतप्रोत हैं, मैं उन सबकी बातों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक था और बहस के दौरान मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनीं। मैं इस बात को मानता हूं कि जब भी केन्द्र में कोई सरकार बदलती है, नई सरकार आती है तो उसके सामने पुरानी सरकार

[श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा]

की खामियां और पुरानी सरकार की खूबियां दोनों होती हैं। पहली सरकार ने जितने अच्छे काम किए, बढ़िया काम किए, उन्हें आगे ले जाने की जिम्मेदारी नई सरकार पर होती है। इसके साथ-साथ पुरानी सरकार की कार्य पद्धति में जो खामियां रहीं, जो कमियां रही, उनकी ओर भी नई सरकार का ध्यान जाता है और उनमें सुधार करके आगे बढ़ने का वह प्रयत्न करती है। इस सदन में एक से एक अनुभवी सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, अपने क्रिटिसिज्म दिए। यह सही है कि आलोचना सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं की जाती, आलोचना सुझाव देने के लिए होती है। आलोचना रचना के लिए होती है। आलोचना सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए होती है, और सरकार को ताकत देती है। इस मंत्रालय पर हुई बहस में जितनी आलोचना सामने आई, जितने सुझाव आए, उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है, मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी माननीय सदस्यों के सुझावों से मैं लाभान्वित होता रहूंगा। उस पक्ष के लोग बोल रहे थे कि उनके समय में कृषि के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, बहुत तरक्की हुई, उससे मुझे ऐसा लगा कि बहुत तरक्की हुई या नहीं हुई परन्तु कुछ तरक्की जरूर हुई है और उसे स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आजादी के बाद, आरम्भ के दिनों में इस देश में खाद्यान्न की उपज 5 करोड़ 50 लाख टन थी जबकि गत वर्ष यानी 1989-90 में हमारा उत्पादन 17 करोड़ 30 लाख टन तक पहुंच गया। यह उपलब्धि कोई मामूली उपलब्धि नहीं है और मैं यही कहूंगा, यही आश्वासन दूंगा कि देश की सम्पूर्ण उपज के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसे हम और आगे ले जायेंगे, पीछे नहीं हटने देंगे। यहां कई लोगों ने चर्चा की कि चीन इस मामले में बहुत आगे बढ़ गया, मैं इस बात को मानता हूं कि चीन उत्पादन के मामले में काफी आगे बढ़ा है और कम से कम समय में आगे बढ़ा है, लेकिन मैं इस बात की ओर भी सभी माननीय सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि चीन में 1987 में जो इम्पोर्ट के फीगर्स थे, उसके अनुसार चीन ने एक करोड़ 58 लाख टन खाद्यान्न विदेशों से इम्पोर्ट किया जब कि हमें, भारतवर्ष को मात्र 46 हजार टन खाद्यान्न ही मंगाना पड़ा। आज भी चीन दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगा रहा है। इस सम्बन्ध में, हमें जो आंकड़े मिले हैं, जैसे हम राइस को, चावल को मानते हैं, खाद्यान्न है, वे धान को मानते हैं, हम खाद्यान्न में जितने कंदमूल हैं, जैसे आलू है, शकरकंद है उन्हें नहीं जोड़ते हैं, लेकिन चीन इनको भी जोड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं। इसलिए हमको इस मामले में कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हां, यह जरूरत जरूर है कि उसकी खूबियों को लें, उससे सबक लें। हमारे सामने जो सबसे कठिन सवाल है खेती के मामले में, वह यह है जिसका राय साहब ने अपने भाषण में उल्लेख किया है, हमारे पास जमीन कम है, आदमी ज्यादा हैं। रूस के पास और अमेरिका के पास आदमी कम कम हैं और जमीन ज्यादा है। भारतवर्ष में 32 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, अमरीका में 94 लाख वर्ग कि॰ मी॰ और रूस में 224 लाख वर्ग किलो मीटर जमीन है। हमारे देश की आबादी 80 करोड़ 50 लाख है, अमरीका की 25 करोड़ और रूस की आबादी 29 करोड़ है। आप इस फर्क को समझें। आप इस फर्क को तो जानते ही हैं कि हमारे देश में जमीन कम है और आदमी ज्यादा हैं। उन देशों में आदमी कम हैं और जमीन ज्यादा है। हमारे यहां हाथ सस्ता है और मशीन महंगी है और उन देशों में मशीन सस्ती है और हाथ महंगा है। इस प्रकार से आप

देखें कि कठिनाई क्या है। हमें यह देखना है कि हम कम जमीन लेकर के अपनी पूरी आबादी को खिला सकते हैं या नहीं, हम पूरी आबादी को पाल सकते हैं या नहीं ? भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है यह बात भी आप सब लोग जानते हैं और यहां :00 में 67.1 आदमी खेती पर निर्भर हैं। अमरीका में 2.5 आदमी खेती पर निर्भर हैं और रूस में :4 प्रतिशत आदमी खेती पर निर्भर हैं। जहां कम आदमी खेती पर निर्भर हैं वहां तो इतना पैदा होता है कि वह खुद खाता है और दूसरे देशों को भी भेजता है। जहां ज्यादा आदमी खेती में लगे हैं वहां इतना भी पैदा नहीं होता है कि वे अपना भी पेट भर सकें। यह चिन्ता का विषय है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारा देश आज भी दलहन, तिलहन और चीनी के मामले में परमुखापेक्षी है और हमें दूसरे देशों के सामने हाथ पसारना पड़ता है, हमें दलहन दो, हमें तिलहन दो या हमें चीनी दो और कभी-कभी तो गेहूं और चावल की मांग भी विदेशों से हो जाती है, हालांकि गेहूं और चावल की माँग कभी-कभी ही हम करते हैं। इसलिए अब हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जिन चीजों की कमी है, हम अगले पांच वर्ष में कोशिश करेंगे कि उन चीजों में हम आत्मनिर्भर बन जाएं। हम परमुखापेक्षी नहीं रहें। दलहन के मामले में, वर्ष 1990-91 में हमारी सरकार ने फैसला किया है कि 24 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इसी प्रकार से तिलहन के मामले में 54 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इसके अलावा जो ड्राई और रेन फैड फार्मिंग है, उस पर भी 80 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने की बात हम लोगों ने की है। जबकि 1989-90 में इस पर सिर्फ 19 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, आप इसे देखें। 1988-89 में 19 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। हमारा प्रस्ताव अस्सी करोड़ पचास लाख खर्च करने का है। इसी तरह से चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहां पिछले वर्ष सरकार ने 1989-90 में 63.2 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, वहां 1990-91 के लिए हमारा प्रस्ताव चावल के उत्पादन को बढ़ाने में 87 करोड़ का है। इसी तरह से और भी चीजों का विस्तार करना चाहते हैं चाहे बागवानी हो, चाहे डेरी हो। जहां तक खेती की उपज का मामला है, यह सही है कि किसान को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता, कभी-कभी खर्चा भी नहीं निकल पाता है। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, खेती से सम्बन्धित हूं, गांव में ही पिछले 40-45 वर्षों से लगातार घूमता रहा हूं। मैं देखता हूं कि किसान की ईख की फसल खड़ी है, दाम गिर गए, किसान ईख की फसल में आग लगा देता है क्योंकि काटने से कोई फायदा नहीं होता है। इसी तरह से जितनी सब्जी पैदा करता है, सब्जी में घाटा होता है। मैंने कई बार लोगों से पूछा कि क्यों काट रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमको घाटा है, हम बाजार तक ले जाते हैं उसका भाड़ा भी नहीं निकलता है। नतीजा यह है कि आज लागत खर्च भी नहीं मिल पाता है और किसान बेचारा मारा जाता है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान दिया और कहा कि किसानों को इतना पैसा तो उसकी उपज का मिलना ही चाहिए ताकि उसे कोई घाटा नहीं हो। सारे कृषि उत्पादन, खेती में पैदा होने वाली सारी चीजों पर विचार नहीं किया गया है, विचार चल रहा है, अलग-अलग कमेटियां बना दी गई हैं, लेकिन कुछ मामलों में तय कर दिया है। जैसे गेहूं के बारे में तय किया गया कि 15 रुपए क्विंटल अधिक दाम देंगे, पिछले साल की तुलना में 32 रुपये क्विंटल अधिक दाम जाता है। उसी तरह से सरसों, राई के मामले में भी फैसला किया गया, 65 रुपए क्विंटल अधिक हम देंगे। कोकोनट पर पहले 1500 रुपये क्विंटल दे रहे थे, अभी 1600 रुपये क्विंटल दिया है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इससे यह पता चलता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, हमें आप लोगों का सहयोग

[श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा]

चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं। जब उपज का समय आता है, भाव नीचे चला जाता है जब किसान के हाथ से गल्ला निकल जाता है भाव उठ जाता है। किसानों को मुनाफा नहीं मिलता, शादी-ब्याह करने के लिए, कर्जे का भुगतान करने के लिए वह अपने अनाज को सस्ता बेच देता है। हमारे बिहार में खासकर पूर्णिया, कटिहार में मैंने देखा कि खेतों में धान की फसल लगी हुई है और उसी समय भाव तय हो गया। इस तरह से किसानों पर जो मार पड़ती है वह भयावह है, इस दिशा में हमारी सरकार ने जो कदम बढ़ाया है कि कम से कम कुछ चीजों का दाम बढ़ाइए जिससे किसानों को लाभ होगा और वह ज्यादा उपज कर सकेंगे। हमारे किसान के उत्पादन के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। जैसे अभी-अभी बताया गया कि खेती के लिए पानी जरूरी है और जब पानी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे 100 में से 70 किसानों की जमीन पर आज भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। उन्हें आसमान के भरोसे खेती करनी पड़ती है। आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां वे इन्द्र की पूजा करते हैं और समझते हैं कि इन्द्र की पूजा करने से वर्षा होगी। वर्षा तो उससे होती नहीं है और उनकी पूजा यूं ही रह जाती है। इस विज्ञान के जमाने में जब इंसान चांद पर जा रहे हैं और इसमें एक से एक चमत्कारी काम हो रहे हैं तो ऐसे में हमारी जमीन प्यास से तड़प रही हैं, हमारे इन्सान प्यास से तड़प रहे हैं। हम पिछले 40-42 सालों से लोगों को पीने का पानी नहीं दे सके हैं। इसमें हम सबको मिल कर सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि हम यह क्यों नहीं दे सके हैं। तब जाकर कुछ काम होगा।

कीमतों के बारे में मैं कह रहा था कि कुछ चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है। हमने सपोर्ट प्राइस कई चीजों के तय कर दिए हैं। जहां भाव नीचे जाने लगेगा वहां सरकार पहुंच जायेगी खरीदने के लिए ताकि किसानों को घाटा न हो। इसका शत-प्रतिशत खर्चा भारत सरकार वहन करेगी। एक और काम जिसको हमने किया है वह है इन्टरवेंन्शन इन मार्केट—जैसे आलू, प्याज और अंगूर का किया है। इन फसलों के भाव बहुत नीचे चले आते हैं। उसमें जो खर्चा होगा और जो घाटा होगा उसके सैकड़े 50 भारत सरकार देगी और सैकड़े 50 राज्य सरकार देंगे। जैसे कि अंगूर का मामला है। अंगूर की खेती हरियाणा और पंजाब में जबरदस्त होती है। हमारे माननीय सदस्य भजन लाल जी को इसकी पूरी जानकारी और अनुभव है। उसके दाम नीचे गिर जाते हैं। दो रुपए और ढाई रुपए किलो तक चले आते हैं। जब वह इतने तक चले आते हैं तो किसानों को चिन्ता होती है और वह सोचने लगता है कि इसको पैदा ही क्यों किया जाए। ऐसे में उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता। हमारी सरकार ने कहा कि ऐसे में हम मार्केटिंग इन्टर-वेंन्शन करेंगे। हम यह नहीं कहते हैं कि हमने सारा मामला हल कर दिया और हम यह भी नहीं कहते कि किसानों का जो खर्चा होता है वह पूरा हम दे रहे हैं। हम यह कहते हैं कि हमारी तबीयत और इच्छा जरूर इस बात को करने की है। हम कदम इस दिशा में उठा रहे हैं। लेकिन हमें इसमें आपका सहयोग और मदद चाहिए ताकि उस दिशा में बढ़ते रहें। हम चाहते हैं कि एक भी किसान इस देश में ऐसा न दिखाई पड़े जो यह कहे कि हमें हमारी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

5.53 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में जैसे पानी की कमी के कारण मामला बिगड़ रहा है वैसे ही बिजली के कारण बिगड़ रहा है · अभी जब कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे हमारे यहा 4-5 घंटा बिजली मिलती है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि करीब-करीब 4-5 घंटा भी बिजली कम नहीं है। बिहार में तो एक महीने में दो घंटा भी बिजली नहीं मिल रही है। अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनको महीने में दो घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। हफ्ता और दिन की बात जाने दें। ऐसे में किसान बैठा रहता है और उसके आदमी बैठे रहते हैं। यही देखते रहते है कि अब बिजली आयेंगी, अब बिजली आएगी। वे पम्प के पास बैठे रहते हैं। मजदूर बैठ रहते हैं लेकिन बिजली नहीं आती है। फसल सूख जाती है और लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि वह फसल बीमा करेगी। यह फैसला पहले से ही हुआ है। फसल बीमा में बीमा से जितना पैसा आया है उससे कई गुना ज्यादा भुगतान हम कर चुके है और वह हम आगे भी करते रहेंगे। उसमें कमी नहीं आने देंगे। मैं विशेष रूप से भजन लाल जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो कुछ किया है, उसको हम और आगे ले जायेंगे लेकिन वहां आपने छोड़ दिया है, जहां आपकी नजर नहीं गई, वहां हम अपनी नजर ले जायेंगे। और करेंगे, मैं यही कहना चाहूंगा।

**श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला)** : मैं सेब के बारे में जानना चाहता हूं। आपने समर्थन मूल्य की बात की है, आपने अगूर के बारे में कहा है और चीजों के बारे में कहा है तो हिमाचल प्रदेश में जो सेब की प्राब्लम है, उसके समर्थन मूल्य के बारे में आप सोचेंगे ?

**श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा)** : कृषि मंत्री जी अंगूर को आप खरीदेंगे लेकिन खरीदने के बाद उसका उपयोग क्या होगा। सेवा तो कोल्ड स्टोरेज में महीने दो महीने रह सकता है लेकिन अंगूर जैसी चीज 4-5 दिन में ही समाप्त हो जायेगी, उसका क्या होगा। देश को बर्बाद ही करेंगे।···(**व्यवधान**)···माननीय मंत्री जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, दारू बेचने की बात।

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : अंगूर सस्ता आएगा तो कहां जाएगा, तुरन्त बिक जाएगा। ढाई रुपए में आएगा तो 5 रुपए में बिक जाएगा, जहां 14 रुपए बिक रहा है, इसमें कोई प्राब्लम नहीं है। प्राब्लम भी हो तो भी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको करना पड़ेगा। अभी हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य ने कहा और सही कहा। इस पर भी हमारी बातें हुई है, आफिसरों से और मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश जो सेब प्रदेश के नाम से जाना जाता है, एप्पल स्टेट जिसे कहते हैं, जितना प्रोडक्शन होता है, हम उस पर भी सोच रहे है, अभी हमने कोई अन्तिम फैसला नहीं लिया। मैंने शुरू किया है, अभी हमारी शुरूआत है···

[अनुवाद]

**प्रो० एन०जी० रंगा (गुन्टूर)** : जहां तक फसल बीमा का सम्बन्ध है, यह सुविधा केवल मंडलों में ही उपलब्ध होती थी। क्या इन्हें गांवों तक बढ़ाया गया है ?

[हिन्दी]

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतिश कुमार) :** वह पहले की तरह ही है।

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** नहीं, वह तो मैंने बताया कि फसल बीमे को जो योजना पहले से चल रही है, उसी को हम चला रहे हैं और उसको हम चलाएंगे। उसमें कुछ और सुधार करना होगा तो सोचेंगे लेकिन हम उसको अच्छा मानते हैं, इसीलिए हम चला रहे हैं ··

**डा० खुशाल परसराम बोपचे (भन्डारा) :** अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह बात कही कि पहले से जो फसल बीमा योजना चलती आई थी उसे ही चलाएंगे। वह तो इतनी दोषपूर्ण है कि उसमें फसल का बीमा नहीं होता, खाली कर्जे की रकम का बीमा होता है, उसमें भी तीन साल की एवरेज फसल निकाली जाती है, उसके बाद कर्जे के बीमा की रकम दी जाती है। बीमा कम्पनी यह तो नहीं कहती कि आदमी तीन बार मरेगा तो उसको पैसा दिया जायेगा। वर्तमान फसल बीमा योजना बहुत ही दोषपूर्ण है इसलिए उसको पूर्णतया बदलना पड़ेगा और किसान को पूरा मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा।

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** मैंने कहा है कि उसमें जो सुधार की आवश्यकता होगी, वहां सुधार भी करेंगे। खाद के बारे में कहा गया कि खाद की कमी है, खाद की बहुत कमी है क्योंकि खाद के कई कारखाने बन्द हैं और खाद के कुछ कारखाने घाटे में चल रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन कारखानों को लो और चलाओ। उनका कहना सही है किन्तु यह जानकारी मैं उन्हें देना चाहता हूं कि तीन कारखानों के बारे में हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, उन तीनों कारखानों का पुनरूद्धार करने की बात हम सोच रहे हैं। उसकी रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ तीन कारखान हैं जिनका पुनरूद्धार करना है उस के आगे हम नहीं लेंगे, यह हम नहीं कहना चाहते हैं।

एक बात भजन लाल जी ने बड़े जोर से कही कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन गारण्टी कार्यक्रम में तो कुछ पैसा नहीं जा रहा है। बात सही है लेकिन यह मैंने नहीं किया, जब श्री भजन लाल जी कृषि मंत्री थे तो उन्होंने ही दोनों कार्यक्रमों को मिला डाला और जवाहर योजना कार्यक्रम में बदल दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो किया उसको मैं चला रहा हूं। आपने जो पैदा किया यह सरकार उसका पालन कर रही है। आप अगर भूल रहे हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है। आपने ही तो दोनों को मिलाया है।

८.00 म० प०

मैं जवाहर रोजगार योजना के बारे में यह भी कहना चाहता हूं ··(व्यवधान) · मैं यह भी कहना चाहता हूं जवाहर रोजगार योजना के बारे में कि अखबारों में छाप दिया गया कि इसमें 50 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। बात यह नहीं है, बात यह है कि जवाहर रोजगार योजना में 85 प्रतिशत रुपया खर्च हो गया और 93 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। अभी विभिन्न राज्यों से मार्च की रिपोर्ट आनी बाकी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसमें दस प्रतिशत मानव श्रम की बढ़ोतरी हुई है। जहां तक जवाहर रोजगार का सवाल है, उसमें कोई विशेष

हेर-फेर नहीं किया गया है। सिर्फ दो-तीन जगहों पर किया गया है, जैसे पहले रुपया सीधे जिला को दिया जाता था, हम राज्य सरकार के माध्यम से भेजते हैं। हम राज्य सरकारों की उपेक्षा करके नहीं चल सकते हैं। दूसरी बात जवाहर रोजगार योजना में यह थी कि पचास मजदूरी पर और पचास मैटीरियल पर खर्च करते थे, हमने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। हमने साठ मजदूरी पर कर दिया है और चालीस मैटीरियल पर कर दिया है। बस यही फर्क है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसको भी हम बढ़ाएंगे। हम जिस-जिस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उस ओर कदम बढ़ाएंगे और उससे अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तो ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम पर भी विचार कर रहे हैं और उसको हम 1990-91 में ही चालू कर देंगे, लेकिन पूरे देश में एक साथ चालू नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। हम चुने हुए जगहों पर चलाना चाहते हैं। चुने हुए जगहों में, जहां बेरीजगारी की समस्या है, भयावह समस्या है और सूखाग्रस्त इलाका है और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके हम चुने हुए जगहों पर इस योजना को चलाना चाहते हैं। जिस तरह की योजना महाराष्ट्र में चल रही है. आदर्श ग्रामीण योजना। रोजगार गारण्टी योजना चल रही है, उसी पैट्रन पर हम सारे देश में कुछ चुने हुए जिलों में चलाना चाहते हैं : (व्यवधान)

**श्री बाऊ दयाल जोशी** : सबसे बदतर पोजीशन राजस्थान में है, बेरोजगारी में और··· (व्यवधान)···

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेयजल की समस्या भी बहुत कठिन समस्या है। करीब सात हजार या छः हजार से अधिक इस देश में ऐसे गांव हैं, जो प्राब्लम विलेजेज माने जाते हैं। जहां पानी का स्रोत नहीं हैं, न जमीन के अन्दर और न एक किलोमीटर के अन्दर है। ऐसे विलेजेज जो कि प्राब्लम विलेजेज हैं, उन विलेजेज की समस्या को भी हम दो वर्ष में खत्म कर देना चाहते है। हम चाहते है कि हर गांव में आंशिक रूप से ही सही पानी पहुंच जाये। यह हमारा लक्ष्य है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत चर्चा असमानता की हुई और विषमता की हुई। बात सही है कि विषमता तो है, लेकिन उस का लेखा-जोखा क्या करें, हमारे बहुत से साथी और मित्र यहां बैठे हुए हैं, माननीय सदस्य जानते हैं कि कितनी विषमता है। पीने के पानी के बारे में तो भयंकर रूप से विषमता है। इसी दिल्ली में जहां प्रति व्यक्ति प्रति दिन 240 लीटर मिलता है और वहीं गांव में कहीं-कहीं तो दस-पन्द्रह लीटर पानी भी प्रतिदिन नहीं मिलता है। हम इस विषमता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हमारा सभी माननीय सदस्यों में निवेदन है कि वे हमें सहयोग करें, हमारी मदद करें और जो कटौती प्रस्ताव है वे कृपया वापिस ले लें। इसके बाद भी हमेशा जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे, हम उन पर विचार करेंगे। विचार करूंगा, विचार करता रहूंगा और उनसे सीधे लाभ उठाता रहूंगा। आपके अनुभव से लाभान्वित होता रहूंगा।

अन्त में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस देश में जमीन कम है, आदमी ज्यादा है। हम इस देश को सही मायनों में कृषि के मामले में ऐसा बना देना चाहते हैं, यहां इतना पैदा कर देना चाहते है कि यह दुनिया के रंगमंच पर यह खड़ा हो जाए।

अन्त में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन अनुदान मांगों को पारित करें।

[अनुवाद]

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब देते समय किसानों की सिंचाई के पानी की समस्या के सम्बन्ध में उल्लेख किया था। उनकी एक और समस्या है तो मैं सोचता हूं कि उन्हें उसका भी उल्लेख करना चाहिए था परन्तु उन्होंने पर्याप्त गम्भीरता नहीं दिखायी। सिंचाई तो गड़ी दूर की बात है पेयजल के सम्बन्ध में क्या विचार है ? मेरे जिले में उनकी केवल सिंचाई की, जो सोने से अधिक महंगी है, समस्या ही नहीं है बल्कि आज पेयजल की भी समस्या है। मिनी मिशन के अन्तर्गत पेयजल के लिए 7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। परन्तु सलेम जिले तक केवल 1.30 करोड़ रुपये पहुंचे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी जांच की जाए। भाषण के समय भी मैंने इसके बारे में उल्लेख किया था। मैं इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

दूसरे, मैं समझता हूं कि जब श्री देवी लाल जी चीन गए थे तो उन्होंने छोटी जाति के लिए 12 अश्वशक्ति के एक इंजन वाले छोटे ट्रैक्टर को पसन्द किया था। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि भारत में ऐसे ट्रैक्टरों का निर्माण बीस वर्षों से विचाराधीन है ? आप चीन जाते हैं और इन्हें पसन्द करते हैं तो आप इन्हें भारत में विकसित करने का प्रयास क्यों नहीं करते ? यदि आप इसे वास्तविक रूप से पसन्द करते हैं तो आप इसके निर्माण के लिए छोटे उद्यमियों को अवसर प्रदान क्यों नहीं करते ?

**प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा)** : मैं केवल दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहला जो मेरे साथी श्री कुमारमंगलम ने छोटे ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में मांगा है। श्री देवी लाल चीन गए और 12 अश्वशक्ति के छोटे ट्रैक्टरों को पसंद किया। यह सच है कि हमारे देश में भी छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया है। इनका निर्माण कलकत्ता में होता था। इसकी जांच की जानी चाहिए। ये भारत में पहले भी अस्तित्व में रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस पर विचार करेंगे कि इस स्वदेशी ट्रैक्टर का परीक्षण किया जाए।

दूसरे, एक से अधिक सदस्य ने नारियल के समर्थन मूल्य का, जिसका आपने अपने जवाब में कोई उल्लेख नहीं किया, उल्लेख किया है। नारियल केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा लगभग सभी तटीय राज्यों में पैदा होता है। इसका समर्थन मूल्य बहुत कम है। कुछ सदस्यों ने इसका उल्लेख भी किया है। आपने बहुत कम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। यह मूल्य लाभकारी नहीं है इसलिए किसान इसे कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहता हूं··· (व्यवधान)

6.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

**श्री बाबूभाई मेघजी शाह (कच्छ)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि फसल के भाव जो गिर जाते हैं तो उसके लिए मार्केट इन्टरवेंशन के जरिए से फसल खरीदी

जाती है—जैसे ओनियन है, अंगूर है, पोटेटो है। वैसे एडीबल आयल में जो मार्केट इन्टरवेंशन हुआ है उसमें आयलसीड किसानों से सीधे नहीं खरीदा गया क्या आयलसीड और आयलसीड के प्रोडेक्ट किसानों से खरीदे जाने का नजरिया अपनायेंगे या नहीं, इसको स्पष्ट करें ?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आये दिन, कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन समाचार पत्रों में यह खबर न छपती हो पेस्टीसाईड बड़ी भारी मात्रा में नकली बिकता है। दूसरे सारे हिन्दुस्तान में नकली और घटिया बीजों का अम्बार आया हुआ है जिनके कारण किसानों की कमर टूट जाती है।

हिन्दुस्तान में नकली दवाइयों और घटिया किस्म के बीजों की जो बाढ़ आई हुई है, इन चीजों को बेचने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए क्या कोई नया कानून लाने पर विचार किया जा रहा है, कृपया मंत्री महोदय स्पष्ट करने का कष्ट करें।

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अहमदाबाद जिले से आता हूं। इस क्षेत्र में सूखे के साथ-साथ समुद्र का खारापन जमीन के नीचे-नीचे होता हुआ खेतों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से किसान द्वारा बोया गया बीज उगता नहीं है और जल जाता है। उस क्षेत्र में कुछ फसलों पर ही फसल बीमा योजना लागू की गई है, मेरा निवेदन है कि वहां की परिस्थितियों को देखते हुए सारी फसलों को बीमा योजना के तहत लिया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि किसान को तो फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा कुछ न कुछ मिल जाता है, लेकिन जो फसल बोता है, वह मजदूर जब जहरीले कीड़ों के काटने से या जहरीली दवायें छिड़कते हुए उनके असर से मर जाता है, उसको मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसके लिए भी कोई बीमा योजना लागू की जानी चाहिए।

**श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत)** : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा-पंजाब में 1887 का 104 साल पुराना एक्ट चल रहा है, जिसको धारा 67-68-69 के तहत जमीनें अधिगृहित की जाती हैं। किसानों के कर्ज के बदले में यह काम होता है। नियमानुसार जमीन के लिए लिए गए कर्ज के एवज में जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिए, अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आज 10 हजार कर्ज माफी की बात कही जा रही है, लेकिन अगर 2 अक्तूबर 1987 की तारीख रखी जाती है तो इससे किसानों को एक पैसे का भी लाभ नहीं होगा, आप तो 10000 की बात कह रहे हैं। इसके सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है।

**श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का मशकूर हूं कि उन्होंने सिंचाई योजनाओं के बारे में कहा और पीने के पानी के बारे में भी कहा। इस बारे में एक मील के डिस्टेंस की बात मंत्री महोदय ने कही है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में एक मील की दूरी बहुत होती है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या मंत्री महोदय कोई सर्वे कराएंगे, जिससे ऊपर की जमीनों में सिंचाई की व्यवस्था हो सके। कोई लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के बारे में भी विचार किया जाएगा या नहीं, इस बारे में मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

[श्री के०डी० सुल्तानपुरी]

इसी तरह से मंत्री महोदय ने समर्थन मूल्य की बात कही है। किसानों को सब चीजों का समर्थन मूल्य देने की बात मंत्री जी ने कही है, अंगूर और कोकोनट को भी समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जो सेब उत्पादक क्षेत्र हैं, वहां के लिए सेब को आप समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और इसके साथ-साथ प्लम और जो दूसरे स्टोन फ्रूट्स हैं, उनका समर्थन मूल्य देने पर भी क्या विचार कर रहे हैं ?

**कुमारी उमा भारती (खजुराहो)** : मैं मंत्री महोदय से 2 सवाल करना चाहती हूं। एक तो यह कि ओलावृष्टि से जहां फसल को क्षति होती है, वहां पर दी जाने वाली मुआवजा राशि मजाक उड़ाने वाली राशि होती है, बहुत साल पहले से वही राशि चली आ रही है, मुझे लगता है कि 30-40 साल से चली आ रही है। क्या इस राशि मे कुछ परिवर्तन करने का विचार है या नहीं ? दूसरी बात यह कि मंत्री महोदय ने कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व मंत्री जी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने जो काम शुरू किए है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, तो क्या भ्रष्टाचार को भी उसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मंत्री महोदय स्पष्ट करने का कष्ट करें, क्योंकि उनकी यह बात सुनकर हम लोग बहुत डर गए हैं।

[अनुवाद]

**प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर)** : मैं सरकार की इस भावना की, जो उसने मंत्रिमंडल के दूसरे महत्वपूर्ण मंत्री अर्थात उप प्रधानमंत्री को कृषि मंत्रालय का कार्य-भार सौंपने में व्यक्त की है, प्रशंसा करता हूं। मैं इसे पहले ही व्यक्त कर चुका हूं परन्तु आज इसे निश्चित करना चाहता हूं। यदि वह आज उपस्थित होते तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होती। दुर्भाग्यवश वह अभी स्वस्थ प्रतीत नहीं होते हैं। मैं अपने साथियों की ओर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं ताकि वह मंत्रालय के सभी साथियों विशेषतः सरकार का सक्रिय प्रभावशाली नेतृत्व कर सकें। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय साथी सम्बन्धित मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि फसल बीमा के अन्तर्गत केवल सहकारी सोसाइटियों से ऋण लेने वाले किसानों को ही नहीं बल्कि सभी उत्पादकों को चाहे वे कोई भी फसल उगाते हैं, सम्मिलित किया जाए तथा मंडल या आधे मंडल के बजाए, जैसा कि महाराष्ट्र में किया जा रहा है, कम से कम गांवों के आधार पर शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

**श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़)** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खेती के बारे में बहुत अच्छा भाषण दिया। लेकिन जो मूल समस्या है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं जानना चाहता हूं कि जो खेती करने वाले लोग हैं उनके पास जमीन नहीं है। केवल 10 प्रतिशत लोगों के पास खेती लायक बहुत जमीन है, क्या सरकार की ऐसी योजना है कि लैण्ड रिफार्म बना कर जो लोग खेती नहीं करते हैं उनके हाथों से जमीन छीन ली जाए। जहां तक मेरी जानकारी है जितनी भूमि में खेती होती है उससे दुगुनी जमीन बंजर है। क्या ऐसी कोई योजना है कि जो खेती करने वाले लोग हैं उनके हाथों म जमीन दे दी जाएगी। को-आपरेटिव सिस्टम बनाकर

यदि उनके हाथों में जमीन नहीं दी जाएगी तो मेरे ख्याल में खेती का विकास नहीं हो सकता। इसके बारे में मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बारे में कुछ बतायें।

**श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल** (राजगढ़) : मैं एक मूलभूत समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार देश में खेती की जमीन की लगातार बटवार होते रहने के कारण घाटे की जोत होती जा रही है। परिणाम यह हो रहा है कि खेती धीरे-धीरे घाटे का काम बनता जा रहा है, व्यवसाय बनता जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यासरकार के पास ऐसी योजना है जिसके तहत् इस घ टे की जोत को रोकने की व्यवस्था की जाए ताकि खेती लाभप्रद कार्य बन सके ?

**श्री जोरावर राम** (पलामाऊ) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि बिहार में तीन-चार वर्ष से बिजली आती है। दर्शन देने के लिए बिजली आती है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते।

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा था। हमारे मित्रों ने इस बारे में स्पष्ट किया था कि जो ऋणी है, जिन्होंने कर्जा लिया है, अभी हमारी योजना उन्हीं की फसल का बीमा करने की है। हमारे कुछ साथियों ने, कुमार मंगलम साहब ने सवाल उठाया, हो सकता है आपको घर जाते-जाते हमारा जवाब पहुंच जाए। आपने जो मांगा है, इसी महीने में हमने वह रिलीज कर दिया है लेकिन कठिनाई यह है कि राज्य सरकार को जो पहले दिया गया है उसका ब्यौरा नहीं आया। बहुत जगहों से ब्यौरा नहीं आया, इसलिए दिक्कत हो रही है।

जहां तक ड्रिंकिंग वाटर प्रोब्लम का सवाल है, उसमें हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। यदि किसी भी माननीय सदस्य को कोई कठिनाई हो तो वह कृपया मुझे लिख कर भेजे, मैं तुरन्त इस पर कार्यवाही करूंगा। एक और माननीय सदस्य ने कहा कि जमीन जोतने वालों के पास जमीन नहीं है। जमीन के मालिक वे हैं जो हल को छूना भी पाप समझते हैं। लैण्ड टू दी टिलर का नारा पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से आ रहा है।

लेकिन उसमें कहां तक सफलता मिली है पूरा ब्यौरे वार नहीं कहा जा सकता, मगर इतना स्पष्ट है कि उसमें सफलता नहीं मिली है, मामले ने थोड़ा रास्ता जरूर पकड़ा है जो लैंड टू टिलर्स स्लोगन है, वह सही है। जिसके हाथ में किताब है और किताब पढ़ना नहीं जानता वह क्या करेगा। यह बिलकुल सही है कि जिसके बाजू में खेती करने की ताकत है यदि देश की सारी जमीन उसे सौंप दी जाए तो पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अभी इसके लिए कुछ करना होगा। यह बिलकुल साफ है कि उत्पादन बढ़ाना ही नहीं सामाजिक न्याय भी साथ देना है। सामाजिक न्याय और ज्यादा पैदावार को लेकर चलेंगे तो कहीं मामला रास्ते में आ सकता है, ऐसे में नहीं आ सकता है। मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा जिन माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और मैं यह भी कहूंगा कि आप और सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है और उन सुझावों का मैं आपको जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 5 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें**

| मांग की संख्या और नाम | 28 मार्च, 1990 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि | | सदन द्वारा स्वीकृति अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | | 4 | |
| | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए | राजस्व रुपए | पूंजी रुपए |
| **कृषि मंत्रालय** | | | | |
| 1. कृषि | 376,74,00,000 | 3,11,00,000 | 1130,21,00,000 | 9,33,00,000 |
| 2. कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं | 96,22,00,000 | 47,63,00,000 | 288,68,00,000 | 142,90,00,000 |
| 3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग | 81,75,00,000 | — | 245,25,00,000 | — |
| 4. ग्रामीण विकास विभाग | 1898,45,00,000 | 7,00,000 | 1244,16,00,000 | 23,00,000 |
| 5. उर्वरक विभाग | 1320,78,00,000 | 33,86,00,000 | 3962,34,00,000 | 101,58,00,000 |

6.22 म०प०

# आधे घण्टे की चर्चा

## बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखा प्रवण जिले

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करते हैं। कुमारी उमा भारती बुन्देलखंड क्षेत्र में सूखा प्रवण जिलों के सम्बन्ध में 29 मार्च, 199 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2807 के उत्तर से उत्पन्न बातों पर चर्चा उठाएंगी।

[हिन्दी]

**कुमारी उमा भारती (खजुराहो)** : सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे आधा घंटा की चर्चा की मांग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लगातार शून्य काल में बुंदेलखण्ड के सूखे के बारे में मैंने आवाज उठाई, लेकिन मुझे आज तक उसका कोई उत्तर मंत्री महोदय से नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक बार मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया था जो कि अतारांकित प्रश्नों में शामिल हो गया। इस सम्बन्ध में मुझे कृषि मंत्री महोदय से और उनके मंत्रालय से शिकायत भी है कि जो मैंने प्रश्न किया मुझे उसका उत्तर बिलकुल अजीब सा मिला। मैंने सवाल किया था कि बुन्देलखंड क्षेत्र में कितने जिले हैं जो सूखे से पीड़ित हैं उसके सम्बन्ध में कृषि मंत्री महोदय का ध्यान अपनी ओर चाहती हूं उसके सम्बन्ध में जो मुझे उत्तर मिला मंत्रालय से उसको पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृषि मंत्रालय की जानकारी के अनुसार बुंदेलखण्ड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के ही जिले आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के जिले उसमें शामिल हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र का जो सेंटर है वह एक प्रकार से मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ है। लेकिन उसकी चर्चा नहीं की गई। तब मुझे लगा कि मुझे इस बात को आधा घंटा की चर्चा के माध्यम से सदन के सामने रखना चाहिए और बुंदेलखंड में सूखे की जो व्यथा है उसको यहां पर बताना चाहिए। इस समय देश के कई प्रदेशों में सूखा है और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में है। मैं थोड़ा सा अपने विषय से परे होकर उल्लेख करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के सूखे को देखते हुए वहां की सरकार ने 80 करोड़ रुपये की मांग की थी, उसकी जगह पर 37 करोड़ रुपये दिए गये। मध्य प्रदेश में सूखा लगभग सभी हिस्सों में है, लेकिन हमारे यहां अधिक है।

आज बुन्देलखण्ड में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के जिले भी आते हैं। वहां पर सूखे की स्थिति वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण भयावह हो जाती है, जिसका जिक्र मैं यहां पर करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय के समक्ष वहाँ के सूखे की स्थिति को उठाने से पहले और वहां पर सूखे का जो हाल है, उस विषय को उठाने से पहले उस क्षेत्र की कुछ त्रासदी का वर्णन करना चाहती हूं। बुन्देलखण्ड अपने आप में एक अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। यदि वहां देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। उस क्षेत्र में तुलसीदास, चेतक जैसे कवि हुए, छत्रसाल जैसे वीर, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनायें और मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवि, श्री वृन्दावन लाल वर्मा जैसे साहित्यकार की कमी नहीं रही है। नदियों की कमी भी नहीं रही है। ऊर, केन जैसी नदियां वहां रही है। वहां पर खदानों की तरह-तरह की सम्पदायें है। पन्ना की खदानों में आज भी हीरे मिलते हैं। मां की कोख से भी हीरे निकलते हैं यानी कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी आज तक यह क्षेत्र अभागा रहा और उसका कारण यह है कि वहां से

[कुमारी उमा भारती]

कोई व्यक्ति कभी भी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में नहीं रहा और न ही उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। इसलिए उस अभागे क्षेत्र पर किसी भी व्यक्ति की नजर नहीं पड़ी। खनिज सम्पदाओं से भरपूर होते हुए भी उस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं रहा, नदियां इतनी हैं लेकिन वहां कोई भी कभी बांध नहीं बन पाया और आज उस क्षेत्र में सूखे की ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि मुझे एक शेर याद आता है :

पण्डित तू तो बोला था पाषाण बदल जाएगा,

और मुल्ला तू भी बोला था रहमान बदल जाएगा,

अब भी अवसर है समझ ले, वर्ना तेरे ईश और अल्लाह को

भूखा इनसान निगल जाएगा।।

तो आज उस क्षेत्र की यही स्थिति होने वाली है। मैंने जो आपके सामने जिक्र किया कि मध्यप्रदेश में सूखा लगभग हर जगह पर पड़ रहा है और देश के कई प्रदेशों में भी पड़ रहा है परन्तु उस क्षेत्र की स्थिति अधिक भयावह इसलिए हो जाती है कि वहां की परिस्थितियां कुछ अलग किस्म की हैं। मुझे लगता है कि बुन्देलखण्ड के जो जिले इसमें आते हैं, उसकी जानकारी कृषि मन्त्री के मन्त्रालय को भी नहीं है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर, बांदा, जालौन और ललितपुर जिले आते हैं और मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर जिले आते हैं। इन जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वर्ग के लोग वही हैं जब भू-सुधार कानून बना तब भू-आवंटन का लाभ इन भूमिहीन लोगों को नहीं मिला। वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इन भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल पायी। वहां पर बड़े-बड़े सामन्ती लोगो ने बड़े जमींदारों ने येन-केन प्रकारेण अपनी बहुओं, अपने बेटों, अपने नाती-पोतों के नाम जमीन करवा ली। इस कारण से यह स्थिति बनी हुई है। वहां पर ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों को जमीन नहीं मिली है और वे लोग पढ़े-लिखे भी नहीं हैं। इसलिए उनको मजदूरी के लिए खेतों में फसल की बोआई का काम, सिंचाई का काम या कटाई का काम करना पड़ता है और एवज में उनको क्या मिलता है ? उनका उससे पेट भी नहीं भरता है। लगातार सूखा पड़ने के कारण स्थिति यह हुई कि उनको काम भी खेतों में नहीं मिला और जब काम नहीं मिला तो वे पलायन कर गये। कुछ पंजाब चले गये। कुछ कलकत्ता और कुछ दिल्ली चले गए। मैं पंजाब में कुछ ऐसे लोगों से मिली और उनसे पूछा कि यहां तो सबको जान का खतरा है लेकिन उनका यह कहना था कि यदि यहां मरेंगे, तो भूखों पेट तो नहीं मरना पड़ेगा। यह स्थिति आज हो रही है। अखबारों मे लगातार यह पढ़ने को मिलता है कि उपरोक्त क्षेत्र में पहले डकैतों की समस्या रही है और अब पुनः पनपने वाली है क्योंकि वहां लगातार सूखा पड़ रहा है और वहां के नौजवान उस लगातार पड़ने वाले सूखे से कुंठित हो जाते हैं।

इसके सिवा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि वे अपराध करने की ओर मुड़ जायें। जो लोग मजदूरी करने के लिए उस क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते, पारिवारिक

परिस्थितियों के कारण, वे अन्त में अपराध प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो गए, जो पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस समय हो भी रहा है। इसलिए वहाँ जो सूखे की स्थिति है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा भयावह हो गयी है क्योंकि वहां पर बड़ी सख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास खेतों में मजदूरी करने के अलावा अपना पेट भरने के लिए अन्य कोई साधन मोजूद नहीं है। जब उन्हें कोई साधन नहीं मिलेगा तो वे अपने गाँव से पलायन करने पर विवश हो जायेंगे। लगातार तीन सालों से वहां सूखा पड़ता आ रहा है और यह चोथी साल सूखे की है। इस स्थिति के कारण कई लोग जो गांव छोड़कर मजदूरी के लिए देश के दूसरे हिस्सों में चले गए थे, आज तक अपने गाँव वापस नहीं आए हैं। इस तरह उस क्षेत्र में गाँव के गाँव उजड़ते चले जा रहे हैं, खण्डहर बनते जा रहे हैं। स्थिति आगे चलकर और भी खराब होने वाली है। हमने लगातार प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर खीचने का प्रयत्न किया, पिछली कांग्रेस सरकार का ध्यान भी इस ओर खींचा और वर्तमान समय में जो वहाँ सरकार है, उसका ध्यान भी आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी हम समय-समय पर आकर्षित कराते रहे हैं, परन्तु ऐसा लगता है कि किसी ने इस समस्या को ज्यादा महत्त्व नहीं दिया। इसका कारण यह है कि वह क्षेत्र अभी तक गूंगा है। वहां सब तरह की सुविधाएं होते हुए भी, उसकी आवाज लगाने वाला यहां कोई नहीं रहा, यही वजह है कि लोगों को वहां सब तरह की तकलीफें सहनी पड़ रही हैं और तकलीफों के होते हुए भी वे अपनी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंचा पाए। भारत में कुछ समय पहले एक विदेशी व्यक्ति घूमने के उद्देश्य से आए। उन्होंने यहाँ भ्रमण करने के बाद, वापस जाते समय, हिन्दुस्तान के बारे में यह राय दी कि "इण्डिया इज ए रिच कन्ट्री व्हेयर पूअर प्यूपल लिव" यानी हिन्दुस्तान एक ऐसा अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। हिन्दुस्तान में अमीरी तो है लेकिन आर्थिक विषमता के कारण अधिकतर लोग गरीब हैं। यही स्थिति उस क्षेत्र की है। एक तो हर गाँव में वहां कोई न कोई भूतपूर्व राजा, महाराजा या जमींदार जरूर है, जिसके पास 300 या 400 एकड़ जमीन है। सारे नियम, कानूनों को ताक पर रखकर उसने जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। उस जमीन को उसने अपने नोकरों और दासों के नाम कर रखा है और उस जमीन से सम्बन्धित पट्टे अपने घर में रखे हुए है ताकि किसी तरह बाद मे वे उन जमीनों पर अपना कब्जा न दिखा सकें। इस तरह वहाँ रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ें तबके के जितने लोग हैं, वनवासी और आदिवासी लोग हैं, उन सबका शोषण हो रहा है मैं आपको बताऊं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अभी तक सच्चे मानों में आजादी नहीं आयी है और इसके आने में अभी समय लगेगा। जब मुझसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि मैं राजनीति में क्यों हूं; मुझ जैसे व्यक्ति को तो प्रवचन करने में ज्यादा रुचि है, उसका उत्तर यह है कि मेरे जैसे लोग राजनीति में इसीलिए आए हैं क्योंकि उस क्षेत्र के साथ सदा से अन्याय होता आया है, उसकी आवाज यहाँ तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही हम यहाँ आए हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए अयोध्या जी में बनने वाले श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के प्रति जितना लगाव है, बुन्देल खण्ड क्षेत्र में रहने वाले गरीब किसानों, सूखे के कारण उजड़ने वाले और झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के प्रति उससे कहीं अधिक महत्व है। हमें उनकी भी चिन्ता है कि उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। हमारा दायित्व है कि उनकी समस्याओं की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए। वहाँ छतरपुर और बांदा जिलों के बीच में केन नाम की एक नदी बहती है। उस पर जो बृहद् केन बहुदेश्यीय परियोजना के अन्तर्गत बाँध बन

[कुमारी उमा भारती]

रहा था, यदि वह पूरा हो जाता तो आज वहाँ भीषण सूखे की स्थिति न बनती। लेकिन पर्यावरण के मामले में अनुकूल रिपोर्ट न आने से उस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। यह भी सुनने में आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश सरकार दोनों के बीच किसी विवाद को लेकर इस योजना के काम को उलझाए रखा गया, अन्यथा उस वृहद केन परियोजना का लाभ छतरपुर जिले को भी मिला होता, बाँदा जिले को भी मिला होता। पन्ना जिले को भी मिला होता और हमीरपुर जिले को भी मिला होता। आज वह योजना ठण्डे बस्ते में पड़ गयी है। यदि वह योजना बन गयी होती तो आज ललितपुर जिला भी सूखे की चपेट में न आया होता। इसके अलावा हमारे यहां बेतवा नदी के ऊपर जो ओरछा योजना थी, उस योजना के लिए भी चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति नहीं मिल पायी, मैं यहाँ स्वीकृति की बात नहीं कर रही हूं, सहमति नहीं मिल पायी, इसलिए उसका काम भी अधूरा ही रह गया। यदि वह योजना पूरी हो गयी होती; जिसका सर्वे भी हो चुका था, तो निश्चित तौर से आज छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर और झाँसी आदि जिलों में सूखे की समस्या उत्पन्न न हुई होती। उसी तरह हमारे यहाँ धसान नदी पर बनने वाले सुजारा बाँध की योजना भी ठण्डे बस्ते में पड़ गयी। यदि वह योजना भी सफल हो गयी होती तो भी टीकमगढ़, छतरपुर आदि जिलों को आज सूखे की स्थिति का सामना न करना पड़ता। इसलिए मैं मानती हुं कि यद्यपि प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ सूखा पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ प्राकृतिक विपत्ति ही नहीं है, बल्कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों की पूरी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। वहाँ के जो अभी तक के जन-प्रतिनिधि रहे हैं, उनकी लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी है। मैं कल वहीं से लौटी हूं। वहाँ हजारों की संख्या में पशु मरने लग गए हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपको निवेदन करूं, उन जिलों से सूखे के कारण, भूख से मरने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तो पशु मरने शुरू हुए हैं। जब मैं जापान गई थी हिरोशिमा और नागासाकी की स्थिति को देखने के लिए, तो जब मैं वहाँ थी, तो मेरे सामने एक व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की गई। जब मैंने इस बारे में पूछा कि इस व्यक्ति के मरने की रिपोर्ट क्यों दर्ज की गई, तो मुझे बताया गया कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, उस समय यह पेट में था, उस वक्त इस पर उस विस्फोट का असर हुआ था, जिसके कारण अब इसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए यह रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि जब बुन्देलखण्ड में अब सूखा पड़ रहा है, भले ही उसके कारण आज आदमी नहीं मर रहे हैं, लेकिन भोजन की कमी के कारण, दूध की कमी के कारण और कुपोषण के कारण बाद में लोग मरेंगे। इसी सूखे के परिणामस्वरूप लोग बाद में मरेंगे। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि अभी वहाँ आदमी नहीं मरे हैं, इसलिए सरकार का ध्यान वहां नहीं जा रहा है। जब लोग मर जाएंगे तब सरकार का और मुख्यमन्त्री का ध्यान उस तरफ जाएगा। अभी तो वहाँ पर केवल पशु ही मर रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि उस क्षेत्र से पंजाब में मजदूरी करने क्यों लोग जाते हैं? उसका कारण यही सूखा है। यदि वहाँ सूखा नहीं पड़ता, वहाँ लोगों को रोजी-रोटी मिलती, तो लोग पंजाब में क्यों जाते? मैं आपके समक्ष यह निवेदन भी करना चाहती हूं कि बुन्देलखण्ड से पंजाब गए लोग बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के आतंकवादियों की गोली का निशाना बने है। यदि वहाँ सूखा नहीं होता, तो इस

प्रकार की स्थिति नहीं होती और उनको अपने घर-परिवार से दूर इस तरह नौकरी न करनी पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि सरकार की नींद कब खुलेगी ? सरकार का ध्यान कब उस सूखा पीड़ित क्षेत्र की ओर जाने वाला है ? जो 37 करोड़ रुपया दिया गया है, मुझे मालूम है कि उसमें कितना रुपया हमारे जिलों को मिलने वाला है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र में जो सूखा पड़ रहा है उसके लिए 0 करोड़ रुपये से कम में काम चलने वाला नहीं है। इसके उपरान्त इस सूखे का स्थाई समाधान निकालना पड़ेगा। मैं जब छोटी थी 1964 में भयंकर सूखा पड़ा, जैसा अब है, मुझे मालूम है, जब मैं 4-5 साल की थी, मैंने स्वय अपने परिवार को देखा था कि उसने पेड़ की छाल खाकर गुजारा किया था। मुझे आशंका है कि कहीं फिर वही स्थिति न आ जाए ? जब भी वहां सूखा पड़ता है, हमेशा खराब हालत हो जाती है। महोदय, इसका मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है जिसके कारण वहां बारिश होने की संभावना क्षीण हो जाती है। अभी तक 40 साल से वहां पर जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं, वे सब वहां के जंगलों की सागौन की लकड़ी की अवैध कटाई करके, उसको भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलकर बेचने से आए पैसों को चुनाव में झोंक कर चुनाव लड़े हैं। वे उस लकड़ी को गरीबों के घरों में रखवा देते थे जिससे यदि पकड़े जायें, तो गरीब पकड़े जायें, उनके ऊपर कोई आंच न आए। जिन रास्तों से गुजरने में दिन में भी अंधेरा था, वे रास्ते जो जंगलों के पेड़ों से आच्छादित रहते थे, वे अवैध कटान के कारण साफ हो गए हैं। इसलिए वहां पर वृक्षारोपण करना और जंगलों को हरा-भरा करने की व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। वहां के लिए वृहद् केन बहुउद्देशीय परियोजना, धसान के ऊपर सुजरा बांध की योजना और बेतवा के ऊपर ओरछा बांध की योजनाओं को फिर से प्रारम्भ नहीं किया जाता तब तक यहां यही स्थिति बनी रहेगी, सूखा पड़ता रहेगा। जब-जब भी सूखा वहां पड़ेगा उससे सबसे ज्यादा पीड़ित बुंदेलखण्ड के लोग होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बुन्देलखण्ड में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीनें नहीं हैं और जो दूसरों की जमीनों पर काम करके अपना पेट भरते हैं या जिनके पास जमीनें हैं भी वे इतनी थोडी हैं कि उनसे उनका गुजारा चलता नहीं है। यदि एक साल सूखा पड़ जाए, तो उन जमीनों से इतना अन्न पैदा नहीं होता कि वे उसे दूसरे साल खा सकें। बुंदेलखण्ड के लोगों की जो यह हालत हुई है, वह पिछली केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की सरकारें थीं, उनके द्वारा उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं देने और पर्याप्त योजनायें न बनाने के कारण हुए परिणामों के कारण हुई है। उन सरकारों के कारण उन्हें खराब स्थिति को भुगतना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था खोखली है, उसका सन्तुलन ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं कि अब की बार उन जिले के लोगों ने संकल्प किया है कि अभी तो हम कह रहे हैं कि य योजनायें दीजिए, अगले साल हमारी भाषा बदल जाएगी, अगले साल हमारी भाषा होगी कि योजनायें हमें देनी पड़ेंगी, उन योजनाओं को लेने के लिए इस समय उन जिलों के लाखों लोग कटिबद्ध हैं नहीं तो वे जिले, जिनकी मैं चर्चा कर रही हूं, इसी प्रकार से शोषित और पीड़ित रह जायेंगे। मैंने जब इसका जिक्र यहां पर किया था, उसके बाद स्वयं मैंने कृषि मंत्री जो हमारे उप प्रधान मंत्री भी हैं, से मुलाकात की। मैंने उनके सामने उन जिलों की चर्चा की और

[कुमारी उमा भारती]

कहा कि यह समस्या बहुत गम्भीर है। मैंने उनको कहा था कि मुझे बताइए आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं? हैंडपम्प से वहां का समाधान होने वाला नहीं है क्योंकि जितनी भी योजनायें यहां से जाती हैं, वहां तक पहुंचती हैं वे योजनायें कागजों पर चढ़ा दी जाती हैं कि इतने हैंडपम्प लगाए गए, गांव में लगे या नहीं लगे, इसकी तरफ अधिकारियों की विषय सूची नहीं होती है, आंकड़ों में यह विषय सूची होती है। इस क्षेत्र में कुछ जिले तो ऐसे होंगे जैसे टीकमगढ़ जिला आप आश्चर्य करेंगे कि टीकमगढ़ जिला हिन्दुस्तान और मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जिसमें सात हजार कुयें और करीब छः सौ तालाब हैं। मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान के किसी भी छोटे जिले में इतनी बड़ी संख्या में न तो कुयें होंगे, न तालाब होंगे। इसके बाद भी वह जिला सबसे ज्यादा सूखे की चपेट में आ गया है। इसका कारण यह है कि कुओं की ठीक से मरम्मत नहीं हुई, तालाब की ठीक से मरम्मत नहीं हुई। अगर ढंग से ध्यान दिया गया होता, मरम्मत ठीक से की गई होती तो आज टीकमगढ़ जिले की यह हालत नहीं हुई होती।

छतरपुर जिले की हालत इसलिए खराब हो गई क्योंकि छतरपुर जिले में बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं और उनकी संख्या गांवों में इतनी ज्यादा है कि वे अपने आप को समझते ही नहीं हैं कि हम मनुष्य हैं, वे अपने आपको जीव जन्तु जैसा समझते हैं, उनके अन्दर की आत्मा मर गई है, लगातार सामन्तशाही के शोषण के कारण उनकी अन्तरात्मा मर गई है। आज अगर एक-आध कुयें में पानी है और दुर्भाग्य से वह कुआं सवर्णों की बस्ती में पड़ गया तो उनको वहां से पानी मिलने वाला नहीं है। वे कुयें में कीचड़ मिला हुआ, कीड़ों से मिला हुआ पानी पीने को विवश हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग उस क्षेत्र के लोगों को निवेदन भी कर चुके हैं कि केंचुए की जिन्दगी जीना बन्द करिए, इस तरह से आत्महीन, अस्तित्वहीन जिन्दगी जीना बन्द करिए लेकिन इस दृष्टि से उनको जगने में समय लगेगा. आज जो दंड वे भुगत रहे हैं उसके लिए मेरा आपके सामने निवेदन है, इसलिए मुझे इसका जिक्र आपके सामने करना पड़ा। कई लोगों ने इसकी शिकायत लगाई है कि सूखा तो पूरे देश में पड़ रह है, कई प्रदेशों में पड़ रहा है, फिर इस क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान क्यों? जैसा मैंने निवेदन किया कि इस क्षेत्र की परिस्थिति अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। इस क्षेत्र के साथ जो अन्याय हुआ है वैसा हिन्दुस्तान में शायद कहीं नहीं हुआ होगा। यहां कोई मुख्य मंत्री नहीं मिला, इस कारण से भी कोई ध्यान नहीं गया, मुख्य मंत्री अपने क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, केन्द्र में कोई मंत्री बैठे हों तो वह ज्यादा ध्यान देते हैं, जो इस क्षेत्र को मिले खासकर मध्य प्रदेश के हिस्से को, वे प्रायः गूंगे मिले, उन्होंने ढंग से यहां पर इसकी आवाज भी नहीं रखी, इसलिए वह हर तरह से उपेक्षित रह गया, वहां रेलवे लाइन नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे कुछ भाईयों को इस बात की तकलीफ हो रही है, यह तकलीफ होनी चाहिए और इस तकलीफ को समझना चाहिए क्योंकि आज तक वहां की आवाज किसने उठाई? आज आवाज उठाई होती तो खनिज सम्पदाओं से भरपूर होते हुए उस क्षेत्र में कोई न कोई उद्योग जरूर होता, इतनी नदिया उस क्षेत्र में थीं, वहां पर कोई न कोई बांध जरूर होता, इतनी जमीन वहां पर है यदि ठीक से भूखंडन होता तो वहां के लोग भूमिहीन नहीं हुए होते। सबसे पहले सारे अन्याय से छुटकारा पाने के लिए मेरा निवेदन है कि एक अध्ययन दल यहां से वहां पर भेजा जाए. जिस वस्तुस्थिति

को आज मैं यहां रख रही हूं कि कितनी बड़ी संख्या में वहां के लोग सूखे की चपेट के कारण परेशानी में घिर गए हैं, इसका पता लगाया जाए और राहत के लिए अधिक से अधिक उन प्रदेशों की सरकार को, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकार को जिसमें बुन्देलखण्ड का हिस्सा आता है, उनको राहत प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक पैसा दिया जाए। उस क्षेत्र के लिए बांधों की बात जो मैंने निवेदन की, मुआरा बाँध परियोजना, बेतवा की परियोजना, उसको लागू करने के बारे में विचार किया जाए ताकि सूखे की समस्या जो बार-बार आ जाती है उससे निपटा जा सके। ताकि वहां सूखे की जो बार-बार समस्या आ जाती है, उससे निपटा जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। मुझे यह ध्यान इसलिए आकर्षित करना पड़ा क्योंकि जो जवाब मुझे मिला है, उससे मैं किंचित-मात्र संतुष्ट नहीं थी और वह जवाब हास्यास्पद था। मुझे आश्चर्य हुआ कि कृषि मंत्रालय की सामान्य जानकारी में इतनी बड़ी भार कभी कैसे आ गई कि बुन्देलखंड क्षेत्र के पाँच जिलों का नाम ही उसमें से गोल कर दिया गया। ऐसे में मैं दुखी होकर रह गई कि अब क्या करूं ?

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय से हटकर एक बात करना चाहती हूं। अगर यह अन्याय होता रहा तो कुछ समय के बाद बुन्देलखंड की जनता पृथक बुन्देलखंड की माँग करेगी। आखिर वह कब तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी-जुड़ी महसूस करती रहेगी और ऐसे में मांग करेगी कि हमारा बुन्देलखंड पृथक किया जाए ताकि हम उसे अपने ढंग से उसे संवार सकें और अपनी समस्याओं का खुद समाधान कर सकें। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निवेदन के बाद वहां कुछ न कुछ जरूर होगा और बार-बार यह मामला मुझे शून्यकाल में उठाना नहीं पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि शून्यकाल में उठाए गए प्रश्न कहीं शून्य में तो गायब नहीं हो जाते। मैंने लगातार यह प्रश्न उठाया है कि वहां सूखा पड़ रहा है और उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हजारों की संख्या में मवेशी वहां मर रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला और न ही कोई समाधान ही निकाला गया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। मुझे विश्वास है कि इसका स्थायी समाधान खोजने के लिए कुछ न कुछ उपाय शीघ्रता से किया जाएगा और तत्कालिक निदान के लिए भी वहां अधिक से अधिक सहायता राशि भेजी जाएगी और साथ ही साथ वहां से एक अध्ययन दल वहां की स्थिति की जानकारी करने के लिए भेजा जाएगा।

[अनुवाद]

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम)** : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश हमारे देश में सूखा केवल एक राज्य अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है जैसा कि कुमारी उमा भारती ने कहा है। मैं विदेशियों द्वारा दी गई उनकी इस टिप्पणी का समर्थन करता हूं कि हमारा ऐसा धनी देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। दुर्भाग्यवश यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने इस तथ्य को बड़ी दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया है कि वनों की कटाई के कारण सूखा पड़ता है और इसी वजह से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनवरत सूखा पड़ता है। मैं सोचता हूं कि आपके माध्यम से इस सभा

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

तथा कुमारी उमा भारती को, जिन्होंने यह आधे घंटे की चर्चा शुरू की है, यह बताना मेरा कार्य है कि आजकल वनों की कटाई केवल तत्कालिक लाभ के लिए ही नहीं की जाती है बल्कि यह राजनैतिक भुगतान के लिए राजनैतिक रिश्वत बन गया है। दूसरे शब्दों में, मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्र में, मैं इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझता—जिन क्षेत्रों में—हमने देखा है कि स्थानीय जनता द्वारा भारी पैमाने पर वनों की कटाई की गई है। दुर्भाग्यवश, वे इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, आज सत्ता के लोग उन्हें इस उद्देश्य से वनों की कटाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे आर्थिक दृष्टि से जीवित रह सकते हैं और जो आज सत्ता में हैं वे और अधिक शक्तिशाली बन सकें।

मैं स्पष्ट कर दूं कि यह प्रवृत्ति इसी चुनाव से शुरू हुई है। इससे पूर्व इसे कभी भी चुनावी तकनीक नहीं माना गया था। इसमें ठेकेदार लिप्त होते थे। यह अब चुनावी तकनीक ही बन गयी है। जो भी हो, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

यह कौन करता है यह बात बेतुका है। सच तो यह है कि यह कार्य मध्यप्रदेश के एक क्षेत्र में किया गया है जो कि न केवल हीरा-पन्ना और कीमती खनिज देता है बल्कि वहां ऐसी नदियां भी हैं जहां विगत चार वर्षों से सूखा पड़ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह फिर से सूखा-प्रवण क्षेत्रों का वर्गीकरण कर सकें। मेरे अपने जिले में यह समस्या है। हमारे क्षेत्र को सूखा-प्रवण कहा जाता है। जिसका मतलब यह है कि हमारा क्षेत्र हमेशा सूखा ग्रस्त क्षेत्र समझा जाएगा। क्या वे हमारे क्षेत्र को मरुस्थल घोषित कर देंगे जब वहाँ केवल रेत भर जाएगे ? या क्या वह इस क्षेत्र को मरुस्थान-तुल्य मान लेंगे ताकि जो अनुदान प्राप्त होता है उसे बढ़ाया जा सके ?

माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर से पता चलता है कि प्रति वर्ष प्रत्येक प्रखंड के लिए 15 लाख रुपए से 18.5 लाख रुपए के लगभग राशि इस सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की गई है। एक बात जो बिल्कुल साफ है कि यदि आवंटित राशि को प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखा जाए तो यह राशि नगण्य है। यह राशि नगन्य ही नहीं बल्कि नहीं के बराबर है। क्या तत्काल कष्ट से छुटकारा दिलाने में कुछ भी सहायता कर सकता हैया क्या यह उस क्षेत्र का लम्बे समय के लिए काया-कल्प कर सकता है। मुझे सक है। मैं समझता हूं कि केवल अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ने के दृष्टि से ही नहीं बल्कि जो आवंटन मिला है वह समुचित है या नहीं के आधार पर कार्यक्रम की पुनरीक्षा करनी चाहिए।

मैं चर्चा छोड़ने वाले से सहमत हूं कि हालात यह होने जा रहा है कि सूखा के कारण लाखों लोग मर रहे हैं और तब भी आप कहते हैं कि अब सूखा नहीं है, अकाल है और इसलिए आप 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये आवंटित कर यह सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। हमें प्राकृतिक आपदाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।

एक बात स्पष्ट कर दूं कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य द्वारा खुद पैदा हुई होती है। मनुष्य द्वारा यह तुरन्त पैदा नहीं बल्कि यह समय के लम्बे अंतराल में होती हैं। जैसाकि मैंने कहाकि इसका एक कारण जो माना हुआ सत्य है कि अधिकतर क्षेत्र जो आज सूखा ग्रस्त है

उसका कारण है अत्यधिक वनों की कटाई, विदोहन तथा सिचाई की समुचित सुविधा की कमी और उचित योजना का अभाव चाहे मंत्री महोदय वहां जाएं अथवा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने इस चर्चा की शुरूआत की है वह इतना तो मध्यप्रदेश में सुनिश्चित कर ही सकती हैं कि राज्य सरकार में इसके लिए एक मंत्री बनाया जाएगा चूंकि उनके पार्टी की सरकार वहां सत्ता में है और उनके लिए इतना सुनिश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि वह बाहर से कोई समर्थन चाहती है तो हम देने लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

**कुमारी उमा भारती :** मिनिस्टर बार-बार आते हैं, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं लेकिन केन्द्र सरकार नहीं देती है।

**श्री प्यारेलाल खन्डेलवाल (राजगढ़) :** आपके सहयोग से तो जंगल कट गए, इतने वर्षों में।

**श्री पी०आर० कुमारमंगलम :** आपके मंत्री ने किया, अखबार में छपा है, पढ़ लो। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को नहीं मालूम कि आप लोग क्या करते हैं, आपके मंत्री लोग भी करते हैं।...(व्यवधान)...मैं हिन्दी समझता हूं, पढ़ भी लिया है।

[अनुवाद]

सारांश में मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाने का प्रयास करूंगा कि मुद्दा यह नहीं है कि यह कार्य किसने किया है। मुद्दा यह है कि जो कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्रों या मरूस्थल क्षेत्रों के लिए चलाए जा रहे हैं, जो आवंटन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दिया जाता है वह पर्याप्त राशि नहीं है। विशेषकर पैसों के वास्तविक मूल्य के दृष्टिकोण से 1960 में जो पैसे का मूल्य था और आज जो है उस पर गौर करें तो वित्त मंत्री भी यह बताएंगे कि यह दस गुणा कम हो गया है। यानि आज के दस पैसे की क्रय शक्ति 1960 के तुलना में एक पैसे के बराबर है।

मैं समझता हूं कि यह तर्क संगत और महत्वपूर्ण होगा कि मंत्री महोदय सर्व प्रथम इसके नियमों में परिवर्तन लाने के लिए पुनर्विचार करें और दूसरे आवंटन की राशि में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर परिवर्तन लाएं। तीसरे, कृप्या सूखा ग्रस्त क्षेत्रों पर नियमित तौर पर विचार करें। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस वर्गीकरण में आते हैं। कृपया उन्हें अधिक राशि आवंटित करें और यह सुनिश्चित करें कि स्थानीय रोजगार क्षमता उत्पन्न की जा सके। अन्यथा श्रमिकों का पलायन जो एक बड़ी समस्या है, एक ऐसी समस्या हो जाएगी जिससे निपटा नहीं जा सकेगा और उग्रवाद का एक कारण बन जाएगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) :** उपाध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की बहस पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2807 के 29 मार्च, 1990 से संबंधित है। माननीय सदस्या, कुमारी उमा भारती ने यह प्रश्न पूछा था—छतरपुर और टीकमगढ़ को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्दर क्यों शामिल नहीं किया गया? सच्चाई तो

[श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा]

यह है कि जब से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम बना है, तब से आज तक कभी भी ये दोनों जिले उसमें शामिल नहीं किए गए। कारण यह है कि शामिल करने के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं और उन मापदंडों के अनुसार ये दोनों जिले नहीं आते हैं। मापदंड में यह है—जहां 750 मिलीमीटर से नीचे वर्षा होगी और 20 प्रतिशत से कम जमीन सिंचित हो, दूसरे—जहां 750 से लेकर 1.25 मिलीमीटर वर्षा हो और 15 प्रतिशत से कम जमीन सिंचित हो और तीसरे—जहां 1125 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हो और दस प्रतिशत से नीचे जमीन सिंचित हो—इन मापदंडों में ये दोनों जिले कभी नहीं आए। मध्य प्रदेश की सरकार ने उन दोनों जिलों को उस कार्यक्रम में शामिल करने की आज तक अनुशंसा नहीं की है।

**कुमारी उमा भारती** : मंत्री महोदय इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी है।

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : इन दोनों जिलों—छतरपुर और टीकमगढ़—के एक्सपेंडीचर और एलाटमेंट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इस प्रकार है—

[अनुवाद]

छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु व्यय और आवटन

| (लाख रुपये में) व्यय—अक्तूबर 1989 से मार्च 1990 तक | | (लाख रुपये में) आवंटन—अप्रैल 1990 से जुलाई 1990 तक |
|---|---|---|
| छतरपुर | 64.79 | 58.87 |
| टीकमगढ़ | 31.03 | 48.99 |

दो जिलों के लिए सूखा राहत पर व्यय इस प्रकार है :

| (लाख रुपये में) 1989-90 | | (लाख रुपये में) 1990-91 |
|---|---|---|
| छतरपुर | 27.94 | 23.14 |
| टीकमगढ़ | 22.92 | 16.89 |

कुओं की खुदाई पर व्यय :

| | उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त लाख में 1990-91 |
|---|---|
| छतरपुर | 12.00 |
| टीकमगढ़ | 1.50 |

[हिन्दी]

जहां तक बुंदेलखण्ड की बात है, बुंदेलखण्ड कोई प्रशासनिक ईकाई नहीं है, न उत्तर

प्रदेश में है और न मध्य प्रदेश में है। प्रशासनिक ईकाई मध्य प्रदेश में सागर डिवीजन है और उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीजन है, लेकिन आम तौर से उसका जो कल्चर है, संस्कृति है, वह बुंदेलखण्ड जैसी है जैसा कि कुमारी उमा भारती जी ने बताया है। यह सही है कि मिलती जुलती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बाढ़ सूखा कार्यक्रम के पुनरावलोकन के लिए अप्रैल, 1990 में एक नेशनल कमेटी का पुनर्गठन किया गया है इस कमेटी की रिकमेंडेशन है कि राज्य सरकार के परामर्श के आधार पर होगी उसके अनुसार लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह कमेटी अप्रैल, 1990 में बनी है और उसके अध्यक्ष योजना आयोग के एक सदस्य, श्री एल० सी० जैन हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

7.00 म०प०

और अभी दो राज्यों का दौरा शुरू किया है, बाकि राज्यों में दौरा नहीं किया है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी यह कमेटी दौरा कर ले और उसकी रिपोर्ट हमको आ जाए। रिपोर्ट आने के बाद और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद जैसा होगा वैसा किया जाएगा।

जहां तक सूखे का सवाल है, पहले तो ऐसा था कि सूखा और प्राकृतिक आपदाओं को मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारें भारत सरकार को लिखती थीं और भारत सरकार एक टीम भेजती थी। सर्वे करने और जायजा लेने के बाद और उस टीम क लौटने के बाद फिर ऐलोटमेंट किया जाता था। लेकिन : अप्रैल, 1990 से हम लोगों ने इसको बदल दिया है। अब हम लोगों ने यह किया है कि हर राज्य के लिए राहत कोष अलग कर दिया है। वह राहत कोष खत्म हो जाए या खर्च हो जाए तो फिर उसके अलावा प्राकृतिक विपदा के लिए भारत सरकार से ऐप्रोच राज्य सरकार कर सकती है। अभी राहत कोष में वहां 37 करोड़ रुपया है और चार किश्तों में उन्हें देना है। अभी तक राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि इसको सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल किया जाए। यह जो देश के लिए कमेटी बनी है, यह भी जो अपनी अनुशंसा देगी और इसके लिए जो मापदड बनेगा उसके अनुसार इसको भी सूखाग्रस्त में अगर आता होगा तो शामिल कर लिया जाएगा।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का सवाल नहीं होना चाहिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : मेरा व्यवस्था का सवाल है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमसे मध्यप्रदेश सरकार ने 38 करोड़ रुपया मांगा। हकीकत यह है कि 80 करोड़ की मांग की गयी है। प्रधान मंत्री जी से मुख्य मंत्री जी ने की है। यह जो 80 करोड़ की मांग की गई है इस जानकारी को मंत्री महोदय दुरुस्त कर लें।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने यह कहा है कि 37 करोड़ रुपया उनके राहत कोष में है जिसका कि चार किश्तों में भुगतान होगा। मैंने यह भी कहा है कि इन जिलों को शामिल करने की बात जो माननीय सदस्या ने कही है, उसके बारे में कमेटी के दौरा करने के बाद जो मापदंड बनेगा उसके बाद राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद अगर यह मापदण्ड में आ सकेगा तो किया जाएगा।

**कुमारी उमा भारती** : जो कमेटी बन चुकी है, उसकी रिपोर्ट के बाद क्या इस सम्बन्ध में मापदण्डों में परिवर्तन कर दिया जाएगा ? ये टीकमगढ़ और छतरपुर ऐसे जिले हैं जिनमें लगातार तीन सालों से कम बारिश हो रही है। हो सकता है कि आपके आँकड़ों के हिसाब से किसी साल में ज्यादा बारिश हो जाती हो जिससे कि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं हो पाए हों लेकिन तीन साल से लगातार वहां बारिस न होने से उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : डैम बनाने की जो बात कही गयी है उसका सम्बन्ध मेरे विभाग से नहीं है। किसी भी क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र भारत सरकार मनमाने ढंग से नहीं कर सकती है। उसके लिए मापदंड होता है और मापदंड के अनुसार काम होता है। अब यह जो कमेटी बनी है उसके बाद जो मापदंड बनेंगे उनके अनुसार इस पर भी काम होगा। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं, अब नहीं। बाद में मंत्री जी से चर्चा कीजिए। मंत्री जी ने कह दिया है कि मापदण्ड को बदलने के लिए कमेटी अपोइंट की गई है। अगर मैं आपको आज्ञा दे दूं तो हमें फिर दूसरों को भी यह देनी होगी। इससे एक प्रथा बन जाती है। अगर दूसरे भी पूछने लगें तो उनको मना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मंत्री जी ने कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो चर्चा होगी और उसका समाधान किया जाएगा।

[अनुवाद]

अब सभा मंगलवार 15 मई, 1990 के 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 15 मई, 1990
25 वैशाख, 1912 (शक) को 11 बजे म० पू० तक के
लिए स्थगित हुई।

---

चौधरी मुद्रण केन्द्र 12/3 श्रीराम मार्ग साउथ मौजपुर दिल्ली-53